C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. VI, Second Session, 2019/1941 (Saka)
No. 16, Monday, December 09, 2019/Agrahayana 18, 1941 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM THE PEOPLE'S MAJLIS OF MALDIVES	14
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 281 to 291	15-77
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 292 to 300	78-107
Unstarred Question Nos. 3221 to 3450	108-591

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 592-616

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 617

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

272nd to 274th Reports 617

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 271st Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on "Fellowships, Grants, Pensions and Schemes administered by the Ministry of Culture" pertaining to the Ministry of Culture 618

Shri Prahlad Singh Patel

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 50th Report of the Standing Committee on Labour on Action taken by the Government on the observations/ recommendations contained in 36th Report of the Committee on 'Demands for Grants 2018-19' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 618

(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 53rd Report of the Standing Committee on Labour on Action taken by the Government on the observations /recommendations contained in 41st Report of the Committee on 'Jan Shikshan Sansthan Scheme' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

Shri R. K. Singh 619

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS FROM THE SERVICE OF THE HOUSE UNDER RULE 374 – Not Moved 620-621

GOVERNMENT BILLS – Introduced 622-672

(i) Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 622-623

(ii) Citizenship (Amendment) Bill, 2019 624-672

(iii) Anti-Maritime Piracy Bill, 2019 672

MATTERS UNDER RULE 377 677-700

(i) Need to include Sanskrit education under Sarva Shiksha Abhiyan

Shri Gopal Jee Thakur 678

(ii) Need to set up a Potato Development Board

Shri Mukesh Rajput 679

(iii) Need to construct compound wall in government schools in Rewa Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Janardan Mishra 680

(iv) Need to introduce daily train service from Prayagraj in Uttar Pradesh to Pune and Bengaluru

Shrimati Keshari Devi Patel 680

(v) Need to declare a MSP for crops grown in rain-fed regions of Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Rahul Kaswan 681

(vi) Need to extend Rayalseema Express (train no. 12793/12794) upto Nanded in Maharashtra

Shri Prataprao Patil Chikhalikar 682

(vii) Need to address the problem of land depression and land erosion caused by Brahmaputra river flood in Gauhati Parliamentary Constituency, Assam

Shrimati Queen Oja 683

(viii) Need for contingency plans to address the drinking water crisis in Karnataka

Shri G. S. Basavaraj 684

(ix) Regarding proposal for Veer Savarkar Memorial in Marseilles, France

Shrimati Poonam Mahajan 685

(x) Need to set up a Mega Food Park in Kaushambi district, Uttar Pradesh

Shri Vinod Kumar Sonkar 686

(xi) Need to provide environmental clearance for construction of canal connecting water reservoirs to agriculture fields in Chhattisgarh

Shri Chunni Lal Sahu 687

(xii) Regarding new railway line project from Kaliaganj to Buniadpur in West Bengal

Dr. Sukanta Majumdar 688

(xiii) Regarding childcare responsibilities faced by working women

Shrimati Meenakashi Lekhi 689

(xiv) Regarding problems in construction of Railway line between Deogarh and Pirpainti via Godda in Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 690

(xv) Need to declare Barpeta town in Assam as a heritage city

Shri Abdul Khaleque 691

(xvi) Need to protect mangrove forest of Sunderbans in West Bengal

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 692

(xvii) Need to provide funds for payment of wage dues under MGNREGA

Sushri S. Jothimani 693

(xviii) Need to set up a Medical College in Kallakurichi District, Tamil Nadu

Shri Gautham Sigamani Pon 693

(xix) Need to enhance the pension under Employees Pension Scheme – 1995

Shri Rajendra Dhedya Gavit 694

(xx) Need to construct flyover on level crossings in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Dulal Chandra Goswami 695

(xxi) Regarding integration of schemes meant for tackling malnutrition in the country

Shri Achyutananda Samanta 696

(xxii) Need to provide arrears of honorarium due to Madarsa teachers employed under MPQEM and MPEMM schemes of Government of India

Kunwar Danish Ali 697

(xxiii) Need for construction of flyover at Yerravally cross roads on N.H. 44 in Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana

Shri Ramulu Pothuganti 698

(xxiv) Need to construct a barrage on Sakri river in Bihar

Shri Chandan Singh 699

(xxv) Regarding students strike in Jawahar Lal Nehru University due to hike in hostel fee

Shrimati Supriya Sadanand Sule 700

ARMS (AMENDMENT) BILL, 2019 701-799

Motion to Consider 701

Shri Amit Shah 701

Shrimati Preneet Kaur 702-704

Dr. Satya Pal Singh 705-711

Shri A. Raja 712-714

Shri Kalyan Banerjee 715-717

Shri Kruva Gorantla Madhav 718-719

Shri Achyutananda Samanta 720-721

Shri Arvind Sawant 722-724

Shri Mahabali Singh	725-726
Shri Shyam Singh Yadav	727-728
Shri Kotha Prabhakar Reddy	729
Shri Shrinivas Dadasaheb Patil	730
Dr. S.T. Hasan	731
Col. (Retd.) Rajyavardhan Rathore	732-735
Shri Asaduddin Owaisi	736-737
Shri Jasbir Singh Gill	738
Shri S. Jagathrakshakan	739
Shrimati Mala Roy	740
Shri Hemant Patil	741
Shri Bhartruhari Mahtab	742-743
Clauses 2 to 11 and 1	748-756
Motion to Pass	756
CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2019	757-977
Motion to Consider	757-765
Shri Amit Shah	757-764, 882-897
Shri N.K. Premachandran	765, 849-851

Shri Manish Tewari	766-769
Shri Rajendra Agarwal	770-775
Shri Dayanidhi Maran	776-779
Shri Abhishek Banerjee	781-790
Shri P.V. Midhun Reddy	791-792
Shri Vinayak Bhaurao Raut	793-794
Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'	795-796
Shrimati Sarmistha Sethi	797
Shri Afzal Ansari	798-799
Shrimati Supriya Sadanand Sule	800-803
Shri Nama Nageswar Rao	804
Dr. S.T. Hasan	805-806
Shri Chirag Paswan	807-808
Shri P.K. Kunhalikutty	809
Shri S. Venkatesan	810
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	811-814
Shrimati Meenakashi Lekhi	815-823
Shri Asaduddin Owaisi	824-828
Shri Sukhbir Singh Badal	829-832

Shri Gaurav Gogoi	833-835
Shri Dilip Ghosh	836-838
Shri K. Subbarayan	839-840
Shri Badruddin Ajmal	841-843
Shrimati Locket Chatterjee	844-845
Shri Hanuman Beniwal	846-848
Shri Indra Hang Subba	852
Shri Tokheho Yepthomi	853-854
Shri C. Lalrosanga	855
Shri Lorho S. Pfoze	856
Shri Naba Kumar Sarania	857
Kumari Agatha K. Sangma	858-859
Shri Shankar Lalwani	860-861
Shri Pradyut Bordoloi	862
Shri Shantanu Thakur	863-864
Shri Thomas Chazhikadan	865-866
Shri Dilip Saikia	867
Dr. Thol Thirumaavalavan	868
Shri Bhagwant Mann	869

Shri Pallab Lochan Das	870
Shri Bhartruhari Mahtab	871-872
Shri Saumitra Khan	873
Adv. A.M. Ariff	874
Shri E.T. Mohammed Basheer	875
Dr. Rajdeep Roy	876-877
Dr. R. K. Ranjan	878
Dr. Shashi Tharoor	879-880
Shri Raju Bista	881
Clauses 2 to 6 and 1	898-977
Motion to Pass	977

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	1003
Member-wise Index to Unstarred Questions	1004

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	1010
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1011

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 09, 2019/Agrahayana 18, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM THE PEOPLE'S MAJLIS OF MALDIVES

माननीय अध्यक्ष : हमारे अतिथि आए हैं । एक मिनट बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर आए पीपल्स मजलिस ऑफ मालदीव के स्पीकर महामहिम श्री मोहम्मद नशीद और मालदीव के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वे रविवार, 8 दिसम्बर, 2019 को भारत आए और अब वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। दिल्ली के अतिरिक्त वे शनिवार, 14 दिसंबर, 2019 को भारत से अपने अंतिम प्रस्थान के पहले आगरा और गांधी नगर, गुजरात का भी दौरा करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम पीपल्स मजलिस ऑफ मालदीव, वहां की सरकार और मालदीव के मित्रवत लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट । मैंने व्यवस्थाएँ यहां पर दे रखी हैं कि प्रश्न काल की समाप्ति के बाद मैं सब के विषय पर गौर करूँगा।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, टेक्नीकल मुद्दा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई टेक्नीकल मुद्दा नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैंने आपको इजाजत नहीं दी। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है। कोई भी बैठे-बैठे नहीं बोलेगा।

...(व्यवधान)

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 281- श्री गुमान सिंह दामोर।

(Q. 281)

श्री गुमान सिंह दामोर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया, इसलिए मैं पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी दो-तीन छोटी-छोटी बातें हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के झाबुआ और अलीराजपुर के जो मजदूर हैं, वे गुजरात में काम करने जाते हैं। उनकी सिलिकोसिस जैसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। उनकी सहायता न तो गुजरात सरकार करती है, न ही मध्य प्रदेश सरकार करती है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में गम्भीरतापूर्वक चिंतन किया जाए। दूसरा, चूंकि वहां से जब वे मजदूरी करने जाते हैं तो उनके बच्चों की शिक्षा पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। उनकी शिक्षा और इन मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है, यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी को रोकने का काम करे। देश के किसी भी हिस्से में जाकर कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। वहां पर अगर कोई असुविधा हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अब श्रम कानूनों में हम संशोधन कर रहे हैं। जो बातें आप बता रहे हैं, वह समझ में आ रहा है। इसमें दूसरा जो कोड है, जो वास्तव में इस ओर ध्यान देता है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। कैसे इनकी चिंता को दुरुस्त किया जाए, उस हिसाब से काम हो रहा है। इसके बाद भी हमारी अब तक जो योजना चल रही है, उस योजना के तहत हम सहयोग कर रहे हैं। जो हमारे बीड़ी कामगार हैं, लौह इत्यादि खदानों में

काम करने वाले कामगार हैं, सिने वर्कर्स हैं, उनके लिए भी ये सुविधाएँ हम देने का काम कर रहे हैं। जो ऐसी बात बताई गई है, हम स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत मिलेगी तो हम उसे सही ढंग से करेंगे। हम इतना बता सकते हैं कि हमने जो व्यवस्था की है उसके तहत हमारा मंत्रालय विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से कैंसर का पूरा खर्च उठाता है। हम टीवी और अस्पताल बेड रिजर्वेशन के मामले में भी खर्च करते हैं। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक शिकायत बताएंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, the answer given by the hon. Minister is really appreciable because it is truly within the spirit of the constitutional provisions and very correctly said.

Since November 2016, industries have been collapsing and many labourers have been out of employment. In my constituency itself, at a place called Domjur, there were 50,000 workers engaged in the business of preparation of gold ornaments. They were working all over India, especially in Maharashtra, Kerala and Gujarat. They were working in those States. Now, by reason of demonetisation, these industries have collapsed. Out of 50,000 workers, 45,000 workers have gone out of employment and only 5,000 remain employed.

Sir, through you, my very specific question is this. By reason of demonetisation, industries have collapsed, so many labourers have been out of employment and it has reached a record level of more than 40 per cent where now, 40 per cent of total labourers have lost their employment. What are the

measures which the hon. Minister has taken to re-employ them and to put more labourers into employment?

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि रोजगार कम हो रहे हैं। रोजगार सृजन के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। वर्ष 2016-17 से अब तक कई काम किए हैं जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत हमने नई योजना चलाई थी। …(व्यवधान) इससे प्लेसमेंट भी मिल रहा है, लोगों को काम भी मिल रहा है। जैसा आपने बताया कि अनइम्पलायमेंट हो गया है तो हम इसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको देने का काम करेंगे। हमने जो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, उसके माध्यम से लोगों को काम मिल रहा है और काम दिखाई दे रहा है। मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारा रिकार्ड बताता है कि हमने जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा पैसा दिया है और लोग इस संदर्भ में काम कर रहे हैं और यह सभी की जानकारी में है।

(Q. 282)

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN: Hon. Speaker, Sir, the reply given by the hon. Minister is not a satisfactory one. It clearly says that there is no proposal under consideration for waiver of educational loans.

There are many cases in our country where the Government is waiving loans worth crores of rupees together, given to the industrialists, but the Government is not ready to consider the rural people who availed of the loan and are searching for employment. There are many cases where they have committed suicides, but in the reply, our hon. Minister says that there has been no such case where people have committed suicides. This is really an unconvincing one. So, I need a proper answer from the hon. Minister.

I would like to know from the hon. Minister whether there is any consideration to waive the loans for rural youths who are unemployed. This is a burning issue in our country. They are suffering a lot. So, kindly consider to waive the loans for the unemployed. Will the hon. Minister consider waiving of loans availed of by rural people?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2001 में मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम शुरू की गई थी। इसका लाभ आज तक हजारों लाखों विद्यार्थियों को मिला है। इसके पीछे मंशा थी कि भारत में पढ़ने वाले, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दस लाख रुपये तक और विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बीस लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जाए। इसे पब्लिक सैक्टर

बैंक्स ने इसी मंशा के साथ शुरू किया था कि अच्छी क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेशनल कम्पीटेंसी हो, डैवलपमेंट आफ एन्टरप्रेन्योनर स्किल्स हो। इसमें कुल मिलाकर देखें तो लिब्ररल रिपेमेंट सिस्टम है, यानी जब शिक्षा पूरी होती है तो उसके बाद एक साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। इसके बाद 15 साल में पूरा लोन रीपे करना है। अगर आप अनएम्प्लाएड या अंडर एम्पलाएड हैं तब भी एक साल का एडीशनल मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। अगर आप इन्क्यूबेशन के माध्यम से, यानी स्टार्टअप में शुरुआत करते हैं तो उसमें भी एक साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है।

अगर मार्जन मनी, बाकी लोन्स में देखा जाए तो कहीं पर 20 से 30 परसेंट हाउसिंग लोन और दस परसेंट कार लोन में है तो यहां मार्जन मनी भी नहीं है। आप इसे वेव करने की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस योजना के माध्यम से पूरे देश में लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिला है। मैं आंकड़े देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप आंकड़े रहने दीजिए।

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN: Hon. Speaker, Sir, unemployment is a very serious issue. It has become a major crisis in our country. So, we have to consider giving employment to our people, especially to those who belong to rural areas.

Now-a-days, it is very hard to get educational loan from banks. Even now we are fighting for this. No bank is ready to give educational loan. So, will the Minister give directions to the bank authorities to give educational loan to the students, especially to those belonging to rural areas?

I am requesting the Minister again and again to waive the educational loan at least of those who are not getting jobs.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर इसका प्रावधान है, विद्यार्थी लोन के लिए एप्लाई कर सकते हैं। सभी पब्लिक सैक्टर बैंक्स और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स लोन उपलब्ध करवाते हैं। यहां तक कि चार लाख तक के लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है, पेरेंट्स ज्वाइंट बारोअर्स होते हैं। साढ़े सात लाख रुपये तक के लोन के लिए थर्ड पार्टी गारंटी है। यहां तक कि इसमें प्रावधान भी है कि विद्यार्थी को वेवर कर दिया जाए। अगर कुल मिलाकर देखें, जैसा मैंने पहले कहा कि नार्थ-ईस्टर्न रीजन में 25,639 विद्यार्थियों को 810 करोड़ रुपये का लोन मिला है और साउथ इंडिया में 16 लाख 34 हजार 164 विद्यार्थियों को 44,362 करोड़ रुपये का लोन मिला है। पढ़ाई के लिए लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की स्कीम अच्छी है। ऐसा पता चला है कि शिक्षा पूरी होने के बाद जॉब मिलने में कठिनाई आती है। सरकार ने एक साल की मोहलत दी है, अगर विद्यार्थी को जॉब न मिले तो उसके लिए एक साल की जगह दो साल की मोहलत देने की हमारी सरकार से विनती है। अगर सरकार यह मांग पूरी करती है तो विद्यार्थियों को फायदा होगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा पूरी करने के बाद एक साल का मोरेटोरियम पीरियड है। अगर कोई अनएम्पलाएड या अंडर एम्पलाएड है तो उसके लिए एक साल का और एडीशनल मोरेटोरियम पीरियड है, जो दो साल का बनता है। इसके अलावा अगर कोई स्टार्ट्सअप्स में हैं तो मोरेटोरियम पीरियड की ऑप्शन उपलब्ध है और टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट रिपेमेंट का भी प्रावधान है। अगर किसी की कमाई कम है या कम पैसा तनख्वाह के रूप में मिलता है तो छोटी किश्त दे सकते हैं जो बाद में बड़ी किश्त बन जाती है। मुझे लगता है कि अलग-अलग तरह के प्रावधान योजना के अंतर्गत हैं ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

श्री मनीष तिवारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शिक्षा ऋण है, इसका मूलभूत आधार यह है कि आप ऋण लो, शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद आपको रोजगार मिलेगा और उस रोजगार से जो कमाई होती है, उससे आप ऋण वापस करते हैं। जो सरकार द्वारा जवाब दिया गया है कि data linking education loan sanctioned by banks with securing of jobs is not centrally maintained. मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि आज जो बेरोजगारी की दर है, वह 45 साल में इतनी नहीं हुई, क्या सरकार**...(**व्यवधान**)** It is 45 year high …(*Interruptions*) Unemployment, today, is 45-year high …(*Interruptions*) That is a reality from which you cannot run away …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

SHRI MANISH TEWARI: My question, Mr. Speaker, Sir, is that given the current economic slowdown, will the Government consider maintaining a Central data base where they have information that somebody. who has availed of an education loan. has got employment, whether it is self-employment or he is employed with somebody else? That is my question.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यहां पर यह है कि एजुकेशन लोन के रूप में जो वीकर सैक्शंस हैं और जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं**,** उनको किन योजनाओं के माध्यम से पैसा उपलब्ध करवाया जाता है। उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से उत्तर में भी कहा गया कि सेन्ट्रल डेटा रखने का प्रावधान बैंकों का नहीं है। सरकार की अलग**-**अलग एजेंसियां निर्धारित रूप में अपना काम करती हैं। यहां पर उस योजना को और बेहतर कैसे किया जा सकता है या जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो एचआरडी मंत्रालय के द्वारा भी लगभग 3.5 हजार करोड़ रु. का फंड क्रिएट करने के माध्यम से दी गई है, ताकि

विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और उनको रोजगार के अवसर मिलें। इसके अलावा मुद्रा योजना में लोन्स बाकियों को भी दिये जाते हैं। ऐसे प्रावधान भी हैं। स्टार्ट-अप्स के लिए जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, शायद यही कारण है कि दुनिया भर के पहले पांच स्टार्ट-अप्स नेशन्स में भारत का नाम आया है जो आज के युवाओं के लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है।

(Q. 283)

श्री प्रदीप कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा बाढ़ में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का जितनी तेजी के साथ दोबारा पुनर्निर्माण कर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया गया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं।

बिहार राज्य का खासकर अररिया जिला जो अति पिछड़ा जिला है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ त्रासदी के कारण बहुत से छात्र-छात्राएं दोबारा विद्यालय नहीं जा पाते हैं। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों के बच्चों को कोई प्रोत्साहन सहायता राशि दे रही है या देने पर विचार कर रही है ताकि बाढ़ त्रासदी के बाद ऐसे क्षेत्र के बच्चे पुन: विद्यालय जा सकें?

श्री रमेश पोखरियाल निशंक : माननीय अध्यक्ष जी, यह विद्यालय भवनों की क्षति और मरम्मत का विषय है। जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है और वैसे तो यह राज्यों का विषय है, लेकिन फिर भी भारत सरकार की समग्र शिक्षा के तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि राज्यों को इस दिशा में पूरी मदद दी जाए। यदि पूरे देश के अंदर देखें जिसमें बिहार भी है कि लगभग 12641 कक्षा कक्ष ऐसे हैं, जो अतिरिक्त बनाने हैं, इसमें 784 करोड़ रुपये मरम्मत के लिए शासन से जारी किए गए हैं। यदि देखा जाए कि पिछले 2-3 सालों में 13425 करोड़ रुपये इसके लिए जारी हुए हैं। जहां तक माननीय सदस्य का जो अररिया जिला है, इसमें भी बहुत सारे विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और समग्र शिक्षा के तहत उन क्षतिग्रस्त कक्षों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है।

श्री प्रदीप कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने बाढ़ पीड़ित राज्यों का कोई सर्वे करावाया है या करवाने पर विचार कर रही है?

माननीय अध्यक्ष : बाढ़ का विषय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

…(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार सिंह : बाढ़ का उस जिले तथा उस राज्य की साक्षरता दर पर होने वाले प्रतिकूल असर का मापदंड प्राप्त कर सके तथा उस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने पर आगे और काम किया जा सके। यदि हां, तो इसका ब्यौरा प्रदान करने की कृपा करें, अगर नहीं, तो इसके कारणों से अवगत कराने का कष्ट करें।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन् जहां तक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का प्रश्न है**,** तो चूंकि यह विषय प्रदेश के पास होता है, फिर भी यह उन लोगों का विषय है तो यदि उनको जरूरत होगी कि किस**-**किस राज्य में कितनी क्षति हुई है और दूसरा उन्होंने साक्षरता को बढ़ाने के लिए कहा है। यह एक लगातार प्रक्रिया है, जिसमें भारत सरकार पूरी ताकत के साथ उस दिशा में जुटी हुई है और उसके अच्छे रिजल्ट भी हैं।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले में बाढ़ की वजह से जो रूम्स टूट गए हैं और जो रूम्स डैमेज हुए हैं, वैसे 1,765 वर्ग खंड बनाने की आवश्यकता है। उनमें से वर्ष 2019-20 में 192 वर्ग खंड सैंक्शन हुए हैं। आज भी 1,513 रूम्स बनने बाकी हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो education is a state subject. पर, वे सभी बाढ़ की वजह से टूटे हुए हैं और वर्ष 2015 से वे सभी बनने बाकी हैं। वहां विद्यार्थी खुली जगह में बैठ रहे हैं, उनके लिए कोई खास पैकेज देकर हमारे वर्ग खंड पूरे करवाएंगे**,** जो 1513 रूम्स बनने बाकी हैं, वे आप कब तक पूरा करवाएंगे?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम ने प्रारंभिक 3 लाख, 12 हजार स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत किया है, 18 लाख, 88 हजार अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया है, 2 लाख, 45 हजार स्कूलों में पेय जल उपलब्ध कराया है, 4 लाख, 8 हजार स्कूलों में शौचालयों का निर्माण करावाया है, जबकि 5.29 लाख स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया है।

श्रीमन् स्कूलों में जो अतिरिक्त विद्युतीकरण से संबंधित है, 2 लाख, 28 हजार स्कूलों में यह भी किया गया है। जहां तक बनासकांठा का विषय है, तो वर्ष 2015 में जो त्रासदी आई थी, उसमें 241 स्कूल्स क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें 772 कक्ष क्षतिग्रस्त हुए थे। आज की तारीख में इन 241 स्कूल्स के 772 कक्षा कक्ष निर्मित हो चुके हैं। हां, वर्ष 2017 में फिर जो त्रासदी आई थी, उसमें बनासकांठा जिले में 484 स्कूलों के 1,800 कक्ष ध्वस्त हुए थे, जिनमें से अभी तक 121 स्कूलों के 567 कक्षा कक्ष बन चुके हैं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा और सूचना भी देना चाहूंगा कि कुल मिला कर अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्वीकृतियां हैं, उनको राज्य सरकार को समग्र शिक्षा के माध्यम से पर्याप्त धन राशि उल्लेखित की गई है। जहां तक गुजरात राज्य का विषय है, इसमें 2,889 करोड़ रुपये की धन राशि आबंटित की गई है। मैं समझता हूं कि आपके जितने भी भवन हैं, जो यह चार्ट है, इसके तहत उसमें पूरी तरह से वह क्रियान्वित हो सकेगा।

श्री भगवंत मान: माननीय स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अरविन्द केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति आई है। स्कूलों में स्वीमिंग पूल, एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी ग्राउंड, एस्ट्रो टर्फ आदि सुविधाएँ, जो आम तौर पर प्राइवेट स्कूलों में होती हैं,

सरकार की ओर से देने का कोई प्रावधान है ताकि सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधाएँ मिल सकें और यहाँ से भी बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ओलम्पिक और एशियन पोडियम पर जा सकें?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देश के सभी राज्य प्राथमिकता के आधार पर खेल के मैदान सुनिश्चत करें और अनिवार्य रूप से एक घंटा शारीरिक शिक्षण कार्य करें। पिछले दिनों, माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से फिट इंडिया अभियान प्रारम्भ हुआ था, जिसमें एक साथ 10 करोड़ से भी अधिक छात्रों ने भाग लिया था। दिल्ली को भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत 22 करोड़ 85 लाख रुपये स्कूलों के उन्नयन के लिए दिए गए। मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो कहा, उसको दिल्ली सरकार को जरूर करना चाहिए।

(Q. 284)

श्री जुएल ओराम : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिप्लाई दिया है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, आगे बढ़ें?

श्री जुएल ओराम : मेरा फर्स्ट सप्लीमेंटरी क्वेश्चन यह है कि Annexure-II के अनुसार आपने 103 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं। उनके लिए क्यूमुलेटिव धनराशि की व्यवस्था की गई है**,** जो 75,769.9 करोड़ रुपये हैं। अगर आप क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर या डिसबर्समेंट देखेंगे, तो वह ऑलमोस्ट 50 परसेंट हो रहा है**,** जो 34,248.73 करोड़ रुपये हैं।

मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी धनराशि अवेलेबल होने के बावजूद जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं, उसके लिए राज्य सरकार पैसे ले रही है, तो इसमें यूटिलाइजेशन इतना कम क्यों आ रहा है? इसे इम्प्रूव करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि जब प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए धनराशि सैंक्शन की गई, तो यह क्यों हुआ?

माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में यह तय किया गया था कि जो लंबे समय से लंबित इरिगेशन की स्कीम्स हैं, उनको पूरा किया जाए। इसके तहत 99 प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उनके लिए पैसे का प्रावधान किया गया। शायद पिछले 70 वर्षों में जो योजनाएँ पूरी नहीं की गई थीं, उनको पूरा करने के लिए इस धनराशि का प्रावधान किया गया। यह श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, नाबार्ड की ओर से कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्य की सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करें, उनको पैसे दिए गए हैं। इसलिए यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आपने तो धन्यवाद दे दिया, अब क्या सेकेण्ड सप्लीमेंटरी पूछेंगे?

श्री जुएल ओराम: सर, मेरा सेकेण्ड सप्लीमेंटरी इसलिए है, जैसे मैंने स्पेसिफिक ओडिशा के बारे में पूछा था कि आठ प्रोजेक्ट्स के लिए 6,990.43 करोड़ रुपये सैंक्शन किए, जिसमें से 3,111.59 करोड़ रुपये ही ले पाए। वे आठ प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं? अगर इनके डिटेल्स अभी आपके पास नहीं हैं, तो आप बाद में दे दीजिएगा। लेकिन कितने-कितने पैसे डिसबर्समेंट हुए हैं, यह बताया जाए।

हाई लेवल मॉनिटरिंग के लिए राज्य के चीफ सेक्रेट्री को इसमें होना चाहिए। इसका प्रावधान कितने राज्यों ने किया है? यदि इसकी डिटेल नहीं है, तो आप मुझे बाद में लिखित में भिजवा दीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय सिंचाई योजना से संबंधित है। यह देश के किसानों से संबंधित है, जिनको बार-बार मौसम की मार झेलनी पड़ती है। यदि बारिश न हो, तो सूखे की मार पड़ती है, यदि बारिश ज्यादा हो, तो बाढ़ की मार पड़ती है। इन्हीं सब से बचने के लिए इन योजनाओं को पूरा करने का प्रावधान किया गया था। आप देखें कि अगर 6,990 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए और ओडिशा की सरकार सिर्फ 3,111 करोड़ रुपए ही यूज कर पाई, तो हम उनसे एक बार कहने का प्रयास करेंगे कि वे उसका जल्द-से-जल्द इस्तेमाल करें, ताकि उसका लाभ किसानों को मिले और सिंचाई योजनाएँ पूरी हो सकें।

SHRI BHATRUHARI MAHTAB: The RIDF provisioning is basically interconnected to Priority Sector Lending of respective banks. जो बैंक प्रॉयरिटी सेक्टर लैंडिंग सही ढंग से नहीं कर पाया, उसी के हिसाब से एक परसेंटेज आर.आई.डी.एफ. फण्डिंग के द्वारा रिस्पेक्टिव स्टेट्स को दिया जाता है। माननीय मंत्री जी ने जो लिस्ट यहां हाउस में पेश की है, इसमें सबसे ज्यादा ओड़िशा को मिले हैं। पिछले तीन सालों में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और सबसे ज्यादा पैसा भी ओड़िशा को मिला है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो तथ्य हमारे सामने है, इस तथ्य से हमें पता चलता है कि प्रॉयरिटी सेक्टर लैंडिंग ओड़िशा में ज्यादा नहीं हो रहा है। प्रॉयरिटी सेक्टर लैण्डिंग में जो कमी आ रही है, इसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I just want to take this opportunity to say that the suggestion and the question which were raised by the hon. Member, Shri Jual Oram, do require a lot of consideration and have merit.

As regards little specification, which the hon. Member, Mahtab ji, said about Long-Term Irrigation Fund, both Centre and States' share included, I would like to take this opportunity to take the suggestion which has been given here about the number of projects pertaining to Long-Term Irrigation Fund.

The suggestion that a high-level committee should consider reviewing it is a very well-taken point and I would like to place it before you and through you, Sir, to the House that I will certainly look into forming a high-level committee for reviewing it. The funds which have been allotted and the projects which have been benefited from it under the Long-Term Irrigation Fund will be better served if there is a high-level committee to monitor it. I shall come back to the House after forming a committee which can look into these projects.

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष जी, मैंने आर.आई.डी.एफ. के बारे में पूछा था।

माननीय अध्यक्ष: जब आपका नाम लॉटरी में खुल जाए तब आप डबल सप्लीमेंट्री पूछ लेना, लेकिन अभी तो सिंगल ही है।

श्री भर्तृहरि महताब: सर, मेरा उत्तर नहीं आया है।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, as regards Long-Term Irrigation Fund, which Shri Jual Oram ji spoke about, I would suggest that that could also be the case for many other things under the NABARD. I will be quite happy to form a high-level committee. We can review it along with the States and then come up with a reply before the House.

श्री विनायक भाउराव राऊत : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम करने की जो व्यवस्था है, उसके लिए नाबार्ड का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों के रास्ते हों या नदियों के ऊपर ब्रिजेज हों, नाबार्ड से आर्थिक सहायता जितनी ज्यादा मिलती है, उतने ही काम राज्यों के माध्यम से होते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के 325 प्रोजेक्ट्स के लिए 2202.62 करोड़ रुपये की धनराशि सैंक्शन की थी, लेकिन दुर्भाग्य से 937.70 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण हुआ है । महाराष्ट्र जैसे राज्य को सारी निधि जल्दी से जल्दी मिलने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि नाबार्ड के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए जो धनराशि बची है, क्या उसे इस वित्तीय वर्ष में देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, निश्चित तौर पर किसी राज्य को भेदभाव के रूप में नहीं देखा जाता है। अगर माननीय सांसद पिछले दो साल का लेखा-जोखा देखेंगे तो उसमें इनको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि वर्ष 2016-17 में 999 करोड़ रुपये में से लगभग 850 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 2017-18

में 993 करोड़ रुपये में से आपने 904 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए और 2018-19 में 2202 करोड़ रुपये में से 937 करोड़ रुपया आपको डिस्बर्स हुआ है। यह राज्य के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से वह पैसा खर्च करता है। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र को जो पैसा सैंक्शन हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से खर्च करें। नाबार्ड की ओर से कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में ग्रामीण विकास या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बहुत आवश्यकता है। नाबार्ड की भूमिका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलेपमेंट के क्षेत्र में ही है। उस दिशा में जहां हमने मात्र कुछ हजार करोड़ रुपयों से शुरू किया था, उसमें आज बढ़कर लगभग 3,44,142 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं। उसमें से 2,68,220 करोड़ रुपये डिस्बर्स भी कर दिए गए हैं।

(Q. 285)

SHRI N. REDDEPPA: Hon. Speaker, Sir, in our country, unemployment rate is increasing day by day. In the month of September, 2019, it was 7.2 per cent whereas in October 2019, it had increased to 8.5 per cent. It is the highest rate of unemployment ever recorded in this country.

I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, the measures the Government of India has taken so far. What is the outcome of those measures? Is there any permanent action plan to improve the employment rate?

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, समय-समय पर विभिन्न आंकड़े आते रहते हैं, तो उसकी जानकारी के हिसाब से जो विवरण आता है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारी सरकार रोजगार सृजन के लिए जो काम कर रही है, इसमें पिछले पांच वर्षों से लगातार प्रगति नज़र आ रही है। मैं आपके माध्यम से सभी का ध्यान दो-तीन बातों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ष 2016-17 से जो ट्रेनिंग दी है, उसमें लोगों को प्लेसमेंट भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री इम्प्लायी जेनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 16,00,000 लोगों को रोजगार मिला है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत करीब 4,50,000 लोगों को रोजगार मिला है। मुद्रा योजना तो एक ऐसी योजना है कि हमने इसमें जितना धन तय किया था, इसमें इक्कीस करोड़ से अधिक खातों में दस लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। इसमें 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। यह वास्तव में देश के अंदर अपने आप में एक रिकार्ड है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी, जिस प्रकार से चिंता कर रहे हैं, वह सबकी समझ में आ रहा है। जब मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम मिल रहा है, तो हम लगातार हर वर्ष पैसों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2016-17 से अब तक हमने 891 करोड़ रुपये के दिनों के हिसाब से रोजगार दिया है। यह वास्तव में इस बात का प्रदर्शन है कि हम इस ओर कितने चिंतित हैं और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री एन. रेड्डप्प: महोदय, नहीं।

माननीय अध्यक्ष : श्री दयाकर पसुनूरी – उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शशि थरूर जी, आपको आशा नहीं होगी कि प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा।

…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Thank you very much, Sir. I do want to ask this question.

माननीय अध्यक्ष : लेकिन यह आपका लास्ट प्रश्न है।

DR. SHASHI THAROOR: Sir, the issue is this. Already, in our Government, we are in a situation where the Government and the PSUs have taken to the habit of hiring contract labour instead of filling regular vacancies in order to save money. Now, we are seeing a very disturbing trend in this happening with the employment

exchanges. I am looking at the figures that the hon. Minister has given on Kerala. We have seen a dramatic drop from as many as 11,300 to 6,115, that is almost half, from one year to the next. What is the reason? The Kerala Government instead of hiring people through the employment exchanges where they have to pay a full salary – in Kerala which would be Rs.18,000 a month for a daily wage worker – it is taking them through the Women's Collective – Kudumbashree, or the Ex-servicemen's Association and paying them Rs.6,000 a month.

My question to you, Sir, is this. I know that employment exchanges are run by the State Governments but do you not have a national obligation to have a policy whereby you encourage or require all States to hire people from the employment exchanges. We are talking about some of the most unfortunate sections of our society, people who are really dependent on daily wage labour. We used to have a few thousand every year, who are getting jobs like this from the employment exchanges, but now, they are not being hired, and I do not know if other States are going to catch on to this policy to save money. But I would urge the Central Government – it is a question of the viability of the entire concept of employment exchange – to adopt a national policy and send a directive to all States on this matter.

Thank you, Mr. Speaker.

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, मैं माननीय सदस्य के सुझाव को सम्मान देता हूँ और उनसे सहमत हूँ। इसीलिए हमारे मंत्रालय के द्वारा नैशनल करियर सर्विस प्रोजैक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज, जो अभी आप राज्य सरकार के बारे में बता रहे हैं, उसको मॉर्डनाइज करने की योजना है और एनसीएस के माध्यम से हम देश भर में लगभग 200 एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजेस को मॉडल करियर सैंटर्स के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। इन करियर सैंटर्स में रोज़गार पाने के बाद रजिस्टर्ड लोगों को एक उचित परामर्श भी दिया जाएगा और हम इस संदर्भ में मेले भी आयोजित कर रहे हैं। पर मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो नौकरी पा जाता है, वह सूचना नहीं देता है कि हमको नौकरी मिल गई है, इसलिए वह डी-रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। परंतु आपने जो सुझाव दिया है, हम उस पर विचार करेंगे और इसके संदर्भ में अवगत भी कराएंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 286

दादा, एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी कोशिश सत्र में यह है कि सभी माननीय सदस्य – जो मूल प्रश्नकर्ता है वह और सप्लिमेंट्री प्रश्न करने वाला, उनको मिला कर एक सत्र में कम से कम रोजाना 50 से 60 लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछ लें, ताकि सदन में सभी माननीय सदस्यों का क्रमवाइज नंबर आ जाए। नहीं तो क्या होता है कि वरिष्ठ व्यक्ति का नंबर तो तीन-तीन बार आ जाता है और जो हमारा नया सदस्य है, उसको प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलता है। मैं माननीय वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कुछ माननीय नए सदस्यों को भी इस बार सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दें।

(Q. 286)

श्री राजेश वर्मा: अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछे थे, काफी विस्तार से उनका जवाब आया है। प्रथम प्रश्न के उत्तर में इस्पात विनिर्माण में शामिल सरकारी/निजी कंपनियों का राज्य/जिला-वार ब्यौरा जो हमने मांगा था, उसका माननीय मंत्री जी ने विस्तार से हमको जवाब दिया है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में जो लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है – उसमें जिला फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, यह लिस्ट तो इनके पास भी है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजेश वर्मा: सर, इन जिलों में इस्पात के कारखानों का ब्यौरा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सन् 2009 में, लखीमपुर जनपद की एक मितौली जगह है, जहां पर तत्कालीन इस्पात मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने चुनाव के दो महीने पहले एक इस्पात कारखाने का शिलान्यास किया था। उसको लगभग दस वर्ष हो गए हैं। लेकिन अभी तक वहां पर कुछ ऐसी जानकारी या कोई गतिविधि नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मितौली में कोई इस्पात कारखाना लगाने के लिए शिलान्यास हुआ था या केवल वह राजनीतिक लाभ के लिए ही शिलान्यास हुआ था। यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, इसकी जानकारी हम संग्रह कर के आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताएंगे।

श्री राजेश वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि जो इस्पात कारखाने हैं, जो पीएसयूज़ हैं, जो अच्छे लाभ में हैं, देश की अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनका प्रबंधन बढ़िया है, उनका वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, उनकी मार्केटिंग अच्छी है, वे देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो पीएसयूज़

घाटे में हैं, क्या ऐसे पीएसयूज़ के माध्यम से जो देश के हित में कार्य कर रहे हैं, जो लाभ अर्जित कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ काम करेंगे कि उनके प्रबंधन की व्यवस्था, उनकी वित्तीय व्यवस्था करने के लिए लाभ वाले पीएसयूज़ उनको सहयोग करें। ऐसी मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। वैसे जितने हमारे उपक्रम हैं, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आपने पिछले पांच वर्षों का जो आंकड़ा पूछा है, तो सेल के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जो कुल कारोबारी हैं, वे अलग-अलग हैं, वर्षों के आधार पर इसमें दिया गया है और जो कुल खर्च हुआ है, जो लाभ-हानि अर्जित की है, उसमें लाभ-हानि अर्जित करने वाली हमारी जो पीएसयूज़ हैं, लगभग उसमें कुछ नुकसान हुआ है, पर इस समय हम फायदे में हैं। लगभग 2179, यह जो हमारा सन् 2018-19 का है, इसमें अभी हम प्रॉफिट में हैं। यह बहुत अच्छा सुझाव है, इसके बारे में जानकारी हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे।

SHRI T. R. BAALU: Sir, I have to thank you for having allowed me to ask this question. It is not a difficult matter for the Minister. The Minister is very kind to do something to see that the Salem Steel Plant continues. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बालू जी ने आपको एप्रिशिएट कर दिया।

SHRI T. R. BAALU: I have to appreciate whatever he does. At the same time, the Salem Steel Plant is not just a plant. It is an embodiment of Tamil pride and culture; it is emotionally integrated with Tamil pride. That is why I request the Minister, through you, that he could kindly consider to have a discussion with all of us, all Tamil Members of Parliament so that he can understand the matter behind

it. In fact, he is playing – I am not threatening – with a flame. Hereafter, I cannot just go and beg him for this. Years together, I am fighting for this.

This Plant has been created by Dr. Kalaignar Karunanidhi, the then Chief Minister. Five thousand farmers have extended their land. It will be totally against the interest of the labourers as well as the local farmers who have extended their land for this purpose. Kindly see that somehow their interests are protected. …(*Interruptions*) He cannot run the industry. If it is a private enterprise, he cannot run the industry. I want the industry to develop but at the same time the Minister has to understand the background before taking any decision. He has not taken a decision. He has to consult us and the employees. He has to find out who has done the mistake. It is only the management that has done the mistake. He must understand that. He can just talk to the labourers as well as the farmers who have extended their land for this purpose.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Hon. Speaker Sir, hon. Shri Baalu has raised this question and some other important Member of Tamil Nadu had raised this question in the last Session also. I can politely say, through you, that last time I have assured the House that if any progressive suggestion would come from the Tamil Nadu friends, the Government is open. They have given some suggestions; immediately I have considered and accepted their suggestions. In that way, the Plant has got some autonomy and it is running; but there is a greater question.

I am open to suggestions and my dear friend the hon. Member from Tamil Nadu Shrimati Kanimozhi always comes to me with some innovative suggestions. I am always open to whoever comes from Tamil Nadu. I am open to discussion. What are the merits and demerits of this is an on-going discussion. I can assure him, I am open and the Government is open. The point is that there are a lot of examples in Tamil Nadu of successful entrepreneurs who belong to the private sector and who belong to the Government sector. The question before me at this juncture is how would the plant run profitably and professionally. That is the main challenge. I am open to any discussion with any friend from Tamil Nadu.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 287.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी - उपस्थित नहीं।

श्री पशुपति नाथ सिंह - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

(**Q. 287**)

डॉ. निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, यह जो क्वैश्चन है और इसका जो उत्तर है, दोनों में विरोधाभास है। क्वैश्चन बड़ा स्पष्ट है। जो सी.एस.आर. फण्ड बना, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य झारखण्ड है। हमारे यहां इस देश के 40 से 45 प्रतिशत माइन्स और मिनरल्स हैं, लेकिन वहां के लोकल एरिया का जो डेवलपमेंट है और जो प्रोजेक्ट्स वहां चलते हैं, उनके पैसे वहां के लोकल एरियाज में नहीं जाते हैं और इस पैसे को, जो मंत्री हैं, वे अपने यहां लेकर जाते हैं या फिर यह मुम्बई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में खर्च होते हैं।

स्पीकर सर, इस प्रश्न में मूल प्रश्न है कि कौन-से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहां-कहां चल रहे हैं? हमारे झारखण्ड राज्य में जो प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं और आप इसका हिसाब-किताब नहीं लेते हैं तो क्या आप इसका हिसाब-किताब लेने की कोई व्यवस्था करेंगे? हमारे जैसे जो प्रभावित राज्य हैं और ओडिशा या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं**,** उनके लिए सी.एस.आर. फण्ड्स की कैसे व्यवस्था होगी? वहां वे दो प्रतिशत सी.एस.आर. फण्ड्स कैसे खर्च होंगे, अगर इसके बारे में आप बताएंगे तो कृपा होगी।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो बातों को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। यह बी.ओ.टी. ड्रिवन पॉलिसी है और हर कंपनी को प्रत्येक वर्ष अपने पिछले तीन साल के प्रॉफिट का दो परसेंट खर्च करना होता है। वह जिस कार्यक्षेत्र में है, वहां पर खर्च करे, यह उनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। उसके अलावा, अगर बाकी देश भर में कहीं खर्च करना हो तो उनको वह ऑप्शन भी दी गई है। शेड्यूल-7 के अंतर्गत एरियाज़ बताए गए हैं कि किन-किन प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च किया जा सकता है। मैं माननीय सांसद महोदय से कहना चाहता हूं कि जहां दो प्रतिशत पैसा कंपनी खर्च करेगी ही करेगी, लेकिन हमारी सरकार ने माइंस एंड मिनरल वाले क्षेत्र में भी यह प्रावधान किया है कि

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, अगर आप उन आंकड़ों को देखेंगे तो यह अपने आप में दिखेगा कि किस तरह से उस क्षेत्र में भी एक अच्छा काम हुआ है। अगर मैं माइंस एंड मिनरल फंड के कुल आंकड़े दूं, इसे हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में बनाया। यह दी माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत है। इसमें 10 परसेंट रॉयल्टी वर्ष 2015 के बाद जो माइंस दी गई, उनको देना पड़ेगा और जो वर्ष 2015 से पहले ग्रांट की गई, उनको 30 परसेंट देना पड़ेगा। कुल मिलाकर 33,272 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में इकट्ठा हुआ है। यह उन्हीं क्षेत्रों के खर्च के लिए इकट्ठा किया गया है। यह दो परसेंट के अलावा पैसा है।

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, विभिन्न ऐतिहासिक कारणों के लिए उत्तर पूर्वांचल में जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज या कंपनीज़ होनी चाहिए, वहां पर नहीं हैं। शायद इसीलिए भारत सरकार ने भी विभिन्न समय पर उत्तर पूर्वांचल के लिए अलग फंड रखा है और अलग-अलग मिनिस्ट्री भी रखी है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से भारत सरकार उत्तर पूर्वांचल के लिए एक अलग फंड तथा स्कीम लेती है, क्या वह एक गाइडलाइन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी के तहत कॉरपोरेट्स को देंगे? उनको अपने सी.एस.आर. फंड से कुछ न कुछ नॉर्थ-ईस्ट में जरूर करना चाहिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल नॉर्थ-ईस्ट के लिए, बल्कि बाकी पहाड़ी राज्यों की समस्या है और ऐसे अन्य राज्यों की भी समस्या है, जहां पर इंडस्ट्री नहीं है और उनको सी.एस.आर. फंड कम मिल पाता है और वहां कम खर्च होता है। जो एस्प्रिशन्ल डिस्ट्रिक्ट्रस हैं, वहां पर भी ज्यादा पैसा खर्च हो, ऐसी भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, अभी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी फंड को लेकर हमारे कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने अवार्ड्स किए थे । हमने उन संस्थाओं को भी सम्मानित किया है, जिन्होंने नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्र में जाकर पैसा खर्च किया है, चाहे उनके प्रोजेक्ट्स वहां पर थे या नहीं थे। उनको भी विशेष तौर पर सम्मानित किया गया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने बहुत बड़ी तादाद में पैसा खर्च किया

है, वहीं पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने भी आगे बढ़कर नॉर्थ-ईस्ट के कुछ राज्यों में अच्छा काम किया है। असम में भी और बाकी नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में भी पैसा खर्च हो, भविष्य में ऐसा भी प्रावधान हो। ऐसा सरकार की तरफ से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बी.ओ.टी. ड्रिवन पॉलिसी है और कंपनीज को पैसा खर्च करना है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसे लोगों को सम्मानित करें, जिन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जाकर पैसा खर्च किया और एग्जाम्पल सेट किया। भविष्य में और कंपनीज में वहां पर जाएंगी। ऐसा मेरा मानना है।

(Q. 288)

श्री भागीरथ चौधरी: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और विशेष तौर से गरीबों तथा वंचितों के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की थी।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय तथा सरकार से इतना ही निवेदन है कि प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु है और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 19 से 70 है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 18 से 70 साल आयु करने का विचार रखे हैं? विशेष तौर से 50 साल के बाद ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, भारत भर में एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई, हम कह सकते हैं कि जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इंश्योरेंस के दायरे में लाया गया, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में लाया गया। यह सोच किसी की थी, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की थी। यही कारण है कि मात्र 12 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत और 330 रुपये में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। अगर आप कुल आंकड़ा देखें, तो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 5 करोड़ 91 लाख लोगों को यह सुविधा मिली है, 1,35,212 लोगों के क्लेम्स मिले हैं और 2,704 करोड़ रुपये इनको दिए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 55 लाख महिलाएं हैं, जिनको प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, तो 15 करोड़ 47 लाख लोगों का बीमा हुआ, 32,176 लोगों को क्लेम्स मिले और 643 करोड़ रुपये का आबंटन या डिसबर्समेंट किया गया। इसमें भी लगभग 5 करोड़ 11 लाख महिलाएं थीं।

जहां तक इनके प्रश्न की बात आती है कि क्या उसको 50 साल की उम्र से ज्यादा किया जाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक कमेटी का गठन माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, जो इसके अलग-अलग पहलुओं पर विचार कर रही है। जब कमेटी उस पर विचार करेगी, जब उसका निर्णय आएगा, तो उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा।

श्री भागीरथ चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि सरकार उक्त दोनों योजनाओं में क्या मेडिक्लेम बीमा को शामिल करने का विचार रखती है? 31 मई को जो प्रीमियम कटौती होती है, अगर उसके लिए 15 दिन पहले सूचना हो जाए, तो उनको जानकारी हो जाएगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, जब एक बार आप इसके नेट में आते हैं, तो आप अपने बैंक या पोस्ट आफिस को कह देते हैं कि आपको स्कीम से जुड़े रहना है, तो अगले वर्ष वह अपने आप ही ऑटो डेबिट कर देती है। अगर कोई नहीं भी करवा पाता है या वापस उसको उस स्कीम में जुड़ना है, तो उतना पैसा हर क्वार्टर के हिसाब से रखा गया है। दूसरे क्वार्टर में जुड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, तीसरे क्वार्टर में जुड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा और आखिरी क्वार्टर में आएगा, तो उसके लिए पैसा सुनिश्चित करके रखा है कि कितना पैसा उसको देना है। यह सारा कुछ योजना में लिखा हुआ है। बैंक अपने आप ही इसमें ऑटो डेबिट कर देते हैं, जब आप इस योजना से जुड़े हुए हैं।

(Q. 289)

श्री चन्देश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 89 मिलियन टन था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 111 मिलियन टन हो गया। यह बहुत ही खुशी की बात है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि हमारे देश की स्टील उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, क्या वे आयातित स्टील वाली क्वालिटी और किस्म का उत्पादन करेंगी, जिससे कि आयात करना बंद किया जा सके?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष जी, हमारे पास जो फिगर्स हैं और जो माननीय सदस्य ने बताया है**,** तो निश्चित तौर से सरकार भी विचार कर रही है और धीरे-धीरे यह कम भी हो रहा है। जिन उपक्रमों के अंदर इसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर उसकी पूर्ति करने के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है।

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर 290 ।

श्री जगदम्बिका पाल जी : उपस्थित नहीं।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे : उपस्थित नहीं।

(Q. 290)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल निशंक):

(क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

(Q. 291)

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। पटना के फतुहा में बाढ़ आई थी और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वर्ष 2016 में डूब गया था। जो उस इंडस्ट्रियल एरिया में थे, वे सब 20-25 वर्षों से रेग्युलर बैंक्स का पेमेंट कर रहे थे। बाढ़ आने की वजह से उनकी यह हालत हुई। मुझे यह समझ में नहीं आता कि बैंक वाले इंश्योरेंस कंपनी क्यों खोलते हैं? जैसे इंडियन बैंक है, यूनिवर्सन सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन लोगों को एक साजिश के तहत न इंश्योरेंस का पैसा दिलाया गया और न ही बैंक ने उन लोगों को कोई रिलीफ दिया।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न होगा कि क्या जहां पर बाढ़ की प्रॉपर रिपोर्टिंग है कि उस स्थान पर बाढ़ आई थी, उन जगहों पर जो इंश्योरेंस कंपनियां पैसे नहीं दे रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई होगी? उन बैंकों से यह कहा जाएगा कि नहीं जो व्यवसायी बाढ़ से पहले तक रेग्यूलर पेमेंट कर रहे थे, उनको कुछ रिलीफ देने का प्रावधान माननीय मंत्री जी करेंगी या नहीं? आपके माध्यम से मेरा यही प्रश्न है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, जहां भी नेचुरल डिजास्टर होता है, वहां के लिए स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसिजर जनरल एंश्योरेंस कंपनीज ने बना रखे हैं। अगर मैं केरल फ्लड की बात करूं तो उसमें क्लेम्स का डिस्पोजल 98.2 परसेंट है, अगर आंध्र प्रदेश के तितली साइक्लोन की बात करें तो 97.64 प्रतिशत है। आपने बिहार की बात की है, अगर वहां कोई कमी रही होगी तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि एंश्योरेंस कंपनी से कहा जाए कि डिसर्बसमेंट जल्दी हो। जहां तक बैंकों में एनपीए बाढ़ का कारण है। बैंक रूल्स के अंतर्गत काम करते हैं लेकिन जहां आपदा घोषित की जाती है वहां भी ऐसा कोई न कोई प्रावधान हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं-2 श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'।

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1157/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, beg to lay on the Table a copy of the Status Report (Hindi and English versions) on post-budget announcements made by the Finance Minister to boost the Economy, Exports and Housing Sector on 23.08.2019, 30.08.2019 and 14.09.2019.

[Placed in Library, See No. LT 1158/17/19]

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1159/17/19]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1160/17/19]

(3) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1161/17/19]

(5) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1162/17/19]

(7) (एक) गाडेन रबग्येलिंग मोनैस्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गाडेन रबग्येलिंग मोनैस्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1163/17/19]

(9) (एक) दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1164/17/19]

(11) (एक) बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, तवांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, तवांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1165/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the years 2015-2016 to 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the years 2015-2016 to 2017-2018.

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1166/17/19]

(3) A copy of the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.686(E) in Gazette of India dated 25th September, 2019 under sub-section (3) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961.

[Placed in Library, See No. LT 1167/17/19]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र), विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र), विशाखापट्टनम के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1168/17/19]

(ख) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 1169/17/19]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, मंडी गोबिन्दगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, मंडी गोबिन्दगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1170/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1171/17/19]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 1172/17/19]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Kurukshetra, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Kurukshetra, for the year 2017-2018.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 1173/17/19]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2017-2018.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 1174/17/19]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2017-2018.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 1175/17/19]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Sambalpur, Sambalpur, for the years 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Sambalpur, Sambalpur, for the years 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018.

(12) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 1176/17/19]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Calicut, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Calicut, for the year 2017-2018.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 1177/17/19]

(15) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Central University Bihar, Motihari, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 1178/17/19]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Assam University, Silchar, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1179/17/19]

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1180/17/19]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority Punjab, S.A.S. Nagar, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority Punjab, S.A.S. Nagar, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(20) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 1181/17/19]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Vijayawada, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Vijayawada, for the year 2017-2018.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 1182/17/19]

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2017-2018.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 1183/17/19]

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Haryana, Panchkula, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Haryana, Panchkula, for the year 2017-2018.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 1184/17/19]

(27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2016-2017.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 1185/17/19]

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan UT of Lakshadweep, Kavarrati, for the years 2014-2015 and 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan UT of Lakshadweep, Kavarrati, for the years 2014-2015 and 2015-2016.

(30) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 1186/17/19]

(31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), Panchkula, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Haryana School Shiksha

Pariyojna Parishad (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), Panchkula, for the year 2017-2018.

(32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

[Placed in Library, See No. LT 1187/17/19]

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.P. Education for all Project Board (Sarva Shiksha Abhiyan), Lucknow, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.P. Education for all Project Board (Sarva Shiksha Abhiyan), Lucknow, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(34) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 1188/17/19]

(35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tamil Nadu State Mission of Education for all (Samagra Shiksha), Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tamil Nadu State Mission of

Education for all (Samagra Shiksha), Chennai, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1189/17/19]

(36) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2016-2017.

(37) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (36) above.

[Placed in Library, See No. LT 1190/17/19]

(38) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the West Bengal Society for Rashtriya Madhyamika Shiksha Mission, Kolkata, for the years 2014-2015, 2015-2016 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the West Bengal Society for Rashtriya Madhyamika Shiksha Mission, Kolkata, for the years 2014-2015, 2015-2016 and 2017-2018.

(39) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (38) above.

[Placed in Library, See No. LT 1191/17/19]

(40) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Goa, Alto Porvorim, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Goa, Alto Porvorim, for the year 2017-2018.

(41) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (40) above.

[Placed in Library, See No. LT 1192/17/19]

(42) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Maharashtra, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Maharashtra, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(43) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (42) above.

[Placed in Library, See No. LT 1193/17/19]

(44) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Puducherry, Puducherry, for the years 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Puducherry, Puducherry, for the year 2017-2018.

(45) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (44) above.

[Placed in Library, See No. LT 1194/17/19]

(46) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Telangana, Hyderabad, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Telangana, Hyderabad, for the year 2017-2018.

(47) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (46) above.

[Placed in Library, See No. LT 1195/17/19]

(48) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Delhi, Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(49) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (48) above.

[Placed in Library, See No. LT 1196/17/19]

(50) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1197/17/19]

(51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the years 2015-2016 to 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the years 2015-2016 to 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the years 2015-2016 to 2017-2018.

(52) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (51) above.

[Placed in Library, See No. LT 1198/17/19]

(53) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1199/17/19]

(54) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Puducherry, Puducherry, for the years 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Puducherry, Puducherry, for the year 2017-2018.

(55) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (54) above.

[Placed in Library, See No. LT 1200/17/19]

(56) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018.

(57) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (56) above.

[Placed in Library, See No. LT 1201/17/19]

(58) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jammu, Jammu, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Jammu, Jammu, for the year 2017-2018.

(59) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (58) above.

[Placed in Library, See No. LT 1202/17/19]

(60) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2017-2018.

(61) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (60) above.

[Placed in Library, See No. LT 1203/17/19]

(62) A copy of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Fourth Amendment Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 1-8/2019 (DEB-I) published in Gazette of India dated 6th June, 2019 under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 1204/17/19]

(63) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 43 of the Central Universities Act, 2009:-

1. The Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (Amendment) Statutes, 2019 published in Notification No. S. No. 309/Academic/2019 in Gazette of India dated 7th November, 2019.
2. Notification No. CUSB/Admin/2nd Court/01/2018-19 published in Gazette of India dated 30th August, 2019, relating to amendment to Statute 10(5) of the Central Universities Act, 2009.

[Placed in Library, See No. LT 1205/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1206/17/19]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1207/17/19]

(4) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2019 together with Auditor's Report thereon: -

1. Allahabad UP Gramin Bank, Banda

[Placed in Library, See No. LT 1208/17/19]

2. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Warangal

[Placed in Library, See No. LT 1209/17/19]

3. Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa

[Placed in Library, See No. LT 1210/17/19]

4. Arunachal Pradesh Rural Bank, Papum Pare

[Placed in Library, See No. LT 1211/17/19]

5. Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati

[Placed in Library, See No. LT 1212/17/19]

6. Bangiya Gramin Vikash Bank, Berhampore

[Placed in Library, See No. LT 1213/17/19]

7. Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodra

[Placed in Library, See No. LT 1214/17/19]

8. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer

[Placed in Library, See No. LT 1215/17/19]

9. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Raebareli

[Placed in Library, See No. LT 1216/17/19]

10. Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara

[Placed in Library, See No. LT 1217/17/19]

11. Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur

[Placed in Library, See No. LT 1218/17/19]

12. Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Ballari

[Placed in Library, See No. LT 1219/17/19]

13. Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna

[Placed in Library, See No. LT 1220/17/19]

14. Dena Gujarat Gramin Bank, Gandhinagar

[Placed in Library, See No. LT 1221/17/19]

15. Ellaquai Dehati Bank, Srinagar

[Placed in Library, See No. LT 1222/17/19]

16. Gramin Bank of Aryavart, Lucknow

[Placed in Library, See No. LT 1223/17/19]

17. Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi

[Placed in Library, See No. LT 1224/17/19]

18. J&K Grameen Bank, Jammu

[Placed in Library, See No. LT 1225/17/19]

19. Jharkhand Gramin Bank, Ranchi

[Placed in Library, See No. LT 1226/17/19]

20. Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad

[Placed in Library, See No. LT 1227/17/19]

21. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi

[Placed in Library, See No. LT 1228/17/19]

22. Kaveri Grammena Bank, Mysore

[Placed in Library, See No. LT 1229/17/19]

23. Kerala Gramin Bank, Mallappuram

[Placed in Library, See No. LT 1230/17/19]

24. Langpi Dehangi Rural Bank, Diphu

[Placed in Library, See No. LT 1231/17/19]

25. Madhyanchal Gramin Bank, Sagar

[Placed in Library, See No. LT 1232/17/19]

26. Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad

[Placed in Library, See No. LT 1233/17/19]

27. Manipur Rural Bank, Imphal

[Placed in Library, See No. LT 1234/17/19]

28. Meghalaya Rural Bank, Shillong

[Placed in Library, See No. LT 1235/17/19]

29. Mizoram Rural Bank, Aizawl

[Placed in Library, See No. LT 1236/17/19]

30. Narmada Jhabua Gramin Bank, Indore

[Placed in Library, See No. LT 1237/17/19]

31. Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar

[Placed in Library, See No. LT 1238/17/19]

32. Pallavan Grama Bank, Salem

[Placed in Library, See No. LT 1239/17/19]

33. Pandyan Grama Bank, Virudhunagar

[Placed in Library, See No. LT 1240/17/19]

34. Paschim Banga Gramin Bank, Howrah

[Placed in Library, See No. LT 1241/17/19]

35. Pragathi Krishna Gramin Bank, Ballari

[Placed in Library, See No. LT 1242/17/19]

36. Prathama Bank, Moradabad

[Placed in Library, See No. LT 1243/17/19]

37. Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry

[Placed in Library, See No. LT 1244/17/19]

38. Punjab Gramin Bank, Kapurthala

[Placed in Library, See No. LT 1245/17/19]

39. Purvanchal Bank, Gorakhpur

[Placed in Library, See No. LT 1246/17/19]

40. Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur

[Placed in Library, See No. LT 1247/17/19]

41. Saptagiri Grameena Bank, Chittoor

[Placed in Library, See No. LT 1248/17/19]

42. Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak

[Placed in Library, See No. LT 1249/17/19]

43. Sarva U.P. Gramin Bank, Meerut

[Placed in Library, See No. LT 1250/17/19]

44. Saurashtra Gramin Bank, Rajkot

[Placed in Library, See No. LT 1251/17/19]

45. Telangana Grameena Bank, Hyderabad

[Placed in Library, See No. LT 1252/17/19]

46. Tripura Gramin Bank, Agartala

[Placed in Library, See No. LT 1253/17/19]

47. Utkal Grameen Bank, Bolangir

[Placed in Library, See No. LT 1254/17/19]

48. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

[Placed in Library, See No. LT 1255/17/19]

49. Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur

[Placed in Library, See No. LT 1256/17/19]

50. Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun

[Placed in Library, See No. LT 1257/17/19]

51. Vananchal Gramin Bank, Dumka

[Placed in Library, See No. LT 1258/17/19]

52. Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

[Placed in Library, See No. LT 1259/17/19]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1260/17/19]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1261/17/19]

(7) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and Administration of the Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 1262/17/19]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: -

1. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG041 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.
2. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG042 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.

3. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG043 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.
4. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG044 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.
5. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG045 in Gazette of India dated 23rd July, 2019.
6. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG046 in Gazette of India dated 25th July, 2019.
7. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG047 in Gazette of India dated 25th July, 2019.
8. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment)

Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG048 in Gazette of India dated 25th July, 2019.

9. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG049 in Gazette of India dated 25th October, 2019.

10. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Medical Facility to Chairperson and Whole-time Members) Scheme Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.553(E) in Gazette of India dated 5th August, 2019.

11. The Insolvency and Bankruptcy (Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.852(E) in Gazette of India dated 15th November, 2019.

12. The Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.854(E) in Gazette of India dated 15th November, 2019.

13. S.O.4126(E) published in Gazette of India dated 15th November, 2019, appointing the 1st day of December, 2019 as the date on which the provisions, mentioned therein, of the said Code only in so

far a they relate to personal guarantors to corporate debtors, shall come into force.

14. S.O.3458(E) published in Gazette of India dated 25th September, 2019, appointing Shri Krishnamurthy Subramanian, Chief Economic Advisor, Government of India and Shri B. Sriram, former Managing Director and Chief Executive Officer, Industrial Development Bank of India Limited as part time members.

15. S.O.2953(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2019, appointing the date of publication of this notification as the date on which the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 shall come into force.

[Placed in Library, See No. LT 1263/17/19]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013: -

1. The Companies (Incorporation) Sixth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.411(E) in Gazette of India dated 7th June, 2019.
2. The Companies (Significant Beneficial Owners) Second Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.466(E) in Gazette of India dated 1st July, 2019.
3. The Nidhi (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.467(E) in Gazette of India dated 1st July, 2019.

4. The Companies (Registration offices and Fees) Fourth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.527(E) in Gazette of India dated 25th July, 2019.

5. The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.528(E) in Gazette of India dated 25th July, 2019.

6. The Companies (Share Capital and Debenture) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.574(E) in Gazette of India dated 16th August, 2019.

7. The Companies (Incorporation) Seventh Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.603(E) in Gazette of India dated 28th August, 2019.

8. The National Financial Reporting Authority Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.636(E) in Gazette of India dated 5th September, 2019.

9. The Companies (Registration Offices and Fees) Fifth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.749(E) in Gazette of India dated 1st October, 2019.

10. The Companies (Appointment and Qualification of Director) Fourth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.750(E) in Gazette of India dated 1st October, 2019.

11. The Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.777(E) in Gazette of India dated 11th October, 2019.

12. The Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.792(E) in Gazette of India dated 16th October, 2019.

13. The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.794(E) in Gazette of India dated 16th October, 2019.

14. The Companies (Incorporation) Eighth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.793(E) in Gazette of India dated 16th October, 2019.

15. The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.803(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2019.

16. The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.804(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2019.

17. The Companies (Creation and Maintenance of Databank of Independent Directors) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.805(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2019.

(10) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) to (iii) of (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 1264/17/19]

(11) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36 in Gazette of India dated 23rd September, 2019 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 1265/17/19]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999: -

1. The Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.498(E) in Gazette of India dated 16th July, 2019.
2. The Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.795(E) in Gazette of India dated 17th October, 2019.
3. The Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 published in Notification No. G.S.R.796(E) in Gazette of India dated 17th October, 2019.

4. The Depository Receipts (Amendment) Scheme, 2019 published in Notification No. F. No. 9/1/2013-ECB(Pt-2) in Gazette of India dated 7th October, 2019.

5. The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 published in Notification No. S.O.3732(E) in Gazette of India dated 17th October, 2019.

6. S.O.3715(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2019, appointing the 15th day of October, 2019 as the date on which the provisions of Section 139, clause (i) of Section 143 and Section 144 of the said Act shall come into force.

7. S.O.3722(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2019, determining the instruments, mentioned therein, as debt instruments.

[Placed in Library, See No. LT 1266/17/19]

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961: -

1. The Income-tax (5th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.614(E) in Gazette of India dated 30th August, 2019, together with an explanatory memorandum.
2. The Income-tax (6th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. S.O.3215(E) in Gazette of India dated 5th September, 2019, together with an explanatory memorandum.

3. The E-assessment Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.3264(E) in Gazette of India dated 12th September, 2019, together with an explanatory memorandum.

4. S.O.3266(E) published in Gazette of India dated 12th September, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. S.O.2413(E) dated 13th June, 2018.

5. The Income-tax (7th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.661(E) in Gazette of India dated 16th September, 2019, together with an explanatory memorandum.

6. The Income-tax (9th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.679(E) in Gazette of India dated 20th September, 2019, together with an explanatory memorandum.

7. The Income-tax (10th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.694(E) in Gazette of India dated 27th September, 2019, together with an explanatory memorandum.

8. The Income-tax (11th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.701(E) in Gazette of India dated 30th September, 2019, together with an explanatory memorandum.

9. The Income-tax (12th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.825(E) in Gazette of India dated 6th November, 2019, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 1267/17/19]

(14) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Health Insurance)(Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./14/165/2019 in Gazette of India dated 21st November, 2019 under Section 114A of the Insurance Act, 1938 and under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 1268/17/19]

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980: -

1. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.3350(E) in Gazette of India dated 18th September, 2019.
2. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.3351(E) in Gazette of India dated 18th September, 2019.

3. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Second Amendment) Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.4159(E) in Gazette of India dated 20th November, 2019.

4. The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Second Amendment) Scheme, 2019 published in Notification No. S.O.4160(E) in Gazette of India dated 20th November, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 1269/17/19]

(16) A copy of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.779(E) in Gazette of India dated 14th October, 2019 under Section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

[Placed in Library, See No. LT 1270/17/19]

(17) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017:-

1. G.S.R.874(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-1 for registered persons in Jammu and Kashmir having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees for the months of July, 2019 to September, 2019.

2. G.S.R.875(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-1 for registered persons in Jammu and Kashmir having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees for the months of October, 2019.

3. G.S.R.876(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-7 for registered persons in Jammu and Kashmir for the months of July, 2019 to October, 2019.

4. G.S.R.877(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-3B for registered persons in Jammu and Kashmir for the months of July, 2019 to September, 2019.

5. G.S.R.878(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing FORM GSTR-3B for registered persons in Jammu and Kashmir for the month of October, 2019.

6. G.S.R.879(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to notify the transition plan with respect to J&K reorganization *w.e.f.* 31.10.2019.

7. G.S.R.870(E) published in Gazette of India dated 22nd November, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 1271/17/19]

(18) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1272/17/19]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1273/17/19]

(20) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013: -

1. G.S.R.776(E) published in Gazette of India dated 11th October, 2019, making certain amendments to Schedule VII of the Companies Act, 2013.
2. G.S.R.859(E) published in Gazette of India dated 19th October, 2019, containing corrigendum to the amendments to Schedule VII of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1274/17/19]

(21) A copy of the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and other Employees of Authority) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.526(E) in Gazette of India dated 25th July, 2019 under Section 132 read with Section 469 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1275/17/19]

(22) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 64 of the Competition Act, 2002: -

1. The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl. /2019 in Gazette of India dated 13th August, 2019.
2. The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Second Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl. /2019(2) in Gazette of India dated 30th October, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 1276/17/19]

(23) A copy of Notification No. S.O.3705(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th October, 2019 delegating powers to Tribunal-Section 458 read with Section 418 of the Companies Act, 2013 under sub-section (2) of Section 458 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 1277/17/19]

(24) A copy of Notification No. S.O.4024(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th November, 2019, together with an explanatory memorandum specifying M/s Go Airlines (India) Ltd. And TATA SIA

Airlines Limited (Vistara) as “Designated Indian Carrier” for the purpose of sub-section (5) of the Central Sales Tax Act, 1956 issued under the said Act..

[Placed in Library, See No. LT 1278/17/19]

(25) A copy of the Notification No. G.S.R.871(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd November, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated 28th June, 2017 under Section 24 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 1279/17/19]

(26) A copy of the Notification No. G.S.R.872(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd November, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated 28th June, 2017 under Section 24 of the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 1280/17/19]

12.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

> "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd December, 2019 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

272nd to 274th Reports

श्री कमलेश पासवान (बासगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1. "सड़क क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए ऋण" के बारे में समिति के 236वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 272वां प्रतिवेदन।
2. "भारत में बौद्ध परिपथ का विकास" के बारे में समिति के 262वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 273वां प्रतिवेदन।
3. "संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन और योजनाएं" के बारे में समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 274वां प्रतिवेदन।

———————

12.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 271st Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on "Fellowships, Grants, Pensions and Schemes administered by the Ministry of Culture" pertaining to the Ministry of Culture

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन और योजनाएं के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 1281/17/19]

12.04 ½ hrs

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 50th Report of the Standing Committee on Labour on Action taken by the Government on the observations/recommendations contained in 36th Report of the Committee on 'Demands for Grants 2018-19' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to make a statement regarding the status of implementation of recommendations in the 50th Report of the Standing Committee on Labour on Action taken by the Government on the observations/recommendations contained in 36th Report of the Committee on `Demands for Grants 2018-19' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

[Placed in Library, See No. LT 1282/17/19]

(b) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 53rd Report of the Standing Committee on Labour on Action taken by the Government on the observations/recommendations contained in 41st Report of the Committee on 'Jan Shikshan Sansthan Scheme' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 53rd Report of the Standing Committee on Labour on Action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 41st Report of the Committee on `Jan Shikshan Sansthan Scheme' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

[Placed in Library, See No. LT 1283/17/19]

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब बैठिए।

…(व्यवधान)

12.05 hrs

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS FROM THE SERVICE OF THE HOUSE UNDER RULE 374 – Not Moved

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 14 – श्री प्रहलाद जोशी ।

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी): माननीय अध्यक्ष जी, शुक्रवार को जो घटना हुई, इसके बारे में हमने निवेदन किया था, कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी लीडर अधीर रंजन जी से आपके समक्ष भी निवेदन किया था। हमारी रिक्वेस्ट अभी भी है।...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे सदन में शांति से, अच्छे ढंग से, स्ट्रक्चरल रूप से डिबेट चाहते हैं, लेकिन जो बर्ताव उन्होंने किया, दो सदस्यों ने किया, हाउस डिस्टर्ब किया और चेयर से डायरेक्शन भी दी गई कि आप माफी मांगिए, In spite of that, they have not asked apology.

अभी भी अधीर रंजन जी और मैम्बर्स से मेरा आग्रह है, क्योंकि यह बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है । एक महिला सदस्य हैं, वह भी मंत्री हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके आगे आना, ठीक नहीं है । ...(व्यवधान) It has been seen in a very bad light as far as the entire country is concerned. मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। हम तो किसी को बाहर करने के पक्ष में नहीं हैं, फिर भी अगर वे माफी नहीं मांगते हैं, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आपको जो कार्रवाई करनी है कर दीजिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पार्लियामेंटरी लीडर और बाकी लोग यह न सोचें कि यह सदन किसी राजा का हवा महल है। ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान के लोगों की, नुमाइंदों की बात करने के लिए यह सदन बनाया गया है।...(व्यवधान) ये लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह का मोशन लाना चाहिए। आप लोग मोशन

लाने का तरीका नहीं जानते हैं, फिर भी पार्लियामेंटरी मिनिस्टर बने हैं ।...(व्यवधान) स्पीकर साहब उस दिन थे, जब सदन में चर्चा हुई थी ।...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): वह अपनी पार्टी के नेता हैं, अनुभवी सांसद हैं । उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इस सम्मानीय सदन के लिए किया है, वह बहुत ही निंदनीय है, उन्हें इसे वापस लेना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं ।...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I would like to refer to page No. 1059 of Kaul and Shakdher. It has been clearly stated there that an order passed by the Speaker is final. उस दिन स्पीकर सर ने कोई ऑर्डर नहीं दिया । उस दिन स्पीकर सर की रूलिंग पर ओवर रूलिंग की गई ।

The rule of the Speaker was overruled. These kinds of atrocities and arrogance was being shown by you. जनाब, आप 374ए को पढ़ लीजिए ।...(व्यवधान)

> "374A. (1) Notwithstanding anything contained in rules 373 and 374, in the event of grave disorder occasioned by a member coming into the well of the House or abusing the Rules of the House persistently and wilfully obstructing its business by shouting slogans or otherwise, such member shall, on being named by the Speaker, stand automatically suspended from the service of the House for five consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less:"

क्या स्पीकर सर ने उस दिन कोई नाम लिया था? Did the Speaker name anybody? No. The House was continuing....(*Interruptions*) सब कुछ होने के बाद आपको लगा कि हमारे दो सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए । ...(व्यवधान) हमारे सदस्यों को डराने की कोशिश

मत करो। ...(व्यवधान) हम डरने वाले नहीं हैं।...(व्यवधान) आप बात-बात में हमें डराने की कोशिश न करें।...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान विनम्रता से नियम 374क की तरफ ले जाना चाहता हूं:-

"नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति..."

इसमें अध्यक्ष द्वारा सदस्यों का नाम लिए जाने का प्रावधान है।

ऐसा नहीं है कि यह अध्यक्ष जी के सामने करेंगे। ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए। सभा को बाधित करने के किसी भी प्रकार के तरीके पर इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। एक महिला सदस्य के सामने, महिला मंत्री के सामने हाथ खड़े करके वेग के साथ जाना, मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात हो सकती है। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, This is a fit case for invoking Rule 374.

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट प्लीज, आप सभी बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय संसद सदस्यगण, हम सबको इस संसद की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। जबसे आप सबने मुझे इस आसन पर बैठाया है, मैंने प्रयास किया है और कोशिश की है कि सभी माननीय सदस्यों का सम्मान बना रहे । मैंने कई बार यह भी आग्रहपूर्वक कहा है कि सदन की एक मर्यादा है। जब मैं विश्व के संसदीय सम्मेलनों में जाता हूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत सबसे मजबूत और निर्णायक लोकतंत्र देश है और हमारी संसद की मर्यादा भी सबसे ऊपर है। हमारी

संसद की कार्यवाही लाइव होती है, इसलिए मैं बार-बार इस बात को इंगित करता हूं कि हम भारत की संसद से देश को दिशा दे सकें। हम सभी इस मर्यादा को कायम रखें। मैं आपका संरक्षक हूं। जो कुछ भी विषय हुआ है, मैं हमेशा यह अपेक्षा करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य न तो बाहें चढ़ाकर आएं, न कोई तीखा बोलें। तल्ख टिप्पणियां बहुत हुई हैं, तल्ख राजनीति और टिप्पणी होनी चाहिए, लेकिन मर्यादित तरीके से। हम सभी मर्यादा का ध्यान रखेंगे, इससे सदन की मर्यादा रहेगी। सभापति की मर्यादा रहेगी तो संसद की मर्यादा रहेगी। आप निश्चिंत रहें, जो विषय मेरे ध्यान में आया है, मैं पुन: बैठकर यह अपेक्षा करूंगा कि इस विषय पर आपके साथ न्यायपूर्ण निर्णय करूं।

अब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है ।

12.12 hrs

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019*

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Mr. Speaker, Sir, I have given a notice to oppose this Bill, which is called the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill. सर, संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद 333 और 334 था, जिसमें एंग्लो इंडियन्स के लिए संरक्षण रखा गया था, उसको बंद किया जा रहा है। इसका प्रावधान अम्बेडकर साहब और जवाहर लाल नेहरू जी ने किया था। आज सरकार को अचानक ध्यान में आया कि इसको एबोलिश करना चाहिए। एंग्लो इंडियन्स के लिए दो सीट लोक सभा में और 9 सीट विधान सभाओं में होती हैं। अनुच्छेद 334 में प्रावधान है कि 70 साल तक एंग्लो इंडियन्स को भी छुटकारा मिले, उसको एबोलिश किया जा रहा है। That is why I have given a notice opposing the introduction of this Constitution (Amendment) Bill. Under Rule 272 (i) of the Rules

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2 dated 9.12.2019

of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 due to its unconstitutional nature. This Bill is in violation of Article 14, which talks of equality before law and which provides against arbitrariness, and requires a classification to be based on some real and substantial distinction. The current Bill extends different treatment to various minority communities, namely, SCs, STs and Anglo Indians. Both have reservation under Article 334. This difference is being exercised arbitrarily without relying on any real facts or data.

The Bill is also an attack on the principle of federalism as it deprives the States of the power of appointing Members from the Anglo Indian community. यह जो 70 साल से चला आ रहा है, एक कम्यूनिटी की रिप्रेजेंटेशन को रातों-रात एबॉलिश करना सही नहीं होगा, जायज नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसे विदड्रॉ कर लिया जाए। डॉ. अम्बेडकर और जवाहर लाल नेहरू ने एंग्लो इंडियन्स, जो एक छोटा माइनॉरिटी है, के लिए जो रिजर्वेशन दिया था, उसे बनाए रखना चाहिए। ...(व्यवधान) अभी भी हाउस में एंग्लो इंडियन सदस्य हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपको इजाजत नहीं दी है। आप बैठ जाइए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं बहुत विनम्रता से माननीय प्रोफेसर राय को बताना चाहूंगा कि इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से इस देश के अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति का रिजर्वेशन, जो 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है, उसे दस साल आगे बढ़ाने के लिए संशोधन लेकर आए हैं। हम इसे इसलिए लेकर आए हैं कि हमारी सरकार मानती है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए, वह नॉमिनेशन नहीं है,

वह रिप्रेजेंटेशन है। इस बात को समझना चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए हम यह विधेयक लाए हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं, यह उनके ऊपर है। यह मेरिट का विषय है। जहां तक एंग्लो इंडियन्स का सवाल है, मैं उत्तर में विस्तार से बताऊंगा। 2011 के सेंसस के मुताबिक देश में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियन्स हैं।...(व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने इस पर विचार बन्द नहीं किया है। ...(व्यवधान) यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। इसलिए यह जो चिन्ता व्यक्त की जा रही है, अपने आप में उचित नहीं है। ...(व्यवधान)

तीसरी बात, सदन में किसी बिल को रोकने या नहीं रोकने के लिए पूरी परम्परा स्थापित है। What is that? It is: 'the House must not have legislative competence and the Bill should be palpably against any fundamental rights.' When these mattes would be raised, when I propose the Bill for consideration, we can discuss it. When he raises, I will reply to it at that time. But how this can be that this sovereign House does not have the competence?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"
>
> <u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I introduce the Bill.

12.18 hrs

(ii) Citizenship (Amendment) Bill, 2019

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें, आपके नेता बोल रहे हैं। बशीर भाई, एक मिनट बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, थोड़ा समय दीजिएगा। ...(व्यवधान)

Sir, I do not have any qualm...

माननीय अध्यक्ष: समय देंगे, जब बिल पर डिबेट होगी, अभी मोशन पर बोलना है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, एकदम बिन्दु-बिन्दु में बोलूंगा । ...(व्यवधान) I do not have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country ...(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: महोदय, मेरा एक ऑब्जेक्शन है। ...(व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am not yielding ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी ।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: महोदय, एक सेकण्ड, मेरी बात सुन लीजिए।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: No, I am not yielding, Sir. मेरी बात सुन लीजिए। …(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, यह बिल कहीं पर भी देश की…(व्यवधान) जरा सुनिए तो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी की बात सुनिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, यह बिल कहीं भी .001 प्रतिशत भी इस देश की माइनोरिटी के खिलाफ नहीं है।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, let me finish my submission. …(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: मगर, आप घुसपैठियों की चिंता कर रहे हैं, उन घुसपैठियों को कोई अधिकार न देने का यह बिल है।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, let me finish. …(*Interruptions*) In the year 1947 on 22nd January, Pandit Jawaharlal Nehru had presented a historic Objective Resolution which was adopted. In the subsequent stages, the Objective Resolution always acted in shaping of our Constitution. The ideal of the Resolution was reflected in our Constitution which was later, in 1976, got

amended. It was surmised and it was summarised into the aims and objectives which says: "We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Secular, Socialist, Democratic Republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity." In the Constituent Assembly, on 26th November …(*Interruptions*) यदि आप डिस्टर्ब करेंगे, तो हम कहां जाएंगे? …(व्यवधान) गृह मंत्री जी हमें तो बोलने दो।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, सदन को इस बिल पर चर्चा करने का अधिकार है या नहीं है, इस पर ही चर्चा हो सकती है। इसके कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती है।…(व्यवधान) मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मंत्री जी, आप हमारी रक्षा करो। आप उन्नाव पीड़ित को संभाल नहीं सके और उन्नाव के पीड़ित को बचा नहीं सके।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान नियम 72(1) पर दिलाना चाहता हूं:

> " जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है …… । "

बिल के कंटेंट पर चर्चा नहीं होगी। बिल जब लेकर आऊंगा, तब जो पूछेंगे, सबका जवाब दूंगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी नियम पढ़ रहे हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, तब सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। बिल पर आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा और एक-एक बात को टाले बिना मैं जवाब भी दूंगा, आप

वॉक आउट मत कर जाना। परन्तु अभी सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। इस बिल के कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट शांत हो जाएं। मैं बोलने का मौका दूंगा। मेरा कहना है कि मैं किसी सदस्य को रोक नहीं रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): आप रोक रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा। आप मेरी बात सुनिए। नियम प्रक्रिया में लिखा हुआ है, जब बिल पर डिबेट होगी, जितने सदस्य बोलना चाहेंगे, सभी को बोलने का मौका देंगे। विधेयक पुर:स्थापित करने के समय आपको अधिकार है, आप मत विभाजन भी करा सकते हैं। अभी अपना विषय संक्षिप्त में रखें और चर्चा के समय डिटेल में बोल लेना।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : दादा अभी आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, प्वॉइंट आफ आर्डर है। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : किस नियम के तहत है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, नियम 72(1) के तहत।

माननीय अध्यक्ष : दादा, अभी व्यवस्था दे रहा हूं। अभी अधीर रंजन जी को बोलने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी मौका दूंगा। अभी मैंने पहले अधीर रंजन जी को बोलने के लिए कहा है।

…(<u>व्यवधान</u>)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I have a point of order under Rule 72(1). I want to say that what the Home Minister has said is not right. A person may oppose the Bill *per se.* He must give some reasons for opposing the Bill. Only if a substantive question of law is involved when the jurisdiction of the House is called into question, full discussion will be called for.

But I can oppose the Bill *per se* without any detailed discussion. *....(Interruptions)* What the Home Minister is saying is not right. *...(Interruptions)* He is giving a wrong interpretation of the Rule of the House*.....(Interruptions)* Maybe, he is new to this House. *....(Interruptions)*

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधेयक पर चर्चा होगी, तब सब लोग अपना-अपना मत रख सकते हैं और विरोध भी कर सकते हैं। …(व्यवधान) अभी इसकी विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है।…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, the Rule is very clear. If it is out of the legislative competence, they can oppose it. *....(Interruptions)* It is within the legislative competence. *....(Interruptions)*

Sir, Rule 72(1) says –

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, if thinks fit, after permitting, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate, put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

यह आउटसाइड दि परमिशन का ही है। आप तो इस पर पूरी डिबेट कर रहे हैं। इस पर सिर्फ इंट्रोडक्शन होना है या नहीं होना है, इतना ही होना चाहिए। …(व्यवधान)

Sir, if it out of the legislative competence, then let him say that. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जितना बोलना चाहें, मैं सबको मौका दंगा। मैं यह कह रहा हूं कि एक नियम प्रक्रिया बना रखी है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से मैं हमेशा आपको मौका देता हूं। आप पाइंटेड बात कर दें। अगर पाइंटेड बात नहीं बोलेंगे, तब आपको पुर:स्थापन पर माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब भी सुनना पड़ेगा। जितना विषय बोलेंगे, उतनी देर आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। यह भी आप विचार कर लें।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, there are deficiencies in the Bill. *...(Interruptions)* For the past more than 10 years, Sri Lankan Tamils are there, Christians are there, Muslims are there and other people are there*....(Interruptions)* They have been there for more than 10 years.

....(Interruptions) So, that deficiency should be corrected by the Home Minister. *....(Interruptions)* That is my point. *....(Interruptions)* We are opposing the introduction of the Bill. *....(Interruptions)*

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, फिर से इसके मैरिट्स पर चर्चा हो रही है। मेरा यह कहना है कि सदन की विधायी क्षमता पर ही अभी चर्चा हो सकती है कि सदन के पास यह अधिकार है या नहीं है कि इस बिल पर चर्चा हाथ में लें। श्रीमान बालू जी और अधीर रंजन जी जो कह रहे हैं, वे मैरिट्स में जा रहे हैं। जब डिसकशन होगा, मैं विधेयक पर चर्चा शुरू करूंगा, मुझे सुनने के बाद उनको भी बोलने का मौका मिलेगा।...(व्यवधान) सब लोग अपना-अपना पक्ष रखें। मैं जवाब भी दूंगा। उसके बाद सदन निर्णय करेगा। मुझे लगता है कि पुर:स्थापित करने के समय पर ये सारी चीजों की चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सदन की कॉम्पीटेंसी का सवाल नहीं है। ये बिल के मैरिट्स पर चर्चा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Sir, it is a half-backed motion. *....(Interruptions)* That is why, interests of all should be fulfilled. *...(Interruptions)*

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के एक बड़े विषय पर यह एक अमेंडमेंट है। सर, मैं जो पढ़ रहा था, वह प्रिएम्बल ऑफ दि कांस्टीट्यूशन पढ़ रहा था। वह क्या आपको अच्छा नहीं लगता? What I said is, "We in the Constituent Assembly on 26th November, 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves the Constitution". संविधान का मतलब क्या है? कांस्टीट्यूशन का मतलब होता है- जस्टिस, ईक्वैलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। यह प्रिएम्बल को थ्रो कर रहे हैं। **...(**व्यवधान**)** आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 पर आप आक्रमण कर रहे हैं। यह तो हमारा लोक तंत्र का ढॉंचा है। ...**(**व्यवधान**)** आप उस पर

प्रहार कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप हिन्दुस्तान को और एक बार कम्यूनल का प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) जैसे ब्रिटिश राज में होता था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भाषण नहीं दीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose the introduction of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 on specific grounds. ...(*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): आप बिल की काम्पिटेंसी पर नहीं बोल रहे हैं, आप कारण दीजिए। आप वह नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am on my legs. ...(*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, यह क्या तरीका है कि आपने एलाउ किया है और मंत्री जी डिस्टर्व कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको भी इजाजत नहीं दी है।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री रवि शंकर प्रसाद: उन्होंने नाम लिया, इसलिए मैं बोल रहा था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI T. R. BAALU : Sir, we are not satisfied with the Bill. So, we are walking out.

<u>12.32 hrs</u>

(At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Speaker Sir, I am opposing the introduction of the Bill. I shall fully abide by the rulings of the hon. Speaker and what the hon. Home Minister has rightly pointed out. We are challenging the legislative competence …(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर**,** मुझे बोलने दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने विषय के बारे में बोल दिया है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं काम्पिटेंसी पर बोलना चाहता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको इसी विषय पर बोलने का मौका दिया था।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी**,** आप एक मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, the Preamble of the Constitution has engraved the basis of our democratic fabric and any deviation from it would render any statutory enactment not only nugatory but also unconstitutional. The Supreme Court has also observed: 'Whether it is the Constitution that is expounded or the constitutional validity of a Statute, what is considered a cardinal rule is to look to the Preamble of the Constitution as the guiding light. The Preamble embodies and expresses the hopes and aspirations of the people.'

Articles 5 to 11 of the Constitution deal with the citizenship and the Citizenship Act which was thereafter drafted keeping in mind the guidelines as

fixed and prescribed by the Constitution itself. The concept of citizenship cannot be read in isolation but has to be read extensively with the Articles enunciated in our Constitution itself. मैं कहां इसके बाहर बात कर रहा हूं?

The amendment goes against the essence of Articles 5, 10, 14 and 15 of the Constitution of India. Article 5 deals with citizenship at the commencement of the Constitution and Article 10 deals with continuance of the rights of citizenship. The aforementioned Articles define and protect the right of citizenship of Indians, which is in serious threat if the said amendment is sought to be brought. Article 14 guarantees equality before law.

Article 15 protects every person of discrimination on the pretext of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 11 of the Constitution further empowers the Parliament to legislate on citizenship, but it has to be borne in mind that the said legislation is subject to Article 13 which envisages an express bar to legislation inconsistent with the Fundamental Rights guaranteed under Part III of the Constitution. आप बोलिए, माननीय मंत्री, मैंने कहां गलत किया? …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप अन्य दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका देंगे।?

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: That is why, we are opposing this kind of a Bill being brought to the House because it is regressive, diversionary and exclusionary …(*Interruptions*) and it will harm integrity and unity of our country.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

I shall fully abide by the ruling of the Hon. Speaker. Also, the hon. Home Minister has already spoken about the legislative competence of the Bill. We are challenging the legislative competence of the Bill. That is why, we are discussing.

I am not going into the merits and history of the case. It is entirely different. The first point is that this is the first time in the legislative history of India that in order to acquire the citizenship, one of the main factors is the religion.

Sir, clauses 2 and 6 violate the right to equality guaranteed under Article 14 of the Constitution as it provides differential treatment to the illegal migrants on the basis of religion. I will not even name the religion. Article 14 is the heart and soul of the Fundamental Rights, Chapter III of the Constitution.

माननीय अध्यक्ष: मैं सबकी व्यवस्था दूँगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मेरी बात भी सुन लें।

आप रूल बुक पर डिबेट करना चाहते हैं, तो आप टू-डू पॉइंट पर बोलें। मैं सबकी व्यवस्था आपको दूँगा। लेकिन आप इस बिल के डिटेल का वर्णन नहीं करेंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : The second point is this. The Clauses in the Bill violate articles 25 and 26 of the Constitution as the right to religion is applicable to all the persons including non-citizens. I repeat, it is applicable to all the persons and even to non-citizens. So, the right to religion is applicable not only to citizens but also to non-citizens. The right to religion under articles 25 and 26 is applicable to all the persons who are residing in India, including non-citizens.

The third point is, the Bill violates the basic structure and features of the Constitution envisaged in the Preamble of the Constitution as entitlement of the citizenship based on religion is against the secular fabric of the country.

The fourth point is, the provisions in clause 4 are self-contradictory as one provision makes the other provision redundant.

The final point is, the Statement of Objects and Reasons is not clear. It is ambiguous as it does not explain the rationale behind differentiating between illegal migrants on the basis of religion they belong to.

So, if it goes to the court of law, definitely the court will strike it down. Therefore, this House has no legislative competence to discuss this Bill. Hence, I oppose its introduction. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: एक बार जो विषय आ गया हो, सदन में उसका रिपिटिशन न करें।

…(व्यवधान)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): The noise from this side is so strong today.

माननीय अध्यक्ष: जिन्होंने नोटिस दिया है, केवल उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाएगा। जिन्होंने नोटिस नहीं दिया है, वे हाथ खड़ा न करें।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: Why is there so much opposition from this side? The noise from this side is so strong. Why is it so? The ruling Party should understand that what they are doing is totally against the Constitution.

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर अपनी बात कहें।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY : Sir, it is against the essence of the Constitution. The provisions of the Bill are in utter violation article 14 of the Constitution. That is what everybody is saying. The Government should not introduce this Bill.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY : I will just say one word. It is in violation of article 14, the Fundamental Rights. They are naming one particular community, that too the major community of this nation, that is the Muslim community. They are naming it.

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy ji.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: They are naming and saying it. …(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: कहीं पर भी मुस्लिम कम्युनिटी को नेम नहीं किया गया है। यह सत्य नहीं है। …(व्यवधान)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: They have named four or five communities and excluded one community. So, in a technical manner, it is equivalent to naming one community.

श्री अमित शाह: केवल मुस्लिम एक्सक्लूड नहीं होता है, बहुत-से एक्सक्लूड होते हैं।...(व्यवधान) कहीं पर भी मुस्लिम का नाम नहीं है। ...(व्यवधान) आप इसमें दिए गए प्रोविजंस को तोड़-मरोड़कर नहीं रख सकते हैं। ...(व्यवधान)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY : Let me complete what I have to say. It is almost equivalent to saying that one particular community will not be given citizenship. Everybody knows that. How can you do that in this House? So far it has not happened here.

माननीय अध्यक्ष: आपने विधान की बात रख दी।

प्रो. सौगत राय।

...(<u>व्यवधान</u>)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I rise to oppose the introduction of Citizenship (Amendment) Bill, 2019 under rule 72(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Sir, this is the book. But I do not refer to only the book. Please see rule 72(1).

I think that the Home Minister, being new to this House, is not fully familiar yet with the rules of procedure ...(*Interruptions*) I have not used any unparliamentary word ...(*Interruptions*) I am only saying that it is only six months that he is in this House. He is not yet aware of the rules....(*Interruptions*) What

does the rule say? It is very relevant …(*Interruptions*) Sir, one second …(*Interruptions*) क्या मैंने कुछ खराब बोला है? …(व्यवधान) सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी को व्यवस्था दूंगा, लेकिन पहले इनकी बात सुन लीजिए। मैं इनके बाद आपको मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : …(*Interruptions*) Sir, can I speak now? …(*Interruptions*) The rule says: If a motion for leave to introduce a Bill is opposed as it has been done, the Speaker after permitting brief statements from the member who opposes the motion, may without further debate put the question. So, opposing is *per se suo moto.* It does not need any reference to legislative competence.

Secondly, there is a Proviso which says:

> "Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

Sir, I also refer to Kaul and Shakdher 7th edition, pages 618-619. आप देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे बिल को अपोज किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने पढ़ लिया है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैंने अपोजिशन का नोटिस दिया था और 10 बजे के अंदर दिया था। मैंने कारण भी दिखाया था कि क्यों मैं इस बिल को अपोज करता हूं। मुझे आपसे विनती करनी है कि आज संविधान संकट में है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी ने जो नोटिस दिए हैं, मैं उनको पढ़कर सुना दूंगा। आप नोट कर लीजिए और नोटिस के इतर मत बोलिए। आप नोटिस देते हैं और मैं नोटिस को पढ़ता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी को व्यवस्था दे रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी - आर्टिकल 14 और 15, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी - आर्टिकल 14, 15 और 26, पी.के. कुनहलिकुट्टी जी - आर्टिकल 14, प्रो. सौगत राय - आर्टिकल 14, ई.टी. मोहम्मद बशीर - आर्टिकल 14 और 15, ए.एम. आरिफ जी ने कोई कारण नहीं दिया है और बिना कारण के बोला भी नहीं जाता है। श्री गौरव गोगोई का आर्टिकल 5, 10, 14 और 15 पर है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब मैं आपका नाम लूं, तभी बोलिएगा। मेरी एक बात सभी सुन लीजिए। जब आप कानून की बात कर रहे हैं तो फिर कानून के हिसाब से ही सब कुछ हो। अभी तक मैं आपको कानून के विपरीत भी बोलने का मौका देता था। अगर आप कानून के अनुसार बात रखना चाहते हैं तो सदन कानून से चल जाएगा। आप एक मिनट रुकिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने के लिए मौका नहीं दिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात का कोई जवाब नहीं देगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : किसी की बात अंकित नहीं हो रही है। जो माननीय सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं, उनकी बात सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन रही है।

… (व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, सौगत राय जी, आपने आर्टिकल 14 पर बोलने के लिए नोटिस दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी बोलने का मौका देंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप आर्टिकल 14 पर बोलें।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर**,** मैं आर्टिकल 14 के अलावा भी एक पॉइंट रखना चाहता हूं। कृपया मुझे वह पढ़ने दिया जाए। …(व्यवधान) सर, क्या इस तरह से हाउस में चलेगा?…(व्यवधान) क्या हम लोगों को मारेंगे…(व्यवधान) Let me first read Article 14. …(*Interruptions*) Sir, Article 14 says that : "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India …". …(*Interruptions*) Now, 'any person' includes 'any community'. If any community is left out of the purview of law, then it is violative of Article 14 of the Constitution. This is what I was saying.

Further, I heard the Home Minister four months ago in this House, when he said हमारा स्लोगन है, "एक विधान, एक निशान" …(व्यवधान) One country, one nation. …(*Interruptions*) It was said while abrogating Article 370 …(*Interruptions*) सर, मुझे

* Not recorded.

बोलने दिया जाए। It was said while abrogating Article 370 relating to Jammu and Kashmir that one nation - one law. So, no separate law for Kashmir.

Now, you are bringing a law and you are saying that the areas included in the Sixth Schedule of the Constitution belonging to Meghalaya, Mizoram, Nagaland will not form part of the law. …(*Interruptions*) Also, the areas under the Inner Line Permit will also be excluded. Now, the Home Minister is proposing one law for rest of the country; one law for the Sixth Schedule areas; and one law for the Inner Line Permit. …(*Interruptions*) Hence, I …(*Interruptions*) सर, मैं कम्प्लीट कर रहा हूं। इसे पढ़कर खत्म कर रहा हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पढ़ चुके हैं।

प्रो. सौगत राय : सर, मैं केवल इतना ही पढूंगा।

Sir, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019. The ground for opposition are following :

1. The Bill is divisive and unconstitutional;
2. It violates Article 14 of the Constitution, which ensures equality before law of all persons; and
3. This law is against everything that our founding fathers and Dr. Ambedkar envisioned in the Constitution of India.

The Bill, by leaving out the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura, as included in the Sixth Schedule, …(*Interruptions*) इसमें क्या गलती हुई

है?...(व्यवधान) क्या पार्लियामेंटरी अफेयर मंत्री नहीं जानते हैं? ...(व्यवधान) मैंने नोटिस दिया हुआ है ।...(व्यवधान) सर, मुझे इसे पढ़ने दीजिए ।...(व्यवधान) सर, मिनिस्टर उठकर रुकावट डाल रहे हैं ।...(व्यवधान) सर, यह दुखद बात है ।...(व्यवधान)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Respecting the direction of the hon. Speaker, I am not entering into any other provisions of the Act. What I am saying, in brief, is this. I am very sorry to say that in the history of this House, which made tremendous laws, this is the darkest day because this is the first time an enactment is coming dividing the people into Muslims and non-Muslims. It is a shame. ...(*Interruptions*) Article 14 of the Constitution says equality before the law. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट । माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि गृह मंत्री जी ने इस बिल की मंशा को आप सबको बता दिया है । माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए । मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं । बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने इस बिल की मंशा के बारे में आपको संक्षिप्त में बता दिया है । मेरे पास आर्टिकल 14 और 15 है ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आर्टिकल *14* में दो लाइन लिखी है**,** मैं सभी सदस्यों को पढ़कर सुना देता हूं ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : 'भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा' । एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए । इस बिल पर बाद में डिटेल में चर्चा होगी । लेकिन माननीय सदस्य आप बिल की मेरिट पर नहीं बोल रहे हैं, आप भाषण कर रहे हैं । विधेयक क्यों नहीं लाया जाए, उसको पुरःस्थापित क्यों नहीं किया जाए, आप इस पर बोलिए । आप तो बिल पर भाषण कर रहे हैं ।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी ने भी उत्तर-पूर्वांचल को लेकर बात नहीं रखी है । मैं पहला व्यक्ति हूं, जो यह कह रहा है कि उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों को आर्टिकल 371 ए,बी,सी,एफ और जी के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है । यह बिल उन सारे प्रोविजन्स का उल्लंघन करता है । यह असम एकार्ड का उल्लघंन करता है । पूरे तरीके से डिस्टैबिलाइज़ करता है ।…(व्यवधान) इसलिए, हम इसके विरोध में हैं ।…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am opposing the Parliament's legislative competence to address and pass this Bill because it is an assault on the foundational values of our Republic. The nationalist movement did not divide on ideological grounds or on regional grounds or on geographical grounds or on linguistic grounds. It divided on one simple principle: should religion be the determinant of our nationhood. The fact is, those who believe their religion should determine nationhood, they formed Pakistan. That was the idea of Pakistan.

Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Maula Azad, they all said, religion cannot determine nationhood. Our nation is a land for everybody.

That is why, this is violative of the fundamental structure of the Constitution of India. It betrays the Preamble, on which I have given you a notice. Preamble constitutes an integral part of the basic structure. That is violated. It violates Article 14, as others have pointed out, which applies to all persons not just citizens. …(*Interruptions*) Finally, it enshrines discrimination against the values of our Constitution. I, therefore, believe, we do not have the competence to discuss this Bill. It should not be brought forward and introduced.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : महोदय, मैं सिर्फ चार पाइंट्स पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट पर 40 पाइंट्स बोलिएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : महोदय, आपने क्या कहा है, मैं सुन नहीं पाया हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट पर 40 पाइंट्स बोलिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, 40 का वक्त नहीं है, सिर्फ 4 पर ही बोलूंगा।…(व्यवधान) ये जवाब नहीं दे पाएंगे।…(व्यवधान) महोदय**,** पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशवानंद भारती में कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है। दूसरा, हम इस एक्ट की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स को वाइलेट करता है, आर्बिट्री इन नेचर है। शायरा बानो और नवतेज जोहर का जिक्र है। तीसरा, बोम्मई और केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटिजनशिप का कान्सेप्ट सिंगल है। आप इस बिल को लाकर सर्वानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा, हमने चकमा को…(व्यवधान) यह सुप्रीम

कोर्ट का केस है।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में, चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाज़त है, बगैर आई.एल. परमिट के। आखिरी पाइंट है, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क को ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर जी को भी बचा लीजिए।...(व्यवधान) वरना क्या होगा कि न्यूरेमबर्ग रेस लॉज़ और इजराइल के सिटिजनशिप एक्ट में ... * के साथ लिखा जाएगा। आप हाउस को बचाइए।...(व्यवधान)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم چیرمین صاحب، 40 کا وقت نہیں ہے، صرف 4 پر ہی بولوں گا (مداخلت)۔ یہ جواب نہیں دے پائیں گے (مداخلت) جناب، پہلی بات یہ ہے کہ سیکولرزم اس ملک کے بیسِک اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ کیشوآنند بھارتی میں کہا گیا ہے، آرٹیکل 14 میں کہا گیا ہے۔ دوسرا اس ایکٹ کی ہم اس لئے مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ فنڈا مینٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، آرہِٹری اِن نیچر ہے۔ سائرہ بانوں اور نو تیج جوہر کو ذکر ہے۔ تیرس بوممئی اور کیشوآنند بھارتی ہیں۔ چوتھا ہمارے ملک میں سیٹیزن شِپ کا کنسیپٹ سِنگل ہے۔ آپ اس بل کو لا کر سروانند سونو وال سپریم کورٹ کیس کا وائلیشن کر رہے ہیں۔ پانچواں ہم نے چکما کو (مداخلت)... یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے۔ (مداخلت)۔۔ سپریم کورٹ کا کیس ہے کہ چکما کیس میں چکما کو اروناچل پردیش میں رہنے کی اجازت ہے، بغیر آئی۔ایل۔، پرمِٹ کے۔ آخری پوائنٹ ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس ملک کو ایسے قانون سے بچا لیجیئے اور آپ ہوم

* Not recorded.

منسٹر صاحب کو بھی بچا لیجیئے (مداخلت)۔ ورنہ کیا ہوگا کہ نیو ریمبرگ ریس لاز اور اسرائیل کے سیٹیزن شِپ ایکٹ میں (کاروائی میں شامل نہیں) کے ساتھ لکھا جائے گا۔ آپ اس ایوان کو بچائیے۔ (مداخلت)...

माननीय अध्यक्ष: इसे रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जो असंसदीय हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसी भाषा को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एस.एस. अहलूवालिया जी बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ निकाल देंगे।

...(व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) अरे बैठो न। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभी सिटीजनशिप बिल, 2019 का प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने इंट्रोड्यूज करने के लिए रखा है और हमारे विद्वान साथी अधीर रंजन जी ने इसका विरोध करते हुए ...(व्यवधान) इसका अपोज़ किया है। ...(व्यवधान) मैं आर्टिकल - 5, 10, 14, 25 और अर्टिकल –

26 के बारे में बोल रहा हूँ। …(व्यवधान) महोदय, जो कि मेरे ऊपर भी लागू होता है। …(व्यवधान) मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हूँ। …(व्यवधान) जो मेरे ऊपर भी लागू होता है। …(व्यवधान) मुझे यह बोलने का पूर्ण अधिकार है। …(व्यवधान) मैं आर्टिकल - 5 के बारे में कहना चाहता हूँ कि नागरिकता का यह विधेयक किस पर लागू होगा। …(व्यवधान) इसमें आर्टिकल – 5 का उल्लेख करते हुए जब इन्होंने बात रखी है कि "At the commencement of the Constitution, every person who has his domicile in the territory of India" …(व्यवधान) यह उनके लिए लागू होता है। …(व्यवधान) किंतु आर्टिकल – 10, जिसके प्रावधान को ही संशोधन करने के लिए गृह मंत्री ने यहां पर एक बिल इंट्रोड्यूज़ करने की कोशिश है, वह है आर्टिकल – 10 …(व्यवधान) "Every person who is or who is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament…" …(व्यवधान) जब तक यह पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूज़ नहीं होगा, तो इसका प्रावधान कहां से आएगा? …(व्यवधान) यह पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूज़ होना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ दादा बैठ जाइए। नोटिस दिया करो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी, बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भैया, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिए। एक मिनट गृह मंत्री जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में इतना जोश मत खाया करो। मैंने अहलूवालिया जी को परमिशन दी है और सुनो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ एक कानून मैं आपको बताऊं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** प्लीज़ बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कई बार सदस्यों को, वरिष्ठ सदस्यों को जब कानून की डिबेट होती है।

…(व्यवधान)

13.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप मुझे भी बोलने नहीं देंगे क्या? प्लीज बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सब को बोलने का अवसर देता हूँ। मैंने कभी भी आपके अवसर को समाप्त नहीं किया। क्या मैंने कभी इसे समाप्त किया है?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं सर।

माननीय अध्यक्ष : मैं सब को पर्याप्त अवसर देता हूँ। किसको अवसर देना है, किसको अवसर नहीं देना है, कुछ चीजें मुझे तय करने दिया करो। माननीय सदस्य, आप जोश में बोल रहे हो। आपको भी कई बार नोटिस दिए बिना भी मैं बोलने का मौका देता हूं। नियमों से परे भी मौका देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस विषय पर बोलें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी बोलना।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं यह बिल पुर:स्थापित करने के लिए खड़ा हुआ, सदन के बहुत सारे लोगों ने नियम 72(1) का उल्लेख करते हुए सदन की कम्पीटेंसी के बारे में सवाल उठाया। कम्पीटेंसी इस दृष्टि से कि यह बिल संविधान के कई आर्टिकल्स की मूल भावना को आहत करता है। इसलिए इस बिल पर सदन चर्चा न करे। इस बिल को पुर:स्थापित न किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मै सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कंट्राडिक्ट नहीं करता है।…(व्यवधान) आप सुनें ना।…(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, बैठिये।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : बैठ जाओ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी का भाषण रिकार्ड में अंकित हो।

…(<u>व्यवधान</u>)… *

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल का मैं पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ, वह बिल किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 11 की बात करें। मेरा सबसे आग्रह है कि अनुच्छेद 11 को पूरा पढ़ लें। मैं अनुच्छेद 11 का उपबंध पढ़ना चाहता हूँ-

> "इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।" …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी का वक्तव्य अंकित नहीं होगा।

…(<u>व्यवधान</u>) *

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, इस तरह से नहीं होगा। मैं सब का जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, मेनली सभी ने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया है कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने थोड़ा आर्टिकल-14 को पढ़ना चाहता हूं: -

> "राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

यह है आर्टिकल-14.

मान्यवर, मैं जो बिल लेकर आया हूं, इसमें कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत हो गया है, परन्तु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल-

* Not recorded.

14 रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता।...(व्यवधान) एकदम जवाब मत दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। वर्ष 1971 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं, सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि फिर पाकिस्तान से आए हुए लोगों को इसमें क्यों नहीं लिया?...(व्यवधान) आप बैठिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान) मैं बताता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, उस वक्त के लिए मेरा छोटा-सा सवाल है कि जब आर्टिकल-14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए। उनका गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। मैं उनका गुस्सा होना समझ रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि यह तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए था, तो यह भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है। वर्ष 1971 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन-चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई है। मैं जब बिल का जवाब दूंगा तो बताऊंगा।...(व्यवधान) मैं बिल पर ही बोल रहा हूं, आर्टिकल-14 पर ही बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह भाषण हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने भी भाषण दिया था।

श्री अमित शाह: भाषण तो होगा ही ।...(व्यवधान)

मान्यवर, उसके बाद युगांडा से आए हुए सारे लोगों को, इस देश में, कॉंग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई। क्यों युगांडा से आए हुए लोगों को दिया, इंगलैंड से आए हुए लोगों को

क्यों नहीं दिया? सबको देने चाहिए थे, क्योंकि एक विशिष्ट रिजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउण्ड पर युगांडा वालों को दिया गया था।

दंडकारण्य कानून लेकर आए। तब भी सबको नागरिकता दी। उस वक्त भी, वर्ष 1959 में क्यों सिर्फ बांग्लादेश को किया, क्योंकि रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर यह किया गया।

मान्यवर, श्रीमान् राजीव गाँधी जी ने असम अकॉर्ड किया। फिर से वर्ष 1971 तक के सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। वर्ष 1971 के बाद के लोगों को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक कट-ऑफ डेट नक्की थी, तो क्या वहां आर्टिकल-14 अप्लाई नहीं होता था? पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को वर्ष 1971 से ले लेते?

मान्यवर, ऐसे समानता के अधिकार के कानून दुनिया भर के संविधान के अन्दर हैं। मैं ढेरों संविधान को क्वोट कर सकता हूं। एक नागरिक यहां से वहां जाकर सिटीजनशिप ले ले। वे ग्रीन कार्ड देते हैं। वे इसे किसके आधार पर देते हैं? जो ज्यादा निवेश करेगा, जो रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, उसे देते हैं। क्या इससे समानता विकसित होती है? यह नहीं होती है। यह एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है। ऐसे कई सारे कानून हैं। इसे छोड़ दीजिए।

मैं अभी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समानता का, आर्टिकल-14 का, मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र जैसा इंटरप्रिटेशन करते हैं, अगर वैसा ही इंटरप्रिटेशन समानता के कानून का करना है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे, मुझे यह बताइए।...(व्यवधान) समानता का कानून वहां एप्लाई क्यों नहीं होता है? उनके एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो अधिकार मिले हैं, क्या वह आर्टिकल-14 को वॉयलेट करता है? ...(व्यवधान) दादा आप बैठ जाइए। आपको मुझे सुनना पड़ेगा।...(व्यवधान) आप बैठ जाइए। मैं आपको एक-एक चीज का जवाब देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, इस सरकार को पांच साल के लिए चुना गया है। आपको हमें सुनना पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): अध्यक्ष जी, पांच वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था कितनी गिरी है, वह भी इनको देखना पड़ेगा। इस सबको हमें भी देखना पड़ेगा। आपके टाइम में यही सब देखना होगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सभी सदस्यों को चुप करा रहा था। अगर इस सदन को चलाना है और गंभीरता से चलाना है, सवाल करेंगे तो जवाब भी सुनना चाहिए। मैं आपको डिबेट के समय पर्याप्त समय दूंगा, यह आपको बताया है। गृह मंत्री जी के भाषण के बीच में कोई भी माननीय सदस्य न उठे, न ही उनका भाषण अंकित होगा।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर इस देश में आर्टिकल 14 के रहते ढ़ेर सारे कानून बने हैं। इस कानून को लाने के लिए रिजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या आधार है, वह मुझे बताना चाहिए। मैं जब बिल पॉयलट कर रहा हूं, बिल लेकर आया हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं सदन के सामने रिजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार रखूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के अंदर भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : क्यों, नेपाल नहीं है?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेपाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन जब बिल चर्चा में आएगा तब सभी का जवाब दूंगा। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अभी आप जिक्र करना बंद कीजिए, हम भी चुप रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि आप अपनी गरिमा बनाए रखें, अपनी सीट पर से न उठे, अच्छा नहीं लगता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, ये मौका देते हैं इसलिए उठता हूं।

श्री कल्याण बनर्जी: अध्यक्ष जी**,** मंत्री जी अगर ठीक बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे। मंत्री जी अगर लक्ष्मण रेखा क्रास कर जाएंगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, …(व्यवधान) हम लोग अपोज करने के लिए आए हैं और अपोज करके रहेंगे। आप पांच वर्ष मिनिस्टर रहेंगे और हम लोग पांच वर्ष तक अपोज करेंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, आज आप जोश में क्यों हो, आपका संदेश वहां तक पहुंच गया है।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर था । रिजनेबल क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है? इस बिल के प्रस्ताव को संशोधन लेकर आया हूं, उसमें भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: सभी सदस्य कह रहे हैं कि भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है ।…(व्यवधान) मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उकसाने से कुछ नहीं होगा । …(व्यवधान) रिकॉर्ड की बात है। …(व्यवधान) मैं इस देश के भूगोल को जानता हूं। …(व्यवधान) मैं यहीं का हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं रिपीट करना चाहता हूं, इस देश की 106 किलोमीटर की जमीनी सरहद अफगानिस्तान से सटी है ।…(व्यवधान) शायद ये लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं ।…(व्यवधान)

मैं सभी सदस्यों से आपके माध्यम से विनती करता हूं कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को धैर्य से सुनें, सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं है ।…(व्यवधान) इसमें बहुत सी चीजें हैं ।…(व्यवधान)

महोदय, तीन देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। हमें तीनों देश के संविधान को बारीकी से देखना पड़ेगा, अगर इस बिल के तथ्यों को समझना है। …(व्यवधान) अखिलेश जी, जल्दी समझ में नहीं आएगा। …(व्यवधान)

मान्यवर, अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के संविधान के अनुच्छेद में पवित्र धर्म इस्लाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब स्टेट का एक धर्म है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 2 देखिए, इसमें प्रावधान है – पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 2क में रिपब्लिक राज्य बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है। …(व्यवधान) मैं तीनों पड़ोसी देशों के धर्म का जिक्र कर रहा हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए, बहुत हो गया।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं फिर से यह स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं बिल पर बात नहीं कर रहा हूं । मैं बिल की कांपिटेंसी को समझा रहा हूं। अपने वक्तव्य के अंदर दयानिधि मारन जी श्रीलंका के बारे में पूछेंगे तो जरूर जवाब दूंगा। मगर, मैं अभी बिल की वैधानिक कांपिटेंसी के बारे में कह रहा हूं। ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया के जिन देशों के बारे में पूछना है, पूछ लीजिएगा। …(व्यवधान) मैं सबका जवाब दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: मान्यवर, ये जो तीन देश हैं, इन तीनों देश के संविधान के अंदर राज्य के धर्म का जिक्र है। पार्टिशन के वक्त शरणार्थियों का यहां से वहां जाना और वहां से यहां आना हुआ। वर्ष 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ । मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा । मगर, नेहरू-लियाकत समझौते में, उस समय पूर्व और पश्चिम दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहां मॉइनोरिटी के संरक्षण की व्यवस्था की गारंटी दी। दुर्भाग्य से, यहां पर इसका अनुपालन ठीक ढंग से हुआ, लेकिन इन तीनों देशों में मॉइनोरिटी पर, मैं जब बिल पर आऊंगा तब बताऊंगा, बहुत अत्याचार हुए। वे अत्याचार के मारे, धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी प्लीज।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: एक मिनट, मेरे शब्द को मत पकड़िए। दानिश अली जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्यचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा, कभी नहीं हो सकता।…(व्यवधान) मान्यवर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट माननीय सदस्य ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: इतने अधीर मत होइए अधीर रंजन जी। बैठ जाइए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे बोल रहे हैं**,** एक मिनट ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, इन तीनों राष्ट्रों के अंदर हिन्दू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन छ: मत के धर्म का पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेकर नागरिकता देने का बिल है। यह भी कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए गए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं लिए। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी गई है और भविष्य में भी बहुत सारे लोगों को नागरिकता मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन देंगे तो सबको मिलेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट प्लीज, माननीय मंत्री जी आप इनका जवाब मत दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्वयर, अब ये इतना बोल रहे हैं तो मैं कह दूं कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? ...(व्यवधान) जब देश को आजादी मिली, तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो इस बिल की जरूरत न पड़ती। ...(व्यवधान) किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन?

…(व्यवधान) इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। …(व्यवधान) मान्यवर, इनको सुनना पड़ेगा । यह इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा।…(व्यवधान) मान्यवर, इस देश का विभाजन हुआ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, आपका भाषण अंकित हो रहा है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, इन तीनों राष्ट्रों के अंदर, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जिन छ: धर्म समुदाय, जिनका मैंने नाम कहा है, वे लोग भारत में आए हैं, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव है। This is reasonable ground for classification. इस रीजनेबल ग्राउण्ड ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 को यह बिल आहत नहीं करता है। …(व्यवधान)

मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि इन तीन राष्ट्रों से अगर कोई मुसलमान, मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन देता है तो यह देश खुले मन से उस पर विचार करेगा, परन्तु लोगों को यह जो प्रावधान होने जा रहा है, उसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। इस निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर हम यह बिल लेकर आए हैं। …(व्यवधान)

मान्यवर, आर्टिकल 371 का जिक्र हुआ है। ...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रॉविजन को यह बिल वायलेट नहीं करेगा, आहत नहीं करेगा, वह जस का तस रहेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्टिकल्स कोट किए गए है, उन सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए ही इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है और मैं मानता हूं कि यह बिल इस सदन की कम्पिटेंसी की परव्यू के अंदर आता है, इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हम इस पर डिवीजन चाहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं। अब प्रवेश कक्ष खाली हो गए हैं।

महासचिव।

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

महासचिव : माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के संचालन से संबंधित विधि की ओर आकृष्ट किया जाता है। मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और उस स्थान से ही प्रणाली का संचालन करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष 'अब मतदान' बोलेंगे, तब मैं, महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी, जिसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिसप्ले बोर्डों के ऊपर लाल बटन जलेंगे और इसके साथ-साथ गोंग की ध्वनि भी सुनाई देगी। मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की ध्वनि के पश्चात् ही दो बटन एक साथ दबाएंगे।

इस बात को मैं पुन: दोहराना चाहूंगी कि केवल गोंग की साउंड के बाद ही दोनों बटन दबाए जाएं। प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लगा वोट बटन और सीट की डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन यदि आप 'हाँ' कहना चाहते हैं तो 'हरे' रंग का बटन दबाएंगे और यदि 'नहीं' कहना चाहते हैं, तो 'लाल' रंग का बटन और यदि मतदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो 'पीले' रंग का बटन दबाएंगे। गोंग की ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक, मैं यह भी बता दूं कि पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच में दस सैकेंड का अंतर होता है और इन दस सैकेंड के लिए आपको दोनों बटन दबाकर रखने हैं और प्लाजमा डिसप्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब भी उसी के साथ बुझते हैं। तब तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है।

माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे, यदि गोंग की ध्वनि सुनने से पहले उन्होंने बटन दबा दिया हो। दूसरी गौंग ध्वनि सुनाई देने तक दोनों बटन लगातार दबाकर नहीं रखे गए हों। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों तरफ स्थापित डिसप्ले बोर्डों पर

अपना मत देख सकते हैं। मत रजिस्टर नहीं होने की दशा में वे पर्ची के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री प्रिंस राज, जिन्हें अभी मत-विभाजन संख्या आबंटित नहीं हुई है, उनको सीट पर पक्ष-विपक्ष में मुद्रित पर्ची अपना मतदान रिकार्ड कराने के लिए दी जाएगी। वे पर्ची पर विनिर्दिष्ट स्थान पर अपना नाम, पहचान, पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, दिनांक को स्पष्ट लिखकर और पर्ची पर हस्ताक्षर करके अपनी इच्छानुसार मतदान करें। यदि माननीय सदस्य मतदान में भाग नहीं लेना रिकार्ड करना चाहते हैं तो मतदान में भाग नहीं लेने वाली पर्ची की मांग कर सकते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:</u>

DIVISION **AYES** **13.34 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Anuradha, Shrimati Chinta

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

*Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

*Chandra Sekhar , Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

* Voted through slip.

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

*Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharmapuri, Shri Arvind

* Voted through slip

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gambhir, Shri Gautam

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sudheer

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

*Kirtikar, Shri Gajanan

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

* Voted through slip

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Virendra

*Kumar, Shri Bandi Sanjay

**Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

---

* Voted through slip

** Corrected through slip for Ayes

Mandal, Shri Ramprit

Mandavi , Shri Mohan

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

*Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

* Voted through slip

*Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Santosh

*Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Paswan, Shri Chirag Kumar

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

* Voted through slip

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pfoze, Dr. Lorho

Pintu , Shri Sunil Kumar

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

*Prasad , Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Pujari, Shri Suresh

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rai, Shri Nityanand

* Voted through slip

*Raj, Shri Prince

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Raghu Rama Krishna

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd.) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

*Samanta, Prof. Achyutananda

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

* Voted through slip

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Simha, Shri Prathap

Singari, Dr. Sanjeev Kumar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Suman, Dr. Alok Kumar

Supriyo, Shri Babul

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Vichare, Shri Rajan Baburao

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

*Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Giridhari

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

* Voted through slip

NOES

Ali, Kunwar Danish

Anand, Shri D.M.Kathir

Antony, Shri Anto

Ariff, Adv. A. M.

Baalu, Shri T.R.

*Baij, Shri Deepak

Bandyopadhyay, Shri Sudip

*Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

*Barq, Dr. Shafiqur Rahman

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

*Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr.Venkatesh Netha

*Chandra, Shri Girish

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chellakumar, Dr. A.

* Voted through slip

*Chinraj, Shri A.K.P

*Chowdhury, Shri Abu Hasem Khan

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dhanorkar,Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan

* Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Gandhi, Shrimati Sonia

Gogoi, Shri Gaurav

Haridas, Kumari Ramya

*Hasan, Dr. S.T.

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

*Jawed, Dr. Mohammad

*Jayakumar, Dr. K.

Jothimani, Sushri S.

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaur, Shrimati Preneet

* Voted through slip

*Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Abu Taher

Kolhe, Dr. Amol Ramsing

*Kumar, Shri Dhanush.M.

Kunhalikutty, Shri P.K.

Kuriakose, Adv. Dean

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Mal, Shri Asit Kumar

*Malothu, Shrimati Kavitha

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Shri Bhagwant

Maran, Shri Dayanidhi

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Muraleedharan , Shri K.

Natarajan, Shri P.R.

*Nath, Shri Nakul K.

Navaskani , Shri K.

* Voted through slip

Owaisi, Shri Asaduddin

Paarivendhar, Dr. T. R.

Pala, Shri Vincent H.

Pasunoori, Shri Dayakar

Patil, Shri B.B.

Poddar, Shrimati Aparupa

Pon, Shri Gautham Sigamani

*Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

*Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Raja, Shri A.

Rao , Shri Nama Nageswara

Ray, Prof. Sougata

Reddy , Shri Manne Srinivas

*Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Uttam Kumar

* Voted through slip

Roy, Shrimati Mala

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Sardinha, Shri Francisco

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S. , Shri DNV

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Ravneet

Sreekandan, Shri V. K.

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

*Sudhakaran, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Tatkare, Shri Sunil Dattatray

Tewari, Shri Manish

*Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

* Voted through slip

*Thirunavukkarasar. Shri Su.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

*Vasanthakumar, Shri H.

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Ram Shiromani

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Akhilesh

*Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Shyam Singh

ABSTAIN

Nil

* Voted through slip

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि* के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम यह है:

पक्ष 293

विपक्ष 82

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खोल दी जाएं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 17, डॉ. जयशंकर जी।

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 293+ S/Shri Bholanath 'BP Saroj', Bandi Sanjay Kumar, Praveen Kumar Nishad, Sunil Baburao Mendhe, Prataprao Patil Chikhlikar, Dinesh Chandra Yadav, Kaushlendra Kumar, Gajanan Kirtikar, Pashupati Kumar Paras, Chandeshwar Prasad, Prof. Achyutananda Samanta, S/Shri Bellana Chandra Sekhar and Prince Raj =306

Noes: 82 + S/Shri Girish Chandra, Abhishek Banerjee, Ramulu Pothuganti, Shrimati Kavitha Malothu, Shri Shyam Singh Yadav, Dr. G. Ranjith Reddy, S/Shri Mulayam Singh Yadav, Abu Hasem Khan Chowdhury, K. Sudhakaran, SU. Thirunavukkarasar, Dr. Mohammad Jawed, S/Shri Pradyut Bordoloi, Hibi Eden, Deepak Baij, Abdul Khaleque, Nakul K. Nath, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Dr. Shafiqur Rahman Barq, Shri T.N. Prathapan, Dr. K. Jayakumar, Shri H. Vasanthakumar, Dr. S.T. Hasan, S/Shri Dhanush M. Kumar and A.K.P. Chinraj =106 – Shri Kaushlendra Kumar wrongly voted for Noes, later on he corrected through slip for Ayes = 105

Abstain: Nil

13.40 hrs

(iii) Anti-Maritime Piracy Bill, 2019*

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to make special provisions for repression of piracy on high seas and to provide for punishment for the offence of piracy and for matters connected therewith on incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि खुले समुद्र में जलदस्युता के दमन के लिए विशेष उपबंध करने के लिए और जलदस्युता के अपराध के लिए दंड और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

डॉ. शशि थरूर जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Yes, Sir. I oppose the introduction of the Bill. …(*Interruptions*). The basic issue is that the Supreme Court has ruled that death penalty can only be in the rarest of rare cases, whereas this Bill has an automatic provision for death penalty to be applied as one of only two opinions under the law.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 9.12.2019.

Secondly, you are putting the country in a situation where it will be impossible for us to get the cooperation of foreign countries because of the dealth penalty here. Therefore, we need a Bill which does not involve the violation of the international principle of not having the death penalty. There is the issue. I, therefore, oppose the Bill.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, through you, I would like the hon. Member to recognize that the Bill actually does not have an automatic death penalty. Article 3 of the Bill says that whoever commits any act of piracy, shall be punished with imprisonment for life or with death, if such a person is in the committing act of piracy, causes death or attempt thereof. So, it is factually incorrect to say that there is automatic death penalty. So, I would urge the hon. Member not to see a rigidity that is not there in the Bill.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि खुले समुद्र में जलदस्युता के दमन के लिए विशेष उपबंध करने के लिए और जलदस्युता के अपराध के लिए दंड और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I introduce the Bill.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, रानी झांसी रोड में पिछले दिनों जो आग लगने की घटना हुई, यह काफी हृदय विदारक है। कोई बड़ी घटना होती है तो उससे लोग सीखते भी हैं कि आगे उसकी पुनरावृति न हो, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा और यह अग्निकांड हो गया। हम समझते हैं कि इसमें जितने लोग मरे हैं, उनमें से एक-दो लोगों को छोड़ कर सभी लोग बिहार के ही हैं। सहरसा जिले से आठ व्यक्ति झुलस कर मर गए, समस्तीपुर जिले से नौ व्यक्ति जल कर मर गए, मुजफ्फरपुर जिले से तीन व्यक्ति जल कर मर गए, बेगुसराय जिले से एक व्यक्ति जल कर मर गया, सीतामढ़ी से पांच व्यक्ति जल कर मर गए, मधुबनी से एक व्यक्ति जल कर मर गया और अररिया से एक व्यक्ति जल कर मर गया।

अध्यक्ष महोदय, उसमें बिहार के 25 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनकी संख्या बढ़ सकती है। यह हादसा जिस तरह से हुआ है, अगर सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो उसकी बिल्कुल अनदेखी की गई। वे सभी गरीब परिवार के लोग हैं। बिहार में गरीबी है, इसीलिए लोग दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं, ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। लोग लाचार हो कर वहां से यहां आते हैं।

दिल्ली सरकार ने भी मुआवजे का प्रावधान किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सहायता की घोषणा की है। बिहार के मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने भी दो-दो लाख रुपये इन सभी के परिवार वालों को देने की घोषणा की है। मेरा आपसे आग्रह है कि जितने लोग घायल हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस घटना में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, उनको अपने-अपने जिले में भेजने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग गरीब हैं। मुआवज़े की जो व्यवस्था की गई है, वह कम है। मुआवज़े के रूप में कम से कम 25 लाख रुपए सभी मृतकों के परिवारों को दिए जाएँ। कोई

ठोस व्यवस्था की जाए, ताकि इस तरह की घटना पुन: न हो, यह माँग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ।

अंत में, मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आसन के माध्यम से भी मृतक लोगों के परिवारों में भी संवेदना चली जाए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटना हुई है, वह सचमुच बहुत ही दर्दनाक है। बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर काम करने के लिए आते हैं। इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, उसके लिए एक विशेष जाँच बिठाई जाए। इस घटना पर हमें दु:ख है। जितने गरीब लोगों की मृत्यु इसमें हुई है, उनके परिवार को राहत पहुँचे, इसकी जाँच बैठे और जाँच का प्रतिवेदन देश के समक्ष आए, ताकि फैक्ट्रियों या गोदामों में काम करने वाले लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिल सके। सरकार इसमें पहल करे और इसकी पूरी तरह से जाँच कराई जाए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि केन्द्र के स्तर से एक जाँच की जाए और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, सहायता की राशि के रूप में कम से कम पच्चीस-पच्चीस लाख रुपए उन परिवारों को दिए जाएँ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, the devastating blaze at Delhi's Anaj Mandi in a 4-storey building housing illegal manufacturing units causing loss of lives of more 43 people, is yet another incident of lack of safety norms and irresponsible enforcement of provisions towards ensuring safety of factory workers.

Sir, this is the second worst fire in the Capital City of Delhi that caused numerous deaths, which throws light into the absolute lack of regulation for safety of the workers and occupants of the building.

The major tragedy, in recent times, was in 1997 when Uphar Cinema Theatre fire killed 59 people. Along with that in February, 2019, 17 people were killed by a fire in a 6-storey hotel in the City in their illegal roof top kitchen.

Sir, this has been happening regularly in the Capital City of the country. This incident shows that there is absolutely no enforcement of safety system whereas the Delhi Government and the Central Government are engaged in the blame game.

I would, therefore, request that the victims of the factory fire must be given adequate compensation. Also, building and shop owners, who had flouted norms, must be prosecuted along with concerned Government officials, who failed to effectively enforce the safety provisions

Sir, the hon. Home Minister is sitting here. Let him respond.

माननीय अध्यक्ष: शून्यकाल में जवाब नहीं दिया जाता है।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, this has happened in the Capital City of Delhi. The hon. Home Minister must respond.

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल रविवार, दिनांक 8.12.2019 को दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थित अनाज मण्डी के रिहाइशी इलाके में एक अवैध फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड में लगभग 45 मजदूरों की मृत्यु हो गई। इस घटना में घायल हुए 25 लोग अभी भी जीवन और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं।

यह अग्निकांड पूर्णत: लापरवाही और नियमों की अनदेखी के कारण घटित हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि ज्यादातर मजदूर लोग, जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वे बिहार के रहने वाले थे। इन लोगों के परिवार में अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं ने थोड़ी-बहुत मुआवजे की घोषणा की है। मेरे नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी सभी पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपए देने की घोषणा की है।

महोदय, यह देखा जा रहा है कि देश भर में, जिस प्रकार से अवैध फैक्ट्रियों में लगातार घटनाएँ घटित होती जा रही हैं, वे पूर्ण रूप से लापरवाही और नियमों को सही ढंग से पालन नहीं करने के कारण होती हैं। आकस्मिक आग से निपटने का कानून तो है, परंतु उसका पालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा गरीब, मजदूर एवं कार्यरत कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष: श्री गोपाल जी ठाकुर को श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, अभी जो दिल्ली का विषय जीरो आवर में आया था, उस पर माननीय गृह मंत्री जी सदन में कल वक्तव्य देने वाले हैं।

13.49 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, जो निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गए हैं, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to include Sanskrit education under Sarva Shiksha Abhiyan

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) : मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि संस्कृत शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़कर बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में इसे लागू किया जाये।

इससे संस्कृत शिक्षा के स्तर में सुधार होगा यथा भवनहीन संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालयों में चल रहे पठन-पाठन के कार्यों में गुणात्मक सुधार होगा तथा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में संस्कृत शिक्षा में अभिरूचि पैदा होगी क्योंकि संस्कृत भाषा ही अन्य भारतीय भाषाओं की जननी है।

(ii) Need to set up a Potato Development Board

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): फर्रुखाबाद के आसपास के जनपदों में एशिया का सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है। आलू ही ऐसी सब्जी है जो 365 दिनों तक पूरे देश में सब्जी के रूप में उपयोग होता है। यदि आलू का उत्पादन कम हो जाये तो पूरे देश में अन्य सभी सब्जियों के दाम आसमान छू जाते हैं।

जहां किसान पूरे देश को आलू सब्जी खिलाता है और अन्य सब्जियों के दाम भी नियंत्रित करता है वहीं आलू किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य न मिल पाने के कारण खून के आंसू रोना पड़ता है।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिस प्रकार केरल में मसाला बोर्ड की स्थापना करके मसाला उत्पादक किसानों की दशा में सुधार हुआ है इसी प्रकार जूट बोर्ड, टी-बोर्ड आदि की तरह राष्ट्रीय आलू विकास बोर्ड की स्थापना भी कराई जाये जिससे आलू किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सके। मिड डे मील में सब्जी के तौर पर आलू की सब्जी को भी सप्ताह में कम से कम दो दिन अनिवार्य कर दिया जाए क्योंकि आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो बच्चों की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है।

(iii) Need to construct compound wall in government schools in Rewa Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): मेरे संसदीय क्षेत्र के कई शासकीय विद्यालयों में चारदीवारी न होने के कारण सुरक्षा का खतरा रहता है। विद्यालय में कई असामाजिक प्रवृति के लोग प्रवेश करते हैं जिनसे छात्र-छात्राएं असुरक्षित रहते हैं। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिन विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है उनमें चारदीवारी कराने में मदद करने की कृपा करें।

(iv) Need to introduce daily train service from Prayagraj in Uttar Pradesh to Pune and Bengaluru

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): मैं सरकार का ध्यान जनपद प्रयागराज, उ0प्र0 की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं, जनपद प्रयायराज उ0प्र0 की सर्वाधिक आबादीवाला जनपद है, यहां के बड़ी संख्या में छात्र-छात्रायें एवं नौकरी करने वाले लोग पुणे और बंगलोर में रहते हैं। प्रयागराज से दोनों शहरों को जोड़ने के लिए मात्र एक ही ट्रेन है, जो सप्ताह में एक बार ही चलती है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करती हूं कि एक ट्रेन प्रारंभ की जाए जो प्रति-दिन प्रयागराज से शुरू हो और दोनों शहरों को जोड़े। जिसमें छात्र-छात्रायें एवं नौकरी करने वाले लोगों को आने-जाने की यात्रा सुगम हो।

(v) Need to declare MSP for crops grown in rain-fed regions of Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे संसदीय क्षेत्र चूरू (राजस्थान) में किसानों द्वारा वर्षा आधारित (रेनफेड) परम्परागत जैविक खेती आज भी 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से में की जा रही है। वर्षा आधारित (रेनफेड) खेती में आज भी रसायनिक व पेस्टीसाइड सामग्री का प्रयोग बहुत ही कम व नाममात्र क्षेत्र में किया जा रहा है लेकिन उन किसानों द्वारा पैदा की गई फसलों को मान्यता एवं प्रमाणित कर बाजार में अलग से बिकी का कोई प्रावधान नहीं है और न ही सरकार ने बिक्री के लिए कोई मूल्य निर्धारित किया है, जिस वजह से मेरे क्षेत्र के किसान को अपनी वर्षा आधारित (रेनफेड) फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है इसी कारण किसानों का परम्परागत खेती से रूझान हटता जा रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों द्वारा वर्षा आधारित (निफेड) परम्परागत खेती के माध्यम से तैयार की गई फसलों को बाजार में अलग से बिक्री करने व अलग से सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाये।

(vi) Need to extend Rayalseema Express (train no. 12793/12794) upto Nanded in Maharashtra

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ धार्मिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक दृष्टि से राज्य में ही नहीं अपितु देश भर में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां हजूर सचखंड साहिब का विश्व प्रसिद्ध गुरूद्वारा है।

इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी सरकार से विनती है कि 12793/12794 रायलसीमा रेलगाड़ी वर्तमान में निजामाबाद से तिरूपति तक चलती है, इस गाड़ी का विस्तार नांदेड़ तक किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि नांदेड़ क्षेत्र के लोगों को तिरूपति जाने के लिए यह गाड़ी निजामाबाद जाकर पकड़नी पड़ती है। नांदेड़ से तिरूपति जाने वालों की बहुत अधिक संख्या है और हमारी सरकार की यह प्राथमिकता भी है कि देश के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को रेलमार्ग से जोड़ा जावे।

इस ट्रेन के विस्तार से न सिर्फ जनता को सुविधा मिलेगी बल्कि रेल विभाग को भी अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। इसलिये मेरी मांग है कि रायलसीमा ट्रेन का विस्तार नांदेड़ तक करने हेतु जल्द से जल्द कदम उठाये जावें।

(vii) Need to address the problem of land depression and land erosion caused by Brahmaputra river flood in Guwahati Parliamentary Constituency, Assam

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): मेरे संसदीय क्षेत्र गुवाहाटी में प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी में प्रत्येक वर्ष वर्षा से आने वाली बाढ़ के कारण आसपास में रहने वाले जनजीवन भूमि कटाव के कारण बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से गुवाहाटी से चन्द्रपुर, सनसली, खारधुली व पश्चिम गुवाहाटी ग्रामीण क्षेत्र और पसबरी, शीयोगांव, बोकू में ब्रह्मपुत्र नदी के आस पास के गांव में रहने वाले लोगों के घर, पशु सहित जानमाल की क्षति होती है। वर्तमान में बाढ़ के कारण उत्पन्न भूमि धसान व कटाव ने एक बहुत ही गंभीर रूप ले लिया है।

अतः मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की निरंतर मांग को देखते हुए शीघ्र ही केन्द्र सरकार को निर्देशित कर एक उच्च स्तरीय तकनीकी टीम का गठन कर बाढ़ के कारण हो रहे भूमि धसान व कटाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं जिससे यहां पर रहने वाले सभी नागरिकों को राहत मिल सके।

(viii) Need for contingency plans to address the drinking water crisis in Karnataka

SHRI G. S. BASAVARAJ (TUMKUR): My state Karnataka known as the abode of the holy and perennial Kaveri river, has been hit by a water crisis. From the capital city of Bengaluru to the traditionally arid zone in the Hyderabad-Karnataka region, the water crisis has assumed alarming proportions. The worst hit districts are Tumakuru, Vijayapura, Chitradurga and Chikkaballapura having more than 100 villages. My home district Tumakuru is worst hit with 142 villages is being served by tankers. Tumakuru urban area with 46 wards is receiving rationed water through tankers. Karnataka has already suffered three successive drought years. Water level in state reservoirs/dams is much below their capacities. For the time being areas having services by Irrigation Department or urban local bodies can manage till reservoir levels fall too low. But the remaining 65% of the state is dependent mostly on ground water which is depleting faster than getting recharged. I urge the Centre especially the newly created Jal Shakti Ministry to roll out contingency plans for Karnataka to overcome the impending drinking water crisis during the coming summer.

(ix) Regarding proposal for Veer Savarkar Memorial in Marseilles, France

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (MUMBAI-NORTH-CENTRAL): In 1910, Swatantryaveer Savarkar's historic jump and subsequent illegal arrest by the British, while on French Land, caused worldwide furor. The arrest was considered a detestable act in violation of the right to asylum and was challenged in the International Court of Justice. In view of Swatantryaveer Savarkar's courageous act in defiance of imperialism, organisations including the Mumbai based Swatantryaveer Savarkar Seva Kendra, have been actively demanding the construction of a memorial for the great freedom fighter, in Marseilles. While the said organisations have reported that the Mayor of Marseilles had given consent for the same in year 1998, there is no report of any formal proposal received by the Government of India. I request the Government, through the Ministry of External Affairs, to work closely with their French counterpart in establishing a formal proposal for the Veer Savarkar Memorial in Marseilles and rightfully honour the historic event.

(x) Need to set up a Mega Food Park in Kaushambi district, Uttar Pradesh

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए उनकी आय दुगुनी करने हेतु अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी, जहां विश्व विख्यात इलाहाबादी अमरूद, आम एवं केला तथा जनपद प्रतापगढ़ में विश्व विख्यात आंवला की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, वहां कोई मेगा फूड पार्क न होने के कारण किसान अपने उत्पादन को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है। इलाहाबादी अमरूद एवं प्रतापगढ़ के आंवला की अन्तर्राष्ट्रीय पहचान होने के बावजूद भी किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि विश्व विख्यात उत्पादन को बढ़ावा देने व किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु जनपद कौशाम्बी में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाए, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ायी जा सके। धन्यवाद ।

(xi) Need to provide environmental clearance for construction of canal connecting water reservoirs to agriculture fields in Chhattisgarh

श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ राज्य के बांधों एवं छोटे-छोटे जलाशयों से कृषि भूमि एवं परती भूमि को नहरों के द्वारा सिंचित कर अधिक फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कुछ लंबित वन प्रकरणों के कारण जैसे कोमा जलाशय, भीमखोज जलाशय, पाली जलाशय योजना आदि जलाशयों से नहर बनाकर सिंचित करने में वन विभाग की भूमि आ जाने से पूर्व प्रस्तावित नहरों का कार्य आज तक रूका हुआ है। विगत पांच वर्षों से असमय वर्षा के कारण अकाल की स्थिति से किसान जूझ रहे हैं कर्ज तले स्थिति दयनीय है।

सरकार से मेरी गुजारिश है कि उपरोक्त वन विभाग ओर सिंचाई विभाग के संदर्भ को दृष्टिगत करते हुए अतिशीघ्र समन्वय कराया जाए, जिससे आने वाले समय में कृषि सिंचाईसुविधा बढ़े जिससे अधिक कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी एवं किसान खुशहाल होंगे, किसानों की आय भी दुगुनी होगी। साथ ही देश भी समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का सपना भी साकार होगा।

(xii) Regarding new railway line project from Kaliaganj to Buniadpur in West Bengal

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): A project of rail connectivity between Kaliaganj and Buniadpur was announced and approved in 2010-11. So many years have passed but due to shortage of funds no concrete development has taken place. Even land acquisition process has not been completed due to paucity of funds. Poor people who are solely dependent on public transport are forced to travel by bus or jeeps due to non-availability of train on this route.

I request Hon'ble Railway Minister to look into this matter and release funds and issue necessary instructions to expedite the railway project between Kaliaganj and Buniadpur so that by 2020, lakhs of people of my constituency may get benefitted.

(xiii) Regarding childcare responsibilities faced by working women

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): The participation of women in workforce is very crucial. However, the responsibility of childcare pushes women out of workforce. If any functional alternative is developed with support from State, it could lead to increasing participation of women in the workforce.

Model Proposed

- For every colony of a fixed group of population, crèche and daycare facilities will be made available;
- At least 1/3 members of such centres should be male to set as a precedent for involving men in childcare responsibility;
- Dedicated school/state sponsored transport to drop pre-school kids to these centres.

Time-Benefit

If such daycare centres are established, office timing could be advanced, and people would be able to leave office premises earlier and look after childcare responsibilities.

(xiv) Regarding problems in construction of Railway line between Deogarh and Pirpainti via Godda in Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Jharkhand has six railway line projects under the 67% state funding and 33% central government funding mechanism since 2002. The states like Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu among others contribute only 50% as state funding component while West Bengal and Bihar do not have to spend anything as the whole funding is done by the Centre for railway line projects. Jharkhand, which contributes more than 40% to railways' total revenue ends up paying more state funding component. In the meantime, the Railways have done a fresh MoU of 50% state contribution for six prior projects and all future projects. Hence, the crucial Deogarh-Pirpainti via Godda railway line needs to be constructed as per the new cost share of 50-50 as well. The state government has agreed and wrote to the Railway Board that it will happily contribute to 50 per cent of the total cost. In February 2014, the CCEA cleared this 127-km Deoghar Pirpainti via Godda rail project. The land acquisition has since been started. However, in 2017 the Coal Ministry put up an objection saying that it has been allotted with a coal block on the route between Godda and Pirpainti. But, NoC had already been provided by the Coal Ministry which allowed for the land acquisition to take place.

Now, the Godda to Mahagama 32 Km land acquisition process is complete and the Railways have awarded the work to lay the railway line. However, the

30-km section between Mahagama and Pirpainti is stuck due to the coal companies last minute objections. Due to this hitch, the State Government is not willing to fund the project, as the new alignment will go through Bihar.

It is, therefore, requested:

(1) Overrule the objections of Coal India and stick to the old alignment of the proposed railway line.

(2) NTPC should allow for the usage of its existing line and save costs and delays.

Godda is an aspirational district and in Jharkhand it is the lowest ranked district in terms of health and infrastructure. Here, people are suffering from cancer, tuberculosis, children are malnourished and girls are anemic. Due to coal we have no safe drinking water, and no job.

It is thus requested that the Government kindly intervene at the earliest and resolve this problem which is preventing the development of the region.

(xv) Need to declare Barpeta town in Assam as a heritage city

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Barpeta is situated at a distance of 137 km from Guwahati. Barpeta is undoubtedly regarded as an important cultural town for its unique socio-religious and cultural heritage. Barpeta is known as Satranagari, for its innumerable satras and monuments established by the Vaishnavite saint Mahapurush Madhabdev, the chief disciple of Srimanta Sankardeva who laid a strong pillar of Assamese culture through his socio-religious Vaishnavite movement. Barpeta became the nerve centre of Vaishnavite culture as Srimanta Sankardev himself preached vaishnavite in the area. The Barpeta Satra was established in th 16th century by Mahapurush Madhavdev. As Barpeta is the Land of Satras, so all the fairs and festivals, rituals and ceremonies, observances are associated with it and centred on Kirtanghar. The people of Barpeta celebrate the festivals and ceremonies with satriya tradition. Barpeta is also famous for its traditional art heritage. Famous Vrindabani Bastra was woven by Gopal Tanti. Barpeta is also famous for making of traditional gold ornaments since the medieval period. There are many traditional cultural and economic activities which are prevalent in and around Barpeta. There are 12 heritage cities in India and Barpeta too deserves to be in the list for many a historical reasons. Once the heritage status is given to Barpeta, there would be an

overall development in the area which would also improve the socio-economic condition of the people. So, I urge the Ministry of Housing and Urban Affairs to declare Barpeta Town as a heritage city and usher in the economic development of the area.

(xvi) Need to protect mangrove forest of Sunderbans in West Bengal

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sundarban means “Beautiful forest”, it comprises closed and open mangrove forests, tidal streams and channels. Four protected areas in the Sundarban are enlisted as UNESCO world heritage sites. Despite a total ban on all killing or capture of wildlife other than fish and some invertebrates, it appears that there is a consistent pattern of depleted biodiversity or loss of species. Ecological quality of the forest is declining. The forest is suffering from increased salinity due to rising sea levels and reduced fresh water supply and mangrove forest in the area is the victims of destruction by unscrupulous elements. Lakhs of people still live in this area and earn their livelihoods from the forest. My earnest request is to save the forest from rampant plunder.

(xvii) Need to provide funds for payment of wage dues under MGNREGA

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): The people in the rural areas of Tamil Nadu and across the country are facing a lot of problems due to more than 6 months delay in payment of wages under MGNREGA.

There is severe fund shortage under MGNREGA in the states. Payment to MGNREGA workers has been stopped for the last six months.

I urge the Central Government to provide adequate funds for MGNREGA wages to the state governments at the earliest.

(xviii) Need to set up a Medical College in Kallakurichi District, Tamil Nadu

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): I request the Central Government to set up a Medical College in Kallakurichi District, Tamil Nadu.

(xix) Need to enhance the pension under Employees Pension Scheme – 1995

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): देश में विभिन्न निजी एवं अर्धसरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक दशा को देखते हुए 1995 में तत्कालीन सरकार ने इम्प्लॉइमेंट पेंशन स्कीम 1995 शुरू किया जिसके तहत इन संस्थानों से सेवानिवृत होने के पश्चात सभी कामगारों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया।

1995 में जो पेंशन की राशि तय की गयी थी वही राशि आज भी दी जा रही है। आज की महंगाई के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 1000/- रुपया दिया जाना उनके साथ अन्याय के समान है। 2012-13 में सरकार राज्यसभा के याचिका समिति के अध्यक्ष श्री भगत सिंह कोशियारी जी ने सभी पर अध्ययन के पश्चात 3 हजार रुपए एवं महंगाई भत्ता के साथ करने की सिफारिश की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सिफारिश को लागू करने के आदेश दिए।

निवृत कर्मचारी समन्वय समिति के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन भी किया है लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक कोई सार्थ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपयुक्त सेवानिवृत सभी कामगारों को कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मिल रही पेंशन की राशि बढ़ाकर 9000/- रुपए प्रतिमाह किया जाय एवं ईएसआईसी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(xx) Need to construct flyover on level crossings in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (कटिहार): मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार, रेलवे डिवीजन मुख्यालय है जो उत्तर-पूर्व रेलवे अंतर्गत में पड़ता है। कटिहार शहर के बीचोंबीच से रेल लाइन गुजरती है। बरौनी से मुकरिया रेल लाइन पर छीटाबारी केएम/2 और बरौनी से कुमेदपुर रेल लाइन पर भगवान चौक केके/1 फाटक बने हैं। ये दोनों फाटक कटिहार शहर में एक ही मार्ग पर लगभग 150 मीटर की समानांतर दूरी पर है। महोदय, यदि इन दोनों फाटकों के उपर एक ओवरब्रिज बना दिया जाय तो सड़क मार्ग का यातायात अवरोधमुक्त हो जाएगा।

माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जनहित में उक्त दोनों समपार फाटक छीटाबारी और भगवान चौक पर एक फ्लाईओवर बनाकर इन फाटकों से यातायात जाम को अवमुक्त कराया जाय जिससे सड़क मार्ग से आवागमन निर्बाध गति बना रहे।

सधन्यवाद।

(xxi) Regarding integration of schemes meant for tackling malnutrition in the country

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Despite economic growth in recent years, in the recent Global Hunger Index, 2019 India is ranked 102nd out of 117 countries. Moreover, a survey by the Ministry of Health has found that currently Indian children and adolescents suffer from high levels of malnutrition. POSHAN Abhiyaan aims to achieve the target of malnutrition free India by 2022, these recent statistics show that in our fight against hunger and malnutrition, we are not headed in the right direction.

Coming to my constituency- Kandhamal, according to the District Human Development Report (DHDR) for Kandhamal the percentage of children in 0-3 year age group under malnutrition (Grade II,III and IV) category is 21.5%. This statistic makes Kandhamal one of the lowest ranked districts with respect to nutritional status of children. One of the main problems we face is with respect to lack of healthcare services due to remote locations, inadequate staffing and infrastructure. Though the Government has introduced a number of schemes which directly or indirectly affect the nutritional status of children, the level of malnutrition in the country is high. I would like to ask the Hon'ble Minister of Women and Child Development whether the Government has any plans of integrating all relevant schemes under one single authority, which will create

synergy and link schemes, and ensure that there is uniformity/clarity in the implementation of such schemes.

Also, data has shown that moving towards a diet which is focused more on nutri-cereals, pulses, milk and poultry has improved nutrition levels in children. I request Hon'ble Minister to keep this in mind while formulating new policies to tackle malnutrition in the country.

I have worked and work with lakhs of young tribal children on a daily basis, giving them a home, ensuring that no one goes hungry, and it is possible to have a malnutrition free India. We just have to focus all our energy on tackling this efficiently and promptly.

(xxii) Need to provide arrears of honorarium due to Madarsa teachers employed under MPQEM and MPEMM schemes of Government of India

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एस.पी.क्यू.ई.एम./एस. पी.ई.एम.एम. योजनांतर्गत कार्यरत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के सामने अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25500 व अन्य राज्यों में कई हजारा मदरसा आधुनिक शिक्षक मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं कम्प्यूटर शिक्षा विगत 26 वर्षों से देते आ रहे हैं। इस महंगाई के दौर में स्नातक शिक्षक को मात्र 6000/- रुपए प्रतिमाह व स्नातक, बी.एड. शिक्षक को मात्र 12000/रुपए प्रतिमाह की दर से दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन शिक्षकों को इस कम मानदेय के बावजूद भी समय पर मानदेय नहीं मिला बल्कि आज भी केन्द्र सरकार पर विगत 3 वर्षों का मानदेय बकाया है। इसके कारण अब तक 24 मदरसा आधुनिक शिक्षकों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों का लंबित बकाया मानदेय भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، وزارات انسانی وسائل کی ترقی کے ذریعہ سنچالِت ایس۔پی۔کیو۔ای۔ایم۔/ایس۔پی۔ای۔ایم۔ایم۔ منصونہ بندی کے تحت کاریرت مدرسہ جدیدیت اساتذہ کے سامنے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اُتر پردیش میں لگ بھگ25500 و دوسری ریاستوں میں کئی ہزار مدرسےجدید تعلیمی مدرسوں میں ہندی، انگریزی، حساب، سائنس و کمپیوٹر کی تعلیم گزشتہ 26 سالوں سے دیتے آ رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں گریجویٹ

اساتذہ کو صرف 6000 روپئیے مہینے کی در سے و پوسٹ گریجویٹ، بی۔ایڈ اساتذہ کو -/12000 روپئے فی ماہ دئیے جانے کا پراودھان ہے۔ لیکن اساتذہ کو اتنے کم محنتانا کے باوجود بھی وقت پر محنتانا نہیں ملابلکہ آج بھی مرکزی سرکار پر گزشتہ 3 سال کا محنتانا بقایا ہے۔ اس کی وجہ سے اب تک 24 مدرسہ آدھونِک اساتذہ کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو چکی ہے۔

جناب، آپ کے ذریعہ میری سرکار سے مانگ ہے کہ مدرسہ آدھونِک اساتذہ کو لمبے وقت سے بقایا محنتانا جلد سے جلد ادا کیا جائے۔

(ختم شد)

(xxiii) Need for construction of flyover at Yerravally cross roads on N.H. 44 in Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): There is an urgent need for construction of new Flyover at Yerravally Cross Roads on National Highway No.44, in Jogulamba Gadwal District, Nagarkurnool Parliamentary Constituency, Telangana. The N.H.-44 is a busy road with vehicles constantly plying. Crossing the road, particularly by the pedestrians and two wheelers, involves a lot of hardship. A large number of accidents take place on this road.

I would, therefore, urge upon the Union Government/Hon'ble Minister of Road Transport & Highways to accord approval with adequate financial support for the construction of the Flyover at Yerravally Cross Roads on N.H.-44, in Jogulamba Gadwal District, Telangana which will help the public to a great extent.

(xxiv) Need to construct a barrage on Sakri river in Bihar

श्री चंदन सिंह (नवादा): प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जमुई, नवादा, शेखपुरा के किसानों का हर साल सुखाड़ की वजह इनकी लहलहाती फसल बर्बाद हो जाती है। नदी जोड़ योजना के तहत सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाने वाली नाटी और सकरी नदी को जोड़ने के लिए यहाँ के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यदि यह योजना का क्रियान्वयन होता है तो जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालन्दा तथा लखीसराय जिले के बड़े भूभाग पर बहुत हद तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सकरी नदी को नाटी में मिलाने के लिए जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालंदा के किसानों के लिए सिंचाई जैसे अति महत्वपूर्ण योजना सकरी बराज निर्माण कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता। सकरी बराज का निर्माण नवादा के गोविन्दपुर प्रखंड के बक्सोती गाँव के समीप सकरी नदी पर बांध बनाकर कौआकोल से दक्षिण नाटी नदी में मिलाना है जिसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। बिहार विभाजन के बाद सकरी बराज का कैचमेंट एरिया झारखण्ड के कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग के इलाके में चला गया। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1977 में जमुई, नवादा, शेखपुरा के कई विधायक व सांसदों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मिलकर योजना पर अमल करने का अनुरोध किया था, लेकिन यह योजना कुछ कारणों के चलते ठंडे बस्ते में चली गयी लेकिन स्थानीय किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और संगठित होकर संघर्ष को तेज किया। परिणामस्वरूप 20 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गोविंदपुर प्रखंड के बकसोती के समीप इस योजना का शिलान्यास किया। प्रस्तावित योजना के अनुसार इसके निर्माण से तत्कालीन मुंगेर जिले का लगभग 29 हजार 286 एकड़ भूभाग का पटवन किए जाने का लक्ष्य था। 20 नवम्बर, 1991 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार ने भी इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर कार्यरूप दिए जाने से संबंधित एक पत्र राज्य सरकार को लिखा था एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी दाखिल कर इस

योजना के निर्माण का आग्रह किया था तथा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर, 2004 को राज्य के जल संसाधन विभाग के आयुक्त सह सचिव को प्राथमिकता के आधार पर योजना पर अमल करने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई पहल नहीं हो सकी, जिसके चलते कृषि पर आधारित नवादा के कृषक हर साल सूखे की मार झेल रहे हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नवादा के गोविन्दपुर प्रखंड के बक्सोती गाँव के समीप सकरी नदी पर सकरी बराज का निर्माण कराया जाये ताकि 40 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था होगी जिससे जमुई, नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिलों के लाखों किसानों को फायदा होगा।

(xxv) Regarding students strike in Jawahar Lal Nehru University due to hike in hostel fee

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): It was brought to my notice by the Jawaharlal Nehru University Teachers Association that the student representatives of the Inter-Halls Administrative Committee were not given voice, when the decision to hike their hostel fees was taken. This fee hike is adding to the burden of already high mess costs that students are bearing because of rising food inflation. It is requested that the Centre make the Report of the High Powered Committee, formed through Ministry of HRD notification on 17th November 2019, public and resolve this matter. It must also consider reinstating the studentships that were cancelled after protests to fee hike started. I urge the Government to engage in dialogue with students and refrain from using violence against student protestors. I also request the Centre to make higher education accessible to everyone by withdrawing the JNU hostel fee hike.

13.50 hrs

ARMS (AMENDMENT) BILL, 2019

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, वैसे तो बिल स्वयं स्पष्ट है। सभी सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं उत्तर भी दूंगा और बिल के बारे में संक्षिप्त में भूमिका रखने का प्रयास भी करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहुत पुराना कानून है और इस कानून के तहत ढेर सारी विसंगतियां थीं, जैसे, गैर कानूनी हथियार उपयोग करने वालों और गैर कानूनी हथियार बनाने वालों में सजा के प्रावधान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। यदि किसी के पास से देशी कट्टा मिलता है या ए.के.- 47 रायफल मिलती है तो दोनों के लिए सजा में विशेष अंतर नहीं है। इसके कारण क्राइम कंट्रोल में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। हमने इसमें खिलाड़ियों को विशेष छूट देने का प्रावधान किया है। बहुत सारे सदस्यों का यह कहना था कि जो व्यक्तिगत लाइसेंस होते हैं, उनमें एक की जगह दो आयुधों की परमिशन दी जाए, उसका भी संशोधन लाकर ऑफिशियल अमेंडमेंट सदन के सामने रखा है और आयुधों की तस्करी, गोला-बारूद, इन सबके लिए विशेष प्रावधान इस बिल के अंदर किए गए हैं। सभी सदस्यों की चर्चा सुनने के बाद मैं चर्चा का उत्तर दूंगा और इस बिल को लाना क्यों जरूरी था, वह भी बताऊंगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this House to the Bill introduced to bring amendments in the Arms Act, 1959. What is the purpose of the original Arms Act? The purpose is to regulate usage and possession of arms in the country. As a Member of the House and a responsible citizen, I do appreciate that laws required to keep pace with the changes in the society. And it is incumbent upon Governments to bring legislations in consonance with the changing social realities.

15.53 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

However, if we go back to historical traditions, the ancient arms bearing tradition of India continues to feed the manpower demand of the current national security establishments of India. The local arms bearing culture of Hindustan keeps the fighting tradition alive in India and continues to motivate our young to lay their lives in the line of fire. A negative consequence of disarming the population by law was the growth of bodies of skilled lathiyals, making of illegal country-arms and smuggling of fire arms. This is the major source of crime today and not the legal licensed fire arms. The licensing fire regime prescribes to ensure that individuals get licenses for their private protection, for crop protection, for purposes of sports and for purposes of arms that have been inherited. What is the usage of licensed arms in the crimes committed? According to the Government's data, approximately 58,000 offences were recorded in the year 2017. Out of which, 419 involved licensed arms. This comes to less than one per

cent of the total. If the idea is to reduce crime, as the Minister said, involving arms, then should we be looking at the licensed arms or the unlicensed arms? In 2017, approximately 63,000 firearms were seized, out of which about 3,500 were licensed. This comes to only 6 per cent. Does this warrant an amendment, a change? While I agree that irresponsible usage of licensed arms is wrong and it should be penalised, I disagree with the proposed Clause 3 of this new amendment. As a Member of Parliament representing Punjab, I must voice my concerns on this.

Punjab is a State with a 553-kilometre long border with the not so friendly State of Pakistan. It has been a witness to terrorist violence on account of militancy in 1980 and 1990, an aspect that needs no further elaboration. These conditions naturally gave rise to a very palpable sense of fear and insecurity.

It is also pertinent to mention that a large number of farmers have, over the years, come to live on farmhouses that are outside their villages where they do not have the comfort and the safety of the main village habitation. The State has over the years granted licences and also issued licences for firearms for crop protection to farmers as provided in the Arms Act. An unintended consequence will be this. When you limit them to one firearm, how will they be able to protect their farmland as different bores have different usages?

The House must look at both the unintended consequences and the intended consequences of this proposed legislative action. I have no doubt that the Ministry of Home Affairs would have examined the different aspects before piloting the Bill. However, as a concerned citizen and a representative of the people of Punjab, I consider it my bounden duty …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam, just a minute, please. The hon. Minister wants to say something.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): हम ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आए हैं और सभी को सर्कुलेट किया गया है । एक जगह दो आर्म्स के लिए इंडिविजुअल लाइसेंस, यानी एक लाइसेंस पर दो आर्म्स लगाने के लिए है । हमने इसको ऑफिशियली सर्कुलेट किया है । माफी चाहता हूं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह आपका हक है, इसमें माफी की कोई बात नहीं है ।

SHRIMATI PRENEET KAUR: Thank you, Mr. Minister for giving this small concession. But we still want the three arms to remain in the Act.

The people of Punjab have been historically classified as a martial race with strong representation in Armed Forces and paramilitary, as have been other citizens from other States. A large number of people have come to possess firearms and take pride in retaining them. There is also a great cultural importance that the citizens belonging to the martial communities attach to them, such as the Ahirs, the Dogras, the Jats, the Rajputs, the Sikhs, etc. and a large

number of these people take pride in retaining them. They have been legal holders of three firearms sometimes across many generations. Suddenly, when they have to deposit it – first it was two; now you are saying one – even that will tantamount to not being in the public interest.

There is another aspect to this that I would like to come to. That is the talent pool for sports representation. Qualified shooters today enjoy holding of multiple guns according to their level of achievements as defined in the Exemption Notification. But, at the same time, there are thousands of shooters who have not reached the prescribed achievement level. This large number of people produces the pool for talent scouting. No sport can survive and expand unless the total number of persons playing the game is large at the grassroots level. In fact, the larger the pool, the higher the chance of finding world-class talent.

14.00 hrs

Today, India is enjoying glory at world level only because of this large pool of talent at the grassroot level which produces the world class shooters. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister wants to intervene.

श्री जी. किशन रेड्डी : मैं आदरणीय संसद सदस्या जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि चाहे राइफल क्लब हो, राइफल एसोसिएशन हो, जो स्पोर्ट्स में शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कोई

चेंज नहीं किया गया है। इसीलिए, आप एक बार ठीक तरह से बिल पढ़कर अपना मत रखें, तो ठीक रहेगा।

SHRIMATI PRENEET KAUR: Thank you, Sir. मेरे पास जो कागज आए थे, उसमें पूरा बिल नहीं था। जो अमेंडमेड्स में शब्द चेंज किए हैं, उसमें वही आया था। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने शूटर्स के बारे में सोचा है और जो स्थिति है, अब वह स्थिति मौजूद रहेगी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

14.01 hrs (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

यह मेरे कन्सर्न्स थे। मैं खुश हूं कि आपने इनको नोट किया है। एक बार फिर जो यह अमेंडमेंड तीन है, आपने एक के बजाय दो किया है। आप इसको फिर से कंसिडर कीजिए और इसको तीन ही रहने दीजिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले भारत के बहुत ही तेजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) सुरेश जी, आप ध्यान से सुनिए, यह आपके भी काम आएगा।...(व्यवधान) विशेष रूप से पुलिस और सुरक्षा बलों से हथियार छीनना और लूटना, अंडरवर्ल्ड द्वारा गन्स का अवैध ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग करना, विदेशी हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन करना और हर्ष फायरिंग करना, इस पर कड़ी सजा को बढ़ाने का जो प्रावधान किया गया है, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदया जी, मैं आज अपनी बात एक वेद मंत्र से शुरू करना चाहता हूं।

'यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यंचौ चरतः सह,

तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना।'

जिस भी समाज में, जिस भी देश में, ज्ञान शक्ति और छात्र शक्ति दोनों साथ-साथ चलती हैं, दोनों का समन्वय होता है और जहां पर अच्छे लोगों का संरक्षण होता है, उनकी सुरक्षा होती है, उनके पास शक्ति होती है, वहीं पर उसी समाज और उसी देश के अंदर पुण्यलोक या स्वर्गलोक का निर्माण हो सकता है। शक्ति अच्छे लोगों के हाथों में रहे, तो समाज और देश का भला होता है। अगर गलत लोगों के हाथों में हथियार और शक्ति चली जाए, तो बहुत ही संघारक है, विनाशक है और वह राक्षस बन सकता है। लेकिन बिना शक्ति के न राज्य चलता है और न ही ज्ञान और विद्या का प्रचार होता है। इसीलिए, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि-

'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते।'

जहां शस्त्रों की झनकार होती है, वहीं शास्त्रों की चर्चा चल सकती है। इसीलिए शस्त्र भी बहुत जरूरी है। बिना शक्ति के, बिना पुलिस के न हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम कर सकती हैं। पिछले

70-72 वर्षों का इतिहास इस बात को दिखाता है कि हमारी पुलिस ने इतनी अच्छी आंतरिक सुरक्षा का निर्माण किया है, जिससे आज हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वे ठीक तरह से काम कर रही हैं। सभापति महोदया, मैं आपके और इस सदन के माध्यम से इस देश के जो लाखों पुलिसवाले हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया जी, भारतीय संस्कृति का एक बहुत अच्छा संदेश है, सभी लोग इस बात को मानेंगे हमारे जितने भी देवी-देवता हैं, सभी के हाथों में हथियार है। आप मूर्तियों को देखिए, किसी देवी की मूर्ति देखिए, किसी देवता की मूर्ति देखिए। यह इस बात का संदेश है कि जो शक्ति है, वह अच्छे लोगों के हाथों में होनी चाहिए। गलत लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा संदेश भी यह है कि लाइसेंस भी अच्छे लोगों को ही दिया जाना चाहिए, गलत लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। देवताओं के पास होना चाहिए, अच्छे लोगों के हाथों में होना चाहिए। जब तक देश में हम लोग इस बात पर, हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा, उस पर हम लोग चलते रहे, अस्त्र-शस्त्रों में हम लोगों ने जंग नहीं लगने दिया, तब तक यह भारत विश्व विजयी रहा। जब हम लोग ने मात्र कुछ संप्रदायों के प्रभाव में आ कर पूरी तरह से अहिंसक बन गए, अहिंसा का पालन करने लगे, सेना रखना बंद कर दिया, हथियारों पर जंग लग गई, तभी यह देश खंडित होने लगा, और अंतत: यह देश गुलाम बन गया।

महोदया, सन् 1857 तक इस देश के अंदर हथियार रखने के बारे में कोई कानून या कोई नियंत्रण नहीं था। इस देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। विशेष रूप से उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जोरों से क्रांति हुई। हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हैं। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए क्रांति की, अंग्रेजों की खिलाफत की। अवध की बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी। आरा, बिहार के कुंवर सिंह थे, उन्होंने भी किया। लेकिन मैं आपको यह जिक्र करना चहता हूँ कि हमारे बागपत में ही दिल्ली के पास कोई रियासत नहीं थी। वहां

के बाबा सामल ने छह हजार किसानों को इकट्ठा कर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। सन् 1857 के बाद पहली बार अंग्रेजों का झंडा, जिसको हम यूनियन जैक बोलते हैं, उसको उतार कर ओम का झंडा सन् 1857 में लगाया। एक तरफ तो यह माहौल था। अंग्रेजों ने देखा कि जिन लोगों के पास हथियार हैं, रियासत नहीं है, तब भी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं तो सन् 1857 के बाद यह किया गया कि लोगों के हथियार जमा कराए जाएं। एक तरफ यह माहौल था। दूसरी तरफ यह माहौल आया कि सबसे पहले इस देश में जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उनमें से महर्षि दयानंद ने सन् 1874 में सबसे पहले लिखा। बहुत लोगों ने शायद किताब में पढ़ा भी होगा, उनका लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश है। उनको मैं कोट करता हूँ कि –

> " अब अभाग उदय से, और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, प्रस्पर के विरोधी यह आर्यव्रत विदेशियों के पादाक्रंत हो रहा है, ये हमारे दुर्दिन हैं, कोई कितना भी करे, परंतु जब स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मतमतांतर के आग्रहरहित अपने और पराए का पक्षपात सुन प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज सुखदायक नहीं है। "

यह पहली बार महर्षि दयानंद ने घोषणा की थी। मुझे लगता है कि जितने भी महापुरुष इस देश में हुए हैं, 19वीं शताब्दी के अंदर केवल मात्र महर्षि दयानंद ऐसे थे, जिन्होंने स्वराज का बिगुल सबसे पहले बजाया था। यह जो इस प्रकार का उस समय चल रहा था, कांग्रेस ने सन् 1929 के अंदर स्वराज की मांग की थी। उससे पहले सन् 1874 में महर्षि दयानंद ने यह कहा था। इसलिए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने यह लिखा है, अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद इस देश के राष्ट्रपितामह होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आजादी का बिगुल महर्षि दयानंद ने इस देश के अंदर बजाया था। इन बदलते परिवेश में आजादी की क्रांति एवं स्वामी दयानंद की अलख ने अंग्रेजों को सचेत कर दिया और इसलिए सबसे पहले हथियार रखने पर पांबदी करने के लिए सन् 1878 में सबसे पहले अंग्रेज लोग आर्म्स एक्ट ले कर आए। लॉर्ड लिटन उस समय के

वॉयसरॉय थे। हथियारों के बारे में बारे इतनी जबरदस्त पाबंदी लगाई गई कि बिना परमिट और बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय न हथियार बना सकता था, न बेच सकता था, न रख सकता था और न हथियार ले कर चल सकता था। केवल ब्रिटिश और एंग्लो इंडियंस को इस मामले में छूट दी गई। लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। हथियारों में केवल रिवॉल्वर, पिस्टल और बंदूक ही नहीं थे, लेकिन संगीन, खड़ग, तलवार भाले, नोक, धनुष बाण आदि सब पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी। श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस कानून को कहा था, जब 1878 का कानून आया उन्होंने कहा कि a badge of racial inferiority and humiliation for all Indians. ऐसा सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने इस कानून के बारे में लिखा था कि यह जातीय भेद का शिकार, तथा भारतीयों की बेइज्जती करने का कानून है। महात्मा गांधी ने इस कानून के बारे में कहा था कि यह जो कानून है, यह ब्लैकेस्ट कानून है। सबसे बड़ा काला कानून है। इसने सारे देशवासियों को एकदम से नि:शस्त्र कर दिया। सन् 1918 में गांधी जी ने जहां इस कानून की भर्त्सना की, वहीं पर वर्ष 1918 में एक पेम्फ्लैट निकाल कर भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए भी आह्वान किया।

इस दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। मुझे मालूम नहीं कि अंग्रेजों की मदद के लिए फौज में भर्ती होने के आह्वान में, बाद में हो सकता है कि महात्मा गांधी जी ने बाद में कभी पश्चाताप भी किया हो, मुझे नहीं मालूम है। उनकी अपील के कुछ महीनों के बाद ही इस देश के अंदर रोलेट एक्ट आया, जिसको ब्लेकेस्ट एक्ट कहते हैं। रोलेट एक्ट उससे भी ज्यादा भयंकर कानून था, जिसमें न कोई दलील थी, न कोई बेल थी और न कोई अपील थी। इस तरह का कानून इस देश के अंदर आया। इंडियन पीनल कोड, 1860 है, उसके तहत लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया, उसमें साधारण अपवाद दिए गए धारा 96 से लेकर 106 तक, उसके भी खिलाफ यह 1878 का हथियार का कानून था। आत्मरक्षा का कानून सब को है और सर्वप्रथम है, सब को प्राप्त है। भारत आज़ाद हुआ और वर्ष 1959 में हमारे देश में आज़ाद भारत का आर्म्स एक्ट, 1959 बोलते हैं, वह

कानून आया। सरकार ने लोगों की आत्म रक्षा और सम्पत्ति के अधिकार को पुन: महत्व देते हुए एक लाइसेंस और परमिट के ऊपर तीन-तीन हथियार तक देने का प्रावधान किया। अनुभव यह कहता है कि लाइसेंसधारकों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया। ऐसा इस देश का पिछले 70-72 वर्षों का रिकार्ड यह दिखाता है कि जिनको लाइसेंस मिले, जिनके पास लाइसेंस के हथियार थे, उन्होंने काफी जिम्मेदारियों से काम किया और आँकड़े इस बात को कहते हैं। आंकड़ों में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है कि लैस देन वन परसेंट जो है, लाइसेंस वाले जो लोग थे, वे अपराधों में इन्वॉल्व हुए या उनका दुरुपयोग हुआ। आर्म्स एक्ट को लागू करने में समाज में कुछ दिक्कतें आईं, पुलिस को कुछ दिक्कतें आईं तथा कुछ कमियां भी इसमें नजर आईं। वर्ष 1988 में इस कानून में संशोधन हुआ, पर वह कोई ज्यादा पर्याप्त नहीं था। हथियार कानून के बारे में चर्चा करते समय तीन-चार बातें बहुत विशेष महत्व की हैं।

सभापति महोदया, लोग हथियार क्यों चाहते हैं? एक तो यह है कि सब लोगों को आत्म रक्षा करने का, अपनी जान-माल की रक्षा करने का, अपने पड़ोसी का और अपनी इज्जत की रक्षा करने का अधिकार कानून ने दिया है। नंबर 2, असुरक्षा की भावना– जब समाज में असुरक्षा की भावना होती है, अगर हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमको लगता है कि हमको हथियार चाहिए। लाइसेंस अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो बहुत से लोग अवैध हथियार लेने की कोशिश करते हैं और अनुभव यह दिखाता है कि आज अवैध हथियार समाज और देश के अंदर है, उसमें यह नहीं है कि सब आदमी, जिनके पास अवैध हथियार है, सब सही हैं। कानून की नजर में वे अपराधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, क्योंकि उनको असुरक्षा लगती है, इसलिए लोग दूसरी तरह के हथियार अपने पास रखना पसंद करते हैं।

कुछ लोगों के पास परम्परा से, बाप, दादा से हथियार आए हैं। वह अफेक्शन का मामला है, इसलिए वे हथियार रखते हैं। चौथे किस्म के वे लोग हैं, जो दिखाने के लिए, हम लोग बोलते हैं कि गन

रोमांटिसिज्म है, गन हाथ में होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसके कारण से लोग हथियार रखने लगते हैं। कुछ जन प्रतिनिधि, मैंने देखा है कि स्टेटस सिम्बल है। हथियार वाला आदमी होना चाहिए। हथियार वाला, लाइसेंस वाला नहीं रहता, जिनके पास दूसरे हथियार हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनका रुतबा भी बढ़ता है, सुरक्षा भी होती है। इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे लोग भी समाज के अंदर हैं । पांचवीं किस्म के अपराधी तत्व हैं, जो अपराधी हैं, नक्सल्स हैं, एक्स्ट्रीमिस्ट्स हैं, आतकंवादी हैं, जिन्हें अपराध के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या पुलिस और फौज पर हमला करने के लिए हथियार चाहिए। इनकी संख्या काफी ज्यादा है। देश के अंदर जो नम्बर ऑफ लाइसेंस हैं, वह लगभग 34 लाख के आस-पास लाइसेंस हैं। इनसे थोड़े से कम हथियार हैं, जितने लाइसेंस हैं, उनसे थोड़े कम हथियार हैं। बिना हथियार के लाइसेंस की संख्या लगभग 5 लाख के आस-पास हैं। उसमें दिया है कि 14.5 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, लेकिन हथियार नहीं हैं। एक हथियार वाले लाइसेंस लगभग 79 परसेंट, 27 लाख के आस-पास लाइसेंस हैं । दो हथियार वाले लाइसेंस लगभग 2 लाख 10 हजार लगभग 6 परसेंट है। तीन हथियार वाले लाइसेंस लगभग 1 परसेंट है। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स, खिलाड़ियों को लैस देन 4 हजार पूरे देश के अंदर लाइसेंस दिए गए। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने नेशनल डेटाबेस फॉर आर्म्ड लाइसेंस बनाया। वर्ष 2013 से पहले लोगों को यह मालूम नहीं था कि इस देश के अन्दर कितने लाइसेंस हैं, किस जिले में कितने लाइसेंस हैं, किस राज्य में कितने लाइसेंस हैं । इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा । आजकल यूनिक आइडैंटिफिकेशन सिस्टम हो गया है। उससे मालूम चलता है कि किसके पास लाइसेंस है। उदाहरण के लिए दिल्ली शहर में लगभग 39,000 लाइसेंस हैं, मुम्बई में केवल 15,000 ही लाइसेंस हैं।

महोदया, मैं बागपत जिले से आता हूं। बागपत जिले में, जहां लगभग 9-10 लाख की आबादी है, वहां 5,000 से कम लाइसेंस हैं। देश के सामने हथियार, लाइसेंस के बारे में जो मुख्य समस्या है, वह हम सब के सामने और सरकार के सामने यह है कि आज अवैध हथियारों की भरमार है। जितने

लाइसेंस हैं, जितने के बारे में पुलिसवाले बताते हैं, मुझे लगता है कि उससे कम से कम दस गुणा ज्यादा अवैध हथियार इस देश के अन्दर होंगे। उनका बनना, ट्रांसपोर्ट होना, बिकना, प्रयोग होना जारी है, चाहे ये अन्डरवर्ल्ड के पास जाएं, चाहे नक्सली लोगों के पास जाएं।

इसकी दूसरी समस्या है - गलत लाइसेंस बनना। हमारे देश में जिलों में एस.पी., कलक्टर के यहां, डी.एम. के यहां, जो फाइनल ऑथोरिटी है, वहां पर अभी भी बहुत से केसेज़ ऐसे हैं कि लाइसेंस गलत लोगों के बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं, मैं उस पर आगे बताऊंगा।

तीसरी बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुलिस से हथियार छीनना, उन्हीं के खिलाफ इसका आपराधिक प्रयोग करना, इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं तो एक सर्वे के मुताबिक, मुझे नहीं मालूम कि यह सर्वे कितना सही है, पर एक सर्वे में बताया गया है कि देश के अन्दर 6 करोड़ 14 लाख अवैध हथियार हैं। लाइसेंस हथियारों से लगभग 18 गुणा ज्यादा अवैध हथियार हैं। मुझे लगता है कि इसकी संख्या इससे भी ज्यादा होगी। वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2017 तक लगभग 35,000 अवैध हथियार और लगभग डेढ़ लाख अवैध कारतूस सामान्यत: हर साल पकड़े गए, लेकिन जितने पकड़े जाते हैं, उनके बारे में मुझे लगता है कि वे दस प्रतिशत भी नहीं हैं, ऐसा मैं पुलिस में अपने काम के अनुभव से बता सकता हूं।

महोदया, दुनिया को मालूम है कि इसके कारण गम्भीर अपराध होते हैं। अंडरवर्ल्ड का मुम्बई, अहमदाबाद, इन्दौर, यू.पी. जैसी जगहों में जो इतना पावर बना, उसका मुख्य कारण यही था कि उनके पास ये हथियार और फायर आर्म्स आने लगे। वर्ष 1970 के दशक में, उदाहरण के लिए मुम्बई में अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास, माफिया लोगों के पास चाकू-छुरे होते थे। वर्ष 1980 आते-आते इनके पास रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स आने लगे और जैसे-जैसे इनके पास अवैध हथियार आने लगे, तो पहले वे शराब का अवैध व्यापार करते थे, स्मगलिंग करते थे, लेकिन उसके बाद वे धीरे एक्सटॉर्शन का गुनाह

करने लगे, लोगों को धमकियां देने लगे। अगर लोग उन्हें पैसे नहीं देते तो ये लोगों को गोली मारने लगे। वर्ष 1990 आते-आते, मैं उदाहरण के लिए यह बोल रहा हूं, हमारे अरविंद सावन्त जी यहां बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि उस समय मुम्बई शहर इतना असुरक्षित हो गया कि कोई भी बड़ा व्यापारी, कोई भी आदमी अपने बच्चों की शादी किसी फाइव स्टार होटल में करने से डरने लगा, बड़ी गाड़ी खरीदने से डरने लगा, फ्लैट खरीदने से डरने लगा। वर्ष 1990 के आस-पास वहां की हालत इतनी खराब थी और यह उन हथियारों के कारण थी, जो अंडरवर्ल्ड के पास थे। अंडरवर्ल्ड में जो लोग थे, उनमें काफी लोग हमारे यू.पी. के थे, बिहार के थे। यहां से ये रिक्रूट होकर वहां गए और उनके बड़े-बड़े गैंग वहां बने। शुरू में तो हाजी मस्तान, युसूफ पटेल थे। अब्दुल लतीफ अहमदाबाद का था। ये लोग वहां आए। मुम्बई के अन्दर दाउद इब्राहिम आ गया, अरुण गवली आ गया, अमर नाईक आ गया। वर्ष 1993 के बाद छोटा राजन भी आ गया। उसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोग भी धीरे-धीरे बढ़ते गए और जैसे लोग जमीन बाँटते हैं, उसी तरह ये लोग शहर को भी बाँटने लगे कि यह मेरा ज्यूरिस्डिक्शन है, यह तुम्हारा ज्यूरिस्डिक्शन है। इसमें तुम काम करोगे, इस तरह वहां होने लगा और यह केवल अवैध हथियारों के कारण हुआ। इन अवैध हथियारों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएं, इसलिए यह सब हुआ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा कारखाना, जैसा कि मैं नाम सुनता हूं और वह अभी भी होगा, वह बिहार में मुँगेर जिले में मिर्जापुर वर्धा एक जगह है, वहां है। यह सारी दुनिया को मालूम है कि मिर्जापुर वर्धा में सभी तरह के हथियार बनते हैं और वहां से ये बिकते हैं। लेकिन, फिर भी यह सब चल रहा है। इसके अलावा, जैसे बिहार में मुँगेर है, वैसे ही मध्य प्रदेश में खरगौन है। पिछले बीस-तीस सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि खरगौन में सब तरह के हथियार मिलते हैं। मेरठ के हमारे राजेन्द्र अग्रवाल जी बैठे हैं, मेरठ में यह होता है। हमारे शामली जिले का कैराना है, मुज़फ्फरनगर का जौला है। ये कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां पर आप किसी भी तरह का

अवैध हथियार ले सकते हैं। हमारे देश में बाहर से भी अवैध हथियार आते हैं। अण्डर वर्ल्ड के पास पता नहीं कितने हथियार आए, उनके पास नेपाल तथा बंग्लादेश के रास्ते से हथियार आते थे। बहुत लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान के पेशावर में दर्रा आदम खेल है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा अवैध हथियारों का कारखाना है। वहां कारखाने ही कारखाने हैं। आपको किसी भी तरह का हथियार मिल सकता है। वहां से आप पिस्टल से लेकर, ए.के.47, मशीन गन तथा एंटी एयर क्राफ्ट तक खरीद सकते हैं। वहां से होकर बांग्लादेश तथा नेपाल के रास्ते हमारे देश में काफी अवैध हथियार आते हैं।...(व्यवधान)

मैडम, अभी मैं फर्स्ट स्पीकर हूं, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरा दूसरा मुद्दा है, कुछ जगह ऐसी है, जहां से डीएम तथा पुलिस के बिना जांच किए भ्रष्टाचार के तहत काफी लाइसेंस बनाने के केस सामने आए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी इस तरह के बहुत लाइसेंस बने हैं। नागालैंड में भी इस तरह के लाइसेंस बने हैं। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सीबीआई का केस हुआ। केवल मुम्बई शहर के अंदर हम लोगों ने ऐसे 600 लाइसेंस पकड़े हैं, जिनको जम्मू-कश्मीर तथा नागालैंड से बनाकर लोग लाए हैं। मेरा कहना यह है, उसको असला बाबू बोलते हैं, जो डीएम के ऑफिस में रहते हैं। अभी राजेन्द्र अग्रवाल जी बोल रहे थे। यह इतना कमिटेड पोस्ट है कि इन मामलों में वहां बहुत भ्रष्टाचार होता है। हमें वहां ध्यान देने की जरूरत है कि इतनी गड़बड़ी क्यों होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि देश और समाज में जो खतरा अवैध हथियारों तथा नक्सली इंसर्जेंट से है, वे पुलिस तथा फौज पर हमला करने का दुस्साहस करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए हथियार कानून में जो बदलाव लाया गया है, मेरा विश्वास है कि यह बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा।

सभापति महोदया, मेरे कुछ सुझाव भी हैं। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। पहला, प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक राज्य में अवैध हथियारों के नियंत्रण के लिए एक इल्लीगल आर्म्स कंट्रोल सेल बनाना चाहिए। यह आज तक नहीं है। अवैध हथियारों के बारे में एक सेल बनाया जाए और उनको यह

काम दिया जाए कि इस देश के अंदर जितने भी अवैध हथियार हैं, उनकी अवस्थापना कीजिए। दूसरा, आर्म्स एक्ट में हथियार कानून के अंदर जितने भी आरोपी है, उनको एंटी सेपेटरी जमानत नहीं दी जाए। बिहार के अंदर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। बिहार में उस समय डी.जी. अभयानंद जी थे। उस जमाने में उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के जितने भी केस हैं, ज्यादातर लोग आर्म्स एक्ट में पकड़े जाते हैं और जल्दी ही बेल पर वापस आ जाते हैं। उन्होंने जुडिशियरी से बात करके, अभी के जो मुख्य मंत्री है, उनसे भी बात करके इन सभी की जमानत कैंसिल की गई। इसके लिए बहुत ही फास्ट ट्रायल हुआ। अगर आप बिहार के वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के आंकड़ें देखें, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। वहां कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है, केवलमात्र आर्म्स एक्ट के अंदर कानूनी कार्रवाई करने से बहुत हद तक स्थिति सुधरी है। केवल छह महीने के अंदर उनको सजा दी गई।

महोदया, मेरा एक और निवेदन यह है कि डीएम और एसपी की ए.सी.आर. में, उनके क्षेत्र में लोग यह सोचते हैं कि अरे, मेरे जुरिस्डिक्शन में अगर कोई हथियार बना रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग बाहर जाकर क्राइम करते हैं, उनके ए.सी.आर. में एक नोट लिखा जाए कि इल्लीगल हथियार के बारे में इन लोगों ने क्या किया है। जैसा मैंने कहा कि लाइसेंस बनाने के लिए हमें बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा एक और निवेदन यह है कि वर्ष 1984 में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी आई, हम बाहर से जो हथियार इम्पोर्ट करते थे, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। हमारे देश के अंदर अच्छी क्वालिटी के वेपन तथा स्मॉल आर्म्स नहीं बनते हैं। सरकार से मेरा निवेदन यह है कि क्या इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए कि यह जो वर्ष 1984 इम्पोर्ट पॉलिसी है, उसको दोबारा शुरू किया जाए? इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए।

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो रिवॉल्वर तथा पिस्टल बनते हैं, अगर उनकी कीमत भी थोड़ी रीजनेबल रखी जाए तो अच्छा रहेगा। अगर लोगों को आराम से हथियार मिलेगा तो वे इल्लीगल

आर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे। आप लोगों ने एक लाइसेंस पर दो हथियार अलाऊ कर दिया तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का उस बात के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

अंत में, मैं आशा करता हूं कि इस देश के तेजस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश बने, मैं अपनी बात एक उदाहरण से कहना चाहता हूं। महाभारत में एक उदाहरण आता है, भीष्म पितामह शर-शैय्या पर पड़े हुए हैं और युधिष्ठर उनके पास जाते हैं। युधिष्ठर उनसे उपदेश मांगते हैं कि भीष्म पितामह जी, मैं अभी राजा बन गया हूं, अब मुझे कुछ उपदेश दीजिए कि राज्य कैसे चलाया जाए। उन्होंने कहा कि

'स्त्रियश्च पुरुषांच मार्गं सर्वालंकार भूषिता ।
निर्भया प्रतिपद्यन्ते यदि रक्षित: भूमिप: ।।'

उन्होंने कहा कि जहां स्त्री और पुरुष सारे अलंकार पहन कर अगर सड़क पर जा सकते हैं, निर्भय होकर घूम सकते हैं, तब हम कहेंगे कि देश सुरक्षित है। हमारा देश ऐसा सुरक्षित बने। मेरा पूरा विश्वास है कि इससे अवैध हथियारों पर कंट्रोल होगा। ऐसे लोगों के लिए सजा बढ़ाई गई है और नियम में यह किया गया है।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Madam, thank you for giving me this opportunity to say a few words on the Arms (Amendment) Bill, 2019. There are two major changes. Apart from these two, the other change is that a number of firearms can be kept by a person. Firstly, the definition of new offences; secondly, enhancement of punishment. I want to mention a few international Conventions, out of which, I think, the Bill has come out.

There is a need to revisit the circumstances for bringing the Arms Act, 1959. The Bill, in the present context, is having a root in the United Nations Conventions. The illicit proliferation of firearms and misuse of them is a great curse in these hectic days. By reading this Bill, I can understand the circumstances for revisiting the Act. The circumstances are increasing the organised crimes by using illicit weapons; a growing number of licenses for arms, which need more regulations; and inadequate punishment for the offences committed for using the weapons. On these three footings, the Bill stands.

Madam, in 2001, the most intense effort came into existence through the United Nations. The United Nations Small Arms Conference was held in New York. The primary purpose was to consolidate and coordinate small arms initiatives and develop an agenda for action. The resolving agenda for action contains recommendations for various governments – national, regional and global – as to how to follow up roadmaps in this regard.

As part of this agenda, the United Nations have taken up the issue of small arms and proliferation of arms in the United Nations Security Council and the United Nations General Assembly. In consequence of these two incidents, the United Nations Security Council took cognisance and the United Nations General Assembly took cognisance. Over these issues, another Conference was comprehensively held in the name of the United Nations Conference on Illicit Trade and Light Weapons a year back, which resulted in an international Programme of Action (PoA) on Illicit Arms. It was decided in the Conference to have a clear and comprehensive set of laws, regulations and administrative procedures that covers all aspects of manufacture, transport, storage and disposal of arms. These are the pre-requests for an effective national response to an illicit proliferation and misuse of arms.

I hope, all these Conventions and deliberations in the Conventions might have been kept in mind by the Government while bringing this Bill. In that sense, broadly, I welcome the measures taken by the Ministry of Home Affairs. This is the Bill essentially needed in this context.

Coming to the Act, I would like to simply make two suggestions. Section 25 of this Bill gives a new definition for the organised crime syndicate, in which any person can be involved in an offence. “The Explanation – For the purpose of sub-sections (6) and (7) – ‘Organised crime’ means any continuing unlawful activity by any person, singly or collectively, either as a member of an organised crime

syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence or threat of violence or intimidation or coercion, or other unlawful means, with the objective of gaining pecuniary benefits – Madam Chairperson, please see 'pecuniary benefits' – or gaining undue economic or other advantage for himself or any person."

So, the sole intention of the Bill is to punish those people who are indulging in an unlawful act which was meant for pecuniary benefits, gaining undue economic or other advantage. My humble submission to the hon. Minister is that it should not be only advantages because, sometimes, the crime is not committed only for pecuniary advantages. The crime can be committed on the basis of the principle of antagonism against a person or a group. When someone's philosophy, principle or some policy does not suit the other person or a group of people, then a rivalry or a conflict occurs between them and a crime will be committed by both of them. That is not addressed in the Bill. I request the hon. Minister that this point must be kept in mind.

Madam, I have another small suggestion. Regarding the punishment, sub-section (9) says, "Whoever uses firearm in a rash or negligent manner in celebratory gunfire so as to endanger human life or personal safety of others shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to two years…". Madam, the offence may be by way of use of firearm in a rash or negligible manner. The celebratory gunfire in a celebration is in order to show strength; there is no intention to harm anybody but apprehension or threat may be there.

The Government has given the provision of punishment of two years. I think, seizure of licence, punishment for minimum six months, fine or something like that can be done for this purpose because punishment for two years is too much for a celebratory gunfire. So, my humble submission is that these two suggestions can be taken into consideration.

We are talking about the misuse of a weapon by an individual, but what about the misuse of a weapon by the armed forces? A person can be permitted to use a gun or a firearm for self-defence. What about the Government sponsored act by the armed forces or State police? One year ago, in Tamil Nadu, there was an agitation by the people against the Sterlite Plant as it was creating pollution. It might be known to everybody. A huge group of people protested to close the Sterlite Plant. It is a common cause. People were sitting peacefully in front of the Collectorate but the State police fired at the people, not following the norms prescribed under law; they aimed at particular persons who carried out the agitation for years together, those who were the leaders and who were the front runners in the agitation. The Police fired at them using the telescope. It is absolutely a brutal murder committed on the part of the State Government. The Chief Minister of Tamil Nadu did not give any condolences. He did not even admit either on the floor of the House or outside that there was a shooting at all. He simply said that thirteen persons were killed. So, this type of excess of power

which is used by the State’s armed forces must be regulated. Some provisions must also be brought into account. With these words, I commend the Bill.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, as far as the Arms (Amendment) Bill, 2019 is concerned, there is a new provision being sought to be made vide Clause 2*(ea)* for granting licences. But what are the guidelines for granting such licences? What would be the criteria? Who will get the licences? The guidelines for issuance of licence should be stricter. I find that the Bill which has been brought is in keeping with the judgment of the Supreme Court delivered in 2012.

I would like to seek some clarifications in this regard. Before that, I want to state a few facts. Seizure of illegal weapons increased by 11.5 per cent between 2014 to 2016. Seizure of arms is done under the Arms Act. I have the NCRB figures of illegal arms seized up to 2016. The State of Uttar Pradesh is at first position as far as unauthorised arms seizure is concerned with a total of 27,850 arms, that is 46 per cent of the total arms seized. Next comes Madhya Pradesh with 9,269. Then comes Rajasthan with 6,840. Then comes West Bengal with 3,311. Next comes Bihar with 2,821. So far, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir are the two top States in the country where respective District Administrations had issued more than three lakh gun licences.

Now, the question is, what should be the criteria to decide as to who will get the licence. About seven people are arrested every hour in India with illegal weapons. That is the situation obtaining in the country now. I would seek certain

clarifications now and request the Government to see if they could include the points in the rules in future.

It can be seen that private security agencies are seeking licences and they, in turn, are providing firearms to private security guards. The question is, whether private security guards who are carrying those firearms are authorised to do so. It has now become a status symbol for a few rich people, a few politicians or others to engage private security guards carrying firearms for their security. Who are these firearms issued to? They are not issued to a person to protect or guard any other person. Even when the police personnel carry firearms, they do not display them to be seen by the general public. But you can clearly see the private security guards going around with firearms. The impression that the general public gets is that these rich people are being protected by Black Cat commandos.

Let us assume one can use a firearm for self-defence. If one has hired a security person, and if he is attacked, though the private security person is usually not attacked, can he use a firearm? There must be check and balance. I would request the hon. Minister to look into this subject which is now a big phenomenon. They think that unless it is there, there is no status! Status has to be done away with.

My next concern is to have private security guards with arms. So far as the security agency is concerned, do you think that rules and acts permit to grant

such type of licences to any security agency who may gain say, 15, 20, or 30 per cent profit and give firearms for the purpose when it is being hired? This is a matter of great concern.

Illegal trading of arms business has been increasing. Today we find that even a child, not a minor child, is also carrying illegal arms. One month back, one incident happened, I have forgotten the name of the State. A minor boy had fallen in love with a girl. That girl loved another person. And that boy who was carrying the firearm killed the girl. How can such incidents be stopped?

Another point is this. U.P., Jammu & Kashmir, Patna, and Munger district of Bihar have become a hub of manufacturing illegal arms. Why is it so in the border areas? Border security forces are not very much proactive to seize illegally transported firearms. In the border areas, Border Security Force has to be vigilant. So, these are the places where it has to be done very seriously.

Now, Madam, I would like to point out that Azamgarh and Muzaffarnagar, Uttar Pradesh have acquired notoriety as manufacturing hubs. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप टोका-टोकी मत कीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI KALYAN BANERJEE: The gun that killed Gulshan Kumar was a made in Bamhaur. So, necessary steps should be taken in this context.

माननीय सभापति: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, the Supreme Court has passed an order in which a bench of Justice K.S. Radhakrishnan and Dipak Misra said: "Proliferation of arms and ammunition, whether licensed or not, in the country disrupts the social order and development, vitiates law and order situation, directly contributes towards lethality of violent acts which needs to be curbed. We are sorry to note that the law enforcing agencies and to a certain extent, the courts in the country always treat the crimes lightly without noticing the havoc they can create, to the ordinary peace-loving citizens of this country, to the national security and to the integrity and unity of this nation." The Supreme Court again stressed the importance of avoiding the minimum sentence under the law at least for three years. Now, you have made it five years. This is incommensurate with the views expressed by the hon. Supreme Court. As far as the Arms Act is concerned, today every agency should be more proactive. The border area, where the Central forces are posted, is a route of illegal transfer of arms; arms are either trafficked to this side or to the other side of the border. The Border Security Force should be more proactive. All the State agencies have to be more proactive in this matter. Earlier, a person could have kept three weapons. Now, it has come down to two or one. What is the necessity of keeping a weapon at all? A perfect

man does not require any arms. We do not require any arms. If the Government is giving us security, it is all right. If not, that is all right. Why is a weapon required?

There are rifle clubs where shooters get their training. What are the guidelines and the criteria as far as rifle clubs are concerned? There are arms dealers who will be dealing with arms and ammunition. What are the criteria for them? How are they checked? Are there any rules or guidelines about how it can be done? These are some of my points and clarifications. If the hon. Minister responds, I will be very happy.

This part of the Act, which I am now going to mention, has to be applied more strictly. There are people who indulge in illegal arms trading. Some people keep four or five persons as private security just for status. Sometimes, very few politicians, who have not been given the security, have three or four persons dressed like black cat commandoes. This should be stopped. Even the bouncers carry weapons with them. Actors, singers etc. have six to eight armed bouncers with them. The Government should make a comprehensive law in this regard. I am thankful to the hon. Minister who has very patiently heard me. Thank you.

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Chairperson, Madam, thank you for giving me this opportunity to speak on the Arms (Amendment) Bill 2019. The legislation dealing with the acquisition, possession, use, manufacture, transfer, sale, transport, export and import of arms and ammunition is contemplated in the Arms Act of 1959. The Act also provides for penalties for contravention of provisions given in the Act. From a perusal of the various provisions of the Act, it is evident that the Act needs updation with time and developments in the arms scenario in India. Madam, with the passage of time, the menace of illegal weapons is on the rise. These weapons have created a spike in organized crime in many parts of the country.

The advancement in technologies has made matters more gruesome as firepower of illegal firearms can now be made at par with legal ones. The sophistication of weapons is also such that it becomes more difficult to identify illegal weapons. Law enforcement agencies, thus, have a tough time in identifying and establishing the illegality of weapons.

Due to rise of fire power, illegal weapons will cause much more harm than before and will be a serious cause for concern in our internal security considerations. Illegal weapons are not only manufactured and traded within India but also outside the country. Transport and smuggling of such illegal weapons is a vital link in creating a spike in the supply of such weapons. Such trade occurs across the entire border of India which is an offshoot of the global nexus of illegal

weapons trade. As the geopolitical scenario further deteriorates in our neighbourhood and across the globe, it becomes pertinent to nip this supply chain through stronger legislation that can curb the demand to begin with.

In this context, an amendment to the Arms Act, 1959 becomes important for the internal security of the country, for the security of our citizens, and in our fight against the global nexus as well. Stricter and more commensurate punishments are needed to act as an effective deterrent against illegal weapons.

The Bill enhances the period of arms licences from three years to five years and also provides to issue arms licences in electronic form. The enhancement of the period is in the spirit of convenience to legitimate users of arms by reducing the frequency of interaction with the bureaucracy. The electronic form licence issuance will also help curb red-tapism.

There are some suggestions from my side. I would like to suggest to the hon. Minister, through you, to incorporate the following suggestions. Whoever threatens any person at the point of arms to commit any other offence shall be punished with imprisonment either a term of description which may extend to two years or with a fine up to Rs. 20,000 or both. Secondly, every offence under this Act shall be cognisable and non-cognisable within the meaning of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974). The third suggestion is the deletion of

section 39. The existing section 39 may be deleted as it calls for unnecessary delay and technical problems.

Before concluding, I would like to remind this hon. House that before become a Member of this august House, I was in the Andhra Pradesh State Police Department and I fully understand the intent of the Government in bringing this Bill. I would like to congratulate the hon. Home Minister Shri Amit Shahji for bringing this Bill, given the internal security situation in India and the rise in gun usage.

Thank you.

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Madam, thank you for allowing me to speak on the Arms (Amendment) Bill, 2019. I support the Bill.

Currently, in India there are approximately 4 million arms licences. It is being observed that possession of illegal firearms, that are used to commit crime, has increased and, therefore, the Arms Act, 1959 is being amended to regulate the acquisition, possession, sale, use, manufacture, transport, export and import of arms. This will ensure reduction in violence and will remove the use of illegal weapons in the society.

Still, there is an issue of firearms that have been in the family for generations. Most of these weapons are old, making them obsolete. The inherited weapons are treasured items for such families and they are not for any use. Recently, the Government has amended the Arms rules to allow private manufacturers to produce firearms. Now, the Government wants to restrict the ownership to one weapon. In such a case, the market of firearms will get affected since the citizens will be allowed the ownership of only one weapon. According to the National Crime Records Bureau, licenced firearms hardly contribute to the growing crime in the country.

The Government *via* the Arms (Amendment) Bill, 2019 seeks to introduce an amendment to the Arms Act, 1959. The proposed law will not only decrease the number of licenced firearms that a person can keep in possession but also will

increase the penalty for certain offences under the Act. I am of the view that a person can obtain firearm licence for only one weapon instead of three. In cases where a person has more than one firearm, after the commencement of the proposed Act, he has to deposit the remaining firearms within one year. Failure to do so will lead to cancellation of the licence within 90 days from the date of expiry of one year.

The validity of the licence has been increased from three years to five years. The Act bans the manufacturing, sale, use, testing, transfer, and conversion of firearms without a licence. The punishment for manufacturing, sale, transfer, conversion, repair, testing of firearms without a licence is imprisonment for a minimum term of seven years, which may extend to life imprisonment. The previous prescribed punishment was imprisonment for a minimum term of three years, which may extend to seven years. Punishment for acquiring or possessing a prohibited arms or ammunition is imprisonment for a minimum term of seven years, which may extend to fourteen years. Previous prescribed punishment was imprisonment for a minimum term of five years which may extend to seven years.

The proposed Bill has inserted a new clause with respect to organised crime syndicate. The possession, manufacture, sale, and transport of firearms by a member of syndicate will lead to imprisonment between ten years and life, along with a fine.

Lastly, the introduction of this proposed Bill shows a positive intent on the part of the Government to reduce the use of illegal firearms which leads to violence. I am very much happy that the shooters, who are the pride for the entire country, are allowed to keep three main arms, like rifles, shotguns and handguns. It is a good thing for the shooters who are bringing laurels to the country. Hence, on behalf of the BJD, I support this Bill. Thank you.

15.00 hrs

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): मैडम, मैं आयुध (संशोधन) विधेयक 2019 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स देखेंगे, तो लगता है कि यह सही है। हालांकि आज भी कानून राज्य के तहत आता है। The law and order come under the State Government. लाइसेंस कौन इश्यू करता था, यह राज्य के होम मिनिस्ट्री से इश्यू होता था। हम केन्द्र की तरफ से यह कानून ला रहे हैं, तो क्या हम राज्य के अधिकारों को छीन रहे हैं, इस पर भी विचार होने की आवश्यकता है।

15.01 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

जब हम कहते हैं कि आज कल साफिस्टिकेटेड, इलीगल आर्म्स आ गए हैं। Now-a-days, you are getting the sophisticated arms. इलीगल आर्म्स, ट्रैफिकिंग इन सभी मुद्दों पर सही है, इसके प्रावधानों के ऊपर कोई बहस नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम लाइसेंस देते हैं, तो Very stringent rules are applied. उसको अप्लाई करके लाइसेंस दिया जाता है। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि जितने भी आज लाइसेंसधारक देश में हैं, क्या उनकी वजह से कभी खून-खराबा हुआ। मुझे बताइए कि एक भी लाइसेंसधारक ने इसका गलत इस्तेमाल किया। रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट उदाहरण होगा कि किसी ने आत्महत्या की होगी, लेकिन किसी को नहीं मारा है। एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। Gun loving people are there. They possess the licence. There are sportsmen who possess the licence. There are people who possess the licences due to security reasons. आप इस तीन कैटेगरी में देखेंगे कि जितने लोगों ने भी लाइसेंस लिए हैं, आप मुझे बताइए कि किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। मेरे पास महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन का पत्र है। उन्होंने उस पत्र में खुले आम लिखा है कि lovers of sports – shooting

and are passionate about shooting paper targets. वे फायर रेंज में पेपर टारगेट पर शूटिंग करते हैं। It further says that a large number of our members enjoy more than three guns according to their levels and achievements as defined in Exemption Notification. किसी के पास तीन-तीन गन है और स्पोर्टस में तो पांच-पांच गनों का प्रावधान है। Then it says that they strongly suggest that instead of reducing the number of weapons from three to one, it should be increased to five as there are mainly five categories of fire arms. These are – pistol/semi-auto hand gun, revolver hand gun, small bore .22 rifle, centre fire/big bore rifle and shot gun. ये स्पोर्टस एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम स्पोर्टस एक्विटीज करने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, हमें उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा।...(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी: स्पोर्टस मेन के लिए, राइफल क्लब हो या राइफल एसोसिएशन हो, जिनका जिक्र आदरणीय सांसद जी कर रहे थे, इसके लिए कोई चेंज नहीं किया गया है, वैसे ही रूल्स हैं। स्पोर्ट्स मेन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बिल के माध्यम से उनको रोकने या कंट्रोल करने के लिए कोई नया नियम नहीं लाया गया है। स्पोर्ट्समैन के लिए रूल्स वैसे ही हैं। आर्मी के पास भी दो वेपन्स होते हैं, उनके पास एक खुद का वेपन होता है। आर्मी के लिए भी रूल चेंज नहीं किया गया है। तीसरा, लाइसेंस इश्यू अथॉरिटी केन्द्र सरकार ने नहीं लिया है, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही होते हैं। पहले से जो नियम है, वह वैसा ही है। हम नया ऐक्ट नहीं लाए हैं, वर्ष 1958 का ऐक्ट है, वैसा ही है, यह सिर्फ अमेंडमेंट है।

श्री अरविंद सावंत: मैं स्वागत करता हूं कि आपने तुरंत उत्तर भी दे दिया। I was expecting your answer when you will be going to give the reply to the debate. इसके बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री, उद्धव ठाकरे जी ने पत्र लिखा है। हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, राजघराने,

जिनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, कहीं उनका गलत इस्तेमाल न हो ।...(व्यवधान) उन्होंने भी पत्र लिखा होगा । मेरे माननीय मुख्य मंत्री, उद्धव ठाकरे जी ने इसके बारे में आपको पत्र लिखा है । उन्होंने आपसे यही अपेक्षा की है, स्पोर्ट्स के बारे में अपेक्षा की है, रिट्रास्पेक्टिव न लगाया जाय । यह राज्य का अधिकार है । आपने उसका जवाब दे दिया है, वह और अच्छा हो गया है । सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यपाल जी, जो मुंबई के कमिशनर रहे हैं । जो अवैध हथियार इस्तेमाल करने वाले लोग हैं या जो आतंकवादी हैं, उनके लिए यह कानून बहुत अच्छा है, स्वागत करने लायक है, लेकिन हम वहीं पाबंदी लगाने में कमजोर हो रहे हैं । उनके पास हथियार कहां से आते हैं । नक्सलियों के पास कहां से हथियार आते हैं, अंडरवर्ल्ड के पास कहां से हथियार आते हैं? उन हथियारों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

The law-abiding people should not have any fear in their mind. On the contrary, this Rifle Association came forward and itself said this. We are here to serve the nation. We are having licence. We are having the practice of shooting also. As and when the situation demands, why the Government does not allow us to take part the protection of the country? That also can be thought of. वह भी उन्होंने कहा है । एक बात यह है कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यह भी गलत होगा, क्योंकि जो पुराने वेपंस हैं, जो शौकीन लोग हैं, जिन्होंने वर्ष 1985, 1995 या 2000 में लिया होगा, लेकिन आज की डेट में नये और सॉफिस्टिकेटेड वेपंस आते हैं । आप कहेंगे कि पुराने वेपंस सरेंडर कर दो । इससे अच्छा है, वे लॉ-एबाइडिंग मेन हैं, why should we have fear about them? Why should we not have faith in them? जो लॉ-एबाइडिंग पर्सन्स हैं, उनको देने में क्या है? अगर वे वेपंस रिपेयर के लिए दिए जाते हैं, तो वे कितने साल में रिपेयर होकर आते हैं, यह देखिए । इस बीच में वह खुद का भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा । लेकिन, मैं समझता हूँ कि जो वैसे शौकीन लोग हैं,

शादियों में चलाने वाले, नार्थ इंडिया में तो देखते हैं कि सब गन लेकर घूमते रहते हैं। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, वे सब लोग वेपंस लेकर घूमते हैं। It should be prevented. Nothing wrong in that. यह सब जो फैशन बन गया है, वह गलत है। लेकिन जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, there are law-abiding people and we should have no fear of them.

मैं एक सजेशन भी देता हूँ। इतनी जल्दबाजी क्या है? हम इसे क्यों नहीं जॉइंट सिलेक्शन या स्टैंडिंग कमेटी के पास लेकर नहीं जाते हैं? इस पर थोड़ी और बहस होगी। कुछ बातें और डिटेल में मालूम होगी। डॉ. सत्यपाल साहब ने तो डिटेल्स दी थी कि 10 करोड़ वेपंस हैं। लाइसेंस लेकर भी वेपंस लेने वाले भी लोग हैं। यह भी बड़ी अच्छी बात है कि लाइसेंस ले लिया है, लेकिन वेपन नहीं खरीदा है।

सर, यह अमेरिका नहीं है। This is not USA. जहाँ खुलेआम बेचा जाता है, खुलेआम शूटिंग होती है। यह हमारे देश में नहीं होता है। यहाँ पर लोग कानून को मानते हैं। इसलिए इस तरह का कानून लाकर, लोगों में जो थोड़ी घबराहट पैदा करने वाली बात होती है, उसको दूर करके यदि इसे जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाएगा, तो ज्यादा अच्छी बहस होगी और ज्यादा अच्छा कानून आएगा।

जैसा कि अभी आपने बताया कि यह लॉ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए नहीं है। यह कानून में तो मौजूद नहीं है, उसमें नहीं लिखा है। That has to be provided.

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हो सके तो इसे जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजें और इस बिल को जॉइंट सिलेक्शन कमेटी से रिक्मेंड करवाकर लाएँ, फिर इंट्रोड्यूस करें और इसे पास करवाएँ।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): माननीय सभापति महोदय, आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 सदन में लाया गया है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

वर्ष 1959 में जो अधिनियम बना था, उसमें भी अस्त्र-शस्त्र की तस्करी पर और इसे अवैध रूप से रखने वालों के विरुद्ध कानून बना था। कानून बनने के बाद अवैध हथियारों पर रोक नहीं लग सकी, बल्कि दिन-प्रतिदिन अवैध हथियारों की तस्करी होती रही। चीन के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा हथियारों की तस्करी होती रह गई। यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में जो ऑर्डनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से हथियार चोरी करके तस्करी के माध्यम से आपूर्ति होती रही है।

जहाँ तक हमारी सोच है कि देश में सभी राज्यों में छोटी-मोटी अस्त्र-शस्त्र की अवैध फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे, तो अस्त्र-शस्त्र की छोटी-मोटी फैक्ट्रियाँ अवश्य मिल जाएंगी।

कानून काम करता है। केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि कानून को इतनी बारीकी से लागू करना होगा कि लोगों में कानून का डर पैदा हो। कोई भी हथियार बनाने वाला, जो तस्कर है या कारखाना चलाने वाला है, वह हथियार बनाता है, पकड़ा जाता है, जेल जाता है और उसे तीन महीने या छ: महीने के बाद जमानत मिल जाती है। वह वापस आकर फिर से हथियार बनाना शुरू कर देता है। हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को मालूम है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगती है, क्योंकि वह जानता है कि अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो साल या छ: महीने के बाद जमानत हो जाएगी, उसके बाद फिर वह उसी काम को करना शुरू कर देता है। इसलिए इस तरह का जो बिल लाया गया है, इसमें कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए, जिससे जो अवैध करोबार करने वाले हों, तस्कर हों, चाहे छोटे-मोटे हथियार बनाने वाले हों, उनके अंदर डर पैदा हो। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि हमको हर डिस्ट्रिक्ट और हर राज्य के विषय में अनुभव है, जानकारी है। इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। हमने देखा है कि

हमारे बिहार या देश के अंदर ए.के. 47 राइफल तस्करी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर आई हैं कि कहीं भी छापा पड़ता है तो ए.के. 47 राइफल मिलती है।

हमारे गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, आप इस पर कड़ा कानून बनाइए। पहले 3 साल की सजा थी, उसको 6 साल कर दिया, जो 7 साल की सजा थी, उसको 14 साल कर दिया था, इससे इस पर रोक लगने वाली नहीं है। इस पर कड़ा प्रावधान लाइए। जो अवैध तस्कर हो, अवैध हथियार रखने वाला हो, अगर वह पकड़ा जाता है और वह हथियार सहित पकड़ा जाता है, तो ऐसा कानून हो कि 6 महीने या साल भर में उस मामले का निपटारा होना चाहिए, ट्रायल चलाकर उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यह मामला पेचीदा होकर 10, 12 या 18 साल तक चलता रहता है। इससे कानून का किसी को भी भय नहीं है। कानून का भय उसी शर्त पर होगा, जब उस तस्कर या हथियार रखने वाला आदमी पर दो साल के अंदर ही ट्रायल शुरू करवाकर उसको सजा दी जाए, तब जाकर अवैध हथियारों पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन अभी वह डरने वाला नहीं है। हम लोगों ने इस बिल में देखा है कि पहले एक व्यक्ति को तीन अनुज्ञप्ति रखने का प्रावधान था और अब जो बिल है, उसमें आप लाए हैं …(व्यवधान) महोदय, अभी हमारा समय बाकी है। जनता दल (यूनाइटेड) का समय बाकी है, लेकिन अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। पहले जो तीन हथियार रखने की अनुज्ञप्ति थी, उसमें आपने दो कर दिए हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि आपने दो रखने की बात की है। मैं इसलिए यह बात कह रहा था, क्योंकि अगर किसी के पास एक हथियार रहता है तो कोई उग्रवादी, आतंकवादी या नक्सलवादी उस पर अटैक करता है तो फिर कोई कुछ कर नहीं पाता है। झारखण्ड और बिहार नक्सलवादी क्षेत्र है। आपने बहुत अच्छा किया कि दो हथियार रखने का प्रावधान कर दिया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, धन्यवाद। मैं एक कपलेट से अपनी बात शुरू करता हूं। इसे मैंने कहीं से नकल नहीं किया है और न ही उधार लिया है। अच्छा तो यह होता कि माननीय गृह मंत्री जी मौजूद होते, यह उनके लिए था। जो उनसे छोटे मंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसे उनको नजर कर दें। यह मेरा खुद का बनाया हुआ है।

"मत दो आदमी को इतनी सजा हे हुकाम,
हम तो पहले ही तेरी शिलाओं की मार झेले हैं,
एक उधारी है, अपनी हर फतह पर इतना गुरूर न कर,
मिट्टी से पूछ आज सिकंदर कहां है।"

सभापति जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज न केवल अपने जनपद जौनपुर के मसाईल के बारे में बात कर रहा हूं बल्कि पूरे देश के पीड़ित और इस अमेंडमेंट से सदमाग्रस्त लोग हैं, उनके बिहाफ पर भी मुझे बात करने का मौका मिल रहा है।

At the outset, I would like to say that this amendment of reducing the number of weapons from three to one, now I have been told by the hon. Minister that it has been reduced to two, is not well-thought of; it is statistically incorrect, ill-conceived, immature, unwarranted, non-sensible, not reasonable, irrational, regressive, inappropriate, hurried and harried, and on the verge of arrogancy.

मैं कहना चाहता हूं कि जैसे औरतें अपने गहने की तारीफ अपनी सहेलियों-सखियों में करती हैं, उसी तरह से आर्म्स आदमियों के आभूषण की तरह हैं। जब हम आदमियों में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पेराजी है, हमारे पास ब्लेजर है, हमारे पास गलैक्स है, हमारे पास तरह-तरह की पिस्टल्स हैं तो हमारी बांछे खिल जाती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपने तीन से दो तो कर दिया है, लेकिन आपके पास तो थाने में रखने की जगह भी नहीं है। अभी जो जब्त किए गए वैपन्स हैं,

वे बुरी तरह से सड़ गए हैं। अभी अगर किसी का वैपन जमा हो जाता है तो वह अपनी किस्मत को ठोकता है, क्योंकि उसका वैपन सड़ जाता है और खराब हो जाता है। तीन से दो आपने किया है, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार कम से कम 90 हजार करोड़ रुपये का नुकसान आप आम आदमियों का कर रहे हैं। आपके पास थाने में रखने की जगह नहीं है। वे मैंटेन नहीं हो पाएंगे और सड़ जाएंगे। इससे जीडीपी को भी बहुत नुकसान होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े हैं। आपने इन आंकड़ों को देखा होगा, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी तरह-तरह की बातें की हैं, लेकिन मैं अपनी बात सूक्ष्म में इसी पर कंसंट्रेट करता हूं। एनसीआरबी का एक आंकड़ा है which gives State-wise details of victims murdered by use of firearms. The shocking revelation is that only 8.5 per cent of the total murders with firearms were committed with licensed weapons, and 91.5 per cent of it were committed with unlicensed, illegal weapons.

मेरा आपसे कहना है कि आप वैपन की संख्या कम करने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कीजिए। हम सभी लोग जानते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कैसा है? औरत तो दूर की बात है आदमी भी सुरक्षित नहीं है कि वह अपने घर पहुंच जाएगा, सभी लोग चिंतित रहते हैं। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि डॉ. जी.वी. मावलंकर जी इसी सभा के पहले अध्यक्ष थे। वह हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट थे। जब देश आजाद हुआ तो इंटरनल बहुत डिस्टरबेंस था। उन्होंने जगह-जगह पर राइफल क्लब बनवाए, राइफल क्लब की बिल्डिंग बनवायी और लड़कों-लड़कियों और नौजवानों को आर्म्स की ट्रेनिंग देने का काम किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में कम्पलेसेंट मत होइए, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकता है। हम लोग जो शूटर हैं, जो आर्म्स वाले हैं, जो असलेहधारी हैं, वही काम आएंगे देश में इंटरनल डिस्टरबेंस

को कंट्रोल करने के लिए और माननीय मंत्री जी जो इतनी सुरक्षा में चलते हैं, वह नहीं आएंगे। वह उस समय नहीं दिखेंगे। केवल लाइसेंसी ही देश की रक्षा के लिए काम आएगा। मैं अपने सत्ताधारी बीजेपी के भाइयों से जब भी बात करता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि सभी इसके विरोध में हैं, लेकिन आपके पास संख्या बल है और सत्ता में, शासन में हैं।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री श्याम सिंह यादव: महोदय, मुझे दो मिनट और दीजिए क्योंकि मेरा हक इसलिए भी बनता है, आपको भी इससे प्रशंसा होगी कि भले ही मुझे ओलंपिक का सिल्वर मेडल नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसा शूटर हूं, कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर मेरे दोस्त हैं और सुन भी रहे होंगे कि पांच डिसिप्लिन हैं- एयर राइफल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर राइफल, शॉटगन और बीग बोर राइफल। ये पांच डिसीप्लीन्स हैं। मैं सबमें रिनाउन्ड शूटर हूं। There is no other shooter in India who is renowned in all these five disciplines. इसलिए मेरा बोलने का हक बनता है। मुझे तो आपने 20 मिनट दिए हैं। डॉ. सत्यपाल सिंह जी तथा बाकी अन्य लोगों को 10 मिनट दिए हैं, मुझे तो आधा घंटा देना चाहिए था। लेकिन मैं अपनी बात को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं।

देखिए, तीन वेपन्स से दो वेपन्स करने का क्या लॉजिक है? मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको, आपको नहीं, किसी को मारना चाहूंगा, तो मैं एक ही वेपन से मारूंगा। अगर पिस्टल मारने के लिए निकाली है, तब तक राइफल को ढूंढ़ने लगेंगे, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। उसके पास भले तीन वेपन्स हों, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। खुदा न खास्ता उसको ऐसी जरूरत न पड़े, लेकिन वह एक ही वेपन यूज करता है। इसमें तीन से दो करने की जरूरत नहीं है।

अंत में, मैं सभापति जी से यह कहना चाहूंगा कि मैं इसके विरोध में हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी देश के आदमियों को इतनी पीड़ा न दीजिए, नहीं तो उनकी आह से आप अगली बार इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे । आप अपने इस अमेंडमेंड को विद्ड्रा कीजिए या सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Mr. Chairman, Sir, as the House is aware, crime incidents are increasing day-by-day in all parts of the country with the possession of legal and illegal arms. The Government must have a policy of issuing 'one person-one gun. But this policy may be relaxed in rare cases. Law abiding citizens should not be penalized for actions to stop criminal activities.

The Government may undertake thorough checking at Inter-State and Inter-district borders round the clock with the strengthening of police force and with the help and introduction of drones, CCTVs and GPS facilities. We must ensure law and order to protect the future lives of our children.

The Government can also use the latest Block Chain Technology to systematically track the arms from manufacturing to user end. मेरी किशन रेड्डी साहब से भी थोड़ी विनती है। अभी हमारे एक एमपी साहब ने बताया था कि इसको और भी मजबूत करना है। स्टैंडिंग कमेटी में बिल पर थोड़ा और समय दिया जाए। यह चुनाव का समय है, किसको ईश्यू करना है, किसके पास रखना है, आर्म्स के लिए बहुत लोगों को शंका है। इसको कलैक्टर ईश्यू करता है या एस.पी. ईश्यू करता है, उसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सपोर्ट करने के लिए उनको एग्जामिन करने का समय देंगे, तो इसका अच्छा नतीजा भी आएगा। इसकी गहराई में जाने के बाद बिल को पास करेंगे, तो अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। We support the Bill.

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा) : महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस अगस्त हाउस में जो बात चल रही है, मैं उसको ध्यान से सुन रहा हूं। मैं इसीलिए यहां पर खड़ा हुआ हूं कि जो यह लाइसेंस देने की अथॉरिटी थी, वह कभी मेरे पास थी, क्योंकि मैं पुणे का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। ऐसा होता है कि महिलाओं को लाइसेंस देना उचित नहीं समझा जाता है। जब महिलाएं लाइसेंस मांगती हैं, तो कभी उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं जब कलैक्टर था, तो जितनी भी महिलाएं राइफल क्लब से ट्रेन्ड होकर आती थीं, उनको प्रायोरिटी से लाइसेंस देते थे। अगर यहां पर कोई ऐसा सुझाव दे और जूडो-कराटे खेलने वाली महिलाएं स्वरक्षण कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई उन पर दूर से अटैक करना चाहता है, तो उनके पास पिस्तौल-रिवाल्वर है, तो वह महिला दूर से ही अपने ऊपर हुए अटैक का जवाब दे सकती है। इसीलिए, जितने भी राइफल क्लब हैं, उनको मॉनिटरी असिसटेंस देकर, फाइनेंशियल असेसटेंस देकर, अगर महिलाओं को ट्रेन्ड किया जाए, तो अच्छा रहेगा। While touring, when travelling in trains or when there are some functions, women should be given licence to carry and use such weapons so that they will feel secure and will not be afraid of any attacker.

दूसरी बात यह है कि नए-नए हथियार बन रहे हैं। अगर मैं पुराना हथियार बेचना चाहता हूँ तो उचित दाम मिलने के लिए फायर और आर्म्स वाले जो डीलर्स होते हैं, उनके पास डिपॉजिट किया। नया लिया तो जो पुराना आर्म है, वह अगर कोई खरीदना चाहता है तो वह दीजिए ताकि मेरे पास दो हथियार रहेंगे। एक नया रहेगा और दूसरा पुराना मेरे बाप-दादा का रहेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में बाप-दादा के हथियार लोग रखते हैं। जब लोग आते हैं तो दिखाते हैं कि यह मेरे फादर का है, यह मेरे ग्रैंड फादर का है। हमारे जो दीवानखाने होते हैं, उनमें तलवारें लटकी रहती हैं, कुल्हाड़ी लटकी रहती है। इस तरह से शो के लिए भी जो है, उसमें भी बदलाव करने की आपने अभी जो तरमीम रखी है तो नहीं

करना है, तो जो भी चीजें हमारे पास हैं, वे चीजें रखने के लिए और दूसरी बात है कि रिटेनरशिप - अगर मैं घर में नहीं हूँ, और मेरे पास लाइसेंस है, मेरी पत्नी घर में अकेली रहने वाली है, क्योंकि मैं चार दिन घर में नहीं रहूंगा तो और रिटेनरशिप के लिए मेरी पत्नी को अगर आप सिखाएंगे, और रिटेनरशिप के लिए डीएम से उनको परमिशन देंगे तो वह भी हथियार यूज कर सकती है। अगर लड़का है उसको भी देना चाहिए। यह फॉर्म संरक्षण के लिए रहता है। अगर वैपन हैंडल करने की परमिशन एक ही आदमी को दी होती है और वह घर में नहीं है तो हथियार रहने से कोई फायदा नहीं होता है, चलाने की अगर आदत नहीं है तो इसमें एक प्रावधान के लिए कि The Retainer can be somebody who is a major and has got knowledge of handling the weapon because कभी-कभी क्या होता है कि घर में बाल-बच्चे होते हैं, लेकिन हथियार हमेशा तिजोरी में रहता है। मैंने देखा है कि मेरे एक दोस्त के घर में बड़ी चोरी हो गई। एक भाई के घर में रिवॉल्वर रखी थी और उसकी गोलियां दूसरे भाई के घर में रखी थी। उसका क्या उपयोग होगा? ऐसा कायदा बनाओ कि हमेशा उसका प्रोटैक्शन भी रहे, उसका गलत इस्तेमाल न हो। जो भी गलत चीजें बनाने वाले लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कट्टा आदि गलत हथियार बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को बंद करना जरूरी है। यही मेरे सुझाव हैं। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, इस आर्म्स एक्ट पर मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूँ, अभी तक तो हमें पता था कि एक आर्म अलाउड है, अब दो हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तीन आर्म्स रखने वाला कोई क्रिमिनल है? क्या ऑर्गनाइज्ड क्राइम्स में वह मुलविस है या वह इंडीविजुअल क्राइम कर रहा है? सर, ज्यादातर लाइसेंस कैरेक्टर को देख कर दिए जाते हैं। शरीफ लोगों को दिए जाते हैं। उनसे वे अपनी हिफाज़त करते हैं। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ कि 90 पर्सेंट अपराध चाहे वे ऑर्गनाइज्ड हों या इंडिवीजुअल हों, अवैध हथियारों से हो रहे हैं। सन् 1910 से ले कर सन् 1914 तक देश के अंदर फायर आर्म्स से 17,488 मर्डर्स हुए हैं। जिनमें से 91 मर्डर्स अवैध हथियारों से हुए हैं। बाकी मर्डर्स लाइसेंसी हथियारों से हुए हैं। उनमें ज्यादातर आत्मरक्षा के लिए किए गए हैं। मैं यह उचित सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन लाइसेंसों को कम करने का क्या औचित्य है? क्या हिंदुस्तान में बहुत लाइसेंस है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरीका के अंदर 88 पर्सेंट लोगों के पास लाइसेंस हैं और मेरे देश के अंदर सिर्फ चार परर्सेंट लोगों के पास लाइसेंस हैं। यह भी समझ में नहीं आता है कि क्यों यह एक्ट लाया जा रहा है? इसलिए मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि शूटर की समस्या आपने हल कर दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी एक छोटा सा शूटर हूँ। मैं दो बोर में शूटिंग करता हूँ – बिग बोर में और शॉट गन में। मैं एक हथियार, अपनी सेफ्टी के लिए, रिवॉल्वर भी चाहता हूँ। क्योंकि मैं बड़ी बंदूर कहीं नहीं ले कर जा सकता हूँ।

मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो कोई न कोई हथियार मेरे पास भी होना चाहिए। कम से कम तीन हथियार तो मुझे ही चाहिए। इसलिए जो हथियार खानदानी चले आ रहे हैं, जो एंटीक हो चुके हैं। लोगों को एंटीक चीजें रखने का शौक है। हम अपनी एंटीक कारें रखते हैं। हमारी रेसेस होती हैं, लोग पुरानी चीजें रखते हैं। बाप, दादा के हथियार, दादा-पड़दादा के हथियार अगर हम अपने पास रखे हुए हैं, तो क्या हम उनसे क्राइम कर रहे हैं? किसलिए उसको कट-शॉर्ट किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि हथियार ज्यादा से ज्यादा बांटिए। लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा दीजिए

क्योंकि यह भी क्राइम का डेटेरेंट है। जिन गाँवों के अंदर हथियार होते हैं, उन गांवों के अंदर डकैत आने से बहुत डरते हैं। अगर चारों कोनों से गांव में फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है तो डकैत दूर से भाग जाते हैं। उन गाँवों में डकैतियां, क्राइम्स और लूटमार नहीं होती। इसलिए हमें हथियार बढ़ाने की जरूरत है। अवैध हथियारों पर जरूर अंकुश लगाइए। आज अवैध हथियार हर गाँव के अंदर हैं, इसलिए हैं, ताकि वे इन क्रिमिनल्स से बच सकें।

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि लाइसेंस के नम्बर के ऊपर रोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, आर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, यकीनी तौर पर हमारा तंत्र ऐसा है, खूफिया तंत्र ऐसा है कि वह पहचान लेता है, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। लेकिन बिना वजह उनके हथियारों को कर्ट-शॉर्ट करना, हमें इसका औचित्य समझ में नहीं आता। मैं इसलिए इस बिल का विरोध करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो यह बात तय है कि समय-समय पर अपने कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। समय को ध्यान रखते हुए उसमें तब्दीली भी आनी चाहिए। यहां पर सदन में भी बहुत से लोग हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, हथियार हैं। बहुत से लोग देश में हैं, जिनके पास आर्म्ड लाइसेंस हैं। हम सभी को और पूरे देश को भी अगर चिंता है, तो बिना लाइसेंस के हथियारों की चिंता है। अनलाइसेंस वैपन्स, इल्लीगल वैपन्स हमें चिंता उसकी है और नि:संदेह मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इल्लीगल वैपन्स के ऊपर रोक लगाने के लिए सज़ा में बढ़ोतरी की गई है। मुझे ताज्जुब होता है कि अभी तक जो आंकड़े हैं, उसमें जो मर्डर्स हुए हैं, 90 प्रतिशत मर्डर्स इल्लीगल वैपन्स से हुए हैं। नि:सन्देह इन इल्लीगल वैपन्स के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। ताज्जुब इस बात का भी है कि जो हथियार बनाने वाला है और जो हथियार इस्तेमाल करने वाला है, मैं इल्लीगल वैपन्स की बात कर रहा हूँ, उनकी सज़ा अभी तक बराबर की थी। मुझे खुशी है और मैं गृह मंत्री साहब को भी और मंत्रालय को बधाई देता हूँ कि जो इल्लीगल हथियार बना रहे हैं, उनकी सज़ा बढ़ा दी गई है। यह बहुत ही फेवरेबल और पॉजीटिव स्टेप है। मेरी गृह मंत्री साहब से और उनके मंत्रालय से सदन के बाहर भी बातचीत हुई, जब यह आर्म्ड एक्ट आने की बात हुई, अखबारों में चर्चा हुई, अलग-अलग तरह की बातें हुईं। गृह मंत्री साहब के साथ बैठ कर, उनके मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठ कर खिलाड़ियों के लिए और आम नागरिक के लिए उन्होंने सहमति जताई। जिस तरह का समर्थन सरकार से मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। पहले एक लाइसेंस पर एक हथियार की बात हो रही थी। मैं गृह मंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अब दो हथियार एक लाइसेंस पर कर दिए हैं। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरू में खिलाड़ियों के लिए कुछ कमी लाई जा रही थी, वह कमी अब पूरी तरह से दूर कर दी गई है।

शूटिंग खेल के खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से जो एग्जम्शन्स पहले चल रहे थे, वहीं एग्जम्शन्स आज भी लागू होते हैं। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, देश के अन्दर तकरीबन 32,000 लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर तीन हथियार हैं, तकरीबन दो लाख लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर दो हथियार हैं और तकरीबन 30 लाख लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर एक हथियार है। मैं इसकी तुलना इससे करता हूं कि अलग-अलग देशों के अन्दर अलग-अलग कानून हैं। कहीं पर लिखा है - 'shall issue' और कहीं पर लिखा है - 'may issue'. हमारे देश के अन्दर जो रूल है, वह है - 'may issue', यानी पुलिस तय करती है कि कौन अच्छा नागरिक है और उस नागरिक को वह लाइसेंस देती है। इसका मतलब कि एक पूरी चयन प्रक्रिया होती है, जहां पर यह सेलेक्ट किया जाता है कि किसे लाइसेंस दिया जाए और एक अच्छे नागरिक को लाइसेंस दिया जाता है।

महोदय, मैं इसकी तुलना वैक्सीन के साथ करता हूं। जब कभी कोई बीमार पड़ता है या बचपन में जो वैक्सीनेशन होता है, उसमें उसी बीमारी के लाइव वायरस दिए जाते हैं, ताकि वे लाइव वायरस, अगर मैं यह कह सकूं तो ये उन इल्लीगल वायरस के साथ मुकाबला कर सकें। देश के अन्दर जो लाइसेंस्ड बंदूकधारी हैं, वे एक अच्छे नागरिक के रूप में जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जितने भी लीगल वेपन होल्डर्स हैं, उन्हें गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग अपने साथ रखकर काम कर सकता है। अमेरिका में अलग-अलग तरीके हैं, उनके शेरिफ डिपार्टमेंट्स हैं। जब पुलिस कहीं पर नहीं पहुंच सकती तो licence holders can be the first to react. हालांकि, उसके अन्दर भी तालमेल जरूरी है।

महोदय, भारत के इतिहास में तो यह लिखा हुआ है कि अलग-अलग क़ौमों ने अलग-अलग समय पर दुश्मनों से लोहा लिया, चाहे तलवार हो, चाहे तीर-कमान हो, चाहे हथियार हो, उन हथियारों

से उन्होंने भारत की रक्षा की। इसलिए एक अच्छे नागरिक को हथियार देना जरूरी है और उसे मजबूती प्रदान करना भी सरकार का दायित्व है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इसकी तरफ सोचा।

महोदय, मैं आखिर में कुछ जरूरी सुझाव भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि, सबकी रक्षा करने के लिए पुलिस है, लेकिन अगर आप पुलिस और सिटीजन का अनुपात देखें तो वह बहुत ही खराब है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स देखेंगे। उसी तरह असामाजिक तत्वों को खत्म करने के लिए पुलिस है, लेकिन रख-रखाव, बचाव के लिए लाइसेंस्ड वेपन्स की भी जरूरत होती है।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आज भारत पूरी दुनिया के अन्दर शूटिंग के खेल में दबदबा बना रहा है। आज भारत के पास ओलम्पिक में शूटिंग के अन्दर 15 कोटा आए हैं। यह धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे हम अपना दबदबा पूरी दुनिया पर बना रहे हैं, हमें ऐसे कानून भी लाने चाहिए, जिनसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो इस शूटिंग के खेल में आएगी, उन्हें तैयारी करने में मदद मिले। आप ओलम्पिक के जितने भी खेल देख लीजिए, चाहे वह कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, तीरंदाजी हो, भाला फेंक हो, वेटलिफ्टिंग हो, ये सारे खेल कहीं न कहीं, युद्ध की जो शैली होती है, उससे जुड़े होते हैं, यानी हम हमेशा युद्ध की तैयारी में अपने खेलों को उसके साथ हमेशा जोड़ते हैं। जो भी देश युद्ध के लिए तैयार होगा, उस देश में हमेशा शांति बनी रहेगी और इसलिए मेरा यह मानना है कि आम नागरिक को और उनमें जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हम इस तरह के कानून बनाएं ताकि वे शूटिंग के खेल को अपनी हॉबी या अपने एक्सेलेंस का हिस्सा बना सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव दूंगा। यहां पर हमारे एम.ओ.एस. किशन रेड्डी जी हैं, नित्यानन्द राय जी भी हैं। गृह मंत्री साहब को ये सुझाव बताएं। सबसे पहले तो मैं इससे बिल्कुल

सहमत हूं कि जो सेलेब्रेटरी फायर होता है, वह खतरनाक होता है, उससे जान की हानि होती है, लेकिन ये सेलेब्रेटरी फायर क्यों होते हैं? आपने दो लाख, तीन लाख, तीस लाख लाइसेंस तो दे दिए, लेकिन इन लाइसेंस होल्डर्स को आपने कोई जगह नहीं दी, जहां पर वे अपने हथियारों को हैंडल करना सीख सकें, जहां पर साल में एक बार वे फायरिंग कर सकें। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आपकी पुलिस की जितनी भी शूटिंग रेजेज हैं, वहां पर हफ्ते में एक दिन लाइसेंस होल्डर्स को प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने वेपन्स हैंडल कर सकें।

मेरा आपसे यह भी आग्रह है, क्योंकि पुलिस की खुद की शूटिंग रेंजेज बहुत कम हैं। जहां-जहां शूटिंग रेंजेज नहीं हैं, मैं बड़ी तहसीलों या जिलों की बात कर रहा हूं, उससे नीचे की बात नहीं कर रहा हूं। जहां पर शूटिंग रेंजेज नहीं हैं, वहां पर नेशनल राइफल एसोसिएशन से ऐफिलिएटेड जो क्लब्स हैं, उनको रेंज बनाने की अनुमति प्राथमिकता से दी जाए, ताकि हमारे जो नागरिक हैं, वे मजबूत बन सकें। आपने ही उनको हथियार प्रोवाइड कराये हैं, ताकि वे हैंडल करना भी सीख सकें। मैंने बचपन से हथियारों के साथ अपना जीवन गुजारा है। मुझे याद है कि बचपन में छोटी-छोटी बातें सिखायी जाती थी और उन छोटी-छोटी बातों को सीखते हुए, मैं एक अच्छा फौजी बना और एक अच्छा खिलाड़ी भी बना।

सभापति महोदय, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। अगर हर बच्चा सही सीख प्राप्त करेगा तो वह भी इस देश का नाम रोशन कर सकेगा और और देश की सुरक्षा भी कर सकेगा। हमें अपने देश को मजबूत करना है। इसी के लिए मैं एक और सुझाव गृह मंत्रालय को देना चाहता हूं। हमारे शूटर्स जब ओलम्पिक खेलों में मुकाबला करने जाते हैं तो 200 से ज्यादा देशों के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते हैं। They compete with more than 200 countries in the world. यह मुकाबला कम नहीं है, बल्कि काफी बड़ा है। उस मुकाबले के अंदर, जहां उनकी कला, उनकी काबिलियत और उनकी कड़ी मेहनत 200 देशों के खिलाड़ियों के बराबर होती है, तो कई कानूनों की वजह से हम पीछे

रह जाते हैं। हमने कितने लिमिटेड हथियार अपने खिलाड़ियों को दे रखे हैं। जूनियर शूटर्स को आज आपने एक एक्स्ट्रा वेपन एलाऊ कर रखा है। इन्स्परेशनल शूटर्स, जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनको आपने मात्र एक वेपन एक्स्ट्रा एलाऊ कर रखा है, यानी जितना लाइसेंस पर है, उसके अलावा एक वेपन एलाऊ किया है। रिनाउन्ड शूटर्स को भी उसी तरह से आपने कुछ अनुमति दी हुई है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं और यह मेरा आग्रह है कि अगर हम वाकई देश के खिलाड़ियों का पूरी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा बनवाना चाहते हैं तो हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रदान करनी चाहिए। जो जूनियर शूटर्स, इन्स्परेशनल शूटर्स, रिनाउन्ड शूटर्स हैं, उनकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। इनके लिए अभी जो एक्स्ट्रा हथियार लागू है, उसमें हंड्रेड परसेंट बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं आपको नाम गिनाता हूं। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाता हूं। सौरभ चौधरी, 17 साल की उम्र में वर्ल्ड का टॉप टेन के अंदर खिलाड़ी है। दिव्यांश सिंह, 17 साल की उम्र में वर्ल्ड टॉप टेन में है। एलावेनिल, जिनकी उम्र 20 साल है। अपूर्वी चंदेला, जिनकी उम्र 20 साल हैं। यह भी वर्ल्ड के टॉप टेन में है। भाकर मनू, जिनकी उम्र 17 साल है, यह भी वर्ल्ड के टॉप टेन खिलाड़ी है। ये सारे जूनियर्स खिलाड़ी हैं। देश में ऐसे बहुत से नौजवान हैं, जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा आग्रह है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड इनके नंबर्स हैं, इनके लिए आपने एडिशनल स्पोटर्स वेपन एलाऊ कर रखा है, उसे आपको डबल कर देना चाहिए।

महोदय, अब ऐसे भी हथियार हैं, मेरे पिताजी को बंदूकों का शौक था। उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है। उनका इनवेस्टमेंट सिर्फ हथियारों में होता था। उन्होंने लोहा खरीदा। उन्होंने लोहा इसलिए खरीदा कि उनका बेटा बड़ा होकर देश के दुश्मनों के साथ लोहा लेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ हथियारों के अंदर अपना इनवेस्टमेंट किया। आज जो पुश्तैनी हथियार हैं, उसकी अलग वैल्यू होती है। जब मेरे पास परदादा, दादा तथा पिता जी से कोई हथियार आता है तो उसकी अलग वैल्यू होती है। न केवल उसकी इमोशनल वैल्यू होती है, बल्कि उसकी रीयल वैल्यू भी बहुत

ज्यादा होती है। मैं आपको बतलाता हूं कि अभी एक वेपन को डीएक्टिवेट करने के लिए अनुमति है। अगर आप आर्म्स रूल 2016 की परिभाषा देखें, उसके अंदर जो डीएक्टिवेशन की परिभाषा है, वह यह कहती है कि the weapon should not be able to discharge a projectile, and which cannot be readily restored. यानी आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, ताकि वह फायर न कर सके, it should not be readily restored. अब मैं आपको इसका कान्ट्रडिक्शन बताता हूं। रूल सेक्शन 80 अनसर्विसेबल, डीफेक्टिव और डीएक्टिवेटेड आर्म्स के अंदर सब-सेक्शन 6 कहता है कि जो डीएक्टिवेटेड फायर आर्म्स हैं, उनको डिस्ट्राय किया जाएगा। उसका प्रोसिजर सेक्शन 81 में है, जो परमानेंट हथियार का परमानेंट डैमेज बताता है। इस डेफिनेशन के अंदर टेम्परेरी डीएक्टिवेशन है, which should not be readily restored. लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर परमानेंट डीएक्टिवेशन दिया हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अभी यहां एए.ओ.एस. साहब बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यह देश के लिए बड़े कीमती हथियार हैं और देश के लिए वैल्यूबल भी है। यह इमोशनल भी है और रीयल भी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पुश्तैनी हथियार हैं। आप उनको एलाऊ करिए। एक लाइसेंस पर दो ही हथियार एलाऊ करिए, मगर two active weapons. बाकी वैपन्स आप डीएक्टिवेटेड एलाऊ करिए, लेकिन डीएक्टिवेटेड के अंदर जो कांट्राडिक्शन है, इसको दुरुस्त करके टेम्परेरी डीएक्टिवेशन कर दीजिए। अगर मेरे पास पुश्तैनी हथियार हैं, तो मैं दो से ज्यादा हथियार अपने लाइसेंस पर रख सकता हूं। …(व्यवधान)

महोदय, यह बहुत जरूरी है । मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । आप डीएक्टिवेटेड वैपन्स एलाऊ करिए। एक साधारण नागरिक जिसके पास लाइसेंस है, उसके लाइसेंस पर दो ही हथियार होंगे, जो एक्टिव होंगे, बाकी हथियार डीएक्टिवेटेड होंगे। अगर मैं अपना पुराना हथियार या महंगा हथियार जो दो से ज्यादा हैं, अगर मैं पुलिस स्टेशन में रखता हूं या किसी आर्मरी में

रखता हूं, तो उसका रख-रखाव नहीं हो पाएगा। मैंने बचपन से सीखा है, उसके लिए मेरी इमोशनल वैल्यू है, उसकी मैं हर रोज साफ-सफाई करूंगा और उसका रख-रखाव करूंगा। जब कभी मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़े या उसको मुझे कहीं बेचना पड़े, तो मैं पुलिस की परमीशन से वापस उसको एक्टिवेट करके आपकी परीशन से किसी को बेच सकता हूं। इसमें कोई खतरा भी नहीं है। कृपया आप उसका टेम्परेरी डीएक्टिवेशन करवाइएगा।

मैं अपने आखिरी सजेशन पर आता हूं। बहुत से लोगों के पास पहले से हथियार हैं, उन हथियारों का क्या होगा? परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके लिए एक्सपीडियस लाइसेंस इश्यू हो जाए, चाहे मैं अपनी पत्नी को देना चाहूं, चाहे मैं अपने एडल्ट बेटे या बेटी को देना चाहूं। यह एक एक्सपीडियस प्रोसेस हो जाए, ताकि हथियार परिवार में रहे और उनका रख-रखाव भी होता रहे।

सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। देश को मजबूत बनाने के लिए लाइसेंस होल्डर आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर लाइसेंस होल्डर पूरी तरह से कानून में रहता है और अनलाइसेंस्ड, जो इल्लीगल वैपन्स रखते हैं, वे न तो आपकी परमीशन लेते हैं और न ही उनको लाइसेंस चाहिए। But we are law abiding citizens.

With these words, I thank the hon. Home Minister for the support that he has provided to us and conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. As usual, I stand to oppose the Arms (Amendment) Bill, 2019.

Sir, the Government has introduced the concept of organized crime syndicate by amending Section 9 (6) of the Bill which includes anyone involved in possession, manufacture, sale or transfer of firearms on behalf of organized syndicate. This particular definition of 'organized crime syndicate' is exactly as is given in the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA).

Sir, the Maharashtra Assembly had enacted that particular MCOCA Act under the State List. The Union has no power to interfere with the States' powers to investigate, prosecute and penalise the organized crime. Making laws pertaining to law and order is a State Subject. When the organized crime is already within the exclusive purview of the State, the Union cannot make any law in that regard.

Sir, may I point out that under Article 246 it is very clear that the States are supreme in terms of enacting legislation pertaining to the State List and the Union is supreme in terms of subjects pertaining to the Union List. Then, why are they interfering with the State List? Is there a legislative gap which the Government is trying to fill up?

Furthermore, when I read the Bill, the Government offers no explanation as to why it is necessary to incorporate organized crime syndicate under Arms Act. Why is the Government using this incidental legislation to expand the scope of the original purpose of the Arms Act to include organized crime? The Constitution does not allow this. Day in, day out, it seems that this Government does not believe in federalism. They want to trample upon the State List. Inclusion of organized crime syndicate by amending Section 9 (6) shows that they are completely encroaching upon the State List. I request the hon. Home Minister to please take it back.

Secondly, I would make an earnest request to the Government that no public representative, whether MP or MLA, should get any security from the Government unless and until there is some real threat perception to him. Having security guards by MPs and MLAs has become a status symbol. I have seen with my own eyes in my State that some of the security guards go and buy grocery. You should make a law that no MP or MLA would get any security. In turn, what should the Government do? I have not taken any security in my whole political life of about 27 years. You please give me more licensed weapons. Why should an MP or MLA get security from the Government? Why should this be a burden on the tax-payers? You give security to the common man. Day in, day out, we see women being raped. We do not have infrastructure or logistical things to provide security to the common people. Why should an MP or MLA have security until and

unless you yourself are a – what we call in Urdu –*zalim* or you are a murderer! If an MP or MLA is facing a case of murder, let him face it.

There is one more reason for me to oppose this Bill. Many Members have talked about NCRB data. NCRB report says 58,053 cases were registered under the Arms Act, 1959 and 63,219 arms were seized, out of which only 3,525 were from people who had licenced weapons while 59,694 were unlicensed weapons. The problem lies somewhere else. The problem is with having unlicensed arms. There are some States, which I do not want to mention over here, where there are factories which manufacture what we call 'kattas'. Why are you not stopping them? You use UAPA against them as you have made an Act. There is more of a problem which, I as a countryman is facing, is from unlicensed weapons, not from licensed weapons.

Let me come to 2014 data. Only 14 per cent of people killed in gun violence were killed by legal weapons. Similarly, of all weapons seized under the Act, only 17 per cent were legal firearms. I want to know from the hon. Minister why this Bill prohibits punishment for celebratory gunfire. In UP itself, in 2013, 720 people, including 125 women, died in celebratory gunfire. Why do you require celebratory gunfire? For what do you require it? You are getting married and there is no need to shoot a weapon over there. A man is getting married to a woman or a woman is getting married to a man. Then, the Bill prohibits punishment for celebratory gunfire. Any celebratory gunfire is an attempt to murder - it is as simple as that –

and IPC should interfere. That is why, I do not know what you are achieving by making it two and not three. You know the data of licensed people who have three weapons, two weapons and one weapon.

Lastly, I want to point out one contradiction of the Government. They have liberalised manufacture of small arms, FDI of 49 per cent is allowed and no additional approval for DIPP is required. Why is it so? You are allowing 49 per cent FDI in small arms' manufacture and then, you want to limit it. That is why, I oppose this Bill.

Thank you.

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Mr. Chairman, Sir, I rise with a mixed feeling. On the one hand, I appreciate the Government's efforts where they have increased the punishment. इन्होंने सजा बढ़ाई है, जो आर्गेनाइज्ड क्राइम और दूसरे लोग हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, What I am going to say here is from my own experience. एक तरफ क्लीयरली कहा है कि छह परसेंट लोग ही हैं जिनके पास तीन हथियार है। पंजाब में मिलिटेंसी के पीरियड में मेरे ऊपर अटैक हुआ और मुझे गोली लगी। तीन साल के बाद दोबारा अटैक हुआ और मेरे आठ सिक्युरिटी गार्डस मार दिए गए। उसके बाद जिस पीएसओ को लगाते थे, वह बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता था कि इसे तो मरना ही है, हम इसके साथ क्यों मरे, यह सच्ची बात है। उसके बाद हमारे दोस्त और रिश्तेदार लाइसेंसी वेपन लेकर चलते थे, ऐसा टाइम हमने निकाला है। हमने पंजाब में विलेज डिफेंस कमेटी बनाई, जिन्होंने मिलिटेंसी के टाइम में मिलिटेंट के साथ लड़ाई लड़ी। उनमें से सात लोगों को शौर्च चक्र मिला, जिन्होंने देश में अपनी लाइसेंसी वेपन के साथ देश की लड़ाई लड़ी। आज इसे तीन से दो कर रहे हैं, इसका लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। आर्म्स लाइसेंस मिलता है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन पासपोर्ट से ज्यादा होती है। इसके लिए कई चीजों से गुजरना होता है, इंटेलीजेंस की रिपोर्ट आती है, पुलिस की रिपोर्ट आती है। पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर दस साल होती है तो लाइसेंस की भी दस साल कर दीजिए। इससे टाइम बचेगा, करप्शन नहीं होगा और आम लोगों के लिए आसानी होगी।

महोदय, वैपन्स की डिमांड कम होग तो जॉब कट्स होंगे और प्रोडक्शन भी कम होगा। आप मुझे दो मिनट दीजिए। यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने दो सुझाव देने हैं।

HON. CHAIRPERSON: Your Party's time is already over. Please wind up in one minute.

श्री जसबीर सिंह गिल: प्रहिब्टेड बोर और नॉन प्रहिब्टेड बोर, दो तरह के वैपन्स के लाइसेंस होते हैं। प्रहब्टिेड बोर, जिन्हें बहुत ज्यादा थ्रैट होता है, जो एंटी सोशल एलीमेंट्स, माओइस्ट, टेररिस्ट के निशाने पर होते हैं, उनको दिए जाते हैं। यह लाइसेंस होम सैक्रेट्री सैंक्शन करता है। इसका रिनुअल भी होम सैक्रेट्री, स्टेट के पास आता है।

मेरा निवेदन है कि कम से कम इसका रिनुअल डीएम के पास करवा दें क्योंकि उनको उतना ही कष्ट उठाना पड़ता है और प्रोसीजर भी लंबा हो जाता है। लाइसेंस तो होम सैक्रेट्री इश्यू करे लेकिन इसे रिन्यु डीएम करे, मेरा निवेदन है कि यह प्रोवीजन जरूर कीजिए।

महोदय, वैपन्स का इम्पोर्ट एलाऊ करना चाहिए। आप 500 परसेंट ड्यूटी लगाइए, लोगों को अच्छा वैपन मिलेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा।

महोदय, राज्यवर्धन जी ने दो बातें कही हैं, एस्पाइरिंग स्पोर्ट्समैन को जरूर कुछ न कुछ रियायत दीजिए। पुलिस की फाइरिंग रेंजेज़ को एक बार खुलवा दीजिए, चाहे हफ्ते में एक बार ही हो। धन्यवाद।

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill, the Arms (Amendment) Bill, 2019 on behalf of DMK Party. I rise to oppose this Amendment Bill, 2019.

Indian Government is crawling back to colonial mindset by confining the rights of gun licence holder to one-gun theory. Right to have guns is one of the earlier freedoms outlined in the USA's Bill of Rights. Without guns in the hands of the people, all the other freedoms are easily negated by the State.

The firearms would be registered under the National Database Arms Licence, NDAL, and the Arms Licence Issuance System, ALIS, along with the owner's address, the type of the firearm, its serial number, etc. Those criminals who want to commit crimes will not and do not bother to purchase firearms legally and register them.

Authenticate evidence provided by the NCRB in its 2017 statistics detailing the occurrence of crime shows that more crimes happen due to unlicensed and untraceable weapon. So, there is no point in curtailing the rights of licence holders by the Government.

The strengthening of three-to-one gun theory by the Government is in no way going to address the root causes of crime-spiralling due to illegal firearms.

The Government should concentrate more on taking actions rather than on formulating laws.

The Government is indirectly making India less competitive in the global arena by limiting the quality and uniqueness of arms that could be manufactured within India.

Thank you very much.

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): The bell seeks to decrease the number of licenced firearms allowed per person and increase penalties for certain offences under the Act. It also introduces new categories of offences.

The Bill provides for punishment for holding unlicensed firearms. That is a good step. But what are the measures being taken by the Government to stop smuggling of arms and ammunition into the country?

16.00 hrs

Until March, 2019, the police had seized 174 illegal firearms and more than 2,000 live cartridges from various individuals in Delhi alone. The Government has to define what a firearm is. There are various sporting facilities across the country where competitive sport is practised in the field. Will they be affected as well? What are the provisions for the same?

The Bill proposes the tracking of firearms and ammunition, which is a good step. But who guards the guard? Will the privacy of people holding firearms not be compromised?

There has to be a holistic mechanism for the collection and protection of data. The Government has still not tabled the Data Protection Bill in Parliament.

The Bill prohibits using firearms in celebratory gunfire which is a good step. But there has to be provision for banning the using of arms for other acts like a farmer using a licensed gun to ward off animals from his crops.

The Government in 2016 had claimed that demonetisation would kill terrorism. To counter that, requires holistic policies and strong action; and far-reaching and overarching legislation is also required.

In this context, what has the Government done to curb terror? Has demonetisation reduced the number of terror activities by stemming the flow of illegal cash? Has the Government found out the number of attacks post the announcement of demonetisation? Thank you.

*__SHRI HEMANT PATIL (HINGOLI):__ Hon'ble Chairman Sir, Thank you, very much. The Bill which has been brought here is very necessary in the backdrop of increasing criminal activities and illegal weapon trade in our country. Some restrictions would be imposed on the licensed arms holder through this Bill. But, I would like to request you to kindly reconsider it as the arms licence holder has to pass through rigorous and very strict screening process. He has to fulfill all the terms and conditions and submit all the necessary papers before getting the licence.

Through this Bill, you are going to restrict only two arms at a time. Many families and even freedom fighters have got more than two weapons. Our country is known as warriors country and we belong to this martial race. Many of us have old weapons as our ancestral property. What would we do with traditional , ancestral and inherited weapons? That is a question which should be answered. So, I have a request. We have banned import of weapons since 1984. We have arms factories at Kolkata and Ambarnath. But the weapons manufactured in these factories are of substandard quality and it takes a lot of time to repair these weapons once they got malfunctioned.

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi

16.04 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

So, it is my request to you that import of foreign made weapons should be allowed. Necessary taxes should also be levied on the imported arms. Secondly, all the MPs who have been elected by 15-20 lakh people should be allowed to keep weapons and latest and sophisticated weapons should also be allowed to import. You can see that illegal arms factories and illegal arms trade is on rise in our country.

I want to congratulate you for bringing some strict norms. Lastly, I would like to request you that this Bill should be referred to a Joint Select Committee and weapons import policy should be revisited.

Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, a number of suggestions have already come on the Bill. So, I will delve into a little bit of its history.

It was with the Central Asia marauders who attacked India 1,200 years ago, and they brought gunpowder into this country, which actually changed our history to a very great extent. The first use of gunpowder was demonstrated in a very large scale in the First Panipat War where a very small contingent of the marauders from Central Asia changed the total history of our country. It was gunpowder because before that whatever war was being fought was with strength, swords and other things, but with canon, pistol or whatever names it was being called during that time, it was the changing factor.

Subsequently, after 500 years, it was the colonial powers from the European countries who traded firearms with our Kings and rulers of this country, and that actually changed our position to a very great extent. Subsequently, it became something, which we should possess for our protection and that is why a lot of advancement has been made in-between where technology has grown, fire power has also increased and sophistication also increased, which has led to illegal firearms. This is the reason why there is restriction in our country to contain the use of firearms to a very great extent.

I believe, that with this licensing policy that the Government has made during the last so many decades, it is necessary that we should not put more

restrictions on the licensing mechanism. Rather, more stringent action should be taken against illegal fire arms dealers. This is the reason why public order and Police, as being a State subject, a number of States have already been consulted. I would suggest that to curb illicit trade of fire arms, offenders of this should be dealt with full force.

The National Database of Arms License – Arms License System (NDAL-ALIS) has been created by the Government. As per NDAL-ALIS portal, 36,64,762 arms licenses were registered, and creation of a national database is actually to maintain a total list at the centralised-level of the licenses issued by the Central and State Governments, and by law-enforcing agencies in connection with it.

My only contention here is that the Home Ministry has proposed stringent punishment including jail till death for those illegally manufacturing prohibited arms. This reminds us about Mr. T. N. Seshan, who passed away very recently. We used to see on TV news channels the manner in which illegal arms were being used to subvert our election processes, but after Mr. T. N. Seshan's strict enforcement of the law, to a great extent, our elections are being conducted in a better manner, which has got recognition throughout the world.

The Bill covers five new areas, namely, illegal trafficking of arms, tracking arms and their component from manufacturers to end-users, organised crime, organised crime syndicates and celebratory firing. Here, it has sought to amend

Section 25 (1AA) of the Act to give a punishment from the usual life term of 14 years to imprisonment for the remainder of that person's natural life.

I would only mention something relating to the worry that was mentioned in this House by one of our hon. Members. There are a lot of worried people in the shooting sports community in India, and their anxiety is that it limits the number of weapons, which will hit new and emerging talent. The first weapon that one may buy is for safety, and then they buy a sports weapon. Therefore, I would request the Government, through you, Sir, that adequate steps need to be taken to encourage the sporting activity relating to shooting, which has brought a lot of laurels for this country.

With these words, I support the Bill. Thank you very much.

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, आयुध संशोधन विधेयक, 2019 पर इस सम्मानित सभागृह के बहुत सारे सदस्यों ने चर्चा की है। श्रीमती परनीत कौर, डॉ. सत्यपाल सिंह जी, श्रीमान राजा जी, श्री कल्याण बनर्जी जी, श्री जी. माधव जी, श्री सामंत जी, श्री अरविंद जी, श्री श्याम सिंह यादव जी, श्री महाबली सिंह जी, श्री के. प्रभाकर रेड्डी जी, श्री दादासाहब पाटील, श्री एस. टी. हसन जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौर, श्री ओवैसी जी, श्री जगबीर सिंह जी, श्रीमती माला राय, श्री हेमंत पाटिल जी, श्री भर्तृहरि महताब जी आदि सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस विधेयक पर व्यक्त किए हैं। भारत के संविधान में आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव्ज संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में हैं। कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि कहीं राज्यों के अधिकार तो केंद्र सरकार नहीं ले रही है। यह शुरू से सैंट्रल एक्ट है और इस एक्ट के तहत राज्यों को भी अपने राज्य की सीमा के अंदर लाइसेंस देने का अधिकार प्राप्त है। इस बिल से किसी भी राज्य का कोई अधिकार छीना नहीं जाने वाला है। शस्त्र और गोला बारूद का नियंत्रण करना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि इसका प्रभावी नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है और यह प्रभावी नियंत्रण करने के लिए मैं संशोधन लेकर इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, भर्तृहरि जी ने थोड़ा पीछे जाकर बात कही और यह बात सही है कि पहली बार अंग्रेजों ने एक कानून सन् 1857 की क्रांति के बाद बनाया था। सन् 1857 की क्रांति में देश की आजादी के ढेर सारे मतवालों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र आंदोलन किया। एक लड़ाई छिड़ी, एक जंग छिड़ी और बहुत लम्बी भी चली, लेकिन अंततोगत्वा हम पराजित हुए और अंग्रेजों की जीत हुई। मगर जैसे ही कम्पनी के हाथ से राज्य जाने के बाद ब्रिटिश ताज का राजा आया, उन्होंने सैन्य बलों को मार्शल तथा गैर मार्शल केटेगरी के अंदर पुन:व्याख्यित किया, पुन:गठित किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला नियम वर्ष 1860 में बनाया, जो बाद में भारतीय सशस्त्र अधिनियम

1878 के नाम से जाना गया। ये दोनों कानून, पहले नियम और बाद में कानून, दोनों सन् 1857 की क्रांति का ही नतीजा थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनकी अनुमति के बगैर देश की जनता के हाथ में कहीं पर कोई हथियार या गोला बारूद न रहे और इस प्रकार उन्हें निकालने का ऐसा सामूहिक प्रयास फिर से न हो। जब यह कानून आया, तब यह अधिनियम ब्रिटिश आधिपत्य और शासक वर्ग के हितों और उनके शासन की रक्षा के लिए आया था। मूल कानून का उद्देश्य यही था और जब महात्मा गांधी जी ने इस देश में आजादी की लड़ाई छेड़ी, तब गांधी जी ने इस मुद्दे को देश के अधिकार के साथ जोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की भर्ती के पैम्फ्लेट में महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था कि इतिहास इस अधिनियम को पूरे राष्ट्र के लोगों को हथियारों से वंचित रखने का कदम सबसे काला अध्याय मानेगा। तब गांधी जी ने आर्म्स एक्ट को निरस्त करने की मांग भी की थी और उस समय इस परिप्रेक्ष्य में यह मांग हुई थी कि अंग्रेजों ने इस देश की सारी जनता का निशस्त्रीकरण करने का इसलिए प्रयास किया था कि सन् 1857 जैसी क्रांति कभी न हो।

वर्ष 1926-1927 में आर्म्स एक्ट के सत्याग्रह के रूप में नागपुर के अंदर एक आंदोलन भी छेड़ा गया और 1930 में इरविन को लिखे 8 बिन्दुओं के जो गांधी जी के पत्र थे, गांधी जी ने 8 बिन्दुओं को, इस देश की जनता, इसके सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया और उन बिन्दुओं में से एक बिन्दु हथियार धारण करने का अधिकार भी था। गांधी जी ने जब इरविन को पत्र लिखा, तब कहा था कि सन् 1857 के अंदर जब क्रान्ति हुई, तब इसके बाद समूचे देश का निशस्त्रीकरण कर दिया और आपने हमारा यह अधिकार हमसे छीना है। मगर जब आज़ाद हुए, हम जब अपना संविधान बनाने बैठे, संविधान सभा की जब बैठक हुई, उस वक्त इस इतिहास को भी संविधान सभा में दोहराया गया और कहा गया कि अब तो हमारा शासन है। जनता के हथियार जनता के पास रहें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है और यह हमारी आज़ादी के आंदोलन का मुद्दा भी रहा है। तब इसको हटा लेना चाहिए था। एक्ट को रिपील कर देना चाहिए था, नए संविधान में इसको जगह देनी चाहिए। मगर बहुत सारी चर्चा

के बाद डॉ. अम्बेडकर की सिफारिश पर इसको नये सिरे से खारिज़ किया गया और कहा गया कि चूंकि अब हमारा शासन है, इसलिए किसी को भी स्वतंत्रता संग्राम करने की जरूरत नहीं है। जनता की रक्षा का दायित्व खुद की चुनी हुई सरकार का है। इसलिए अब इस एक्ट का तत्कालीन कोई महत्व नहीं रहता। मतलब आज़ादी की दृष्टि से देखने का महत्व नहीं रहता, क्योंकि हम आज़ाद हैं। अगर एक चुनी हुई सरकार ही जनता की रक्षा करती है तो फिर शस्त्र की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि अब किसी को अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम ही नहीं करना है और उसके बाद शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक संविधान की 7वीं अनुसूची की पहली लिस्ट में संघ की सूची में सं. 5 पर शामिल किया गया। इस प्रकार से केन्द्रीय कानून चला है।

शस्त्र अधिनियम 1959 लागू हुआ। शस्त्र के निर्माण, विक्रय, आयात-निर्यात, सब प्रावधान इसके अंदर फिर से लिए गए और लगभग तीन दशक के बाद 1988 में सांप्रतिक परिस्थितियों के आधार पर इसकी समीक्षा की गई। आज उसके बाद पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इसके अंदर संशोधन लेकर आई है। अब मैं संशोधन के जो बिन्दु हैं, उनको थोड़ा बताना चाहूंगा कि संशोधन से क्या उपलब्धियां होंगी।

खिलाड़ियों पर संशोधन का असर आएगा, ऐसी चिंता कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है। कुछ सदस्य मुझसे भी मिले हैं। श्रीमान् राज्यवर्धन भी खिलाड़ियों की चिन्ता करते हुए मुझसे मिले हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों को जो हथियारों की संख्या दी गई है, उसमें लाइसेंसों का अलग-अलग प्रकार और शस्त्र दोनों में वृद्धि की गई है। कहीं पर कटौती नहीं की गई है। इसलिए किसी भी खिलाड़ी को खेल के लिए, शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी पूरी चिन्ता इस संशोधन के अंदर हमने की है। पहले सिर्फ .22 बोर की राइफल और एयर राइफल दी जाती थी। अब अलग-अलग शस्त्र देने का भी प्रावधान किया गया है। अल्टीमेटली जो प्रस्थापित खिलाड़ी हैं, उनके लिए 2+7 शस्त्रों का प्रॉविजन हमने किया है। जूनियर खिलाड़ी जो प्रैक्टिस में जाने

वाले हैं, सबके लिए अलग-अलग प्रावधान किया है। इसलिए इसकी किसी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

सैन्यबल के रिटायर्ड अधिकारी और सर्विस में जो अधिकारी हैं, उनको भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके प्रॉविजन के अंदर भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उनके प्रॉविजन को भी as it is रखा गया है। पूर्व सैनिकों को भी इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे एक जिम्मेदार नागरिक हैं।

अधिनियम की धारा 5,6 और 11 के उल्लंघन में आग्नेय अस्त्र और गोला बारूदों के अवैध निर्माण, विक्रय और सम्परिवर्तन आयात-निर्यात, गैर-कानूनी आयात-निर्यात के लिए पहले जो सज़ा का प्रावधान था, उसमें हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इस सदन में किसी को आपत्ति हो सकती है। जो गैरकानूनी हथियार बनाते हैं, बेचते हैं, इसकी तस्करी करते हैं और उसको देश से बाहर निर्यात करते हैं, उनको आजीवन कारावास तक की सजा मिले, सात वर्ष से आजीवन कारावास तक, जो जज साहब न्याय करेंगे, उनकी मुंसिफी पर छोड़ कर, सात साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। मैं मानता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति होने का सवाल नहीं है। प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद को अपने कब्जे में रखने के लिए भी पांच साल से दस वर्ष तक की कारावास की जगह सात वर्ष से चौदह वर्ष तक की कारावास का हमने प्रावधान किया है और 25(1) को संशोधित किया है। उन मामलों में, जो शस्त्र पुलिस बल से छीन लिए जाते हैं, कहीं पर नक्सलवादी एरिया है, सरहदी एरिया है, वहां पर पुलिस के शस्त्र चुरा लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, इन सभी में भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है और 25(क)(ख) में इसका संशोधन किया है।

मान्यवर, यह इसलिए बेहद जरूरी है कि कई नक्सल, वामपंथी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में यह नजर में आया है कि वे पुलिस स्टेशन पर रेड कर देते हैं, सारे हथियार उठा कर ले जाते हैं और उसी का उपयोग राज्य सरकार एवं पुलिस के सामने होता है। सेना के हथियार भी चुरा लिए जाते हैं और छीनने का भी प्रयास होता है। ऐसे सारे लोगों के लिए, जो पहले छ: साल की सजा थी, उसमें हम ने बहुत बढ़ोतरी की है। जो अवैध रूप से उसका निर्माण करते हैं, उनके लिए भी महत्तम आजीवन कारावास तक की सजा को हम ने बढ़ाया है। अभी तो परिस्थिति ऐसी थी कि कोई एक देसी पिस्तौल, कट्टा रखता है और चलाता है तो उसको भी तीन साल तक की सज़ा और जो बनाता है, उसको भी 3-7 साल की सज़ा है। मैं मानता हूं कि जिसके पास वह है, वह तो विक्टिम है, असली गुनाहगार कट्टा बनाने वाले हैं, अवैध हथियार बनाने वाले हैं, जिनके लिए आजीवन कारावास का प्रोविजन किया गया है। विभिन्न छोटे अपराधों के लिए एक वर्ष से तीन वर्ष की सजा के स्थान पर दो-पांच वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान किया है। संगठित अपराध और सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने के लिए, जो आतंकवादी ग्रुप है, नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और संगठित अपराधी हैं, जो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, हम ने उनके लिए भी आजीवन सजा का प्रावधान किया है। जिससे उनको बेल न हो पाए और कठोर सजा का प्रावधान जरूरी है। जहां तक लाइसेंस के रिन्युअल का प्रश्न है तो उसे तीन साल से पांच साल कर दिया गया है, जिसके कारण सभी की रिन्युअल की दिक्कत कम हो जाएगी। लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे हम नकली लाइसेंस एवं अन्य चीजों पर कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी अन्य चीजों के लिए भी जो उचित बदलाव थे, इस संशोधन में किए गए हैं। हम ने इस बिल को लगभग एक महीने पहले गृह विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रखा था, इस पर बहुत सारे संशोधन आए हैं। बहुत माननीय सदस्य मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिले हैं। माननीय अध्यक्ष जी के सामने बिल की चर्चा करने की आपने बहुत अच्छी परंपरा बनाई है, उस वक्त भी सभी लोगों ने सुझाव रखा था कि एक लाइसेंस कम है, हमारे पास तीन-तीन शस्त्र हैं, थोड़ा छीन

लें, लेकिन तीन की जगह एक का प्रावधान न करें। थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी बताई गई थी। जो खेत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां बड़ा हथियार चाहिए, शहर में दो नाली गन लटका कर नहीं जा सकते हैं, वह अच्छा नहीं लगता है, तो मिनिमम दो हथियार होने चाहिए।

मान्यवर, सभी की बातों को सम्मान देते हुए मैं एक अधिकृत संशोधन भी लेकर आया हूं, हम एक हथियार की जगह, दो हथियार रखने का प्रावधान लेकर आए हैं।

मान्यवर, सभी सम्मानीय सांसदों ने यह दलील दी थी कि लाइसेंस वाले हथियार से कभी हत्या नहीं होती है। मैं थोड़े तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो इम्प्रेशन है, हमें उसको बदल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 4,848 हत्याओं में से अवैध हथियार से 1,302 हत्याएं हुईं और लाइसेंसी हथियार से 191 हत्याएं हुईं। ऐसा नहीं है कि उनसे हत्याएं नहीं होती हैं। मैं सिर्फ वर्ष 2016 की बात कर रहा हूं। बिहार के अंदर लाइसेंधारी हथियार से 12 हत्याएं हुई हैं, हमें इसे बहुत बड़ी संख्या माननी चाहिए। झारखण्ड में भी लाइसेंसी हथियार से 14 हत्याएँ हुई हैं। मैं मानता हूँ कि 14 लोगों की जान जाना कम नहीं है।

मान्यवर, एक जमाना था, जब पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने 50-50 किलोमीटर की दूरी पर होते थे, बहुत दूर होते थे। पुलिस तक पहुँचने में दिक्कत होती थी, पुलिस तक कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती थी। अब बहुत-से नम्बर्स भी बने हैं। सूचना की अलग-अलग व्यवस्थाएँ बनी हैं। देश में पुलिस तक पहुँचने की रेंज, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा-से-ज्यादा, मैं ज्यादा-से-ज्यादा कह रहा हूँ, आधे घंटे की है और शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट की है। इसलिए आजादी के समय से हथियार रखने की जरूरत अब काफी कम हुई है। मैं मानता हूँ कि यह कानून आने के बाद, जो लोग सेलेब्रिटी फायरिंग करते थे, जिसे हर्ष फायरिंग कहते हैं, किसी की शादी है, तो धड़ाधड़ हवा में फायरिंग करते हैं, कोई चुनाव जीतता है, तो हवा में फायरिंग कर देते हैं, कोई धार्मिक उत्सव है, तो भी हवा में फायरिंग कर देते हैं। इसके कारण वर्ष

2016 में 169 लोगों की जानें गईं। हर्ष फायरिंग बहुत ही गंभीर चीज थी। इसमें भी हमने सजा का प्रावधान कर दिया है और हर्ष फायरिंग करने वालों को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।

मैं मानता हूँ कुल मिलाकर हथियारों की अवैध तस्करी, स्वचालित हथियार, पहले कट्टा मिले या ए.के. 47 मिले, इसके लिए लगभग समान सजा थी। अब तस्करी में ए.के. 47 मिलेगी, तो आजीवन कैद हो जाएगी। ऐसे ढेर सारे समयानुकूल बदलाव मैं लेकर आया हूँ। यह ऐसा बिल है कि जिसे पॉलिटिकल पक्षपात से ऊपर उठकर देश भर में कानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह बिल है। इसलिए सभी लोग इसका समर्थन करें। मैं ऐसी विनती करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

Clause 2 ***Amendment of Section 2***

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री सुरेश कोडिकुन्निल, क्या आप संशोधन संख्या 29 मूव करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page 1, line 10,–

after "form"

insert "which is duly authorized and digitally endorsed and is subject to express revocation upon violation of conditions for issue of licence and eligible for reissue". (29)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 ***Amendment of Section 3***

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,-

"एक अग्न्यायुध" के स्थान पर

"दो अग्न्यायुध" प्रतिस्थापित करें। (54)

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,-

"एक" के स्थान पर

"दो" प्रतिस्थापित करें। (55)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,-

"कोई एक" के स्थान पर

"कोई दो" प्रतिस्थापित करें। (56)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,-

"अग्न्यायुधों" के स्थान पर

"अग्न्यायुध" प्रतिस्थापित करें। (57)

पृष्ठ 2, पंक्ति 18,-

"एक अग्न्यायुध" के स्थान पर

"दो अग्न्यायुध" प्रतिस्थापित करें। (58)

(श्री अमित शाह**)**

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 3 मूव करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं मंत्री जी के समक्ष एक छोटी-सी बात रखना चाहता हूँ। …(व्यवधान) बात यह है कि आपने इसमें पनिशमेंट के सारे इंतजाम किए हैं। सब ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई लोकल पुलिस इसका मिसयूज़ करते हुए, इसका एब्यूज़ करते हुए पकड़ा गया, मान लीजिए कोई आपके हाथ में एक आर्म थमा देता है, तो वह क्या करेगा?

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात्,-
"परंतु यह और कि जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त अथवा मान्यता प्राप्त किसी राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन को कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, वह व्यक्ति तीन अग्न्यायुध को रख सकता है।"
अंत:स्थापित करें। (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तीन अग्न्यायुधों के स्थान पर दो अग्न्यायुधों का प्रावधान किया है, इसलिए I am not moving.

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश कोडिकुन्नील, क्या आप संशोधन संख्या 30 मूव करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I beg to move:

Page 2,*for* line 6,–

substitute “him none of such firearms and shall deposit, within thirty days from such”. (30)

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन संख्या 44 और 45 मूव करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Minister has given an exhaustive answer. My only concern here was rifle club or rifle association licenced or recognised by the Central Government using a point 22 bore rifle or an air rifle for target practice. अगर आप इस अनुष्ठान को रेकग्नाइज करते हैं, तो उनके लिए भी यह व्यवस्था होनी चाहिए।

Sir, I am not moving amendments no. 44 and 45 to Clause 3.

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): I beg to move:

Page 2, *after* line 14,--

insert “Provided also that the provisions of sub-section (2) of section 3 shall apply to those applicants who apply for arms licence after the coming into force of this Act.”. (50)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 ***Amendment of Section 5***

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 16, --

after "procure,"

insert "possess,". (7)

Hon. Speaker, Sir, I did not speak on the Bill. It is a very positive and valid amendment. The hon. Minister may kindly see that the words 'manufacture', 'obtain', and 'procure' are there in the Bill. My only amendment is that there is a difference between 'procurement' and 'possession'. So, my amendment is 'manufacture', 'obtain', and 'procure' and 'possess'. Even possessing a weapon more than what is stipulated will also be punishable.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am not moving amendment no. 31 to Clause 4.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।
खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 7 *Amendment of Section 13*

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश क्या आप संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I beg to move:

Page 2, line 23, --

after "firearm"

insert ", including point 22 bore pellet guns or air rifles". (32)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 ***Amendment of Section 15***

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL : I beg to move:

Page 2, line 26,--

for "five"

substitute "ten". (4)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I am not moving amendments no. 8 and 9 to Clause 8.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री विनायक भाउराव राऊत, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री विनायक भाउराव राऊत: मैं संशोधन संख्या 27 को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग थी कि रिन्यूअल के बारे 3 साल से 10 साल तक बढ़ाइए, लेकिन मंत्री महोदय ने 3 साल से 5 साल तक का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am not moving amendments no. 33 and 34 to Clause 8.

माननीय अध्यक्ष : श्री टी.एन. प्रथापन, क्या आप संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): I beg to move:

Page 2, line 26,--

for "five"

substitute "six". (46)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL: I beg to move:

Page 2, line 26,--

for "five years"

substitute "ten years". (51)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 51 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 ***Amendment of Section 25***

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I beg to move:

"Page 3, *omit* lines 4 to 7." (5)

"Page 3, *after* line 12, --

insert "Provided that the prosecution must prove beyond reasonable doubt that the person has actually taken the firearm from the police or armed forces by using force."." (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 10 से 16 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving amendment Nos. 10 and 16; I am not moving rest of the amendments. The Government should take into consideration, 'procure' and 'posses' at least in the future.

I beg to move:

"Page 2, line 37,--

after "procure"

insert ", possess"." (10)

"Page 3, line 29, --

after "procure"

insert "possess,"." (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

श्री अरविंद सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, the hon. Minister has given a satisfactory reply. Hence, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 35 से 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन, क्या आप संशोधन संख्या 47 से 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI T. N. PRATHAPAN: Sir, I beg to move:

"Page 2, lines 42 and 43, --
for "imprisonment for life"
substitute "twelve years"." (47)
"Page 3, line 3, --
for "seven years but which may extend to fourteen years"
substitute "five years but which may extend to eleven years"." (48)
"Page 3, line 30,--
after "transfer,"
insert "assemble,"." (49)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 से 49 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 52 और 53 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

"Page 3, line 46,--

for "economic or other advantage"

substitute "economic or any other illegal or immoral purpose to the advantage"." (52)

"Page 4, *after* line 20,--

Insert "Provided that in case of death or injury caused by the use of firearm in celebratory gunfire in rash or negligent manner, the person guilty of the offence

shall, in addition to above punishment, be also liable to pay a compensation of rupees twenty lakhs in case of death and two lakhs in case of injury to the kin of victim or the victims, as the case may be"." (53)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 52 और 53 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 ***Amendment of Section 44***

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 43 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

श्री अमित शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.38 hrs

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2019

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 20.

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, आज इस महान सदन के सामने मैं एक ऐतिहासिक विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस विधेयक को इस महान सदन की अनुशंसा मिलने के बाद ही लाखों-करोड़ों लोग यातनापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक बनेंगे।

मान्यवर, आज सुबह बहुत सारी चर्चा हुई थी कि इससे किसी को सिंगल-आउट करने की बात है, किसी के साथ अन्याय करने की बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की बात है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई मेरी बात को ध्यान से सुनेगा और इस विधेयक को फिर से पढ़ेगा, मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अगर होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70-70 साल से न्याय की राह देख रहे हैं।

मान्यवर, पॉलिटिकल एजेंडा की बात की गई है, तो पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है? हम चुनाव में जाते हैं। हम बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं। हर पार्टी अपना-अपना घोषणा-पत्र घोषित करती है और घोषणा-पत्र को जनता के सामने रखती है, उसका प्रचार करती है। घोषणा के बिन्दुओं को सारे देश की जनता के सामने, सारे प्रत्याशी, सभी पार्टी के लोग रखते हैं। इसके आधार पर एक जनमत की निर्मिती करते हैं और निर्मित हुआ जनमत अपनी सरकार का चयन करता

है। इसमें पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? यह संवैधानिक प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल को किसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? सिर्फ अपने नेता के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, परिवार के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? किसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? मैं यह मानता हूं कि पार्टी की विचारधारा और पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, जो इस देश की जनता की अपेक्षाओं में से निर्मित होता है। चुनावी घोषणा पत्र क्या होते हैं, जो देश की जनता राजनीतिक दलों से अपेक्षा रखती है। जब राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में जाती हैं, उनके संगठन के लोग जाते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं, जो बातें सुनते हैं, उनकी संवेदना को सुनते हैं, वह अंततोगत्वा तो घोषणा पत्र के अंदर ही समाहित होती हैं। वह चुनावी एजेंडा नहीं होता है। वह पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है। वह देश की जनता की जनभावनाओं का प्रतिबिंब होता है, जिसको देश की जनता ने स्वीकृत किया है। यहां यही हुआ है।

मान्यवर, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में हमारे दोनों चुनावी मेनिफिस्टो के अंदर और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जब वर्ष 2019 में मेनिफिस्टो की घोषणा की गई थी, तब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसको रखने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, हमने कहा था, हमने घोषणा पत्र में कहा था कि हम हमारे पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को, माइनोरिटी के, मेरे मित्र जिसका विरोध कर रहे हैं, यह उसका एजेंडा है। क्यों एजेंडा है, क्योंकि आप मानते हैं कि माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैंने कई बार आपके मुंह से सुना है कि माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो बांग्लादेश की माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? पाकिस्तान की माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? अफगानिस्तान की माइनोरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? मान्यवर, कौन भेद-भाव कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूं। कौन भेद-भाव कर रहा है? हम एक जगह पर तो खड़े हैं। माइनोरिटी सिंगल आउट है।...(व्यवधान) अरे हम

क्या करें? माइनोरिटी को ही अधिकार दे रहे हैं। मगर वह माइनोरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है।

मान्यवर, हमने कहा था कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित, धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटिजनशिप अमेंडमेंड बिल, जिसको सीएबी के पापुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने इसके साथ में यह भी कहा था कि हम पूर्वोत्तर राज्यों के उन वर्गों के लिए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयास करेंगे, जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है और पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए भी हमारी प्रतिबद्धता है।

मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आया हूं, वह बिल हमारे उस घोषणा पत्र के अनुरूप है, जिसको इस देश की 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी को मैन्डेट के साथ अप्रूव किया है। यह सालों की मांग है। इस सदन को इसमें पार्टी की आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। वहां से लाखों-करोड़ों लोग धकेल दिए गए हैं। कोई भी आदमी अपना देश वैसे ही नहीं छोड़ता है। देश छोड़िए, जनाब गांव नहीं छोड़ता है। कितने प्रताड़ित हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, कितने अपमानित हुए होंगे। तब जाकर वे देश को छोड़कर यहां शरण में आए हैं। इतने सालों से न उनको मताधिकार है, न उनको शादी का अधिकार है, न उनको सरकारी नौकरी का अधिकार है, न घर खरीदने का अधिकार है, न शिक्षा का अधिकार है, न स्वास्थ्य का अधिकार है। मान्यवर, ये लाखों-करोड़ों लोग नर्क की यातना के अंदर जी रहे हैं। आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बिल के आने के बाद उनको सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। हम इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं। मैं आप सबकी बात सुनने के बाद इस विषय पर आऊंगा। मैं एक-एक चीज का जवाब दूंगा। मगर मेरी सभी पक्ष और विपक्ष तथा सभी सांसद महोदयों से एक आग्रहभरी विनती है कि चर्चा को शांति से सुनें और चर्चा में शांति से हिस्सा लें।

जब कोई खड़ा होता है, आपके विचार के अनुकूल नहीं बोलता है, टोका-टोकी करना, बिठा देना, मैं नहीं मानता कि यह महान सदन की गरिमा के अनुरूप है। सुबह मैंने शांति से आप सबको सुना। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो बीच-बीच में खड़े हो जाते थे। भय्या, मुझे भी तो सुनो। मैं भी तो सांसद हूँ। 18 लाख लोगों ने मुझे भी तो चुन कर भेजा है। ऐसा कैसे चलेगा कि आप मुझे नहीं सुनोगे? तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम चर्चा के अंदर जो हिस्सा लें, वह सदन की गरिमा के आधार पर लें।

मान्यवर, यह बात सही है कि विविधता में एकता ही हमारे देश को एक रखने का सबसे बड़ा मंत्र है। मान्यवर, सहिष्णुता हमारा गुण है। कभी भी इस देश ने सीमाओं को लांघ कर किसी पर आक्रमण नहीं किया है। मान्यवर, दस हजार साल का इतिहास है, यहां से सेना कभी इसके बाहर नहीं गई है। सहिष्णुता हमारा गुण है। बदलाव को हमने खुलेपन से स्वीकार किया है। इसी कारण यह देश इतनी सदियों से चल रहा है। बदलाव को हम स्वीकार करते हैं। बदलाव को अपनी संस्कृति में समाहित करते हैं और संस्कृति की यात्रा को और आगे ले जाते हैं। सामूहिक चित्त और मानस हमारी संस्कृति का अविभाज्य हिस्सा है। यह बिल उसी को परिव्याख्यायित करने वाला बिल है।

मान्यवर, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि 15 अगस्त, 1947 को आजादी के बाद हमारी संविधान सभा ने पंथ निरपेक्ष राज्य को जो स्वीकार किया, इसका भारतीय जनता पार्टी और हम सब साथी दल हृदय से सम्मान भी करते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए हम लालायित भी हैं। हम सब पंथनिर्पेक्षता को स्वीकार करते हैं। किसी धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान की इस स्पिरिट को मान्यवर हम स्वीकार कर रहे हैं।

मान्यवर, मगर किसी भी सरकार का यह तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोकें। शरणार्थी और घुसपैठियों की अलग-अलग पहचान करें। यह भी तो राज्य का ही कर्तव्य है। वरणा क्या यह देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे? मान्यवर, जो बात करते हैं,

मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा देश ऐसा है, जिसने बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है। दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता है। लिबरल से लिबरल देश ने अपना कानून बनाया है। हमने भी बनाया है। इसीलिए हमने संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। नागरिकता के प्रावधान को अनुच्छेद 5 से 11 में किया है। मान्यवर, आज जो मैं बिल ले कर आया हूँ, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो जाएगा। मान्यवर, इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते।

मैं आपको बताता हूँ कि सन् 1947 में जितने भी शरणार्थी आए, सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया। हमने स्वीकार किया है, हर जगह पर रहते हैं, शायद ही हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा, जहां पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हों। कई लोग इस देश में बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी उसी कैटेगरी में आते हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मान्यवर, हमने उनको स्वीकार किया था। उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वे देश के प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री बन पाए थे। बड़े-बड़े उद्योगपति बने। इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिया। इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। इसके बाद बीच में सन् 1958 में दंडकारण्य योजना आई। यहां महताब साहब बैठे हैं, जो अभ्यास करते हैं, उनको मालूम होगा कि क्या थी- दण्डकारण्य योजना। यह भी शरणर्थियों को नागरिकता देने के बारे में थी। वर्ष 1971 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा जी ने बहुत राइटली इंटरवीन करके बंगलादेश की रचना की, रचना करने में भारत की सेना ने सहायता की, क्योंकि वहां बहुत प्रताड़ना हो रही थी। बंग्लादेश की रचना के बाद वर्ष 1971 तक के सारे जो शरणर्थी आए थे, उनको यहां शरण भी दी गई, नागरिकता भी

दी गई। किसी ने विरोध नहीं किया। हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया। इस देश की करोड़ों की जनता ने पाँच पैसे का बंग्लादेश का एक अलग टिकट सालों तक उनके निर्वहन के लिए लगाया। इसके बजट का जो बोझ आता था, उसके निर्वहन के लिए पाँच पैसे का एक अलग टिकट हम पोस्ट पर लगाते थे, आप सभी को याद होगा।

उसके बाद युगांडा में ईदी अमीन का शासन आया। भारतीय मूल के व्यक्तियों को निकाल दिया गया, फिर से सामूहिकता से नागरिकता दी गई। लंका क्राइसेस में भी काफी सारे भारतीय जो वहां गए थे, उनको नागरिकता दे दी गई। वर्ष 1985 में असम एकॉर्ड हुआ। राजीव गांधी और असम के छात्र नेताओं के बीच में हुआ। उसमें फिर से वर्ष 1971 तक असम में जितने भी लोग थे, सब को नागरिकता दे दी गई। उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया। हमने भी नहीं किया, क्योंकि हम समझते थे कि यह समय की जरूरत है। हमारे देश के जो लोग हैं, वे कहाँ जाएंगे। हमने विरोध नहीं किया और आज जब हम बिल लेकर आए हैं, तो कृपया इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत देखिए। जो यहां पर करोड़ों नागरिक आ गए हैं, करोड़ों हैं, जो नर्क की यातना में जी रहे हैं।

मैं बंगाल के सभी सांसदों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आपसे आशा है कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करेंगे। वे लोग भी चाहते हैं कि उनको जो अधिकार मिल रहा है, आप उसमें रोड़ा न डालो। मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहता हूँ कि आप चर्चा के अंदर यह साबित कर दीजिए कि यह बिल किसी के साथ भेदभाव करता है तो मैं यहाँ से बिल लेकर वापस चला जाऊँगा। मगर यह बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल नहीं है। मान्यवर, किसी का अधिकार नहीं छीना जाता है। इस बिल के अंदर हमने जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को मैं थोड़ा फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। यह विधेयक हमारे तीन पड़ोसी देश, जिनसे हमारी जमीनी सीमा छूती है, पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई

समुदाय के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलता है, जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ित हुए हैं। मान्यवर, वह धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, भाग कर आए हैं। या तो यात्रा का दस्तावेज ही नहीं है या दस्तावेज है तो वह दस्तावेज अपनी समय-सीमा को लांघ गया है। या तो दस्तावेज है नहीं, या तो अधूरा है, या समय-सीमा को लांघ गया है। यह सभी प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए इस बिल के अंदर प्रावधान है। अब मैं प्रावधानों को जरा डिटेल में बताता हूं।

मान्यवर, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1) (बी) में अभी प्रावधान है कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के और ट्रेवल दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो उसको अवैध माना जाता है। इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि ऐसे प्रताड़ित नागरिक जो 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको भारत सरकार ने 'द पासपोर्ट एक्ट, 1920 और फॉरनर्स एक्ट, 1946 के दण्डात्मक प्रावधानों से माफ कर दिया है, उनको नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1) (बी) में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रताड़ित प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की बात है। मान्यवर, यह आज की प्रक्रिया नहीं है। उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, जब श्रीमान राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मोदी जी ही प्रधान मंत्री थे, उस वक्त इन सारे लोगों को लाँग टर्म वीजा का प्रोविजन कर दिया गया था। उनको यहां रहने की एक प्रकार से अनुमति दे दी गई थी और आज उसी चीज को एक्सटेंड करते हुए, आज उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया से यह बिल आया है। मैं मानता हूँ कि लाखों-करोड़ों लोगों को नर्क जैसी यातना भरी जिन्दगी से यह विधेयक मुक्ति दिलाने वाला है और उनको भारत के नागरिक का एक सम्मानजनक आधार देने वाला है।

इस बिल को पहले लोक सभा ने पास किया, राज्य सभा में यह पास नहीं हो पाया। लोक सभा की अवधि खत्म हो गई और यह लैप्स हो गया। मैं इसे फिर से लेकर आया हूं।

मान्यवर, इसमें धारा 6(B) बिल्स लाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें भारत सरकार यह प्रावधान करेगी कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों, प्रतिबंधों व तौर-तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन या नैचुरलाइजेशन के माध्यम से…

महोदय, इस विधेयक में नागरिकता अधिनियम की धारा 18(2)(eei) में सरकार को इस के बारे में नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं।

मान्यवर, धार्मिक प्रताड़ना के कारण इन तीन देशों के जो अल्पसंख्यक यहां आए हैं, जो माइनॉरिटीज़ यहां आई हैं, मैं बार-बार यहां माइनॉरिटी शब्द इसलिए बोलता हूं, ताकि आपको मालूम पड़े कि हमें भी माइनॉरिटी की ही चिन्ता है। माइनॉरिटीज़, जो वहां से यहां आई हैं, जिनमें हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उन्हें एक अर्जी लगाने से नागरिकता मिलेगी और इसके रूल्स भारत सरकार बाद में बनाएगी। यह प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे प्रवासी, अगर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 या तीसरे शिड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरान्त नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भारत में उनके प्रवेश से ही नागरिकता दी जाएगी।

मान्यवर, उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आज वे बेचारे एप्लाई करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं। इस बीच किसी ने छोटा-सा घर ले लिया है, किसी ने स्कूटी ले ली है, किसी ने साइकिल ले ली, किसी को छोटी-सी नौकरी भी मिल गई है, वैसे उन्हें कुछ मिलता नहीं है, मगर किसी को मिल गया है तो उसे यह डर है कि उसका यह सब छिन जाएगा।

यह बिल उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं यह मानता हूं कि इस सदन के सभी सदस्यों को, विशेषकर बंगाल के सदस्यों को, बंगाल के अन्दर जो शरणार्थी हैं, नॉर्थ-ईस्ट के अन्दर जो शरणार्थी हैं, उन तक यह बात अच्छे से पहुंचानी चाहिए कि आप जिस तारीख से भारत में आए हैं, उस तारीख से आपको नागरिकता दी जाती है और इसके बीच में किसी की भी जरूरत नहीं है। कोई राशन कार्ड

निकालने की जरूरत नहीं है। ख्वामखाह लाइनें मत लगाइए। कोई आपको डरा देता है तो डरिए मत। मैं देश के गृह मंत्री के नाते कहता हूं कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है, हम नागरिकता देंगे।

मान्यवर, एक दूसरी दुविधा है कि अगर मैं आपको एप्लीकेशन देता हूं, तो उससे यह होगा कि अब तक तो मैं अवैध रूप से रहा हूं, तो मुझ पर केस हो जाएगा, यह भी भय है। यह भय खड़ा भी किया जा रहा है। कुछ पार्टियां प्रचार करती हैं कि एप्लीकेशन मत डालो वरना जेल में जाओगे। अरे भैया, उन्हें क्यों जेल भेजना है, बेचारे वैसे ही परेशान हैं।

मान्यवर, हम प्रोविजन लेकर आए हैं कि ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवासी या नागरिकता के बारे में कोई भी कार्रवाई चल रही है, या चल सकती है, तो वह भारत की नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। अगर ऐसी कार्रवाई चल भी रही है तो ऐसी कार्रवाई के साथ भी एप्लीकेशन करने के लिए पात्र होगा। अगर किसी पर केस चल रहा है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं।

मान्यवर, इसमें यह भी प्रोविजन किया है कि भारत सरकार का जो सक्षम अधिकारी होगा, इस कारण से नागरिकता के आवेदन को खारिज नहीं कर पाएगा कि उसके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के विषय में कोई कार्रवाई चल रही है, यह प्रोविजन भी हमने किया है।

मान्यवर, इस धारा में हमने यह भी प्रावधान किया है कि अगर कोई आवेदक, आवेदन की तिथि से किसी भी प्रकार से अधिकार या प्रिविलेज ले रहा है, मतलब अगर किसी की शादी हो गई, किसी को छोटी-मोटी नौकरी मिल गई, कोई पिओन बन गया या कुछ बन गया, किसी ने छोटा-सा मकान खरीद लिया, अगर कोई प्रिविलेज ले रहा है तो इस प्रावधान के तहत आवेदन करने से इन अधिकारों या प्रिविलेजेज से वह वंचित नहीं किया जाएगा, उसको सम्पूर्ण प्रोटेक्शन मिलेगा।

17.00 hrs

मान्यवर, हमने यह भी प्रोविजन किया है। बहुत सारे संसद सदस्यों ने तथा श्रीमान गोगोई जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई संस्कृति और सामाजिक संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? मान्यवर, इस बिल के अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं यह आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर या तो समझ कर, या समझे बगैर ढेर सारे लोगों के मन में एक भय खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। किसी को भयभीत या आक्रांतित होने की जरूरत है, इसलिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ इसको आपके सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, सबसे पहले अरूणाचल प्रदेश है। अरूणाचल प्रदेश, बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होता है। जो बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होते हैं, उनको इस कानून के बारे में कोई डर रखने की जरूरत है। वहां यह नागरिकता संशोधन कानून अप्लाई नहीं होगा। नागालैंड के थोड़े हिस्से को छोड़कर, इनरलाईन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है। उनकी यह प्रोटेक्शन चालू रहेगी। पूरा मिजोरम भी इनरलाईन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, जो कि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का प्रावधान है। वह भी चालू रहेगा। मणिपुर राज्य की भावना को ध्यान में रखकर मणिपुर को हम इनरलाईन परमिट सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। मणिपुर की घाटी की बहुत बड़ी समस्या का आज समाधान हो रहा है।

मान्यवर, मणिपुर की घाटी के सारे लोग बहुत समय से इसकी मांग कर रहे थे। आज मैं मणिपुर के लोगों की ओर देश के प्रधान मंत्री का कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मणिपुर की सालों पुरानी मांग आज पूरी कर दी है। त्रिपुरा में ए.डी.सी. क्षेत्र में सी.ए.बी. लागू नहीं होगा। जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उसी में सारे ट्राइबल को समाहित करने का काम किया है। पूरा मेघालय 6th शेड्यूल से कवर है। हम इसको सिक्स शेड्यूल से बाहर रख रहे हैं।

जहां तक असम का सवाल है, उसमें बी.टी.सी., कारबी आंगलोंग, दीमा-हसाओ जैसे सारे ए.डी.सी. को सी.ए.बी. से बाहर रखा गया है और जो असम का मूल प्रदेश है, वहां पर क्लॉज सिक्स है। सुबह गौरव भाई बात कर रहे थे कि यह असम अकॉर्ड की भावना है। गौरव जी, भावना का क्या करेंगे? वर्ष 1985 में राजीव गांधी जी ने असम अकॉर्ड किया और उसके बाद कुछ भी नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ भावना ही रही है, पहली बार क्लॉज सिक्स की कमेटी श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बनायी है और असम की भाषा-भाषी लोगों की संस्कृति और उनके राजनीतिक पहचान को जिंदा रखने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, अभी तक आपने क्या किया? मैं इस सदन के माध्यम से असम की जनता से भी पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने असम अकॉर्ड दिया, इतने सालों तक क्या किया? असम अकॉर्ड की कौन-सी चीज को आपने इम्प्लीमेंट किया? क्या एन.आर.सी. किया - ना जी। क्या क्लॉज-सिक्स किया - ना जी। क्या किया, तो एक-एक करके सारे लोगों को लाकर बसा दिया। असम का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां 15-15 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कोई नहीं बोला। अब जब हम इसे लेकर आ रहे हैं और इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, तब जाकर इसका विरोध किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि असम की छह समुदाय मोरन, मटक, ताई-अहोम, कोच-राजबोंगशी, सुटिया और टी ट्राइबल को भी अनुसूचित जाति में समाहित करने के लिए श्रीमान राजनाथ सिंह जी के समय से प्रयास हुआ है। अब हम इसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। बोडो समुदाय के सांस्कृतिक विकास के लिए भी बोडो म्यूजियम, सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, कोकराझार आकाशवाणी, दूरदर्शन का आधुनिकीकरण, सुपर फास्ट अरोनाई एक्सप्रेस का नामकरण भी भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ही दिया है। असम के इश्यू को भी हम इसी प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं। आज इस सदन के माध्यम से समग्र नॉर्थ-ईस्ट की जनता से कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट के सभी के

सभी राज्यों की चिंताओं का निराकरण इस बिल के अंदर समाहित है, कोई उकसावे में मत आना, कोई आंदोलन मत करना, बहुत हो चुका और अब यह देश शांति के साथ आगे बढ़ना चाहता है।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से चर्चा नहीं की। विगत 1 मास के अंदर 140 से ज्यादा संस्थायें, 140 से ज्यादा अलग-अलग एनजीओ, राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी राज्यों के नेता भी थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने लगभग 119 घंटे चर्चा की है। उन्होंने जो सुझाया, वे सारे सुझाव मैं इसके अंदर समाहित करने के लिए आया हूं। मेरे पास ढेर सारी लिस्ट है, मगर मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा। अगर वे मुद्दा उठाएंगे, तो मैं जरूर पढ़ूंगा। मैं सभी लोगों के साथ इस पर चर्चा करके आया हूं।

मान्यवर, हम इसमें रियायत भी दे रहे हैं कि अभी न्यूनतम रेजीडेंसी पीरियड एक प्लस ग्यारह, बारह वर्ष है। अब हम 31 दिसंबर, 2014 की कट ऑफ डेट रख रहे हैं। उन लोगों के 11 साल वर्ष 2025 में होंगे। हम इसको कम करके वन प्लस फाइव कर रहे हैं, तो वर्ष 2014 से 6 साल, यानी वर्ष 2020 में ये सब एप्लीकेशन भी कर सकेंगे और जल्दी से नागरिक बनकर भारत की मतदाता सूची में भी आ जाएंगे। उसके अंदर भी हम उनको बहुत बड़ी रियायत दे रहे हैं।

मैं मानता हूं कि यह जो रास्ता श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रशस्त किया है, उस रास्ते के माध्यम से देश में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग, तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहां आए हुए जो माइनोरिटी है, लघुमति है, उन लघुमतियों को, मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और स्मृति बहन पारसी कह रही हैं, पारसी भी है, पारसी समेत सभी माइनोरिटीज़ को यहां पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है।

अभी बिल को पुर:स्थापित करते वक्त बहुत सारे सदस्यों ने बिल की इस सदन की कांपिटेंसी पर सवाल उठाया था। वैधता के बारे में कहा था कि इस बिल को संवैधानिक रूप से यह सदन ले सकता है या नहीं ले सकता है। अभी भी किसी के मन में संशय है, तो प्लीज अपने वक्तव्य के अंदर

जरूर सदन के पटल पर यह रखिएगा। मैं एक शब्द को छोड़े बगैर, एक सांसद को छोड़े बगैर, हर एक का बहुत डिटेल में जवाब दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा दायित्व है कि विपक्ष के भी सारे सांसदों के सवालों का जवाब देना और इसको जस्टीफाई करना, तो मान्यवर, इतनी भूमिका के साथ मैं इस बिल को सदन के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। आप सभी लोग रचनात्मक दृष्टि से इसको लें। इतनी विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to move an amendment to the motion for consideration moved by the hon. Minister.

I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 2020."

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

"कि विधेयक पर राय जानने के लिए 31 मार्च, 2020 तक के लिए परिचालित किया जाए।"

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आपको बाद में मौका देंगे । आपको कब मौका नहीं दिया**?** अकेला नेता**,** अकेला चलो**,** फिर भी हर बात पर बोलते हैं ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): इस पर चर्चा और रिप्लाई क्या आज ही करेंगे? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जैसा सदन का विचार होगा, वैसा करेंगे।

श्री मनीष तिवारी जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, आज ही होगा। आप उनको बोलने दीजिए। कभी रात तक भी सदन चलना चाहिए।

श्री मनीष तिवारी जी।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जो यह नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 सरकार ने आज इस सदन में पेश किया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा विरोध इस विधेयक के साथ यह है कि यह असंवैधानिक है, गैर-संवैधानिक है, संविधान की जो मूल भावना है, उसके खिलाफ है और जिन आदर्शों पर डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी, उसके बिल्कुल विरुद्ध है।

चूंकि समय बहुत कम है, नहीं तो नागरिकता का सिद्धांत कहां से शुरू हुआ? मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता। बहुत वर्ष पहले जब यूनान में गणराज्य हुआ करता था, तब वहां पर नागरिकता का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। उसके बाद वर्ष 1648 में वेस्ट फेलिया की संधि हुई, उसके बाद नागरिकता के कन्सेपट को अमलीजामा पहनाया गया। वक्त बदलता गया, सत्ता राजाओं के हाथ से जनता के हाथ में चली गई। वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ, अंग्रेजी साम्राज्यवाद को यहां से भगाया। भारत की संविधान सभा ने उसके ऊपर अपनी चर्चा आरंभ की।

10 अगस्त, 1949 को डॉक्टर बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा “except one other Article in the Draft Constitution, I do not think that any other Article has given the Drafting Committee such a headache as this particular Article.” वह नागरिकता की धाराओं का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि नागरिकता एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है।

उस समय भारत के निर्माताओं ने यह बात तय की कि नागरिकता के दो आधार होंगे। पहला आधार भौगोलिक और दूसरा खून के रिश्तों के ऊपर आधारित होगा। धारा पांच से ग्यारह को भारत की संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद 1955 में नागरिकता का कानून बना और उसमें यह बात सुनिश्चित की गई कि नागरिकता के चार मापदंड होंगे। सबसे पहले जन्म, दूसरा डिसेंट, तीसरा पंजीकरण और चौथा नेचुरलाइजेशन, उसके बाद उस कानून को आठ बार संशोधित किया गया।

लेकिन देश में जितनी उतेजना इस संशोधन को लेकर देखने को मिल रही है, वह आज से पहले कभी नहीं दिखी। उसका कारण है, जो विधेयक लाया गया है, धारा 14, धारा 15, धारा 21, धारा 25 और धारा 26 जो संविधान में है यह उसके बिल्कुल खिलाफ है।

आज सुबह गृह मंत्री जी ने धारा 14 को पढ़ा था, मैं दोबारा से एक बार पढ़ना चाहता हूं। धारा 14 क्या कहती है, `Equality before Law’. "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." इसके क्या मायने हैं? इसके मायने है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक है या नहीं, उसको भारत के कानून के सामने बराबरी की नजर से देखा जाएगा। आज जो कानून लाया गया है, यह उस बराबरी को समाप्त करता है। इसी तरह से अगर धारा 15 को देखें, धारा 15 में कहा है “The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them.” इसका क्या मतलब हुआ। इसका

मतलब हुआ कि आप किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति या समुदाय को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते तो क्या आप नागरिकता देने में भेदभाव कर सकते हैं, यह बहुत बुनियादी सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब सरकार की तरफ से उत्तर आएगा तो जो जवाब दिया जाएगा।

इसी तरह से धारा 21 कहती है- It says:

> "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law."

इसका उल्लंघन करता है क्योंकि धारा 21 में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि जो भी कानून बनाया जाए, it should be equitable; it should be just; it should be fair; and it should be non-discriminatory. इन चारों मापदंड पर यह विधेयक पूरी तरह से गिरता है। वर्ष 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवनंद भारती का फैसला दिया तो कहा कि भारत के संविधान का यह बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंग पढ़ना चाहता हूं – They are: Supremacy of the Constitution, republican and democratic form of Government, secular character of the Constitution, separation of powers between Legislature, Executive and Judiciary, संविधान का मूलभूत ढांचा और सिद्धांत कहता है कि हर कानून पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। यहां आज जो विधेयक आया है, बेसिक स्ट्रक्चर और मूलभूत आधार का भी उल्लंघन करता है। वर्ष 1995 में जब बोम्मई का फैसला आया तो साफ तौर पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो कहा, मैं केवल उसका एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं –

> "Notwithstanding the fact that the words 'Socialist' and 'Secular' were added in the Preamble of the Constitution in 1976 by the 42nd Amendment, the concept of secularism was very much embedded in

our constitutional philosophy. Secularism is a basic feature of our Constitution."

यहां जो विधेयक लाया गया है, भारत के संविधान के प्रिएम्बल, मूलभूत अधिकार और स्वरूप का पूरी तरह से उल्लंघन करता है।

महोदय, इसके साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी संधि रीफाउलमेंट की है, जिसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी शरणार्थी चाहे किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, अगर वह आपके यहां आकर पनाह मांगे तो आप उसे पनाह देने से इंकार नहीं कर सकते हैं।

यह बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थियों की संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि जो टॉर्चर के खिलाफ है, उसकी धारा 3 में साफ तौर पर लिखा गया है और रिफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। इसलिए जब भी कोई शरणार्थी भारत आता है, शरण मांगता है तो हमें नहीं देखना कि उसका धर्म क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसका फिरका क्या है? अगर वह मानवीय कारणों से आकर शरण मांगता है तो हमारा कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने उस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। रेक्टिफाई नहीं किया, साइन किया है।

श्री अमित शाह: हमने रेक्टिफाई नहीं किया है। देश ने रेक्टिफाइड नहीं किया है। सदन में रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए।

श्री मनीष तिवारी: गृह मंत्री जी, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, उसे रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कवनेंट ऑफ सिविल ऑर पोलिटिकल राइट्स है, जिसके ऊपर आपने हस्ताक्षर किए हैं, रीफाउलमेंट उसका अटूट अंग है। आपने चाहे उसे रेक्टिफाइड किया है या

नहीं किया है, इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपने इंटरनेशनल कवनेंट ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स को रेक्टिफाइड किया है, जिसमें रीफाउलमेंट साफ तौर पर लिखा गया है।

श्री अमित शाह: अगर रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो प्रक्रिया क्यों रखी गई है?

श्री मनीष तिवारी: आपने इंटरनेशनल कवनेंट ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स रेक्टिफाई किया है या नहीं किया है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं? अगर किया है तो रीफाउलमेंट उसका अटूट अंग है, मैं आपको दिखा दूंगा। यह बहुत ही विचित्र कानून है।

माननीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश के लिए एक कानून और नेपाल तथा भूटान के लिए दूसरा कानून, अफगानिस्तान के लिए एक कानून और मालदीव के लिए दूसरा कानून, श्रीलंका के लिए एक और कानून। मैं यह पूछना चाहता हूं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन्स में लिखा है कि जिन तीन देशों का जिक्र किया गया है, उनका राजधर्म इस्लाम है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मालदीव का राजधर्म क्या है? क्या आर्टिकल-10 जो मालदीव का संविधान है, उसमें यह नहीं लिखा गया कि उनका राजधर्म इस्लाम है? इसलिए, इस बिल में पूरी तरह से विरोधाभास है और इसको दोबारा देखने की जरूरत है। आज गृह मंत्री जी ने यह कहा कि यह बिल धारा-14 का जो रिजनेबल क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर खरा उतरता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि रिजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? रिजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार यह है कि Equals cannot be treated as unequals. इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति भारत आता है तो वह शरणार्थी है। उसमें आप यह नहीं देख सकते कि यह शरणार्थी एक धर्म का है या दूसरे धर्म का है। जब वह शरणार्थी है तो आपका यह फर्ज बनता है कि उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए और उसको बराबरी की नजर से देखा जाए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है, यह भारत की परम्परा के भी खिलाफ है। पांचवी सदी से आठवीं सदी के बीच पर्शिया से जब पारसी भागकर आए, उनको वहां प्रताड़ित किया जा रहा था, जब वे गुजरात में सन्जन पहुंचे तो वहां के राजा, जिनका नाम जाधव राणा था, उन्होंने उन पारसियों को एक भरी हुई गढ़वी दूध की भेजी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां बहुत लोग हैं, इसलिए आपके लिए यहां जगह नहीं है। पारसियों ने उस दूध की गढ़वी में शक्कर मिला दी और कहा कि हम शक्कर की तरह आपके समाज में घुल जाएंगे। यह भारत की परम्परा है, यह भारत का मूलभूत सिद्धांत है कि जो हमारी शरण में आया, हमने उसका धर्म नहीं देखा, हमने उसका मजहब नहीं देखा, हमने उसका फिरका नहीं देखा, हमने मानवीय आधार पर उसको शरण दी है।

अध्यक्ष जी, मैं दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम शरणार्थियों को पनाह देने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम सरकार से यह चाहते हैं कि आप एक व्यापक कानून लेकर आइए, एक व्यापक रिफ्यूजी लॉ लेकर आइए, आप इल्लीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक कानून लेकर आइए, जो कानून धर्म, फिरके से ऊपर उठकर, यह जो बहुत संवेदनशील समस्या है, उस संवेदनशील समस्या को बहुत ही पैनी नजर से देखता है। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सदन में ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बहस होती है तो कभी कभी सत्तापक्ष के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत का धर्म के नाम पर विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। मैं साफ तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में किसी ने 'टू नेशन थ्योरी' की नींव रखी थी तो वर्ष 1935 में अहमदाबाद में हिन्दू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। …(व्यवधान) बैठ जाइए, जब आपका मौका आएगा, तब बोलिएगा।

मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह सत्तापक्ष जानता है कि यह विधेयक क्यों लेकर आए हैं, हम भी जानते हैं कि ये विधेयक क्यों लेकर आए हैं और जनता भी जानती है कि यह विधेयक क्यों लेकर आए हैं। लेकिन, मैं सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि

'इतिहास की आंखों ने वह फलक भी देखे हैं,

लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है।'

आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, इस ऐतिहासिक बिल पर अपने विचार रखने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं।

मैं अभी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद श्री मनीष तिवारी जी के तर्कों को सुन रहा था, यूनान से और कहां-कहां से उन्होंने नागरिकता की बात शुरू की। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। संविधान को हमने आत्मार्पित किया है । संविधान का प्रिएम्बल हमारे लिए पवित्रतम है, संविधान पवित्रतम है, लेकिन संविधान को बनाते समय जो कुछ मानवीयता के सूत्र, जनकल्याण के संकल्प संविधान निर्माताओं के जेहन में रहे होंगे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम 'गांधी जी का ताबीज' कहते हैं। ये जो सारे ग्रन्थ हैं, ये जो सारी बहस है, यह जरूर सोचने की बात है कि जो लोग लगभग 75 साल से एक प्रताड़ना सह रहे हैं, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्या हमारी यह बहस उस आम तकलीफ के अंदर फंसे हुए व्यक्ति को राहत पहुंचाने वाली है या नहीं? गांधी जी ने यह बात कही थी कि आप जब भी कोई काम करें, आप जब भी कोई योजना बनाएं, तो उस गरीब व्यक्ति का ख्याल रखें कि आपका काम उसके हित में है या उसके अहित में है।

बहुत बार हमारे दोस्त बड़ी एकैडेमिक बहस करते हैं । आर्टिकल-11, आर्टिकल-14 और आर्टिकल-25, सबकी चर्चा हो रही है, सबके जवाब दिए जा रहे हैं। कहीं पर भी संविधान की आत्मा का उल्लंघन नहीं हुआ है, परन्तु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब देश का विभाजन हुआ, देश के विभाजन में करीब डेढ़ करोड़ से दो करोड़ लोग डिसप्लेस हुए, लगभग बीस लाख लोग मारे गए और भयंकर नरसंहार हुआ। यदि आज भी उस जमाने के किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाए तो दिल दहल जाता है। वे लोग जो रह गए, यहां पर मुस्लिम रह गए, पाकिस्तान में हिन्दू रह गए, वे वहां शताब्दियों से रहते आ रहे थे, उनमें चिन्ता थी कि वे सुरक्षित रहें, इसके लिए 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ। नेहरू-लियाकत समझौते के अन्दर बाकायदा इस बात की गारन्टी ली गई कि हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले मुस्लिम और पाकिस्तान के अन्दर रहने वाले हिन्दू एवं अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की

सुरक्षा की चिन्ता सरकार करेगी, लेकिन वह नहीं हुआ। पूरा विवरण इस बात की पुष्टि करता है, जो डेमोग्राफिक चेंजेज हुए, पाकिस्तान से लोग यहां आए, बाद में बांग्लादेश से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। कुल मिलाकर, यदि मैं उस डेमोग्राफिक चेंज का उल्लेख करना चाहूं, तो लगभग 40 लाख लोग बाद में बांग्लादेश से केवल बंगाल के अन्दर आए और लगभग 20 लाख लोग पाकिस्तान से केवल पंजाब के अन्दर आए और देश के विभिन्न हिस्सों के अन्दर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए, उनकी संख्या, संसद के अन्दर भी इस बात का उल्लेख किया गया, लगभग ढाई करोड़ से तीन करोड़ अनुमानित की गई। इस बात के प्रमाण हैं कि उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में धार्मिक उत्पीड़न हुआ, उनकी बहू-बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए। मुझे ध्यान है कि 2011 के अन्दर एक सज्जन मेहर चन्द हिन्दुस्तान में आए थे। उनकी बेटियों का किस प्रकार से अपहरण किया गया, उसका उन्होंने उल्लेख किया था। उनको किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की ज्युडिशयरी ने, पाकिस्तान की कार्यपालिका ने प्रदान नहीं किया। उन्होंने यहां अपना पूरा दुखड़ा बताया, इंडिया टुडे ने पूरे विवरण को छापा था। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो पीड़ित लोग हैं, इनके प्रति हमारा कुछ कर्त्तव्य है या नहीं है?

पिछले सप्ताह हम बलात्कार की घटनाओं से बहुत चिंतित थे और यह स्वाभाविक भी है कि हमें चिंतित होना भी चाहिए। आप यह कल्पना कीजिए कि जिस पिता के सामने उसकी बच्ची को उठाकर कोई ले जाए, उसके साथ बलात्कार हो और पिता को बच्ची से मिलने भी न दिया जाए, उसे ईश निन्दा कानून जैसे कानूनों के अंतर्गत पीड़ित कर दिया जाए, क्या उसके लिए कोई दर्द नहीं होगा। क्या उस पिता के दर्द को समझने की कोशिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी सारी बहस, हमारे सारे निष्कर्ष, हमारे सारे संवाद इस बात पर केंद्रित होने चाहिए कि वर्ष 1947 में देश के विभाजन के बाद जो उत्पीड़न के शिकार हुए, जिनका कोई अपराध नहीं था, उन्हें यदि नागरिकता नहीं मिली, उन्हें किस प्रकार से नागरिकता मिले तथा वे सुख-चैन से जिंदगी बिता सकें,

इसके लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वे इस प्रकार का कानून में संशोधन लेकर आए हैं।

अध्यक्ष जी, यह कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन संवेदनशीलता का अभाव था। अंतत: जब नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो वर्ष 2016 में तत्कालीन गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस बिल का प्रस्तुत किया। तब यह चर्चा हुई कि इसे जेपीसी में भेजा जाए। हमारे आदरणीय सत्यपाल जी उस समिति के अध्यक्ष थे। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वर्ष 2016 से लेकर जनवरी 2019 तक पूरे देश के विधिवेताओं से, सामान्य जन से, पीड़ित पक्षों से, जानकार लोगों से व्यापक चर्चा की गई और करीब 9000 मेमोरेंडम यहां आए। चर्चा के पश्चात् पुन: यह बिल यहां लाया गया और 7 जनवरी, 2019 में जेपीसी की रिपोर्ट रखी गई और 8 जनवरी, 2019 को बिल लाया गया और लोक सभा में इस बिल को पास भी किया गया लेकिन यह बिल राज्य सभा में हमारे कांग्रेस के दोस्तों की जिद के कारण पहुंचा ही नहीं और यह बिल बीच में ही रह गया। अभी रिफ्यूजी के बारे में चर्चा हो रही थी कि रिफ्यूजी कौन हों, जो भी आए क्या उसे रिफ्यूजी मान लिया जाए। माननीय सदस्य ने दूध का भी उदाहरण दिया, लेकिन क्या वे बताएंगे कि जो देश को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, देश के संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से देश में प्रवेश कर रहे हैं, क्या ऐसे घुसपैठियों को भी हम शरणार्थी मान सकते हैं? यूएनओ ने परिभाषा दी। मैं वह परिभाषा पढ़ना चाहूंगा :

> “Refugees are people who are forced to flee from their countries because of threats to their life, linked to race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

स्पष्ट लिखा हुआ है और इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रकार के उत्पीड़न के शिकार जो लोग आते हैं, वे शरणार्थी हैं। किसी भी व्यक्ति को शरणार्थी मान लेने का कोई औचित्य नहीं है और किसी भी प्रकार से किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं है। जहां तक इक्का-दुक्का मसले की बात है, आज लोग अदनान सामी को जानते हैं, लोग उनको सुनते हैं। वे मुस्लिम हैं। उन्होंने यहां निवेदन किया और हमने उन्हें नागरिकता प्रदान की। इस प्रकार के मसले हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर शरणार्थी और घुसपैठिया में यदि हम फर्क नहीं करेंगे, तो बात नहीं बन सकती है। यहां पार्लियामेंट की कम्पीटेंस की बात भी कही गई, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इस संबंध में बहुत विस्तार से कहा है। मैं जवाहर लाल नेहरू जी की कुछ कोटेशन्स यहां कोट करना चाहता हूं, क्योंकि जवाहर लाल नेहरू जी की बात हमारे सामने के मित्र जरा ध्यान से सुनेंगे। उनका Tryst With Destiny 15 अगस्त, 1947 का प्रसिद्ध भाषण है। उसमें वे पार्टिशन के कारण जो लोग कष्ट में थे, उनके लिए कहते हैं कि:

> "We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers of their good and ill fortune alike. There is no doubt, of course, that those displaced persons who have come to settle in India are bound to have their citizenship. If the law is inadequate in this respect, the law should be changed."

पढ़ लेना चाहिए। अच्छा होता मनीष तिवारी जी पढ़ लेते, नेहरू जी ने कहा है और 1950 में जब 8 अप्रैल को समझौता हुआ था। डॉ. श्यामा मुखर्जी ने उनके बारे में चिन्ता व्यक्त की। उनकी चिन्ता अखिल भारतीय भी थी और उनकी चिन्ता बंगाल और असम को लेकर भी थी। यह समझौते के बाद की परिस्थिति है जबकि समझौता होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली थी। उन्होंने यह कहा:

> "The circumstances that have led to my resignation are primarily concerned with the treatment of minorities in Pakistan, specially in East Bengal."

जो इस्तीफा दिया गया, उसका कोई कारण बता रहे हैं।

> "Let us not forget that the Hindus of East Bengal are entitled to the protection of India, not on humanitarian considerations alone, but by virtue of their sufferings and sacrifices, made cheerfully for generations, not for advancing their own parochial interests, but for laying the foundations of India's political freedom and intellectual progress."

मैं आग्रह पूर्वक यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो विषय है, मुझे लगता है कि यह कहीं खो जाता है। हमारे विज़न की ब्लर्डनैस है, उसके कारण हमारी स्पष्टता खत्म हो जाती है और ये पुराने कोट हो गये। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी माननीय मनमोहन सिंह जी हैं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, 2003 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जो हमारे लोग विदेश में हैं, उनको दोहरी नागरिकता देने के लिए, एक और नागरिकता संशोधन बिल आया था, जबकि उस बिल का सीधा संबंध इस प्रकार के शरणार्थियों को लेकर नहीं था। उसमें वे कहते हैं, यह 18 दिसम्बर 2003 का कोट है।

> "While I am on this subject, Madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and our moral obligation is that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal."

वह अपेक्षा क्या कर रहे हैं, उस वक्त के गृह मंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। वह अपेक्षा कर रहे हैं:

"I sincerely hope that hon. Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting the future course of action with regard to the Citizenship Act."

वही हम कर रहे हैं और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि यह हमारा प्रारम्भ से कमिटमेंट है। हम उसी का अनुपालन कर रहे हैं। मुझे कई बार वास्तव में हैरत होती है कि आपकी यह जो सलेक्टिव सेंसिटिविटी है। आप सेंसिटिव तो हैं। कहीं बाटला कांड होता है तो नींद नहीं आती है। आपको तकलीफ होती है परंतु पाकिस्तान में कोई उत्पीड़ित होता है, बंग्लादेश में कोई उत्पीड़ित होता है तो आपको परेशानी नहीं होती। आपकी जो सलेक्टिव सेंसिटिविटी है, यह बहुत चिंताजनक है। इस सेंसिटिविटी के अभाव में जो देश को नुकसान हुआ है, आपको शायद उसका अंदाजा नहीं है।

अभी मैंने सत्यपाल जी का जिक्र किया, वे चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद से कुछ चीजें माननीय गृह मंत्रालय ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने राहत की कुछ ऐसी चीजें प्रदान की कि जो लोग बाहर से आ रहे थे, उनके बैंक एकाउंट भी खुले, उनके आधार कार्ड बने और आप कल्पना कीजिए। मैं सलेक्टिव इंसेंसिटिविटी की बात कह रहा हूं कि नागरिकता की फीस 15000 रुपये थी। जो लुट-पिटकर आया है, जो भागकर भी आया है, जो किसी प्रकार से जान बचाकर आया है, वह 15000 रुपये देगा तब वह एप्लीकेशन लगाएगा। हमने उसको 100 रुपये किया। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि यह जो सलेक्टिव सेंसिटिविटी है, इससे काम नहीं चलेगा। संविधान हमसे कहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान संवेदनशीलता के साथ न्याय का संकल्प लें। न्याय को हम परिभाषित करते हुए उसको एग्जीक्यूट भी करें। आपने नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत चिंता होती है। मैं बहुत संजीदगी से कांग्रेस के दोस्तों से यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस साधारण पार्टी नहीं है। कांग्रेस दस दलों में से कोई एक दल नहीं है। कांग्रेस वह दल है, जिसने इस देश के ऊपर सर्वाधिक समय तक शासन किया है।...(व्यवधान) अब क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्या हो गया, आप

सोचने को तैयार नहीं हैं ।...(व्यवधान) कृपया सोचिए ।...(व्यवधान) गौरव जी आप बैठिए । Shri Gogoi, you are a brilliant MP. जो नागरिकता संशोधन का विषय है, यह कोई अकेला विषय नहीं है, कहीं पर सोच के अंदर ऐसा दोष है, जो इस प्रकार के अनेक चीजों को करवाता है । कांग्रेस, कृपया सोचिए । बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, बशर्ते कि आप उनको बुद्धिमता के साथ सोचने का अवसर दें । आज हिन्दू आतंकवाद का विषय लेकर आ जाते हैं, आप राम जन्म भूमि पर अजीब-अजीब बातें करते हैं । अभी मैंने बाटला हाउस का जिक्र किया है, उस पर आप की कैसी प्रतिक्रिया होती है? आप पुलिस अधिकारी की शहादत पर संदेह करते हैं । आपका धारा 370 पर किस प्रकार का रुख है, आप कहते हैं कि वैसे तो ठीक है, परन्तु तरीका गलत है । मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं । शाहबानो केस पुरानी बात हो गई है, आपको क्या होता है, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, आप जेएनयू में कैसे पहुंच जाते हैं । आप हमेशा आरएसएस का जिक्र करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, आज आपने आरएसएस का जिक्र नहीं किया है? मुझे लगता है कि आपके चश्मे में कुछ ऐसा दोष है, जो आपको साफ-साफ देखने से रोकता है और कृपा करके आप उसको ठीक कीजिए ।

अध्यक्ष जी, पहला कदम 75 सेंटीमीटर का होता है, वह एक मीटर का नहीं होता है । आदरणीय सत्यपाल जी आईपीएस रहे हैं । वह 75 सेंटीमीटर का ही होता है, लेकिन पहला कदम दिशा तय कर देता है और मुझको ऐसा लगता है कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने जो दिशा दी, वह दिशा गलत थी, उस दिशा के कारण यह स्थिति हो गई कि सेक्युलरिज्म का मतलब हिन्दुत्व का विरोध करना हो गया । हिन्दुत्व का विरोध करो तो वह सेक्युलर है । यह अजीब बात हो गई है । इसलिए मैंने सारे उदाहरण सुनाए हैं, वे इस प्रकार के हैं कि हिन्दुत्व के विरोध से संबंधित सभी उदाहरण हैं । कांग्रेस जिंदगी भर यही करती रही, इसलिए यह हुआ । कुल मिला कर वोट बैंक की राजनीति ड्राइविंग फोर्स रही । गौरव जी, आपने बीच में बोला । कृपा करके अब समझिए कि वोट बैंक

की राजनीति का समय जा चुका है, जा रहा है, विकास की राजनीति का युग आया है । अब अल्पसंख्यकों का आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार है, इसका युग चला गया। अब सबका साथ-सबका विकास का युग आया है। आप इस बात को समझिए। अगर आपका दृष्टि दोष दूर नहीं होगा तो आपको सब तरफ इसी प्रकार समस्याएं दिखाई देंगी । मुझे एक शेयर याद आता है । गुलाम अली साहब ने बहुत प्रसिद्ध गजल गायी है। उन्होंने कहा है कि:

"सूरज को लगे धब्बा, कुदरत के करिश्मे हैं,
बूत हम को कहे काफ़िर, अल्लाह की मर्ज़ी है"

आज हिन्दुस्तान में सर्वाधिक सांप्रदायिक सोच वाला कोई राजनीतिक दल है, तो वह कांग्रेस है। कांग्रेस उसका विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए जितने भी छात्र हैं, जिनमें एक वह भी नाम है, आप देख लीजिएगा और देश की जनता भी देखे कि उस विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने वाले जितने भी छात्र हैं, उन्होंने इसी सांप्रदायिकता को अपनी राजनीति का आधार बनाए हुए हैं। वे बांटने की बात करते हैं। वे वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन हम यह नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि इससे एक बार ऊपर उठिए, गांधी जी को स्मरण कीजिए । गांधी जी की ताव़ीज का स्मरण कीजिए और उसके अनुसार बिल्कुल सामान रूप से, सबसे प्रताड़ित व्यक्ति को किस प्रकार राहत मिले, इसकी चिंता कीजिए। आपके आंख का अंधेरा समाप्त हो जाएगा और आपको इस बिल का समर्थन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।

अध्यक्ष जी, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को यहाँ पर कई बार कहा गया है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी का यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्यांश है, जिसे में कहना चाहूँगा, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम बहुत ही कम समय में दूसरी बड़ी भूल, पहली धारा 370 थी, जिसने आतंकवाद को प्रश्रय दिया, जिसने भारत माता के मस्तक को हमेशा पीड़ा से ग्रस्त रखा, उसको हमने

दूर किया। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने पहला काम यह किया।

दूसरा काम अब यह संसद करने जा रही है। लेकिन ऐसे समय में, जो दिनकर जी ने कहा है, उसे मैं कहूँगा:

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,

जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास।

कृपया करके तटस्थ मत रहिए, इस बिल के पक्ष में आइए, इस बिल का समर्थन कीजिए और जो लाखों लोग पीड़ित हैं, उनको राहत दीजिए।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Speaker Sir. I rise to oppose the Bill, on behalf of DMK Party. Sir, in the very beginning, I would like to state the Preamble which states that: "**WE, THE PEOPLE OF INDIA,** having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens: **JUSTICE**, social, economic and political; **LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship; **EQUALITY** of status and of opportunity."

The Right-Wing Party has the majority, as the Home Minister has said. You have a majority, but not in our State. We come from a State where none of us voted for you.

So, you have to think that the South and the North think differently. That is the reason, Sir, when you say that you are going to support Muslims and you will take care of the minorities, we are scared. You have not done anything till date to win the support of the minorities and give them a comfort level that you will be there for them.

Moreover, I would like to say that the 1st Article of Indian Constitution states: "India, that is Bharat, shall be a Union of States." Sir, your Bill is half-hearted. It does not constitute for all the States of India. You are pre-occupied with Pakistan, Bangladesh etc. You have failed to realise that you are not the Home Minister only for the northern part of India but you are the Home Minister for the entire country.

Sir, today morning, hon. Speaker had a guest for the Lok Sabha. Mr. Mohammed Nasheed, President of Maldives was with his full team here to witness the Lok Sabha events. They are also our neighbours.

Sir, as I searched in the internet and saw the records, I could realise that nearly 1082 people have been given citizenship or are in the process of being given citizenship by India, majority of whom have come from Pakistan. 13 people applied for citizenship from Sri Lanka. But you have not taken any note of that in your Bill. Your Bill is half-hearted.

There are Muslims in Sri Lanka who are also part of Tamil Nadu or Tamil Sri Lankans who have been living there. In India for 30 years, they are in our refugee camps. What are you going to do for them? You have not even addressed the issue because of your preoccupation of hating Muslims.

Sir, coming to Maldives, they are also people of Indian origin who are living in Maldives. If they want to have citizenship or they want to seek citizenship, what is your stand in this regard because they are Muslims? Is it a crime to be a Muslim? We do not understand this.

Sir, I went through your election manifesto. Yes, good job. You are systematically implementing all your election manifestoes. Congratulations! I have nothing to say. In point no. 12 of your manifesto, you have stated: “We are committed to enactment of Citizenship Amendment Bill for the protection of individuals of religious minority communities… etc.” It also says: “…. to protect the

linguistic, cultural and social identity of the people of Northeast, Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs to escape persecution from India's neighbouring countries."

I was quite surprised to see in the Bill that you added Christians. Sudden love for Christians! The same love was not there when you had prepared your manifesto. Earlier this year, because it was prepared to get votes, and to ensure that you divide the country against the minorities, and especially to go against the Christians and Muslims. When it comes to the Bill, you have added `Christians'. Probably because of the fear of the Western countries, probably because the fear of you being isolated by the Western countries has crept into you to include Christians in the Bill. At least I am happy. But again you are trying to divide the minorities. You want to make sure that you are going to divide Christians and Muslims so that, `okay, let me finish the Muslims first, then I will come to Christians later'. This is how minorities fear. …(*Interruptions*) The Home Minister assured this House that each individual would be allowed to speak and nobody would disturb. Right now, the Home Minister is encouraging his own Party people to disturb. …(*Interruptions*) You said, Sir, on this floor of the House. …(*Interruptions*) The Home Minister assured the House. …(*Interruptions*) I am sure the Party people belonging to the Home Minister would respect his words and follow his instructions and not obstruct me while making my speech.

Today, in this morning's speech, you were talking about the Green Card holders. How did America give Green Card? India is the richest nation here. But

you are always preoccupied with Pakistan. Who cares about Pakistan? We have gone a long way. If Pakistan is bringing some laws which are antique, let them go to hell! It is not our job. We are a superior country. Let us go ahead. What is the policy of Pakistan? It is a tooth for a tooth. If Pakistan is going to do something against the minorities, why should we follow Pakistan? India is far ahead. We are the United States of America in this particular region. We are a superpower in this region. I am sure that is what we are trying to do.

Here, I would like to pose a question. You did raise a question about Kashmir being a part of India. You said that we have a 121 or 128 km. of borders with Afghanistan. Kashmir is a part of India. What if Muslims who are living in Pakistan occupied Kashmir want to come to India because their relatives are on this side of the country? If they want to come to our country, what do you have for them? Your answer is, `no, we have one law. We do not want Muslims. Whoever is a Muslim – whether he is a friend or a foe – he is out'. That is not the way it should be there.

What about atheists? The Bill does not talk about atheists. Ms. Taslima Nasrin was given asylum in India because she was an atheist. People will like to come to your country because they feel that it is right. It is my country as well. We will say yes, they want to come to our country because they believe that their rights are respected. Why is this? When you decide to discriminate, definitely, we are going to go to a different level.

I come from the State; I speak the language of *Kaniyan Pungundranar* – *"Yaadhum Oore Yaavarum Kelir"* – the entire world is my country, and everyone in this world is my brothers and sisters. Our Prime Minister, your Prime Minister, went to the United Nations, and uttered the same words, when he started his speech in the United Nations. He tried to win the hearts of Tamils. Everyone is our brother and sister but when it comes to the Home Minister, he does not want to follow the Prime Minister. He wants to take a totally different line. If he wants people to understand; if he wants his *bhaktas* here to understand, he should follow *Vasudhaiva Kutumbakam* – the entire world is one. But why do you want to differentiate?

There are 20 crore Muslims in our country. They are in a constant fear from 2014. In 2014, the moment this right-wing Government came into place, they were harassed, persecuted and lynched in the name of cow. After that was over, now you have brought in NIA under which you are trying to term every Muslim in the country a terrorist. Sir, please take a look at it.

Sir, sometimes, you have to take a pause and see what happened to them. You are scaring them and you are forcing the Muslim youth. The fear has come into them that this Government is against the Muslims. To top it all, your Bill, today's Bill, which you spoke about here, is also saying the same. Sometimes, when you say that you are supporting the minorities, it is not believed by the minorities.

'*Satan Vedam Odhugiradhu*' which means, "Satan is trying to preach gospels". Sir, this is the feeling which people have when you say it. Today, without your knowledge, you expressed it with some words, "should the minorities get benefits"? This sends chills over the spines of all the minorities living in India when it comes from the hon. Home Minister on the floor of the House. Sir, you are not the Home Minister of only those people who have voted for you, you are the Home Minister of the entire country.

Sir, today, you spoke about the Green Card in American. They do not give the Green Card on the basis of caste, creed or colour. Whoever is talented and is able to come can become a citizen of America. Why do we not grow big? Why is that you want to turn India into a small circle with the religious suppression. This is not the way we should do it.

Today, we all are suffering. India is suffering because of the bad economic policies of this Government since 2014. You have not taken any bold steps. By taking these steps, India is not going to prosper. You only want to create more and more animosity amongst the Indians. Sir, I humbly request you, since childhood, we all have learnt to love all Indians as brothers and sisters whether they are Christians, Muslims, Hindus, Sikhs or Buddhists. What is preventing you? When you have a majority, you should not be arrogant, you should be humble towards the minorities. Today, the opposition is like a minority. You have an elephant's strength in this House. Please listen to the voices of the minority.

We may be so small, but we represent our constituencies; we represent everyone who voted for us right from Hindus, Muslims and Christians. Sir, what you are doing is not fair. This Bill is half-hearted and is not taking care of the entire country. I request you to reconsider it, try to be more positive and take positive rather than negative steps.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की अनुमति हो तो सदन का समय इस विधेयक पर चर्चा की समाप्ति तक के लिए बढ़ा देते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, सभी के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था की गयी है। सभी से मेरा अनुरोध है कि वह भोजन ग्रहण करेंगे।

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Sir, I rise here today to speak on the Bill which is fundamentally opposed to the idea of India. This Bill is immoral, unethical and unconstitutional....(*Interruptions*) सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, if he disturbs him, I will continuously disturb the hon. Home Minister during his speech...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग प्लीज़ शांत रहिए।

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, let me just remind the hon. Home Minister what he said an hour ago. माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था कि यह शांतिपूर्वक चर्चा होनी चाहिए। न तो हम आपको टोकेंगे और न ही आप हमें टोकेंगे। पांच बजे होम मिनिस्टर जी ने यह बात कही थी और छ: बजे उनकी पार्टी के सदस्य यहां चिल्ला रहे हैं। एक बात तो तय है और यह साबित हो चुका है कि बीजेपी एक घंटे में अपनी चाल बदलती है। पांच बजे कुछ और बोलती है और छ: बजे कुछ और करती है, यह तो तय है।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है।

18.00 hrs

SHRI ABHISHEK BANERJEE:Sir, let me first tell you that this Bill has been brought before this House with the noxious motive of gaining political mileage by the incumbent Government. Sir, I would first like to share with all in this august

House the vision of the Great Swami Vivekananda, Sardar Vallabh Bhai Patel and Mahatma Gandhi.

Our Prime Minister very often invokes Swami Vivekananda and his teachings but fails in reality to practice his principles. Four years ago, while unveiling a bronze statue of the Great Swamiji in Malaysia, Pradhan Mantri Ji said, 'Swami Vivekananda is not just the name of a person, he personifies the thousand-year old culture of India.'

A hundred and twenty-six years ago, while addressing the Parliament of World's Religions in Chicago, Swami Vivekananda said, "We believe not only in universal tolerance but we accept all religions as true." He also said, "I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and nations of the earth." महोदय, या तो 126 साल पहले स्वामी विवेकानंद सही थे, या फिर आज देश के गृह मंत्री सही हैं। Swamiji would have been shell shocked had he been here with us to witness this Bill and debate which is fundamentally opposed to his idea of India, which is dividing India on the narrow lines of caste, creed, religion, race and community.

This Government is using the iconic spectacles of Mahatma Gandhi in their Swachh Bharat campaign. At a time when the nation is commemorating the 150th birth anniversary of the Great Mahatma Gandhi and the Prime Minister is unveiling commemorative stamps and coins to honour him and his contributions,

look what Gandhiji had to say 94 years ago. Gandhiji said, “Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilisation.”

The Government has spent Rs.3,000 crore of the taxpayers’ money to build a 600 ft, 180 metres, long statue of Sardar Vallabh Bhai Patel in Gujarat. But what about the unity and diversity that Sardar Patel taught the world? I should remind the House what the Iron Man of India said 73 years ago. He said, “Caste and community will rapidly disappear. We have to speedily forget all those things. Such boundaries hamper our growth.” These are the same people who, six years ago, made the country run for unity in the name of Sardar Vallabh Bhai Patel. And these are again the same people who, six years later, are making the entire country beg on their knees for their identity. It is a shame, Sir.

It would be most unfortunate, Sir, if we, Swami Vivekananda’s followers and devotees, fail to uphold his philosophy. It would be disastrous if we ignore the words of Great Mahatma Gandhi. It would be a shame if we do not heed to the advice of the Iron Man of India, Sardar Vallabh Bhai Patel.

Do we want an India that is one nation? Do we want an India for ourselves and our children, all our future generations that share the vision of these three great minds? Do we want an India that the founding father of the Constitution had created for us? Or do we want an India that is a loose collection of separate nations divided along the narrow lines of caste, creed, community, race and religion? The answer, hon. Speaker, is very obvious.

The fact that we have been debating the fundamental idea of India today here in this House is causing me sheer sadness mixed with deep anguish, pain and concern. We all have an idea of India in our mind. And everyone sitting over here, be the incumbents or the opposition, we all have an idea of India in our heads, minds and hearts. But your idea of India is different and our idea of India is different. Our India dwells in the optimism of our heart. Your India lives in the scepticism of your mind. Our India believes in love, peace and harmony. Your India is lost in mob lynching and communal agony. Our India smiles, hopes, cries, desperately waits for development. Your India is lost in the viciousness of destruction. Our India is inclusive. Your idea of India is divisive.

सर, आज जब बिल को इंट्रोड्यूज़ किया जा रहा था, गृह मंत्री महोदय पाकिस्तान के कंस्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, बंग्लादेश के कंस्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। But what about the Constitution that is placed here? What about the Constitution that every Member of this august House has sworn by, to protect and preserve?

Let me raise three fundamental questions. Can you classify migrants on the basis of their religious identity? Can you favour migrants on the basis of country where they come from? Can you put genuine Indian citizens in distress and attempt to snatch away their citizenship on dubious grounds? The answer to these three questions is very easy to find. Read the debates which are put forth in the Constituent Assembly. See what the Preamble of the Constitution had to say, ponder over the key words, understand in letter and spirit.

Let us start with Constituent Assembly and whether the idea of Indian citizenship was debated at length. Listen to what Pandit Nehru had to say. Pandit Nehru said, you cannot decide whom you like and whom you dislike. You have to lay down certain principles. All these rules naturally apply to every religion, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, or anybody else. The Preamble declares India as a sovereign, socialist, secular, and democratic republic.

Now, let me read Article 14 of the Constitution, which every Member of the House is referring to. “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.” It is clear that the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 very clearly violates the Constitution of India. It is immoral, I say again. It is unconstitutional and here are more reasons why it is constitutional.

Sir, after Article 14, let us look at Articles 5 to 11. These are laid down on the basis of who can be the citizen of India. Even though the Constitution was framed after freedom struggle, and the partition of India was characterized by great physical, psychological and emotional upheavals, none of its provisions makes religious identity or country of origin, grounds for restricting Indian citizenship. That is the greatness of Indian Constitution.

*{Great poet Dwijendra Lal Roy said :

* English translation of speech originally delivered in Bengali.

Emon deshti kothao khuje pabe na ko tumi,
Shakal desher rani she je amar Janmabhumi}

This in English means:

"You will never find such a country anywhere. She is the queen of all countries. She is my motherland."

Sir, any decision on the Citizenship (Amendment) Bill cannot be had without understanding the context of NRC, and any attempt by the Government to make us believe that NRC and CAB are two different exercises is absolutely unconvincing. NRC was a trap and CAB which has been introduced today and considered for passing is even a bigger trap.

मैं यहां पर पूछना चाहता हूँ, हिंदू-मुस्लिम की बात हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी तबियत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आप पूछते हैं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं, जो बेचता है, उससे पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम है? …(व्यवधान) आप एंबुलेंस बुलाते हैं, तब पूछते हैं कि हिंदू या मुस्लिम है? …(व्यवधान) अरे सुनने का पेशेंस रखिए। …(व्यवधान) यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, आपके मोहताज नहीं हैं। …(व्यवधान) हम लोग भी चुन कर आए हैं and 65 per cent of the country have voted for the Opposition and you should rightly know that the House belongs to the Opposition. आप लोग जब बोले, आप लोग को बोलने का मौका दिया गया है। …(व्यवधान)

If persecution and genuine concern is the real criteria, then anyone irrespective of religion should be considered for citizenship. How can citizenship be determined on the basis of religion? And if you are considerate towards the majority community here, then why only three countries? We never parted with

Afghanistan. मंत्री जी बताएं कि हम बॉर्डर शेयर करते हैं, 106 किलोमीटर लंबा, ठीक है, लेकिन और देश भी हैं, श्रीलंका है, मयंमार है। Myanmar was a part of British India. Why did you not considered them if you are so concerned and bothered about the majority and everyone here? That is why, I am telling it is a trap. एनआरसी एक लॉलीपॉप था। यह और भी बड़ा लॉलीपॉप है। देश की जनता के लिए और एक बड़ा जुमला है। मैं अगर आपसे पूछूँ कि वहाँ पर भी तो तमिल सफर कर रहे हैं, मुझ से पहले जो वक्ता थे, उन्होंने बताया कि वहां के जो माइनोरिटीज हैं, उनके लिए तो आप सोच नहीं रहे हैं। They are also being persecuted; they are also suffering. Why do you not consider them? It is simple. Thinking for them as genuine Indian citizens will not serve your political hunger. It only goes to prove how outrageous and how morally noxious your intent is.

Coming to the actual process of NRC, it is a totally botched up exercise. It is a failure and there is no doubt about it. You messed up with doing NRC in one of the States. …(*Interruptions*) Now you want to implement NRC in 27 other States and nine other Union Territories. You ask citizens to give this card, that card, documents before 1971, land document, this certificate and that certificate. यहाँ पर सदन में अपोजिशन को छोड़ कर जितने लोग बैठे हुए हैं, रूलिंग साइड में वर्ष 1971 के पहले का सबके पास डॉक्युमेंट होगा। If I were to ask you about the real certificates and documents. Education and otherwise, many of the Ministers in the Cabinet would be left embarrassed. So, I am not even going into that. …(*Interruptions*) How big a disaster NRC was going to be as it was implemented and scrapped! यह लुका-छिपी नहीं है। सब के देखने के लिए है। Please allow me to give you five real stories of the

disaster that the NRC was. I have already documented a list of people who lost their lives because of the ordeal of NRC and the panic caused because of NRC. Fifty-five-year-old daily labourer Kamal Ghosh was from Purba Bardhaman. He was not sleeping all night and not eating in the day. He went to the local BDO office to get his Digitised Ration card. He felt unconscious on the floor and lost his life. Who is responsible for his death, Sir? I demand an answer from the hon. Minister.

In Dhupguri, 39-year old driver Shyamal Roy committed suicide after he had lost his voter ID card. His family members say that he was in a state of panic after losing it. What would have happened if NRC had been implemented? Who killed him? Who is responsible for his death? In South Dinajpur, a person called Mintu Sarkar, 52 years of age, died after falling ill in the same way, as he was trying to acquire the digitisation card. Who is responsible for his death, Sir? In my constituency, Diamond Harbour, Kalachand Midde, a 43-year-old resident of Falta, hanged himself from a bamboo clamp because of the ordeal of NRC. Who is responsible for his death, Sir? We also know why Bengalis were brutally shot dead in November 2018 in Tinsukia. These are real people who died due to the ill though-out or the half-baked process of NRC. Why is there so much discrimination and hatred towards Bengal?

Now that I have established that this Bill is anti-Constitutional and anti-Indian, let me give you a few examples that will fundamentally establish how this

Bill is against the whole Bengali and Hindu community. Hon. Speaker, Sir, as a proud citizen and Bengali Hindu, I live by the idea of *Vasudhaiva Kutumbakam*. प्रधान मंत्री महोदय भी बहुत बार बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसमें क्या सही से चर्चा करते हैं, इसको ग्राउंड लेवल पर सही से एग्जिक्यूट करते हैं? जो सदियों से आए हुए हैं, they speak the same language, they share the same culture, they cherish the same traditions and no one can tear them apart. Peace, harmony and diversity are the core values of our country. These values are being pitted against suspicion, animosity and divisiveness. This proposed Act rips apart the soul of Bengal. The Citizenship (Amendment) Bill 2019 is anti-Indian and anti-Bengali also. No one here needs to be reminded about the legacy of Bengal. Bengal has reacted and strongly opposed any attempt at the divisive and inhuman politics. Bengal knows the pain of partition. Bengal has always rejected policies fundamentally based on hate. We will not let any genuine Indian suffer; we will not let any Bengali suffer.

I now come to the point of what Bengal has given India. Who gave us the Indian National Army, the Azad Hind Fauj? Who gave us the Planning Commission? Who gave us the highest number of Nobel laureates? Who gave us the National Song? Who gave us the National Anthem? Who showered the light during the freedom movement, if I were to ask you?

Look closely at the numbers of this Government's failed NRC experiment, the prelude to the Citizenship Amendment Bill. From the very beginning, AITC had warned you about the consequences and results and that it is going to be

disastrous. You did not heed our warning. You did not take our advice. Now, look where you have ended up. Out of 19 lakh people excluded from NRC, 11 lakh are Bengali Hindus, four lakh are Hindus from different States like Odisha, Bihar, Uttar Pradesh and Rajasthan, one lakh are Gorkhas, and three lakh plus are Bengali Muslims; most importantly, each one of them, is an Indian citizen.

The situation at the detention camp is even worse. It is a painful story. Estimates reveal that 60 per cent to 70 per cent of those held in detention camps are all Bengali Hindus. In our State of West Bengal, you would be happy to know, the refugees have all been given legal rights. We have regularised all refugees. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE : They were on the State Government land. We did not discriminate. …(*Interruptions*)

We did not discriminate on the basis of caste, creed, religion, or race. If I were to mention about the Bengali Hindu Matua community, the Matuas have been taken care of. Who took care of the Boro Ma for the last 30 years? We have given her the Bengal's highest civilian award. …(*Interruptions*) We have created the Matua Development Board and the Namasudra Development Board. …(*Interruptions*) They have lived here and voted here for decades. They have

chosen MPs, Governments, and Prime Ministers. They are all proud Indian citizens, deemed citizens. …(*Interruptions*)

Sir, they come to Bengal and ask about Sonar Bangla but when Bengal Assembly unanimously passes the State's name and clears it as Bangla, you refuse to act on it. You do not understand the sentiments of ten crore Bengalis. …(*Interruptions*)

You announced demonetisation three years ago but let me tell you that you can demonetise 500-rupee notes, you can demonetise 1,000-rupee notes, and tomorrow, if you want, you can demonetise 2,000-rupee notes, but you cannot demonetise the citizens of this country. …(*Interruptions*) You cannot demonetise the people of Bengal. You cannot demonetise the soul of a Bengali.

HON. SPEAKER: Hon. Member Shri Abhishek Banerjee, please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE : If demonetisation had sent the nation to the ICU, CAB will end up putting it on the ventilator. In April this year, the Prime Minister promised and I quote him: "I want to assure all brothers and sisters …" यह प्रधान मंत्री ने बोला। "I want to assure all Gorkha brothers and sisters from this stage that none of you will be inconvenienced because of NRC."

HON. SPEAKER: Shri P.V. Midhun Reddy.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Let him complete, Sir.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन की परम्परा और मर्यादा होती है कि एक बार घंटी बजाने के बाद कनक्लूड किया जाए। मैंने आपको एक बार, दो बार कनक्लूड करने को कहा। आप पहली बार भाषण कर रहे हैं, पहली बार सदन में बोल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पर्याप्त समय दिया।

…(व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: What about the time they are wasting? It is up to you. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य**,** मैंने किसी भी माननीय सदस्य को आपको टोकने नहीं दिया और उनका कोई विषय अंकित नहीं हुआ है। सारा विषय आपका ही अंकित हुआ है।

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: I just need two minutes.

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, इन्हें दो मिनट का समय दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: दादा, फिर आप का और किसी का नम्बर नहीं आएगा।

श्री अभिषेक बनर्जी: सर, तीन साल पहले डिमॉनेटाइजेशन का मसला हुआ।…(व्यवधान)

सब्जेक्ट पर आ रहा हूं भाई**,** पेशेंस तो रखिए।…(व्यवधान) A hundred and twenty people lost their lives. आप मुझे बताइए कि क्या एक भी मिलियनेयर मरा? आप सी.ए.बी. कर रहे हैं, I challenge the Government. Give me one example, give me one name of a millionaire out of the 19 lakh people who have been excluded. …(*Interruptions*) Give me one name of a person who has come from a different country who is a millionaire who has suffered irrespective of his religion. It is only the poor who is suffering. …(*Interruptions*) The poor are becoming poorer and the rich are

becoming richer. Time and again, the Government has proved it. …(*Interruptions*) This has been the trademark of this Government.

Sir, I would just say that यहां पर ममता जी के वर्ष 2005 के एक वक्तव्य को लेकर बहुत बात हो रही है।…(व्यवधान) and senior Members of this House are trying to mislead it. I challenge them, go and take out the verbatim records of 2005 debate. It was totally against the duplicacy of cards. That was not against this.…(*Interruptions*)

Sir, a lot of people in the ruling dispensation are saying that India is not a *dharamshalla*. It is no one's case that India is a *dharamshalla* and no one wants India to be a *dharmashalla*. But, to the extent that we are a *dharamshalla*, let me remind each and everyone of them that a *dharamshalla* cannot say that it is only allowing people of this religion and not allowing people of another religion. They should keep in mind that it is appalling, heart-breaking and crest-falling. This is totally disappointing.

I would urge the Government, not to discriminate citizenship on the basis of religion. If it has the guts, it should include everyone.

HON. SPEAKER: Shri Midhun Reddy.

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Stop attempting to disrupt the unity and diversity of India. Stop attempting to disrupt the unity and diversity of Bengal. I would just conclude.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी जी, अब आप बोलिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, I need just 30 seconds more.

HON. SPEAKER: No.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY: Thank you, Sir, for letting me talk on this very important Bill.…(*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE: Sir, please give me 30 seconds.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी में ला दूं और आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता। आपकी पार्टी का समय 10 मिनट था, लेकिन हमने आपको बोलने के लिए 24 मिनट दिया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके साथ न्याय नहीं किया गया। हमने आपके साथ न्याय किया।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: अब आप 30 सेकेंड में अपनी बात खत्म कर दीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

*__SHRI ABHISHEK BANERJEE__: This is the country where Rabindranath Tagore said –

Dharmer beshe moho eshe jare dhare
Ando shejan mare aar shudhu more

.... English translation/transcription of the speech originally delivered in Bengali.

One who is captured by religion in the form of attraction, that blind person will kills and die. Poet Kaji Najrul Islam had said

Koran, Puran, Bed Bedanta, Bible, Tripitak, Zend Avesta
Granth Sahib, pore jao jato sab

You can go on reading Kuran, Puran, Ved, Vedanta, Bible, Tripitakas, Zend Avesta, Grantha Sahib.*

They would have been heartbroken had they been here today to witness this debate. Come what may, let me reassure this nation from this august House, through you, Sir, that we will fight to the last drop of our blood but will not allow NRC in Bengal. There will not be NRC in Bengal, not at any cost.

Bengaly NRC Hobe na!
Jai Hind! Vande Mataram! Joy Bengali.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY : Thank you, Sir, for letting me speak on this very important Bill.

18.23 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

In a snapshot, the Citizenship (Amendment) Bill aims to provide citizenship to religious minorities like Hindus, Christians, Sikhs, Jains and Parsis, who have fled from our neighbouring countries of Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. Basically, these people have fled their countries and have settled in India for religious persecution. This Bill aims to provide citizenship to these people in our country.

Sir, YSRCP, as a Party and our Chief minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy, believe in religious harmony. We believe that everybody must be treated at par. Our Chief Minister believes in governance which is transparent and which is above religious affiliation, caste affiliation, and even political affiliation.

This Bill is basically aimed at providing shelter to the people who have suffered, people who belong to a minority religion, who are living in our neighbouring countries. YSRCP supports this Bill but we have concerns also and we expect the Government to take note of our concerns and do justice to all our concerns.

Madam, we are called Mother India. Basically, we have a long history of accommodating people who are in trouble. We have given shelter to a lot of people from ages like Parsi community which came to India. We have

accommodated them. They have actually gel well into the system. Not only the Parsi community, even after decades of our Independence, we took care of the Tibetan people who migrated to India. Our Government provided them healthcare, rehabilitation, etc. We even took care of their religious identity which was protected. Now, they are an integral part of our country. They are in various places of our country. This is what we are called Mother India for. We are like a nation which is very accommodative.

This Bill also lowers the period from 12 years to six years for permanent residency. These people can get citizenship early. It is good that the period has been reduced. They are the people who are neither here nor there. They have been suffering a lot. It is a welcome measure that the tenure has been reduced. They can be an integral part of our country.

Coming to our concerns, we should understand that this Bill excludes Muslims from its gambit. Basically, the contention of the Government is that the Muslims are a majority population in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. But even in the Muslims, there are sects which are in minority like Bohras and Ahmadis. They should also be treated at par. That is our request.

Even in our country, the minority community is feeling insecure for whatever reason. We request the Government to proceed with caution because if this insecurity goes beyond a point, it will be out of our hands and it will be very difficult for us to control it in future. I would request the Government to re-think

about it. Not just these three countries, we should think about other neighbouring countries also. We should be accommodating Muslims -- be they are from Sri Lanka or Maldives or our other neighbouring countries.

The hon. Home Minister was assuring the North-East people that he will take care of their insecurities. Even the people of North-East are feeling really insecure. There has been a huge influx of migrants from Bangladesh into North-East. There is a competition for jobs. So, there is a lot of insecurity. Though the hon. Home Minister has given assurance that they will be taken care of but this Bill is going to propel influx of refugees in a big way. I think the Government should take care of this also.

We are a developing nation. We are short of funds. Be it housing or anything else or whatever you are doing for the below poverty line, there is a huge shortage of funds for all these things. I do not know how the Government is going to address all this. People would be coming into our country. So, where are they going to get funds from? The Government should make plans to provide proper funds. The States should also be an integral part of this whole re-settlement process.

We also have other neighbouring countries like Sri Lanka. We have a lot of Tamilians who have shifted from Sri Lanka to India. They are also neither there nor here. They are living in various States. Even though they do not speak Telugu, they are there all over Andhra Pradesh. So, the Government should

address this issue also. This is a burning issue. We request the Government to take into consideration the other nearby countries and sort out this issue. Let us not be specific to one particular area.

At the end, I would like to reiterate that we support this Bill. We would like to request that the Government may take into consideration the suggestions that we have made.

Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, मैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल, 2019 पर शिव सेना की तरफ से अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग 31 दिसम्बर, 2014 के पहले आ चुके हैं, उनके रिक्गनाइजेशन का काम इस विधेयक के माध्यम से होने वाला है। 1971 के बाद बीच में एक बार यह बिल पेश हुआ था, फिर से यह आज लोक सभा में आया है। दुर्भाग्य से 40-45 वर्ष तक इस दुनिया का कोई भी घुसपैठिए हिन्दुस्तान में आओ, जाओ, तुम्हारा घर, वैसा अपना देश, सभी के लिए खुला करके रखा था, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। किस देश से आ रहा है, क्या कर रहा है। हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी बार-बार कहते थे, जो अवैध घुसपैठिए देश में आ रहे हैं और गैर-कानूनी काम उनके माध्यम से हो रहे हैं। अपने देश की सुरक्षा को प्रधानता देकर ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकालना हमारा कर्तव्य है।

मैं अभिमान से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में उस समय माननीय मनोहर जोशी मुख्य मंत्री और गोपी नाथ मुंडे उप-मुख्य मंत्री थे। उस समय महाराष्ट्र के कई इलाकों से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला और उनके देश में जाकर छोड़ा था, यह काम पहले वहीं हुआ था।

जब यह बिल पेश किया गया, मैं माननीय गृह मंत्री जी का स्पष्टीकरण सुन रहा था। मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिल सका कि तीन देशों से आज तक अपने देश में कितने लोग आ चुके हैं। चाहे हिन्दू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख और पारसी हो, जिस भी धर्म के हों, आज तक इस देश में कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोगों को आप मान्यता देने वाले हैं, मैं जानना चाहता हूं।

आज देश की लोक संख्या 130 करोड़ हो चुकी है। इन लोगों की लोक संख्या में गिनती नहीं हुई है। इन सारे लोगों को देश में रिक्गिनेशन देने के बाद अपने देश की आबादी कितनी बढ़ने वाली है?

आज देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि कई नौजवान युवकों को रोजगार न मिलने की वजह से उनका जीवन ध्वस्त हो गया है। ऐसी

स्थिति में जीडीपी कितनी नीचे तक गिर गई है और महंगाई कितनी बढ़ गई है, यह सब आपको मालूम है।

इस देश में निर्माण होने के बाद सारे लोगों को इंसानियत के नाते कानूनी अधिकार देते हैं, उनको आधार देते हैं लेकिन इस देश की समस्या का निराकरण कैसे करेंगे? इन लोगों के आने से अपने देश के ऊपर कितना बर्डन आएगा, इसकी जानकारी मंत्री महोदय के भाषण से मिलती तो अच्छा होता। मैं समझता हूं कि भारत-पाकिस्तान का निर्माण दो धार्मिक आधार पर हुआ। पाकिस्तान में मुस्लिम गए।

स्वर्गीय इंदिरा जी की मध्यस्थता से बांग्लादेश का निर्माण हुआ लेकिन अफगानिस्तान का महत्व मुझे मालूम नहीं पड़ा। मंत्री महोदय जी ने कहा, तटीय देश है, इसके साथ-साथ, मुझे आज भी मालूम है कि तमिलनाडु के हजारों तमिल आज भी अपनी आजादी और न्याय के लिए झगड़ रहे हैं और वहां की सरकार का अत्याचार और अन्याय उन्हें सहन करना पड़ रहा है। आप अफगानिस्तान लेते हैं तो श्रीलंका का भी विचार होना चाहिए था। बाकी के देश भी हैं, जैसे नेपाल हिंदूवादी देश है। जब आप श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आदि पर विचार करते हैं, अफगानिस्तान के बारे में तटीय सीमा के नार्म्स लगाते हैं तो श्रीलंका के लोगों को सुरक्षित करना भी सरकार का कर्तव्य है। सरकार को कर्तव्य निभाने का काम तो करना ही चाहिए।

तीन देशों से 2014 तक जो लोग आए हुए हैं, मंत्री महोदय ने देश के कई राज्यों से अलग कर दिया है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य। मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के दिल में आज भी डर है। वहां के भूमि पुत्रों के पास रोजगार नहीं है, वे आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्या यहां आने वाले लोगों को संरक्षण मिलेगा? अगर आप उन्हें उस राज्य में नहीं रखना चाहते हैं तो किस राज्य में रखना चाहते हैं? हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर आप 6ठे शैड्यूल में वहां से हटाकर भारत के अन्य राज्यों में रखेंगे तो कौन से राज्य में पुनर्वास करेंगे? अगर वहीं रखना है तो

सरकार की नीतियां अभी तक स्पष्ट नहीं हुई हैं। हम इस बिल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि घुसपैठियों की संख्या कितनी है? जिन्हें संरक्षण देना है, उनकी कितनी संख्या है? जिन्हें संरक्षण दिया है, संख्या बताएं और उनका पुनर्वास देश में कहां करने वाले हैं?

यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। बीएसी कमेटी में हमने इसके लिए छ: घंटे डिसकशन की की मांग की है। अनुच्छेद 370 हटाया गया है। हम शिवसेना की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में भारत से कितने राज्यों से कितने लोग सैटल हुए हैं? वहां कितने लोगों ने व्यवसाय चालू किए हैं? वहां कितने लोगों को रोजगार मिला है? सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून बनाने के बाद अमल भी होना चाहिए। हमें गर्व है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के बारे में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से विनती की थी कि बिखरे हुए कश्मीरी पंडित, जो अपनी सम्पत्ति छोड़कर भाग गए थे, उनका पुनर्वास करें। मैं आदर व्यक्त करता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने इंसानियत के साथ उनके साथ इंसाफ किया। आज पूरे देश में वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। उनकी सम्पत्ति जम्मू-कश्मीर में है। अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीरी पंडितों को जम्मू-कश्मीर में पुश्तैनी प्रापर्टी मिलनी चाहिए। कानून बनाना ही काफी नहीं है, सरकार को इसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, सारे लोगों पर दया करने में कोई हर्ज नहीं है, उन्हें आश्वासित करें, लेकिन हमारे देश में रहने वाले भूमि पुत्रों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप इतने सालों बाद उन्हें सुरक्षित कर रहे हैं। इस निर्णय पर राजनीतिक दृष्टि से न देखकर सही दृष्टि से निर्णय लें। हमारी शिवसेना की तरफ से मांग है कि आप जिन्हें आश्वासित करने वाले हैं, उन्हें अगले 25 सालों तक वोटिंग राइट मत दीजिए। उन्हें देश मे रहने

दीजिए, देश की सेवा करने दीजिए, लेकिन अगले 25 सालों तक इन लोगों को वोटिंग राइट का अधिकार न दें। सरकार इसके लिए प्रावधान करे और साथ ही जैसे अफगानिस्तान को लेकर सोच रहे हैं तो श्रीलंका के बारे में भी विचार कीजिए। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति महोदया, आज नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जा रहा है और जनता दल (यूनाइटेड) इस विधेयक का समर्थन करती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों का प्रचार करना, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना है। यही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। यहां धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा लोग अपने-अपने मतलब के हिसाब से कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा और इस बिल को इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है, जो शायद मुझे नहीं लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा है। यह बिल उन लोगों के लिए लाया गया है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले इस देश के नागरिक थे और इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका योगदान था और वे भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, जो बंटकर अब बांग्लादेश हो गया है, पाकिस्तान से भागकर लोगों ने अफगानिस्तान में शरण ली, ऐसे लोगों को सम्मान के साथ इस देश में फिर से वापस लाने के लिए यह बिल है। यह बिल किसी खास लोगों को सम्मानित करने के लिए नहीं है।

सभापति महोदया, हम लोग समाचार-पत्रों में लगातार पढ़ते रहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वे हिन्दू हों, सिख हों, जैन हों, बुद्धिस्ट हों, ईसाई हों, पारसी हों, उन पर तरह-तरह के अत्याचार होते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनके धर्म के प्रचार को रोका जाता है तथा धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी कराई जाती है। वैसे लोग जो अपनी भूमि छोड़कर अगर यहां आकर शरण ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर इतना कुठाराघात किया गया कि अब यह उनके सहन के लायक नहीं है, इसलिए आज वे इस देश में आकर रह रहे हैं। वे यहां वर्षों से रहे हैं, लेकिन वे यहां न तो घर खरीद सकते हैं, न कोई जमीन खरीद सकते हैं, न कोई नौकरी कर सकते हैं। वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर-दर सड़कों पर घूम रहे हैं, वे खाने-पीने के लिए भी मोहताज हैं। आज अगर इस

बिल के माध्यम से फिर से उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनके स्वाभिमान की रक्षा की जा रही है, उनको फिर से इस देश का नागरिक बनाकर रखने की शान दी जा रही है तो इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। यह धर्मनिरपेक्षता के हक में है। इसलिए, आज हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदया, इस बिल में कई तरह की शंकाएं थीं। पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में कई तरह की शंकाएं थीं। माननीय गृह मंत्री जी ने जब इस बिल को पेश किया, इसके पहले भी माननीय राजनाथ जी जब गृह मंत्री थी उन्होंने इस बिल को पेश किया था, उस समय भी हम लोगों का कुछ कन्सर्न था और तत्कालीन माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी इस बात से अवगत हैं। आज मुझे खुशी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की जो शंकाएं थीं और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के मन में जो इसके प्रति विषमता थी, वह आज इसमें समाहित हो गई है। इसलिए, इस बिल के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है।

सभी धर्मों के लोगों को प्रचार करने का अधिकार है। जो सिख हैं, हिन्दू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, आज अगर वे लोग वहां से आकर यहां बसे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं, उनको आज सम्मान के साथ जीने का अवसर मिल रहा है। आज वे नजर उठाकर देख रहे होंगे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि इस सरकार ने फिर से उनकी जमीन पर, जो उनकी धरती है, उस धरती पर उनको सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिया है, जीने का अधिकार दिया है और उनको इस देश की नागरिकता दी है। यह बिल कोई अलग-अलग देशों से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का बिल नहीं है। यह बिल वास्तव में जो इस देश के नागरिक थे, इस देश के बंटवारे के पहले जो नागरिक थे, उनके सम्मान की रक्षा के लिए आया है। इसलिए अन्य जगहों के साथ इसे जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता इस देश की मूल भाषा है। हम समझते हैं कि आज यह जो बिल आया है, वह कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसलिए इस बिल के बारे में मैं यह कहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, इस देश के जो हिन्दू, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, पारसी और जैन लोग, जो बंटवारे के पहले नागरिक थे और पाकिस्तान जाकर

बस गए थे, यह बिल उनको सम्मान देने वाला है। यह बिल धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है, इसलिए हमारी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) इस बिल का भरपूर समर्थन करती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, समय दिया, इसके लिए आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

*__SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR)__: Hon. Chairperson Madam, thank you for giving me this opportunity to speak on the Citizenship Amendment Bill, 2019. It's a very important bill whose impact will be felt not only in India, but also in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Odisha is a peaceful, secular state of India. The four and a half crores of people of Odisha believe in the equality of every religion. The leader of my party BJD and the Chief Minister of Odisha is a firm believer of secularism. During his tenure as Chief Minister of Odisha for the last 19 years he has been successful in establishing a secular and peaceful state where people of every religion live in perfect harmony.

Odisha's commitment to secularism is noticed in the Rathyatra of Lord Jagannatha. History is witness as to how Lord Jagannatha's chariot stopped midway for a Muslim devotee 'Salbaig' son of Subedar Lal Baig. SalBaig's Bhajans for Lord Jagannatha are very popular and their devotional content is a symbol of Odisha's secularism. In Odisha, people of every religion live in goodwill and brotherhood.

Today, the Citizenship (Amendment) Bill 2019 is being discussed. But it should not be analysed for its religious undertone but from a larger national perspective. After going through the bill, I have felt that this bill has no relation with NRC. NRC is a completely different issue and deserves to be discussed

* English translation of this part of the speech originally delivered in Odia.

separately is detail. This Bill has included Bangladesh, Pakistan and Afghanistan but excluded Sri Lanka. Sri Lanka has many Hindu and Muslim people who have been subjected to atrocities. Hence they should have been included. The criteria for citizenship was earlier 11 years, now it has been reduced to 5 years. So it would benefit many people.

Madam, I would like to give 3 suggestions to the Government.

1. Firstly, Sri Lanka should be included in the Bill as many people belonging to both Hindu and Muslim communities are being harassed and tortured there for decades.
2. Secondly, this Bill should not be linked to NRC.
3. Thirdly, the Government should dispel the apprehensions from the minds of the Muslim community as they have been left out of the purview of the Bill.

My humble request to the Government would be to take into account the sentiments of all concerned and not politicize the issue at all.

श्री अफजाल अनसारी (गाजीपुर): सभापति महोदया, आज सदन के समक्ष नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और उसके क्रम में विभिन्न संसद सदस्यों ने अपने विचार रखे। आपने हमें भी अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। वर्ष 1955 के नागरिक कानून में इससे पहले भी आठ बार संशोधन हो चुके हैं। फिर एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन का एक इतिहास है, उसके कारण, उसी समय से देश में कटुता पैदा हुई। अब जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और देश के उस दौर के तमाम महापुरुषों ने अथक प्रयास करके देश को एक विशाल संविधान सौंप दिया, तब संविधान सभा में संविधान के अनुरूप देश को आगे ले जाने के लिए यह संकल्प पारित हुआ। यह संशोधन संविधान की आर्टिकल-14 की जो मूल धारा है, उसकी विचारधारा से बिलकुल विपरीत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती जी ने पहले ही इस संशोधन को संविधान विरोधी करार दिया और इसका विरोध किया। आज इस सदन में भी हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस संशोधन का विरोध करते हुए आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। कहा गया है कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की हुकूमतों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताया और उनके अत्याचारों से पीड़ित लोगों ने भागकर भारत की सीमाओं में प्रवेश किया। ऐसे लोगों को भारत अपनी नागरिकता प्रदान करके उन्हें एक्सैप्ट करना चाहता है। अपने आपमें यह बात सही भी है। उन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन हम अपने देश के रहनुमाओं को यह भी बताना चाहते हैं कि बटवारे के समय जो दूसरे धर्म, इस्लाम धर्म के अलावा, जैसा कि इसमें उल्लेख है, हिन्दू, सिख, बौद्ध या दूसरे धर्म के लोग जो उन मुल्कों की सीमा में रहे, उनके साथ अत्याचार हुए, भेदभाव हुआ, यह अपनी जगह एक अलग सत्य है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि भारत से जो मुसलमान भी पाकिस्तान गया, उसे आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। उसे मुहाजिर कहा गया। उसका दर्जा भी किसी पाकिस्तानी के समान नहीं है।

जब हमारी सरकार यह दरियादिली दिखा रही है कि जिनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनको हम अपनी पनाह में लेंगे, तो अपना दिल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए कि जिन इस्लाम के मानने वाले लोगों ने हिन्दुस्तान में बंग्लादेश की लड़ाई के वक्त, या उसके पहले या उसके बाद हिन्दुस्तान की सीमाओं में प्रवेश किया, जिन्हें बंग्लादेशी की संज्ञा देकर आज इस बिल में जो सुविधा दूसरे मज़हब के मानने वालों को मिल रही है, उससे वंचित किया जा रहा है, जबकि उनके साथ भी वही पीड़ा है, वे कोई खुशी-खुशी भारत में नहीं आ रहे हैं। उनके साथ भी वहां वही दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार होता तो वे कदापि उस देश को छोड़कर भारत की सीमा में नहीं आते। कितना अच्छा होता, हमारे संविधान की मंशा भी पूरी हो जाती और इस सरकार की दरियादिली का दुनिया के सामने एक नमूना होता। कुछ शर्तें लगा दी जातीं, कुछ ऐसे परीक्षण उसके साथ जोड़ दिये जाते कि अगर कहीं से यह आशंका है कि उनमें ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें एक्सैप्ट नहीं किया जा सकता तो ऐसे लोगों को छांटकर दरकिनार कर दिया जाता। लेकिन सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ इस्लाम धर्म का मानने वाला है, इसलिए उसे एक्सैप्ट नहीं किया जाएगा और बाकी जो लोग दूसरे धर्म को मानेंगे, उनको भारत में एक्सैप्ट कर लिया जाएगा। यह बहुत ही विभाजनकारी है। एक विभाजन उस वक्त था, दूसरा विभाजन अब होने जा रहा है और सिर्फ इस नागरिक बिल के माध्यम से नहीं, इस तरह का अगर रास्ता बना दिया गया तो अन्य मामलों में भी इस तरह का भेदभाव किया जाएगा।

आज तक बुजुर्गों की ओर से यह बताया जाता था कि गुनाह करने वाले की कोई कौम नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, चाहे वह दंगाई हो, चाहे वह घुसपैठिया हो, चाहे वह फ़साद करने वाला हो, चाहे वह अपराधी हो। पहली बार हम इस सदन में एक ऐसे विधेयक को मंजूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से सीधे-सीधे विभाजन दिखाई देता है कि हम गुनहगारों को भी जाति और मज़हब के नाम पर किसे माला पहनाएंगे और जो इनमें से नहीं है उन्हें फांसी देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास कराने से पहले सरकार के लोग फिर इस पर विचार करें। धन्यवाद।

19.00 hrs

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, I stand here actually with a heavy heart opposing this Bill because of the values that I have been brought up with. I would like to quote a poet, Martin Niemoller, who is a German theologian:

> "First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me and there was no one left to speak for me."

That is exactly the condition in which, I feel, I am standing here. It is my fortune that hon. Rajnath Singh *ji* is present in the House today. I would like to take a quote from him. Please correct me if I am wrong.

राजनाथ सिंह जी ने तीन-चार दिन पहले ऐसा कहा था कि यह जो बिल लाया गया है, वह सर्वधर्म समभाव है। जो संस्कार हम सभी में हैं, वे सारे संस्कार सर्वधर्म समभाव के ही हैं। दयानिधि मारन जी ने भी वसुधैव कुटुम्बकम के बारे में कहा था। जब यह बिल आया और जिस तरह से अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो एमिग्रेंट्स होते हैं, कोई अपना गांव-घर प्यार से नहीं छोड़ता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि शायद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनको न्याय मिले, इसलिए वे यह बिल लाए हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन वे पूरी तरह से इंक्लूसिव हैं या नहीं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए।

मैं राजेन्द्र अग्रवाल जी का भाषण सुन रही थी। वह काफी अच्छा बोलते हैं। उन्होंने तीन-चार चीजों के बारे में कहा है। उन्होंने सेलेक्टिव सेन्सिटिविटी के बारे में कहा है। यह बहुत अच्छा शब्द है।

मैं आपके बारे में भी सेलेक्टिव सेन्सिटिविटी कह सकती हूं। शायद, आप और मैं अलग बैकग्राउंड से चुन कर आए हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की है। मैं जिस थाली में खाती हूं, कभी उस थाली में छेद नहीं करूंगी। मुझे जो संस्कार कांग्रेस पार्टी से मिले हैं, उन पर मुझे अभिमान है। जो भी अच्छा-बुरा हुआ, जो भी प्रशासन में काम करता है, उससे कभी न कभी गलती होती है, इस हिसाब से हमारे प्रशासन में कई अच्छी चीजें भी हुईं, शायद कुछ गलत भी हुआ होगा। वैसे आपके टाइम में भी हुआ है। आज जो इकोनॉमी का हाल है, वह इस देश को आपकी ही देन है। जो काम करता है, उससे कम-ज्यादा होता ही है, लेकिन आप जो सेलेक्टिव सेन्सिटिविटी के बारे में बोल रहे थे, वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे थे, आज आइडियोलॉजी थोड़ी डाइलूट हो चुकी है और यह हम सभी को मानना है। मैं देश के बारे में नहीं बोल सकती हूं, इतना मेरा अभ्यास नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे सकती हूं। आज जिन 150 सीटों पर चुनाव लड़े, उनमें 70 काँग्रेस-एनसीपी के ही विधायक थे, जिनको आपने टिकट दिया और उनमें से 40-50 विधायक चुन कर भी आए। So, let us not get into the merits कि आपके टाइम में क्या हुआ और हमारे टाइम में क्या हुआ?…(व्यवधान) I never heckle anybody. So, please do not heckle me. The Home Minister has only shown dignity to this; I keep the dignity. So, I would appreciate if everybody does it.

मेरे ख्याल से आपने जो कहा, राजेन्द्र जी जेपीसी कमेटी के हेड थे। Please correct me if I am wrong. श्री सैयद नासिर हुसैन जी ने माननीय होम मिनिस्टर जी से राज्य सभा में प्रश्न संख्या 37 के माध्यम से पूछा था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था – I am quoting the hon. Home Minister; this is from the website itself – कि एनआरसी और सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल के बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। एनआरसी के अंदर ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं।

So, there is complete confusion. जब आज सुबह मैं टेलीविजन देख रही थी, तो असम में आज भी लोगों के मन में दुविधा है कि सिटिजनशिप बिल से हमारा क्या होगा? My question to the hon. Home Minister is this. Has NRC failed? Is that the reason that this Bill has come? As a citizen, I am slightly confused. It is because the whole idea of bringing the NRC was to bring in transparency; that is what the Government said.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): NRC is a total failure.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: There is a quote of a former Army officer. "I am an Indian, will remain one", says former Army officer Sanaullah. Former Army officer and Kargil War veteran Mohammed Sanaullah was detained by police in Assam after his name in NRC list was missing. This is what has happened in the NRC and you all are talking about doing NRC in the entire country. But I will come back to that.

So, clearly, even today, it is about the sentiments. It is about sentiments; it is about perception. I am not taking away from the intent of the Government at all. But the perception of an average Muslim today is a feeling of being insecure and threatened.

I ask the hon. Home Minister to clarify this, if he could kindly do so, because he in his own speech has said that he would like to clarify all the doubts. I have a humble query to him. In his reply to Q.No. 37 on 28.11.2019, he said and I quote him:

"सभापति महोदय, लोक सभा के अंदर यह बिल पारित हुआ था। जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ने इसे अप्रूव किया था, जिसमें सभी पार्टियों के लोग थे। इसमें धर्म के बारे में भी जो कुछ है, वह सभी पार्टियों की सहमति से आया है। इस तरह से यह सभी पार्टियों की सहमति से सदन के अंदर आया था।"

This is what he has quoted. I checked with the JPC. Adhir Ranjan Babu is sitting right here. Dada Sougata Roy was a part of it. My friend Sushmita Dev, Derek O' Brien from Trinamool Congress were part of it. श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, आप उसके चेयरमैन थे । What I hear from the Committee is slightly different. *...(Interruptions)* It is on record. *....(Interruptions)*

They all gave dissent note. So, this is not factual that the JPC had approved the earlier Bill. This is not factual. I think this needs to be put on record because this creates misunderstanding. The JPC had objected to this Bill. Even if it was passed, a lot of parties had shown that they did not want this.

The other question is about atheist. My friend Kanimozhi is an atheist. Now, what happens to people like them? They do not follow any religion. They take pride in it. That is something they believe in. What will you do for all such citizens who are not following any religion?

Before I end, I have two small quick questions to ask him. You have left Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur and Assam, which I understand that you have very well explained that it is the Inner Line Permit and that is why you have taken this decision. But somebody like me then wonders. We debated on Article

370 and everybody on the other side almost humiliated a decision by Pt. Jawaharlal Nehru that time that he did this in isolation without looking at this country.

I want to pose a humble question to the hon. Home Minister. Pandit ji took a decision in those circumstances. I was not there, so I do not know whether it was right or wrong. History will judge it. You have a different opinion and I have a different opinion. My question is if Article 370 was decided for Jammu & Kashmir in isolation at that time – there was not one pole for everything – then why are we doing the same for this? So, should we not have one nation, one tax and one rule for everything? Then, why are we leaving this out? If you see right now that these States cannot be included, then what was the urgency of this Bill? Could we have not debated, discussed and found one Bill which is equivalent to all, is my question?

I would like to even highlight Nepal. Why is Nepal left out? There are so many people in Nepal, Sri Lanka and Myanmar who are still struggling with such atrocities. If India is taking the high moral ground, why is India leaving these three countries and selectively allowing people from certain ones? I am a big one for no border. I even work as an activist for no border. I believe in no border. So, I just feel that if you are making such a big legislation, please do not leave any section of society.

Sabka Saath, Sabka Vikas is the most inclusive programme and the tagline of this Government. If the second largest community in this country today is feeling insecure, I think this Government needs to introspect. I appreciate that you are a supreme power and for the next four and half years you are all going to rule the State. I think it is completely unfair if you are leaving anybody out. I just would request this to please not make anybody stateless in your own country. People are feeling insecure. I think it is our moral duty to stand by every community, caste and creed. The entire source and ethos of our democracy is equality. Talking about Articles14 and 15, I am not convinced by the hon. Home Minister. I would like to say that if the Bill does not stand on the ground of equality, it will be struck down in the Supreme Court. I really do not know what we are achieving by spending so much time here. I request him to rethink of it.

I appreciate that you may have got it with a lot of good intention, but there is a huge section of society which is feeling neglected. So, please withdraw this Bill, rethink it and let us come up with something which will truly build India. If there are good things that you suggest, we will be happy to support it. Thank you.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak.

I am opposing the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 in line with our secular party policy and decision. We strictly follow the provisions and the spirit of the Indian Constitution. This Bill proposes to grant citizenship on the basis of

religion which is against the core value of our Constitution. Ironically, the Government on 26th January, 2019 celebrated 70th year of the passage of our Constitution.

This Bill strictly leaves out minority community from getting citizenship which is neither acceptable for the largest democracy of the world nor desireable for our multi-cultural, mutli-linguistic and pluralistic society. I urge upon the Government to amend this Bill by removing the bias against the Muslims so that we can support the Bill.

Chairperson, India is a vast country and is home to 130 crore people belonging to various religions and castes. We request the Government to include Muslim brothers in Citizenship Amendment Bill for eligibility for citizenship of our country. If Muslims are not included in this Bill, we will vote against this Bill. This is the policy of TRS Party and we will always support our brothers from minority communities.

Once again, we are requesting the Government to include the minority Muslims also in this Bill. …(*Interruptions*) Thank you.

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): मैडम, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है। मैं इस बिल का अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश गंगा-जमुना की तहजीब का देश है, प्यार-मोहब्बत का देश है और जहां सुख-दुख में हम एक-दूसरे का साथ निभाते हैं, हिन्दू-मुसलमानों ने इण्डिपेंडेंस की लड़ाई साथ में लड़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद में एक मन्दिर है, जिसमें एक बेसमेंट है। जब 1857 की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त हिन्दू-मुसलमान उस बेसमेंट में छिपे हुए थे। वहां एक तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते थे और दूसरी

* .... * English translation of this part of the speech originally delivered in Telugu.

तरफ हिन्दू पूजा करते थे। ये हमारी सभ्यताएं हैं, ये हमारी तहजीबे हैं। जब दिल्ली से लाहौर तक सारे कुएं लाशों से पटे हुए थे और पेड़ों पर लाशें लटक रही थीं, 60 हजार उलेमाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, तो क्या उन लोगों ने यह कुर्बानी इस दिन के लिए दी थी कि आज 70 साल के बाद उस कम्युनिटी को यह सुनना पड़े कि हमें वे एक्सेप्ट नहीं है? क्या वह कुर्बानी इस दिन के लिए दी गई थी कि मुसलमानों के अंदर एक भय का माहौल पैदा हो जाए?

मैडम, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह बिल एन.आर.सी. की भूमिका बना रहा है और जब एन.आर.सी. लागू होगा तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एन.आर.सी. का क्या क्राइटेरिया होगा, किसको कब से सुबूत देने पड़ेंगे? गरीब मुसलमान के पास तो पांच साल के भी सुबूत नहीं हैं, वह कहां से सुबूत लाएगा? आपका टारगेट क्या है? कितने मुसलमानों को एनआरसी के ज़रिए इस देश में, इस बिल के ज़रिए, हम घुसपैठिया करार देंगे?

मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो वे लोग कहां जाएंगे? क्या आप उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देंगे या उनका कैम्पों में रखेंगे? कैम्पों में रखेंगे तो देश में कितना बड़ा अनरेस्ट हो जाएगा? मुसलमान हिन्दुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी है, कोई मामूली आबादी नहीं है, लेकिन इस तरह का सुलूक किया गया तो देश किस तरफ पहुंचेगा, इसका अंदाजा हम और आप आसानी से लगा सकते हैं। हम अपनी आगे आने वाली नस्लों को प्यार-मोहब्बत देकर जाएंगे या नफरत देकर जाएंगे, इसका फैसला हमें और आपको करना है।

मैडम, मैं आपसे कहता हूं और कहना चाहूंगा कि जिस वक्त एनआरसी बनेगा, क्या गरीब मुसलमान विक्टमाइज़ नहीं किया जाएगा? मुसलमानों को इस बात का डर है कि हमें विक्टमाइज़ भी किया जाएगा और एनआरसी में उनके नाम नहीं लिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें घुसपैठिया करार दे दिया जाएगा।

मैडम, आखिर यह हिन्दू-मुस्लिम राजनीति कब तक चलेगी? इसका भी ऐंड होना चाहिए। हमें अपनी सभ्यताओं का, हमें अपनी परम्पराओं का ख्याल रखना चाहिए। वह कौन सी ऐसी बात मैंने इस पार्लियामेंट में देखी, जिसमें मुसलमानों की दिलाज़ारी न हो रही हो? इसलिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि जब आप यह बिल लेकर आएंगे तो एक नुकसान इसका बहुत बड़ा यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्या हिन्दू मुक्त तो नहीं हो जाएगा? अगर वह खुदा-न-ख्वास्ता हिन्दू मुक्त हो गए और वे हमारे पास आ गए तो अब से पचास साल के बाद, जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, तो लोग क्या यह नहीं कहेंगे कि भारत को भी मुस्लिम मुक्त कर दो? …(व्यवधान) मेरी बात सुनो भाई।

हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें नफरत की सौदागरी करके अपने देशवासियों को, अपनी औलादों को, इस जगह पर खड़ा नहीं करना चाहिए कि जहां इंसान को इंसान से डर लगने लगे। हमें अपने देश को अगर मजबूत करना है तो हमें अपनी मुट्ठी बंद करके चलना है ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। हमारे चारों तरफ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए लोग खड़े हैं। हमारे पड़ोसी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आपस में ही बंटते जा रहे हैं, आखिर यह राजनीति तो बंद होनी चाहिए। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि इस बिल के ऊपर गृह मंत्री जी एक बार फिर विचार करें और इसमें मुस्लिम लव्ज़ और जोड़ दें ताकि उनकी दिलाज़ारी न हो और हम अपनी परम्पराओं को आगे बढ़ाएं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I would like to make an announcement regarding dinner arrangement for today due to late sitting of Lok Sabha.

1. Members of Parliament -- Room No. 70 at 8.30 p.m.
2. Media personnel -- Room No. 54 at 8.30 p.m
3. Officers and Officials -- Room No. 74 at 8.30 p.m.
4. Security Staff -- Room No. 73 at 8.30 p.m.

…(व्यवधान) मैन्यू आपके हिसाब से अच्छा है। जैसे सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल बहुत अच्छा है, वैसे ही मैन्यू भी बहुत अच्छा है।

श्री चिराग कुमार पासवान (जमुई): बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदया जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचारों को रखने का मौका दिया। मैं नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस विधेयक के समर्थन में अपने विचारों को रखने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

मैडम, धर्मनिरपेक्षता को लेकर इस सदन में काफी समय से बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और सभी ने अपने-अपने विवेक से, अपनी-अपनी बुद्धि से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यहां पर रखी है। मैडम, मैंने जितना इस बिल को पढ़ा है, जितना इस विधेयक को समझा है, मैं पूरे यकीन के साथ कम से कम इस बात को कह सकता हूं कि यह बिल कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता के विरोध में नहीं है, उसके विपरीत में नहीं है, यह कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है।

मैडम, इस विधेयक को क्यों लाया गया, पहले हमें इसके कारण को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा करते-करते, इतनी चीजों को हमने मिक्स कर दिया है कि इसके मूल स्वरूप पर ही हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि तीन अलग-अलग देशों के जो नागरिक हैं, जो कि वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यहां पर उनको नागरिकता दी जाए, न कि भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा हो रही है। यह दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की चर्चा हो रही है। इससे भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कुछ लेना-देना नहीं है। यह भ्रमित किया जा रहा है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहां के जो मुसलमान हैं, इस बिल के आ जाने से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी चिंताएं बढ़ जाएंगी। यह मेरी समझ के परे है कि उनका इस बिल से क्या लेना-देना है? भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का इस बिल से कुछ लेना-देना नहीं है। इस बिल का लेना-देना उन तीन देशों - अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। वे ऑलरेडी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं।

सभापति महोदया, मैं 5 अक्टूबर की न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट दूंगा, जिसमें प्रमुखता से इस बात को कहा गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो गैर-मुस्लिम आबादी है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत में लांग टर्म वीजा के लिए आवेदन दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भी यह तादाद रोज़ बढ़ती जा रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से जो दूसरे देश के माइनोरिटीज़ हैं, उनका वहां पर धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है। यहां पर सवाल उठाया गया है कि फिर क्यों नहीं पाकिस्तान में जो सिया हैं या अहमदिया हैं, उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही है? हम लोगों को यहां पर भी समझने की जरूरत है कि जब हम पाकिस्तान के सिया या अहमदिया समुदाय की बात करते हैं, तो वे उन्हीं के धर्म को अलग-अलग समझने वाली विचारधाराओं की बात है। उसको धार्मिक उत्पीड़न से जोड़कर देखना कतई सही नहीं होगा। उनका अपना एक डिफरेंट इन्टर्प्रिटेशन है। एक ही धर्म का अपना अलग-अलग इन्टर्प्रिटेशन है। आप उसको धार्मिक उत्पीड़न के साथ नहीं देख सकते हैं।

सभापति महोदया, मैं जहां इस विधेयक का पूरे तरीके से समर्थन करता हूं, वहीं मैं हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं कि लोकजन शक्ति पार्टी की जितनी भी चिंताएं थीं, यह हकीकत है कि हम लोगों की भी चिंताएं थीं। हम लोगों ने भी केन्द्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से, हमारे लोकजन शक्ति पार्टी के एक विधायक हैं, जो कि मणिपुर सरकार में मंत्री हैं, उनकी अपनी चिंताएं थीं। उन्होंने अपने राज्य की तरफ से हमें सुझाव भेजे थे। मैं हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उन तमाम सुझावों का सम्मान किया है। हमारी जितनी भी चिंताएं थीं, उन्होंने उसका सम्मान किया है।

सभापति महोदया, अंत में, ईमानदारी से मेरा विश्वास हमारे देश के प्रधान मंत्री जी पर है। जब हमारे देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह भ्रम पिछले पांच सालों में भी फैलाया गया था। वर्ष 2014 के चुनाव में यह भ्रम निरंतर फैलाया गया था कि एनडीए

की सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी, तो यह हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अत्याचार बढ़ जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि पिछले पांच सालों में देश जितना सुरक्षित रहा है, उतना इतिहास के 70 सालों में नहीं रहा है। हमारे देश में कोई भी एक बड़ा आतंकी हमला नहीं हो पाया है। यह ताकत है हमारे प्रधान मंत्री जी की और हमारी केन्द्र की सरकार की। मैं पुनः अपना विश्वास हमारे प्रधान मंत्री जी पर जाहिर करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पर अपना विश्वास जाहिर करते हुए, मैं अपनी लोकजन शक्ति पार्टी और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से नागरिकता संशोधन विधेयक का पूरे तरीके से समर्थन करता हूं।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Madam, I rise to oppose this Bill vehemently. In the history of independent India, today is a black day. For the first time, in the history, such a discriminatory legislation is being brought out. It is totally discriminatory.

Madam, these days, the Government, in every sitting of Parliament, is giving a message, something or other, to the major minority community of the nation. It is not a good message that you are giving.

These days, you are more and more talking about in the name of our beloved Gandhiji. But you are always showing intolerance to the major minority community of the nation. You are swearing in the name of the most honourable Patel Ji and more and more your action is to divide the nation. Today, you are dividing the Hindus and Muslims. There will not be an end to this. There are a lot of differences in our nation, of course, in the name of religion. Now, you are dividing in the name of religion. We can remember the hard work Patel did at that time to unite the nation. It is a part of history. You are going on indulging in divisive policy; you are dividing the nation in the name of religion today. Tomorrow, it will happen in the name of language; on some other day, it will happen in the name of many regional differences. South and North are not the same. You are swearing in the name of Patel but every time you are going on doing something to divide the people. You are closing your eyes.

In this Bill, you know very well that you are excluding the major minority community of India, the Muslim community. You know that in the National Register of Citizens, some 19 lakh people are out from it. From that, you are selecting a few people from one community and keeping them out. It is not a humanitarian attitude. Some Members spoke about a person who spent his life in the military and retired from our Army. Even he is excluded. So, what kind of action it is? This is a communal agenda. This is a discriminatory kind of law. It is totally intolerant. It is a religious-specific law which is totally against the Constitution. I am sure that it will not stand the scrutiny of law in our Supreme Court. I vehemently oppose this law.

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon. Chairperson, Vanakkam. We are strongly opposing the Bill. This is a cruel law which will affect the country for the next few years. A secular country cannot provide citizenship to persons on the basis of religion. This amendment is against the Constitution of our country. This is against the values for which India stood for. In the preamble of the constitution, people are not differentiated on the basis of the faith they profess. If this bill is passed, this day will be a black day when India will officially give up her humanitarian values. It is true that Non-muslims are being oppressed in countries like Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. I want to ask whether that is the only criterion for being oppressed. Many groups including Ahamadiyya muslim community are being oppressed and suppressed. The whole world knows why Malala has to run out of her country? Religion is not the basis for violence. You cannot take decisions on the basis of religion. Whether this Bill has anything to say about who don't believe in God? Why are not talking anything about Myanmar or Srilanka. Majority community like Sinhalese-Buddhist is the reason for attack on Srlankan Tamils. As many as 59714 Srilankan Tamil refugees are there, in about 107 camps located in 24 districts of Tamil Nadu. There are here in Tamil Nadu for the more than 30 years. There are people who are born and brought up

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

in Tamil Nadu. Why are you silent on all these persons? This Bill is against the Muslims and Tamils of our country. This amendment bill is an open invite to all the Hindus living in the neighboring countries to come to India. At the same time it is a threatening call to the Muslims living inside India which is a shameful act. There are several problems in our country which need solutions. But this Bill is aimed at creating more problems. There is a Sanskrit saying written at the entrance of Parliament House. All MPs are getting inside Parliament House after reading that saying. It reads as, "India can be considered as the Home for all those oppressed due to religion, who may be Jews, Parsis, Yemeni, Afghans, Tibetans or Bangladeshis." If this Bill is passed, they cannot think India as their home. Hon. Union Minister of Home said that the people of this country have given them the power to rule for the next four and half years. People have given you power only to rule but not to separate or divide this country. You cannot lead this country in a different direction based on hatred. Thank you for this opportunity. I oppose the Bill.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I rise to oppose the Citizenship (Amendment) Bill, 2019. First of all, we should bear in mind that India is not simply a geographical expression. India is a country and it is equally a civilisation. Indian civilisation is an unending celebration of human pluralism. Pluralism accommodates differences and differences enact and embody dissent. Over the years, rather over the centuries, India has been preaching the doctrine of 'Live and Let Live'. यह जो बिल लाए हैं, आप लोग बाहर यह फैलाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस हिन्दू के विरोध में चली गई, क्योंकि एक हिन्दू विरोधी बिल में कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। हम हिन्दू का विरोध करने के लिए नहीं खड़े हैं। एनआरसी के चलते हम लोगों ने यह कहा था कि हिन्दुस्तान में जेनुइन जो सिटिजन हैं, जो यथार्थ नागरिक हैं, यथार्थ नागरिक को हिन्दुस्तान में रहने का मौका दिया जाए। आप जो बिल लेकर आए हैं, इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि बिल में आप किसी पीड़ित समुदाय को शरण देना चाहते हैं, इसका हमें कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध यह है कि इसका क्राइटेरिया रिलिजन हो रहा है। इसका क्राइटेरिया रिलिजन होते हुए हमारा जो संविधान का ढांचा है, इस ढांचे पर प्रहार करता है। इस जगह हमारा विरोध है और दूसरा कोई विरोध नहीं है। आप इस जगह को थोड़ा सुधारिए। इस बिल को सही दिशा में, सही ढंग से पेश कीजिए। आज अमित शाह जी कहते थे कि करोड़ों की तादाद में लोग नर्क की जिन्दगी गुजार रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां राजनाथ सिंह जी भी बैठे थे। ...* उनको कहना है कि जेपीसी के जो तथ्य हैं ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह शब्द निकालिए। ... *

* Not recorded

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The total number of such persecuted persons was around 31,313, out of which, Hindus were 25,447, Sikhs were 5,807, Christians were 56, Buddhists were 2 and Parsis were 2.

मेरा कहना है कि हमारे हिन्दुस्तान में इतने कानूनों के अंदर दूसरा कोई प्रोविजन नहीं है। इन लोगों को सही दिशा में मदद करें और हिन्दुस्तान में रहने का इंतजाम करें। सर, कुल मिलाकर 31,313, you are making much ado about nothing. हमारा विरोध किसलिए हैं। हमारा विरोध इसलिए हैं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है। इस जगह हमारा विरोध है। The argument of persecuted refugees can be dealt by making a separate provision through appropriate amendment in the current laws for accommodating refugees, granting them legal status and fast tracking their admission to Indian citizenship should they apply for it. A separate discriminatory law is not needed for it. There lies our contention. यह डिस्क्रीमिनेटरी हो रहा है, हमारे विरोध का यह मुद्दा है।

सुबह अमित शाह जी कह रहे थे कि इसमें रिजनेबल क्लासिफिकेशन है। अमित शाह जी, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि the Bill fails the test of reasonable classification as set out in article 14 of the Constitution. The two-fold test relies on two principles: reasonable classification and nexus between the object sought to be achieved by the legislation. If we test this Bill on reasonable classification, it fails as the classification sought is to differentiate between persons who will be granted relaxation in the domiciliary requirement and those who will not since at present it excludes illegal immigrants only on religious grounds with no reasonable explanation. The next test is on object sought to be achieved. Putting a

qualification based on religion has no rational nexus to achieve that object unless the object is to project India as a Hindu state. मुझे लगता है कि आप हिन्दू राज्य बनाने की दिशा में चल रहे हैं। If you want to turn India into a homeland, that is a different issue. धार्मिक एकता की बात करते हुए आप सिर्फ छ: समुदाय और तीन देशों को ले रहे हैं और बाकी को छोड़ रहे हैं, यह नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकते क्योंकि आज हमें आपने नया भूगोल सिखा दिया कि अफ़गानिस्तान से हमारा बॉर्डर है। हमारा चाइना से बॉर्डर है, म्यांमार में भी हिन्दू टॉर्चर होते हैं। नेपाल, भूटान के साथ बॉर्डर है, पर आपने इन देशों से नहीं लिया। श्रीलंका के साथ बॉर्डर है। पर, किसी से नहीं लिया और सिर्फ उन तीनों राष्ट्रों से लिया क्योंकि वे मुस्लिम राष्ट्र हैं। अगर वे मुस्लिम राष्ट्र हैं तो क्या हुआ?

हम रवीन्द्रनाथ टैगोर की दो-चार पंक्तियों का यहां जिक्र करना चाहूंगा: -

KEHO NAHI JAANE KAAR AHOBANE KATO MANUSHER DHARA, DURBAR SROTE ELO KOTHA HOTE SHOMUDRE HOLO HARA. ESHO HE ARJO, ESHO ANARJO, ESHO DRAVID CHIN, SHAK HUNDAL, PATHAN MOGHUL AK DEHE HOLO LEEN. POSHCHIM AAJ KHULIACHHE DAAR, SHETHA HOTE AASHE KATO UPOHAR, DEBE AAR NEBE, MILABE MILIBE, JABE NA PHIRE, EI BHAROTER MAHAMANOBER SAGORO TEERE No one knows from where so many people came to merge in this ocean. Come Aryans, non-Aryans, Dravidiam, Chinese, Huns, Pathans, Moghals and be one. West has today opened its door, so many gifts are pouring in. Just give and take, meet and greet, don't go back. It is this ocean of humanity.)

India is an ocean of humanity. आपको इसे नकारना नहीं चाहिए। इसे आप ध्वस्त मत कीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप रिफ्यूजी कानून लाइए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एसाइलम का कानून लाइए। आप कहते हैं कि करोड़ों लोग घिनौनी जिन्दगी गुजारने की हालत में हैं और आप कह रहे हैं कि 70 सालों से किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कुछ नहीं किया होता तो यह किताब 'द सिटीजनशिप एक्ट,1955' कहां से आता? पासपोर्ट एक्ट कहां से आता? फॉरेनर्स एक्ट कहां से आता, अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया होता। हिन्दुस्तान में काँग्रेस पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका इतिहास गवाह है। आज़ादी के समय में एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और दूसरी तरफ सीमान्त गाँधी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। एक तरफ जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल थे तो दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। एक तरफ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे तो उसके साथ-साथ खान शाहनवाज़ खान थे। यहां बिनय, बादल, दिनेश थे। यहां भगत सिंह, अशफाकउल्ला, किसने हिन्दुस्तान के लिए नहीं किया? आज वह हिन्दुस्तान बहुत मेहनत के बाद बना है, बहुत खून बहाने के बाद बना है और इस हिन्दुस्तान को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम कीजिए।

सर, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं सिर्फ दो-तीन सवाल माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। एन.आर.सी. से जिन 19 लाख लोगों के नाम छूट गए हैं, उनका क्या होगा क्योंकि इसके बाद आप एन.आर.सी. लाएंगे। हर स्टेट में आप एन.आर.सी. लागू करेंगे, यह आपका रवैया है। हिन्दुस्तान के 27 राज्यों में एन.आर.सी. होगा, लेकिन जिन 19 लाख लोगों के नाम एन.आर.सी. में छूट गए हैं, उन लोगों का क्या होगा, पहले यह बताइए।

सर, इसके बाद हम दूसरा एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। यहां हमारे कानून मंत्री जी हैं। Sir, the Citizenship Act 1955 provides citizenship by birth, except as provided in sub-section (2) which says, "every person born in India, on or after the 26th day of

January, 1950, but before the 1st day of July, 1987; on or after the 1st day of July, 1987, but before the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003 and either of whose parents is a citizen of India at the time of his birth; on or after the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003, where both of his parents are citizens of India; or one of whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of his birth, shall be a citizen of India by birth." …(*Interruptions*) मैडम, मेरी बात खत्म होने वाली है। अभी मेरे पास 10 मिनट टाइम है। A child born in India after 2003, one of whose parents is an illegal migrant shall not be a citizen of India.

What has happened in Assam after the NRC exercise was undertaken? 19 lakh people were identified who were not granted citizenship. Out of these 19 lakh people, there are two categories of people. One category is of persons who were born in another country but they illegally migrated to Assam. …(*Interruptions*) मैडम, आप यह क्या कर रही है? केवल तीन लाइन बाकी हैं, अभी मैं बोल रहा हूं।…(व्यवधान)

The other category is of persons who were born in India but their parents are illegal parents, these persons do not have a country of origin. India is their country of origin and if the Government does not give them citizenship, these categories of people will become Stateless. This is a very serious issue. I feel that neither the Government nor the Judiciary has applied their mind on this issue.

Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, General Assembly of the United Nations has proclaimed that everyone has the right to a nationality and no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. Whatever be the colour of the cow, the milk is white. Whatever be the religion, the essence is humanism. India should maintain the essence of unionism.

Thank you.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार है।

'तेरा वह वीर जो सत्य पर अड़ने आता है,
किसी और के न्याय के लिए खुद के प्राण अर्पित करता है,
मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं,
किसको नमन करूं मैं भारत,
किसको नमन करूंगा हिन्दुस्तान में।'

महोदया, किसको नमन करूं मैं और आज का दिन मैंने चुना है, भारत के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को नमन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को पहचानने की क्षमता दिखाई है। देशांतर जो बिना उत्पीड़न के होता है, उसको घुसपैठ कहा जाता है।

For my friends who do not follow Hindi very well, migration without persecution is called a silent invasion and that is what is happening in this country and that is why we are going through so much of confusion. This is an Act which is giving citizenship to those people who have been living in this country, just making their life a little easier, the ones who are persecuted.

In the morning, a couple of my friends from the Opposition quoted many laws and I am also quoting those laws. रिफ्यूजी से संबंधित जितने कानून हैं, जितनी इंटरनेशनल कन्वेन्शंस हैं और जो ह्यूमन राइट्स ट्रीटी हैं, वे क्या कहती हैं? These are treaties on human rights. The most remarkable institution developed in human rights has been the evolution of an international multilateral treaty regime, appropriate monitoring bodies, economic, social, cultural rights, civil and political rights,

elimination of all forms of racial discrimination, separation and punishment of crime of apartheid, child rights, etc. इसमें वियना कांफ्रेंस सहित ये सब हैं। इन्हीं सब के अंदर उनको अधिकार देने की बात है, जिनका पर्सिक्यूशन हुआ है, जिनका उत्पीड़न हुआ है । हाँ, यह उत्पीड़न डिस्क्रिमिनेट्री है। मगर यह उत्पीड़न भारत ने नहीं किया, बल्कि भारत तो केवल उत्पीड़ितों को जगह दे रहा है। यहां मेरे जो दोस्त हैं, वे गलत हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्पीड़न किस देश ने किया। मुझे कभी-कभी लगता है कि ये सब लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होते तो शायद पार्लियामेंट में पाकिस्तान को सुधार चुके होते। मगर मुझे दुख है कि ये यहां बैठै हैं। ये अपना कंफ्यूजन यहां बहुत तरीके से सुना रहे हैं। इसी कंफ्यूजन का मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाहती हूं। …(व्यवधान) अभी मैं आपको कुछ और पढ़ने के लिए दूंगी।…(व्यवधान) आपको उछलने का काफी मौका मिलेगा। …(व्यवधान)

महोदया, मैं दो डाक्यूमेंट्स टेबल करना चाहती हूं ।…(व्यवधान) आपकी अनुमति है।…(व्यवधान) जोगेन्द्र नाथ मंडल ऐसे व्यक्ति थे, जो भारत छोड़ कर …(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं रिकार्ड को चेक करवा लूंगी।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: I am not yielding. …(*Interruptions*) Have the sense to listen to the history of this country. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: मैं रिकार्ड को चेक करवा लूंगी, जो अनुपयुक्त होगा, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: रवीन्द्र नाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं …(व्यवधान) वह भारत एक था, उस समय की बात करते हैं।…(व्यवधान) मैं वर्ष 1930 से भारत का इतिहास आपको बताती हूं। 1930 से भारत की जो **दि**शा है, दशा है, वह बताना चाहती हूं, जिसको आप छिपाते रहे हैं। मैं आपको वह सुनाना चाहती हूं। जोगेन्द्र नाथ मंडल की चिट्ठी पढ़कर इस हाउस को सुनाना चाहती हूं।

जोगेन्द्र नाथ मंडल एक मंत्री थे। जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत बने। उसके बाद में भारत के तीन हिस्से हुए, जिसमें बांग्लादेश एक था। जोगेन्द्र नाथ मंडल एक एससी, एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति थे, अंबेडकरवादी थे। वे पाकिस्तान चले गए और वहां मंत्री रहे। उनका दु:ख सुनिए। उन तीन सालों में उन्होंने क्या देखा, जिसको छोड़ कर वे वापस हिंदुस्तान आए। इस चिट्ठी को टेबल करना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि इस हाउस में बैठे हुए आधे से ज्यादा लोगों को यह इतिहास नहीं पता है। इस इतिहास को अगर आप आज की नजर से देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि 70 साल में उन हिंदुओं, बुद्धिस्ट, जैन, सिखों के साथ क्या हुआ और क्या गुजरी?

सभाप**ति** महोदया, मैं इसे टेबल कर रही हूं। …(व्यवधान) आप जो माइग्रेशन्स की बात कर रहे हैं, 1971 इस देश को पता है, लेकिन इस देश को जो नहीं पता, 1964 इस देश को नहीं याद, 1989 इस देश को नहीं याद, 1990 इस देश को नहीं याद, 1992 इस देश को नहीं याद, 2012 नहीं याद। इस देश में लगातार स्पेट ऑफ माइग्रेंट्स आते रहे और क्यों आते रहे, यह बताना जरूरी है।

I am quoting 'Pakistan's State of Denial' in the New York Times of 13th December 2013 which quotes an excerpt from an article titled 'Genocide' by Anthony Mascarenhas published on June 13, 1971 in the *Sunday Times*: "I saw Hindus, hunted from village to village and door to door, shot off-hand after a cursory 'short-arm inspection' showed they were uncircumcised. I have heard the

screams of men bludgeoned to death in the compound of the Circuit House (civil administrative headquarters) in Comilla. I have seen truckloads of other human targets and those who had the humanity to try to help them hauled off 'for disposal' under the cover of darkness and curfew." यह स्थिति है।

जोगेन्द्र मंडल क्या कहते हैं? ...(व्यवधान) In his letter dated 8th October 1950 written to Prime Minister Liaqat Ali Khan, Jogendra Nath Mandal has written everything. Therefore, anyone with basic understanding of the plight of Hindus in Pakistan and Bangladesh would know that it is a nearly impossible proposition to even think of deporting the migrants back to that place, as it would be tantamount to pushing them to a death pit. I am not going into the details of how he cooperated with the Muslim League, what his dreams were and how he thought the Dalits and the Muslims could come together and how the Muslim League used him. Then in 1946, Mr. Suhrawardy offered him a seat in the interim Government. He writes:

"The Calcutta carnage was followed by the Noakhali Riot in October 1946. The Hindus including the Scheduled Castes were killed and hundreds were converted to Islam. Hindu women were raped and abducted. Members of my community also suffered loss of life and property. Immediately, after these happenings, I visited Tipperah and Feni and saw some riot-affected areas." He continued with his cooperation. "Suhrawardy the offer of a seat ..." I am not

reading all this. Then he uses a word called 'Namashudras', which was in majority in Gopalganj. On 1st November, 1946, what did he see?

Next, on Lahore Resolution, "… at present, to develop Pakistan as a purely 'Islamic' State based on the Sharia and injunctions or formula of Islam. I presumed that it would be set up in all essentials after the pattern contemplated in the Muslim League resolution adopted at Lahore on March 23, 1940.

That resolution stated inter alia that "geographically contiguous areas are demarcated into regions which should be constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in majority as in the north-western and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent States". This is 1940.

What was the resolution on both sides? "… that minorities' guarantee should be in respect of rights as well as of interest and extend to every sphere of their lives". This was the guarantee given. What really happened?

"I was fortified in my faith in this resolution and the professions of the League Leadership by the statement Qaid-e-Azam Mohammed Ali Jinnah was pleased to make on the 11th August 1947" calling upon Hindus and Muslims "to remember that they were all Pakistanis. There was then no question of dividing the people …" That was what the plan was but what happened? "… no question of dividing the people on the basis of religion into full-fledged Muslim citizens and

zimmies being under perpetual custody of the Islamic State and its Muslim citizens. Every one of these pledges is being flagrantly violated apparently to your knowledge and with your approval in complete disregard of the Qaid-e-Azam's wishes and sentiments and to the detriment and humiliation of the minorities".

He goes on. Then in 1949, Dacca happened. I am purposely not reading it. It is a very long letter on how the anti-Hindu policy was adopted. "When the question of partition arose, the Scheduled Caste people were alarmed at the anticipated dangerous result of partition. Representations on their behalf were made to Mr. Suhrawardy, the then Chief Minister of Bengal who was pleased to issue a statement to the Press declaring that none of the rights and privileges hitherto enjoyed by the Scheduled Caste people would be curtailed after partition." He goes on but so many barbarous incidents have happened. "The armed police came and the local Muslims also joined them.: they not only raided some houses of the Namashudras but mercilessly beat both men and women, destroyed their properties, and took away valuables.

The merciless beating of a pregnant woman resulted in abortion on the spot. This brutal action on the part of the local authority created panic over a large area. … The police, helped by the armed forces, – this is another incident – then raided a large number of houses in the area, took away valuable properties, even from the house of absentee-owners who were never in politics, far less in the

Communist Party." They were being targeted by saying they were Communists. …(*Interruptions*)

It is important that you know the history. Let me argue my case my way. …(*Interruptions*) "This area being very near to my native village, I was informed of the incident. I wrote to the District Magistrate and S.P. for an enquiry. A section of the local people also prayed for an enquiry by the S.D.O. But no enquiry was held. Even my letters to the District authorities were not acknowledged. I then brought this matter to the notice of the highest authority in Pakistan, including you …"

आप अंदाजा लगाइए कि एक मंत्री राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहा है, उस पर काम नहीं हो रहा है। मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊंगी तो बहुत कुछ कहने को है। कलशिरा के अंदर 350 घर थे, जिसमें से केवल तीन घर बचे थे, सारे मंदिर और मकान सब कुछ तोड़ दिया गया था। यह पार्टिशन का बैकग्राऊंड है। इस इतिहास को आप लोगों ने डिनाई किया, अगर आप लोगों ने डिनाई नहीं किया होता तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के सेक्शन 5 और 6 के अंदर पर्सन नहीं बल्कि सिटीजन लिखा हुआ है। मैं अभी बताउंगी कि किस तरह से मैनुप्लेशन हुई। इतने साल तक जो आदमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि से यहां आता है, उसके कागज वैध तो नहीं हैं, उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। उसे आप कैसे एजस्ट कर रहे हैं? एकोमोडेट कर रहे हैं? इसीलिए यह कानून लाना पड़ा। …(व्यवधान) No, you are denying.…(*Interruptions*)

दिल्ली पैक्ट हुआ, इसके हिसाब से जो काम करने वाले थे, जिसमें बंगाल की सरकार भी थी, उन्होंने वे काम किए ही नहीं। A number of Hindus, who returned to their native villages

immediately after the Delhi Agreement, were not even given possession of their homes, lands, which were occupied in the meantime by the Muslims.

The Delhi Agreement, whose main purpose is to create such conditions as would enable the Hindus to continue to live in East Bengal with a sense of security to life, property, honour and religion…, I stop here. 'A sense of security to the life, property, honour and religion'. यानी ये सब अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को एक देश में रहने के लिए चाहिए, वह अधिकार माइनोरिटीज़ को न अफगानिस्तान, न पाकिस्तान और न ही बांग्लादेश में मिले। ये सब भारत के हिस्से थे। अगर हिंदुस्तान भी हिंदुओं को नहीं रखेगा तो वे कहां जाएंगे।

सभापति जी, मैं कुछ देश गिन रही थी कि कितने देश हैं जहां इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है। मैं हैरान हुई 46 देश थे। मैं गिन रही थी कि कितने ऐसे देश हैं जहां क्रिश्चियेनिटी रिलीजन है, 40 के आसपास हैं। मैं गिन रही थी कि कितने देशों का राष्ट्रीय धर्म हिंदू है, एक भी नहीं मिला। मैं इसलिए ये तथ्य ला रही हूं कि यूएनएचआरसी का हवाला देना आसान है लेकिन उस पर काबिज होना मुश्किल है। यूएनएचआरसी के डाटा में जब मैंने तलाश किया कि कितने देश के रिफ्यूजियों को उन्होंने नार्वे या अन्य देशों में भेजा। यूएनएचआरसी के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान में बसे हुए कितने हिंदुओं को कहीं और बसाया, अफगानिस्तान में बसे हुए कितने हिंदुओं को कहीं और बसाया, तो मुझे ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं हुआ।

डिस्क्रिमिनेशन की दिक्कत इस देश में नहीं है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। दिक्कत इन तीन देशों में है, जहां रहने वाला हर माइनोरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति उनके देश का नागरिक नहीं बन पाया। मेरे मित्र यही प्वाइंट मिस कर रहे हैं। वे बार-बार जब कहते हैं तो मैं

उनसे पूछना चाहती हूं, देश का बंटवारा किसी ने किया, लेकिन देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जिसमें दो देशों ने अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया।

इस देश ने अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया। यही कारण है कि इस देश की माइनोरिटीज़ इस देश में सुरक्षित है। लेकिन हमारे भाई-बहनों के पूर्वज इस देश से जुड़े हुए थे, वे जब दूसरे देश का हिस्सा बने तो उनको वह सिक्योरिटी, ऑनर, प्रेक्टिस रिलीजन उपलब्ध नहीं हुए, इसलिए कानून में तब्दीली लाने की जरूरत थी। इतने वर्षों तक प्लान स्ट्रेटजी के तहत सब गलत काम और जगहों पर चलता रहा, यहां तक कि कश्मीर डे भी मनाया गया। यह पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

The observance of Kashmir Day by the Muslim League all over Pakistan is an eloquent proof of communal, anti-India propaganda by Pakistan. यह 1950 में कहा जा रहा है। क्या कुछ बदला? मुझे नहीं लगता कि कुछ बदला।

The recent speech by the Governor of Punjab, Pakistan, saying that Pakistan needed a strong army for the security of Indian Muslims, has betrayed the real attitude of Pakistan towards India. It will only increase the tension between the two countries, which continues to be the practice of Pakistan. It is not about Muslims in India. It is about the minorities in Pakistan, and my friends refuse to understand that.

'Forced Conversion in West Pakistan'. I am not going into the details. I am only reading the headlines.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Come to the point, Madam.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, I will….(*Interruptions*) Sit down. I am speaking on the points only.

'Forced Conversion in West Pakistan'. The report says: 'Pakistan a curse for Hindus'.

20.00 hrs

He further says that this is, in brief, the overall picture of Pakistan so far as the Hindus are concerned. I shall not be unjustified in stating that Hindus of Pakistan have, for intents and purposes, been rendered Stateless in their own houses.

इसी बात से स्टेटहुड की कहानी शुरू होती है। सीपीआई के कुछ मित्रों ने अपनी बातें कहीं हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल-6 और तमाम सेक्शन्स को बदलिए तो मैं मारिचझापी मैसेकर की बात भी बताना चाहती हूं और वह डोक्यूमेंट भी मैं ले करना चाहती हूं, जिसके मुताबिक सुन्दरबन्स के अंदर बांग्लादेश से आए हुए जो हिन्दूज थे, कितने लाख लोगों को मारा गया, वह भी इस सभा को पता होना चाहिए। जो कानून है, उस कानून के मुताबिक मुझे यह बताना आज जरूरी लगता है कि जब इतिहास की बात आती है तो मैं फिलिप पुलमैन का लिखा मैं पढ़ना चाहती हूं। It comes from history. It comes from the records of the inquisition, persecuting, heretics and torturing. Every single religion that has a monotheistic God ends up by persecuting other people and killing them because they do not accept him.

Wherever, you look in history, you find that it is still going on. This persecution in these countries is still going on. सुबह किसी ने बेन गुरियन की बात की,

किसी ने हिटलर की बात की तो मैं बताना चाहती हूं कि बेन गुरियन और हिटलर के जो डाटा हैं, वे किन देशों से आते हैं। शुक्र है भगवान का कि वे भारत से नहीं आते हैं। …(व्यवधान) Then, where is your problem? If you are not defending Pakistan, what else are you doing? Extremist Taliban regime in Afghanistan which enforced strict Shariah Islamic law announced plans to require Hindus and Sikhs to wear identifying badges. मध्य कालीन भारत की प्रथा जिसमें अगर आप इस्लाम को नहीं मानते तो आपको कुछ तमगा लगाना पड़ेगा। In May 2001, Taliban campaigned to segregate and repress un-Islamic and idolater segments of Afghan society. At that time, about 500 Hindus and 2000 Sikhs remained in Afghanistan. इन लोगों को बचाने के लिए कानून की जरूरत है। The anti-Hindu decree was seen as a reminiscent of Nazi law which required all Jews to wear identifying yellow badges. अब हिटलर कौन है, बेन गुरियन की बात कौन करता है, मेरे मित्र यहां नहीं बैठे हैं। मैं आपको बांग्लादेश का डाटा देती हूं ।

Pakistan had Islamised during 1980s. The current Government of Pakistan claims to undertake a major revision to eliminate such teachings and to remove Islamic teachings from secular subjects. The bias in Pakistani textbooks also documented by Y. Rosser (2003). She wrote that in the past few decades, social study text books in Pakistan have been used as locations to articulate the hatred that Pakistani policy makers have attempted to inculcate hatred towards their Hindu neighbours. As a result, the minds of generations of Pakistanis are indoctrinated. The ideology of Pakistan are fragments of hatred and suspicion. The bias in Pakistani textbooks were studied by Rubina Saigol, K.K. Azeez, A

Rehman, Mubarak Ali, A.H. Nair, Ahmad Salim, Rosser and others. ये 2003 की स्टडीज हैं, एक्सपर्ट्स की हैं और तमाम किताबें ऐसी हैं जो दूसरे धर्म को मानने वालों के खिलाफ काम करती हैं। बांग्लादेश में जो फण्डामेंटलिस्ट पार्टीज हैं, मैं उसकी पोलिटिक्स में नहीं जाती हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि जब पार्टीशन हुआ, वहां 38 प्रतिशत हिन्दू थे, लेकिन आज वहां पर आठ प्रतिशत से कम हिन्दू हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश के अंदर क्या हिसाब रहा होगा। यही कारण है कि इस कानून को लाने की जरूरत पड़ी।

अब मैं स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स पर आती हूं। सबसे पहला आब्जेक्ट है – परसिक्यूशन, जिन लोगों को अपने धर्म को मानने से रिस्ट्रिक्ट किया गया, ऑब्सट्रक्ट किया गया, उनके साथ दिक्कत यह होती थी कि उनके ट्रैवल डाक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। वे भारत आए, कहने में यह गैरकानूनी लगता है, लेकिन उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और कोई जगह भी नहीं जाने के लिए। वे यहां रुके, उनके पास तीन दिन या पांच दिन का वीजा था, वह एक्सपायर हो गया तो वे इल्लीगल हो गए। नागरिकता के लिए सेक्शन पांच और छ: के अंदर दो ही प्रावधान हैं, जिनमें से एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है और दूसरा रजिस्ट्रेशन है। इनके साथ दिक्कत है कि रजिस्ट्रेशन वे करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी तीसरी, चौथी या पांचवी पीढ़ी जो हिन्दुस्तान में रही होगी, अब उसके डाक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। फिर वे नेचुरलाइजेशन के रास्ते से भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है और वे इल्लीगल हो चुके हैं। जहां पर शब्द इल्लीगल आ जाता है, उनकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है और जो भी इल्लीगल है, वह नागरिकता के लिए एप्लाई नहीं कर सकता है।

मेरे मित्रों ने बार-बार कहा कि अन्य देशों का, अन्य धर्मों का क्या होगा, तो अन्य देशों और अन्य धर्मों के लोग सेक्शन-5 और सेक्शन-6 में अन्य जितने प्रावधान हैं, उनके अन्दर कवर होते हैं। जो इनएलिजिबिलिटी है, उसे कवर करने के लिए वर्ष 2015 और 2016 में कुछ एग्जम्पशन्स भारत

सरकार ने पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट में दी हैं। उसके ऑर्डर्स बाकायदा दिए गए, ताकि उनको लाँग टर्म वीजा मिल सके। लाँग टर्म वीजा दिया और 31 दिसम्बर, 2014 की डेट इसलिए चुनी गई कि जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल रिजीम की जरूरत पड़ी और वह स्पेशल रिजीम बनाने के लिए यह काम किया गया । यह सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन के लिए एप्लाई हो, सेक्शन-5 की जो कंडीशन्स हैं, उनको वे पूरा कर पाएं और क्वालीफिकेशन पूरी हो पाए। इंडियन ओरिजिन की बात किसी ने नहीं बोली है, इसलिए मुझे लगता है कि बोलना जरूरी है । सेक्शन-7 में तब्दीली इसलिए लाई जा रही है कि जिन्होंने कानून का सही मायने में पालन नहीं किया है, उन सबका ओसीआई कार्ड रिवोक करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उसको लाया जा रहा है। बार-बार कहा जा रहा है कि उस देश से आए हुए अन्य धर्म वालों, खास तौर से इस्लाम का क्या होगा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर एक देश अलग बना लिया, अलग रहने लगे, उनके अधिकारों को आप कैसे बराबर कर रहे हैं? रिफ्यूजी में और इल्लीगल माइग्रेंट में अंतर है। कृपया उसे समझने की कोशिश करें, वोट बैंक की राजनीति बन्द करें और देश हित में काम करें।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मैडम चेयरमैन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इस बिल की मुखालफत में खड़ा हूं। मोहतरमा, मैं ऐवान को यहां एक बात बताना चाहूंगा कि जब हमारा संविधान बन रहा था, उस वक्त में और इस वक्त में कितनी गिरावट हो गई है – ज़ेहनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तहजीबी तौर पर, दिमागी तौर पर, नफसियाती तौर पर। जब संविधान का प्रिएम्बल बन रहा था – 17 अक्टूबर, 1949 को, उस वक्त एच.वी. कामत रुकुन थे कांस्टीटुएंट असेम्बली के। उन्होंने कहा था कि प्रिएम्बल की शुरुआत भगवान के नाम से होगी या खुदा के नाम से होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि राजेन्द्र प्रसाद साहब ने जाकर कहा कि नहीं, संविधान की शुरुआत भगवान या खुदा के नाम से नहीं हो सकती है। वोटिंग हुई, जिसमें एच.वी. कामत साहब हार गए। जब संविधान का प्रिएम्बल लिखा जा रहा था तो वह भगवान या खुदा के नाम से नहीं लिखा गया। अब आप वह ऊंचाई और यह पस्ती देखिए कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमान को नहीं रखा, मुझे गम इस बात का है, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान से किसी मुसलमान को मत लीजिए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मेरे बुजर्गों ने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले पर यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से एक हजार का ताल्लुक और हिंदूइस्म का चार हजार साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि आज इस हुकूमत को जिसने संविधान पर ओथ ली, आज इस्लाम और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों कर रही है? हम आखिर इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आखिर इस नफरत और डिसक्रिमिनेशन की क्या वजह है?

महोदया, मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि इस बिल को एनआरसी की नज़र से देखने की जरूरत है। असम में एनआरसी हुआ। वहां 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। वहां के मंत्री स्वयं कहते हैं कि पांच लाख चालीस हजार बंगाली हिंदू हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि सैक्शन 6 (ए) के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं, उन पर मुकदमा चलेगा, वह अबेट हो जाएगा और

किस पर मुकदमा चलेगा, सिर्फ मुसलमानों पर । होम मिनिस्टर साहब बताएं कि क्या यह डिसक्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल वहीं होता है, जहां महज़ब आता है। आप असम के पांच लाख चालीस हजार हिंदुओं के लिए यह कानून बना रहे हैं और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं की पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा। इनकी साजिश मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि हमारा हाल यह बनाकर रख दिया है कि तूफान में एक कश्ती में ताखूबियत की, फिरकापरस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमें किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं, मगर याद रखो ए तमाशा देखने वालो कि यह कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह तआला हम कश्ती चलाकर जम्हूरी अंदाज में अपने आपको हासिल करेंगे, ये एवान को समझने की जरूरत है।

महोदया, मैं तीसरी बात पीओके के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब आप यह क्यों भूल जाते हैं कि भारत का एक तिहाई हिस्सा चीन में है। आप डर रहे हैं, क्योंकि कल यदि दलाई लामा मर जाएंगे और नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसे रोकने के लिए यह कर रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं हैं? आप इंतजार कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि आप चीन से क्यों डर रहे हैं? भारत का एक तिहाई हिस्सा चीन में है और स्वयं होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम अक्साई चीन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज आपने छोड़ दिया है। आप चीन से इतना क्यों डरते हैं?

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था, जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी और उसने मुक्तिवाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। यदि ये लोग सरकार में होते, तो टाइगर सिद्दीकी कभी भी मुक्तिवाहिनी नहीं बनाता । पांचवीं बात अफगानिस्तान के बारे में है । यकीनन आप जानते हैं कि तालिबान आएगा । जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताज्जिक की भारत में

ताकि हम स्ट्रेटेजी कंट्रोल कर सकें। तालिबान जब अफगानिस्तान में हुकूमत करेगा, तो आपका तो ट्रम्प कार्ड चला गया। यह आपकी सोच है, आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा बलन्डर सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख हैं। मैं जानता हूं, तालिबान के जमाने से होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था और आज भी उन्हीं के पास है और क्या गारंटी दे रहे हो होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को न हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है न पाकिस्तान के मुसलमानों से मतलब है। वह लोग घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? क्या आप बताएंगे कि कितने लोग हैं, जिन्हें आप सिटिजनशिप देने जा रहे हैं। आप स्टेटवाइज नम्बर बताइए। यह जो कानून बनाया जा रहा है, वह इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टिशन हो। यह कानून हिटलर के कानून से भी बदतर है। आपने भारत को कहां लाकर छोड़ दिया है। आपने संविधान प्रो किया था। क्या हम मुसलमानों का गुनाह यह है कि हम मुसलमान हैं? मुझे आप पाकिस्तान से मत लीजिए, मुझे अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पालिटिकल मोबिलाइजेशन मुसलमानों का हो गया है। आप तो उन्हें दबा रहे हैं। आप उनके सीने पर पैर रखकर कह रहे हैं कि तू इस मुल्क का बाइज्जत शहरी नहीं है, बल्कि तुझे स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक और पार्टिशन होने जा रहा है। मैं आपको अंग्रेजी में कहावत कहना चाहता हूं कि those who do not learn from history are condemned to repeat it. श्रीलंका के दस लाख तमिलियन्स तमिलनाडु में हैं। क्या वे हिंदू नहीं हैं? नेपाल में हिंदू नहीं हैं? होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यानमार में चिन, काचिन और हकॉन हैं या नहीं। चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो चलता था। ये चीनी लोग म्यांमार के क्रिश्चियन हैं। आप इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है? मैडम, हर एतबार से यह फेलियर साबित होगा। इसीलिए मैं इस बिल की मुख़ालिफत करता हूं। यह हिन्दुस्तान के संविधान के

खिलाफ है और यह उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, चाहे सन् 1957 की ज़ंगे-आज़ादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने? मैडम, मालूम है? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, …* यह हिन्दुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। …(व्यवधान)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): میڈم چیرمین صاحبہ، آپکا بہت بہت شکریہ۔ میں اس بِل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ محترمہ میں ایوان کو یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہمارا آئین بن رہا تھا، اُس وقت میں اور اِس وقت میں کتنی گراوٹ آ گئی ہے، زہنی طور پر، اخلاقی طور پر، تہذیبی طور پر دماغی طور پر نفسیاتی طور پر۔ جب آئین کا پریمبل بن رہا تھا 17 اکتوبر 1949کو، اس وقت کے۔ایم۔ پاٹھک رُکن تھے کنسٹیٹوینٹ اسمبلی کے۔ انہوں نےکہا تھا کہ پریمبل کی شروعات بھگوان کے نام سے ہوگی یا خُدا کے نام سے ہوگی۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ راجیندر پرساد صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں آئین کی شروعات بھگوان یا خُدا کے نام سے نہیں ہو سکتی۔ ووٹنگ ہوئی، جیس میں کے۔ایم۔کامت صاحب ہار گئے۔ جب آئین کا پریمبل لکھا جا رہا تھا تو وہ بھگوان یا خُدا کے نام سے نہیں لِکھا گیا۔ اب آپ وہ اونچائی اور یہ پستی دیکھئیے کہ ایک قانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے۔ مجھے شکوہ اس بات کا نہیں ہے، غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو نہیں رکھا، مجھے غم اس بات کا ہے آپ پاکستان اور افغانستان سے کسی مسلمان کو مت لیجئیے، مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں نے جِنّا کے پیغام کو ٹھُکرایا، ہم نے

* Not recorded.

مولانا ابوالکلام آزاد کے اُس جملے پر یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے ایک ہزار سال کا تعلق اور ہندوزیم کا چار ہزار کا تعلق ہے۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ آج اس حکومت کوجس نے آئین پر اوتھ لی، آج اسلام اور مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہے؟ ہم آخر انسان ہیں، اس ملک کے با عزّت شہری ہیں۔ آخر اس نفرت اور ڈِسکریمِنیشن کی وجہ کیا ہے؟

محترمہ، میں وزیرِ داخلہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس بِل کو این۔آر۔سی۔ کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آسام میں این۔آر۔سی۔ ہوا۔ وہاں 19 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے۔ وہاں کے وزیرخود کہتے ہیں 5 لاکھ 40 ہزار بنگالی ہندو ہیں۔ میں ہوم منسٹر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ سیکشن 6(A) کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں، ان پر مقدمہ چلے گا، وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر مقدمہ چلے گا، صرف مسلمانوں پر ۔ وزیرِ داخلہ بتائیں کہ کیا یہ ڈِسکریمِنیشن نہیں ہیں؟ آرٹیکل 14 فیل وہیں ہوتا ہے، جہاں مذہب آتا ہے۔ آپ آسام کے 5 لاکھ 40 ہزار ہندووُں کے لئے یہ قانون بنا رہے ہیں اور جب این۔آر۔سی۔ ہو جائے گا، اگر امِت شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انہیں کی پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا۔ ان کی سازش مسلمانوں کو اسٹیٹلیس بنانا ہے۔ میں اس کی مذمّت کرتا ہوں کہ ہمارا حال یہ بنا کر رکھ دیا ہے کہ طوفان میں ایک کشتی میں تاخوبیت کی، فرقہ پرستی کے طوفان میں بغیر ملّاح کے ہمیں کشتی میں ڈال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشہ دیکھ رہے ہیں، مگر یاد رکھو اے تماشہ دیکھنے والوں کہ یہ کشتی ساحل تک پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کشتی چلا کر

جمہوری انداز میں اپنے آپ کو حاصل کریں گے، یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

محترمہ، میں تیسری بات پی۔او۔کے۔ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وزیرِ داخلہ صاحب، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک تہائی حصہ چین میں ہے۔ آپ ڈر رہے ہیں، کیونکہ کل اگر دلائی لامہ مر جائیں گے اور نیا دلائی لامہ آئے گا، تو آپ اُسے روکنے کے لئے یہ کر رہے ہیں۔ کیا تبّت کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہے؟ آپ انتظار کر رہے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ چین سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہندوستان کا ایک تہائی حصہ چین میں ہےاور خود وزیرِ داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم اکسائی چین کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ چین سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟

چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ہوم منسٹر صاحب جانتے ہیں کہ ٹائیگر صدیقی کون تھا؟ ٹائیگر صدیقی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی اور اس نے مُکتی واہنی بنائی اور بنگلہ دیش بنا۔ اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے تو ٹائیگر صدیقی کبھی بھی مُکتی واہنی نہیں بناتا۔ پانچویں بات افغانستان کے بارے میں ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ طالبان آئے گا۔ جب طالبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارا کی، تاجک کی بھارت میں، تاکہ ہم اسٹریٹجی کنٹرول کر سکیں۔ طالبان جب افغانستان میں حکومت کرے گا تو آپ کا توٹرمپ کارڈ چلا گیا۔ یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا وِزن ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلنڈر سیکیوریٹی کے اینگل سے آپ لوگ کریں گے۔ افغانستان میں سِکھ ہیں۔ میں جانتا ہوں، طالبان کے زمانے سے ہوم منسٹر صاحب جانتے ہیں کہ کرینسی کا

پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا اور آج بھی انہیں کے پاس ہی ہے اور کیا گارنٹی دے رہے ہو ہوم منسٹر صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندوؤں سے مطلب ہے نہ پاکستان کے مسلمانوں سے مطلب ہے۔ وہ لوگ گھُسائیں گے یہاں پر، آپ کیسے روکیں گے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں آپ سِٹیزن شِپ دینے جا رہے ہیں۔ آپ اسٹیٹ وائز نمبر بتائیے۔ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے، وہ اس لئے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پارٹیشن ہو۔ یہ قانون ہٹلر کے قانون سے بھی بد تر ہے۔ آپ نے بھارت کو کہاں لا کر چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے آئین پرو کیا تھا۔ کیا ہم مسلمانوں کا گُناہ یہ ہے کہ ہم مُسلمان ہیں؟ مجھے آپ پاکستان سے مت لیجیئے، مجھے افغانستان سے مت لیجیئے، مگر اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے اس ایوان کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جو پیغام دے رہے ہیں، آپ کی وجہ سے پولیٹکل موبِلائزیشن مسلمانوں کو ہو گیا ہے۔ آپ تو انہیں دبا رہے ہیں۔ آپ ان کے سینے پر پیر رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تو اس ملک کا با عزّت شہری نہیں ہے، بلکہ تجھے اسٹیٹلیس بنایا جائے گا۔ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اور پارٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو انگریزی میں ایک کہاوت کہنا چاہتا ہوں کہ Those who do not learn from history are condemned to repeat it. سری لنکا کے دس لاکھ تمیلینس تمل ناڈو میں ہیں، کیا وہ ہندو نہیں ہیں؟ نیپال میں ہندو نہیں ہیں؟ ہوم منسٹر صاحب بتا دیجیئےکہ میانمار میں چِن، کاچِن اور ہکان نہیں ہیں۔ چند سال پہلے تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچِن کا ریڈیو چلتا تھا۔ یہ چینی لوگ میانمار کے کرشچین ہیں۔ آپ انتظار کر رہے ہیں۔ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کی کونسی اسٹریٹجی ہے؟ میڈم، ہر اعتبار سے یہ فیلیر ثابت ہوگا۔

میں اس بِل کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے اور یہ اُن لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا، چاہے 1957 کی جنگِ آزادی ہویا 1910 میں مہاتما گاندھی کیسے مہتاما بنے؟ میڈم، معلوم ہے انہوں نے جنوبی افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا، جہا دیا تھا۔ اس لئے جب مہاتما نے پھاڑا (کاروائی میں شامل نہیں کیا گیا) یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔۔ (مداخلت)...

(ختم شد)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : माननीय सभापति महोदया, यह अपमान है। यह सदन का अपमान है। संविधान का अपमान है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह कार्यवाही से निकाल दीजिएगा।

...(<u>व्यवधान</u>)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): माननीय सभापति जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। हम सबने माननीय सदस्य को शांति से सुना। सदन की एक परम्परा है। आप इस तरह से ... * आप सांसद हैं। हम इसकी निंदा करते हैं।...(व्यवधान) इसे कार्यवाही से बाहर निकाला जाए।...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैडम, यह कंटैम्प्ट ऑफ हाउस है । इसके लिए एक्शन लेना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इनको बोलने नहीं देंगे अब।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FIROZPUR): Madam Chairperson, I will start by saying that the biggest sufferers of partition, the people who lost everything, were the people from Punjab, especially the Sikhs and other minorities.

Madam, during partition time, lakhs of our brothers and sisters were forced to flee Pakistan, and they had to come to India. Even if they had land, other properties or any business there, everything was taken over. They were left with nothing, and they came to India. You might have heard, seen and read the news reports. Trains full of bodies were sent to India.

Madam, during partition, few members of the minority communities still stayed back in Pakistan. If you look at the figures, I have got from the data, during partition, around 1947, you will see that 75 per cent of the people of Pakistan belonged to the majority community, and 25 per cent of them belonged to all other minorities. Today, after 72 years, less than 5 per cent belong to minority communities in Pakistan. So, where has the large number of people gone? Majority of them were forced to convert into the majority religion because that was the only way left for them to live there. I can give you thousands and thousands of such examples where a person living in Punjab, India is a Sikh, and his cousin or his brother living in Pakistan is a Muslim. One of our MLAs, he is an MLA from our Party, is a Sikh but his uncle in Pakistan is a Muslim. So, they were all forced to convert. However, a few people still maintained the identity but they had to face a lot of hardships. A lot of Sikhs, members of the Sikh Community, keep on visiting

us during their visits to Golden Temple, and we have the opportunity to talk to them. A lot of our *Jathas* go to Pakistan to visit our religious places. They have the opportunity to talk to our brothers there. There is a sense of suffocation there.

Madam, I can give you numerous examples. Thousands of cases come up in papers and news about Sikh girls being forcefully converted. Recently, hardly about two-three months back, there was a Sikh girl named Jagjeet Kaur from Nankana Sahib, our holiest Sikh Shrine. Her father was the head priest of Nankana Sahib. His daughter was kidnapped, forced to marry a member of the majority community and forced to convert. We, in our party, raised our voice here, we met the External Affairs Minister, we met the Prime Minister, did *dharna* in front of Pakistan Embassy and finally Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan took action and she was returned back.

There is a case of a Pakistani Christian girl Rimsha Masih, who was put under the blasphemy case. For the blasphemy case, there is death sentence in Pakistan. Fortunately, she was able to escape to Canada.

There is another case of a Hindu girl, Rinkle Kumari. She was abducted by a Ruling Party law maker in Pakistan, forced to marry, she filed cases in courts and the Chief Justice of the Supreme Court there dismissed her plea by saying that anybody who gets into Islam cannot get out of it. That was the verdict given by the Chief Justice there. So, I can quote numerous such examples.

Similar is the case in Afghanistan. There were more than 3,00,000 Sikhs and other community people living happily in Afghanistan. They were controlling the business there, there were very well off and when Taliban came, they started persecuting them, harassing them, they were forced to flee and they were kidnapped. During the last 25 to 30 years, at least 75,000 of them have come to India. They have been living here, but without any citizenship. A lot of them have met us because Shiromani Akali Dal represents the Punjabi community and they came to us. Since the last three decades, we have been regularly approaching the Home Ministry and representing that these poor people have left Afghanistan and Pakistan. They cannot live here because they do not have any papers with them, they have no rights;and police and other officials harass them day after day and they are living here without citizenship. Their children born here cannot do anything, they cannot live here and they gave examples that people from Afghanistan, their Sikh brothers, who have gone to America or England or any other European country, within two months they have got citizenship. But in our country, we were not given citizenship.

Madam, Shiromani Akali Dal has been regularly pursuing their case and we are happy that finally those people who spent 30 years of their life here can see light in front of them and they can feel that they are citizens of India. But at the same time, I would like to mention one thing. We must not forget that India is a secular country. Our nation is one where every religion in the world is here. Ours is a land of gurus and Sikhism preaches secularism.

Our ninth guru, Guru Tegh Bahadurji sacrificed his life for saving Hindu religion because they were being converted. So, he sacrificed his life. I will give you another example. Our fifth guru, Guru Arjun Devji started construction of the Golden Temple, made a Muslim, Mia Mir, lay the foundation stone. Everyday in our Ardas, in the morning when we go to our prayer room, in every Ardas of every Gurudwara, we mention about *sarpandhapala*. We do not say, *Sikhandhapala* or *Saaddapala*, we say दुनिया का भला होना चाहिदा । When Guru Nank Devji, whose 550th Birth Anniversary we are celebrating now, when he came out Bein *nadhi,* he said, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिन्दू, सारे एक हैं । एक ओंकार, एक रब है । That is the philosophy to be continued if we have to take this country together.

Madam, my father has been 5-time Chief Minister. Our Party has always believed that every community, especially minorities, need to be protected. My father, when he was the Chief Minister, used to go and attend every religious function of every community.

I will give an example. You might have heard of riots in other parts of the country in other States. But, you will never hear of a communal riot in Punjab till date. Even during the worst phases of Punjab where the terrorism was at its peak, everyone in Punjab lived like brothers and sisters.

So, we have to preserve our secular status. I know this Bill affects minority community. It does not affect that much to the majority community. We are talking about Pakistan. I do not want to take names of religions here. I just want to request. Why do we not add the name of Muslims? …(*Interruptions*)

There are cases where Muslims are being persecuted within their religion. I will give you an example of Ahmadiyya community in Punjab where Qadian is the headquarters of Ahmadiyya community of the whole of the world. They are the minority Muslims in Pakistan. That means, they cannot perform *namaz* there. Their hands are cut. They are treated like second-class citizens in Pakistan. Like we go to Nankana Sahib, people from this community come from Pakistan to Qadian on a regular basis.

Anyway, this Bill is based on religious persecution. Even if you put a Muslim, you will never get a case of religious persecution, especially, from these countries. Anyway, you are having a Committee, which is going to examine each and every case individually. So, if you are examining each and every case individually, you will not get any case from this community, in Punjab. At the

same time, we will be able to shut them up, but they are putting up false propaganda around the country that NDA is communal, NDA is this and that. For them, they are just looking at one word and are trying to fight it. If we abjure that word, I think, it will send a good message among everyone. At the same time, it will hold the secular credential …(*Interruptions*)

I once again stand here in support of this Bill because this Bill is going to give justice to the people of the Sikh community. This Bill is going to protect the people. This is the Bill, which Shiromani Akali Dal has been fighting for, over the last 30 years. Thank you very much.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Madam Chairperson, today here, I stand as an Assamese, I stand as a person from the North-East India, I stand as an Indian, and I vehemently oppose the Citizenship (Amendment) Bill.

यह बिल सीधा-सीधा एनआरसी से जुड़ा हुआ है। एनआरसी के साथ भाजपा क्या राजनीति करना चाहती है, इसे पूरा देश समझता है।

असम में एनआरसी में बीजेपी की जो नाकामयाबी हुई है, यह उसको छिपाने का एक अवसर है। असम में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत और असम एकॉर्ड के नियमों के अनुसार, एनआरसी कांग्रेस की सरकार लाई थी। लेकिन जब वहाँ वर भाजपा सरकार आई, केन्द्र में वर्ष 2014 में भाजपा सरकार आई, तो असम में सबसे पहले 40 लाख लोग एनआरसी से वंचित हुए और बाद में 19 लाख लोग वंचित हुए। इनमें से बहुत-से लोग भारतीय नागरिक साबित हुए। मेरे संसदीय क्षेत्र में, बारपेटा टाउन कमेटी के पहले चेयरमैन जगदीश देब का छोटा भाई नीलू देब आज एनआरसी से वंचित है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले दुर्गा खाटिवादा, जो गोरखा समाज के व्यक्ति हैं, वह एनआरसी से वंचित हैं। इन लोगों के बारे में भाजपा ने एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ राजनीति की। आज इनको घुसपैठिया शब्द से बहुत आपत्ति है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल आपकी सरकार के ही गृह मंत्री ने किया था, जब 40 लाख लोग एनआरसी से वंचित थे। आप माफी की मांग करते हैं। मैं पहले गृह मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे जो एक लाख गोरखा भाई-बहन हैं, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, जो गौ रक्षा करते हैं, उनको घुसपैठिए कह कर, आपने जो अपमान किया है, पहले आप उनसे क्षमा मांगिए। आज बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लोग असम में काम कर रहे हैं, उनको घुसपैठिए कह कर आपने जो अपनी राजनीतिक रोटी सेंकी है, गृह मंत्री महोदय, आप पहले उनसे माफी मांगिए। हमारे ट्राइबल और

बोडो लोग राजवंशी नहीं हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। आप यह सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप एन.आर.सी. को तो सुधारिए। तीन करोड़ आबादी के लिए आप एक सही एन.आर.सी. नहीं ला पाए हैं और आप 130 करोड़ लोगों के लिए लाने जा रहे हैं। आप पहले 3 करोड़ के एन.आर.सी. को ठीक करिए। 6 वर्ष हो गए, 1600 करोड़ रुपये खर्च हो गए, लेकिन आज भी लोगों को सही एन.आर.सी. नहीं मिला है और आप बात करते हैं कि 130 करोड़ लोगों के लिए लाएंगे।

आज आप इस बिल के द्वारा मेरे बंगाली समाज को एक झूठा दिलासा दे रहे हैं। वे बंगाली समाज के लोग अपने आपको भारतीय नागरिक बोलना चाहते हैं, लेकिन बी.जे.पी. की नाकामी से एन.आर.सी. से वंचित हैं, आज उनको पहले अपने आपको बांग्लादेशी कहना पड़ेगा। यह कैसा न्याय है कि मेरे असम के बंगाली समाज के लोग, जिनको भारतीय नागरिक का सम्मान मिलना चाहिए, आपकी नाकामयाबी के कारण उनको पहले सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा अपने आपको बांग्लादेशी बोलना पड़ेगा। आपकी गाइडलांइस क्या हैं? अभी तक गाइडलाइंस भी नहीं बनी हैं। कैसे दिखाएंगे कि उनका पर्सिक्यूशन हुआ है, वे कैसे कागज दिखाएंगे कि बांग्लादेश से कौन से साल में आए? जब उन्होंने एन.आर.सी. में भारत के होने का कागज दिया, तो उस कागज को आपने माना नहीं, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि आप अपने आप को बांग्लादेशी बोलिए। यह उनका अपमान है। बहुत सी समस्याएं हैं, आप पहले उनको ठीक करिए। डी वोटर की समस्या है, डिटेंशन की समस्या है, फॉर्नर्स ट्रिब्यूनल की समस्या है। गृह मंत्री जी मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने बहुत से लोगों को दिल्ली बुलाया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कभी असम में जाकर डिटेंशन कैम्प में जाइए। वहां देखिए कि लोगों की क्या दुर्दशा है। वहां हमारे वासुदेव विश्वास एक डी वोटर थे, उनका देहान्त हुआ, क्या आप गए थे?

This Citizenship (Amendment) Bill has a very negative impact on North East India. This North Eastern part of India is a very special part of India that we must protect and preserve. In North East India, we have multiple tribes. Manipur has 37 tribes. Nagaland has 100 tribes. We are Nyishi. We are Kuki. We are Meitei. We are Naga. We are Bodo. We are Bhutia. We are lepcha. Where is our culture and literature? Where are our tribal values? The Constitution gives us a special protection. Sikkim has a special protection under 371(1)(f). इस बिल में कुछ नहीं है। भारत स्वाधीन हुआ, लेकिन जब भारत में राज्य बने थे, वे भाषा के अनुसार बने। लिंग्विस्टिक के बेसिस पर हमारे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। आज हमारी भाषा पर आक्रमण है। …(व्यवधान)

मैडम, नार्थ-ईस्ट से अभी तक कोई भी नहीं बोला है, आप मुझे तीन मिनट दीजिए। आज हमारी इंडिजिनस पॉप्यूलेशन के लिए नौकरी नहीं है, कॉलेज में सीट नहीं है, सरकारी सीट नहीं है और आप बोल रहे हैं कि वहां पर अन्य लोगों को सहयोग दीजिए। आप अपने इस बिल में 6th शैड्यूल आई.एल.पी. लाए, ये सिर्फ कॉस्मैटिक चेंजेज हैं। ये प्रावधान तो पहले से ही है, कुछ नया नहीं है। इस बिल को लाने से पहले भी आई.एल.पी. था, लेकिन उसके बावजूद आज उत्तर-पूर्वांचल में जाइए, चाहे 6th शैड्यूल में हो, आई.एल.पी. में हो, वहां के लोग बोलेंगे कि इन प्रावधानों के होने के बाद आज भी एन्क्रोचमेंट हो रहा है। इस बिल के द्वारा जो पुराने घाव हैं, आप उनको उछाल रहे हैं। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में जो अमन और चैन का वातावरण बन गया था, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप उसमें आग लगा रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, I am concluding. …(*Interruptions*) So, I want to specify very clearly as to why we are opposing this Bill. The North East opposes this Bill because we are not slaves. हम गुलाम नहीं है कि आप जो भी बिल लेकर आएंगे तो उसको हम मानेंगे। आप संख्या के दम पर निश्चय ही इस बिल को पारित कर लीजिए, लेकिन हम सड़क से लड़ेंगे। Lastly, I am appealing to all the North East regional parties. आज लोग आपको देख रहे हैं। I am appealing to you that vote with your conscience, stand with your people and not vote with any political compulsions.

Lastly, today the Government talks about Swami Vivekananda. My friend from TMC said it; but let me remind you again. जो दल स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं कि शिकागो में उन्होंने कहा था - I am proud to belong to a nation that has given shelter to all the refugees and to all the persecuted of all religions and of all regions, wherever they may be on the planet. यह गांधी का राम राज्य चाहिए, यह स्वामी विवेकानंद का भारत चाहिए, यह डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का भारत चाहिए। इस बिल का हम विरोध करते हैं।

श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर): महोदया, हमारे देश की एक परम्परा और संस्कृति रही है कि दुनिया में जहां भी लोग उत्पीड़ित हुए हैं और जहां से भी लोग हिन्दुस्तान में आए हैं, ऐतिहासिक काल से हम उनको संरक्षण देते आए हैं, रहने की अनुमति दी और अपनाया है। यहूदी करीब दो हजार साल पहले अपने देश में प्रताड़ित हुए, दुनिया में घूमते-घूमते हिन्दुस्तान में आए, हमने उनको जगह दी और आज वे हमारे देश के, हमारे समाज का एक भाग हैं और वे यहां रह रहे हैं। पारसी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पारस पर इस्लामिक आक्रमण हुआ, वे विस्थापित होकर हिन्दुस्तान आए और हमने उनको रहने की जगह दी। लामाओं को तिब्बत से निकाला गया, आज भी पूज्य दलाई लामा उनका राज धर्मशाला, शिमला में चला रहे हैं और उसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, यह हमारी परम्परा है। यह हमारी संस्कृति है और उसी को इस बिल के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं। पश्चिम बंगाल की आधे से भी ज्यादा आबादी बांग्लादेश से आए हुए अलग-अलग धर्म के लोगों की है। यह जो समस्या है, जिसके कारण आज यह बिल लाना पड़ा और यह कानून बनाया जा रहा है, इसकी जड़ देश के विभाजन में है। देश का विभाजन अगर नहीं होता, न तो लोग विस्थापित होते और न ही लोग शरणार्थी बनते और न ही नागरिकता के बिल में संशोधन करना पड़ता। इस विभाजन के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस, कम्यूनिस्ट आदि, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वह कांग्रेस आज मना कर रही है। कांग्रेस ने तो क्या कमाल किया, धोती फाड़कर रूमाल किया। एक देश को तीन बना दिया। आज बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। कम्यूनिस्ट बंधुओं के वर्ष 2004 में वैस्ट बंगाल से 42 में से 36 एमपी लेफ्टिस्ट आते थे, आज नमूने के तौर पर भी कोई नहीं आया है। आपको सैम्पल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाली हिन्दुओं के साथ उन्होंने इस प्रकार की राजनीति की कि उसकी उनको सजा मिली। बंगाली में एक कविता यहां

पढ़ी गयी, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। उस समय पॉपुलर स्लोगन था। ज्योति बाबू और सुराबोदी ने धर्मतला की शहीद मीनार पर झंडा लगाकर मुस्लिम और कम्यूनिस्ट ने सभा की। उनका नारा क्या था – "पाकिस्तान मानते होबे, तोबी भारत साधिन होबे।" पहले पाकिस्तान मानो, फिर भारत की आजादी मांगो। यह उनका नारा था और लोगों ने उनको इस प्रकार से सजा दी। जिस कांग्रेस ने देश का विभाजन करके दो-ढाई करोड़ हिन्दू बंगालियों को विस्थापित बनाया, उनके एक समय पर सारे के सारे एमपी थे। पिछली बार चार थे और अब दो पर आ गए हैं, 50 परसेंट डिसकाउंट। आज जो टीएमसी राज कर रही है और एनआरसी की बात कर रही है। हमारी चीफ मिनिस्टर ने नारा लगाया थी, 42 में से 42। मैंने बोला था, 19 में हाफ और 21 में साफ। हमने 18 सीट ली और हाफ कर दिया, अगली बार साफ कर देंगे। आप यह भी ध्यान में रखिए। आपने लोगों के साथ जो ज्यादती की है, …* उसका परिणाम आज आपके सामने है।

मैडम, माननीय गृह मंत्री जी उनकी दयनीय हालत के बारे में बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं बचपन से इन परिवारों के पास जाता रहा हूं। मैंने अंडमान में जाकर देखा। मैं अंडमान में साढ़े आठ साल तक रहा। वहां लाखों की संख्या में रिफ्यूजी हैं। वहां सबसे बड़ी संख्या है। लोग जंगलों में कीड़े-मकोड़े, जौंक और मच्छरों के साथ रह रहे हैं। वे लोग कैसी जिंदगी बिता रहे हैं, आपको दया आ जाएगी। हमारे मथुआ सम्प्रदाय के मित्रों के प्रतिनिधि श्री शांतनु ठाकुर जी आए, पूरा समुदाय आज बीजेपी के साथ है, क्यों? क्योंकि हम उनके पक्ष में हैं, उनकी नागरकिता की बात करते हैं। ये पार्टियाँ जो आज इस बिल का विरोध कर रही हैं, जो 70 साल तक इनका वोट लेकर राज करते रहे, कांग्रेस ने किया, सीपीएम ने किया और आज टीएमसी कर रही है। उनको वोटर बनाकर रखा, उनको नागरिकता नहीं दी, उनको आज हम नागरिकता देने जा रहे हैं। हमारे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह सपना था। मेरे पास उनका अंतिम भाषण है। जिस दिन उन्होंने यहां से

* Not recorded.

वर्ष 1950 में, इस संसद में नेहरू-लियाकत पैक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हुई, बंगाली हिन्दुओं का उत्पीड़न हुआ, जिसके विरोध में 19 अप्रैल, 1950 में, तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने जिंदगी भर रिफ्यूजियों की सेवा की थी। देश की अखंडता के लिए कश्मीर में जाकर बलिदान दिया था। उनको बंगाल का जनक बोला जाता है। आज जिस पश्चिम बंगाल में बंगाली रह रहे हैं, वह साढ़े नौ करोड़ बंगाली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन हैं और जो लोग उस पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रहे हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं। यह बड़े ही दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है।...(व्यवधान)

माननीय अधीर बाबू अभी यहां पर नहीं हैं। वह थोड़ी देर पहले बांग्ला में कविता पढ़ रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि अधीर बाबू आप एक कविता बांग्ला में पढ़ लेते। उनके पूर्वज भी बांग्लादेश से आए थे। आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि क्यों रात को घरों में लालटेन जलाकर मां-बहनों की इज्जत बचाने के लिए भाग-भागकर आना पड़ा था। क्यों रात को रेडियो चलाकर आपको अपना देश छोड़कर मां-बहनों की इज्जत और अपना धर्म बचाने के लिए भागना पड़ा था। यहां भी ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जो उधर से आए हैं। वे भूल गए हैं। एक-एक परिवार की कहानी है कि उनके ऊपर किस प्रकार से बीती है। आप आज भी जाकर देखिए कि रेल की पटरी के पास लाखों परिवार रह रहे हैं, सालों-साल पीढ़ी दर पीढ़ी पशु-पक्षियों की तरह पानी के ऊपर बंबू का माचा बनाकर रह रहे हैं। ये पार्टियां जो आज नागरिकता का विरोध कर रही हैं, उन्होंने एक भी दिन आवाज नहीं उठाई है कि हिन्दू-बंगालियों को नागरिकता दी जाए। कभी किसी ने पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई है कि उनको यह दिया जाए। ममता बनर्जी जी एनआरसी को लेकर रास्तों में दौड़ रही हैं। वह पसीना-पसीना हो गई हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक जा रहा है। अगर एक बार कोलकाता में जाकर बोलते कि दो करोड़ हिन्दू बंगालियों को सिटिजनशिप दी जाए, तब हम यह मानते कि आप सच में बंगालियों की तरफदारी करते हैं। अभी उनके भतीजे यहां से बोल रहे थे कि इंडिया-इंडिया। कौन-सा इंडिया? अगर बंगाल में प्रधान मंत्री जी

जाते हैं, तो उनको बाहरी बोला जाता है। हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी जाते हैं, तो उनके हैलीकाप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनको प्रोग्राम करने के लिए मैदान की परमीशन नहीं दी जाती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री योगी जी जाते हैं, तो उनके हैलीकाप्टर को उतरने की परमीशन नहीं दी जाती है। यह कौन-सा इंडिया है?... * ...(व्यवधान) यह इंडिया है और आप हमको इंडिया की कहानी सुना रहे हैं। आप इंडिया की बात करते हैं। हां, प्रशांत किशोर के लिए ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है। बीजेपी का कोई नेता या मंत्री जाएगा, तो उसके लिए परमीशन नहीं है।

महोदया, माननीय योगी जी झारखंड में उतरे थे। वहां से 40 किलोमीटर दूर गाड़ी में जाकर पुरुलिया में जनसभा की थी। ये इंडिया की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। महोदया, हमारे समाज के साथ जो बीता है, आज हम उसको सुधार रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन का जो सपना था, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। उनके योग्य उत्तरसूरी के रूप में माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, हम उसका सपोर्ट करते हैं।

महोदया, यह काम बंगाल में बहुत पहले होना चाहिए था। उनको 70 सालों तक वोटर बनाकर रखा है। उनका वोट लिया, राज किया और बंगाल को लूटते गए। आज हम उस काम को पूरा कर रहे हैं। रेफ्यूजी लोगों ने बार-बार कोलकाता में सभाएं की थीं। इनके नेता ने वहां जाकर भाषण दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपको सिटिजनशिप देंगे, तब आज वे लोग हमारे साथ हैं। इन पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया है। यह उसका परिणाम है कि आज बीजेपी 2 से 18 पर पहुंची है। हमको दो करोड़ तीस लाख लोगों ने वोट दिया है। वे लोग केवल 17 लाख से आगे हैं। हम अगले चुनाव में उसको पार करेंगे, क्योंकि हमारे प्रतिष्ठाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इन रेफ्यूजीज़ के

* Not recorded

साथ थे। वे उनके हितों के लिए यहां से मंत्रित्व छोड़कर गए थे। उन्होंने जिन्दगी में दो बार मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था। इसी कारण से एक बार अंग्रेजों के जमाने में एसेंबली से, बंगाल के मंत्रिमंडल से और दूसरा यहां के मंत्रिमंडल से जो पंडित नेहरू जी का पहला मंत्रिमंडल था, उन्होंने वहां से भी त्यागपत्र दिया था। बंगाली रेफ्यूजियों के हितों के लिए सत्ता को लात मार दी थी। आज हमारी सरकार और सच में जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके उत्तरसूरी हैं, उन्होंने उनके सपने को सफल किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार ने नारा लगाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए बिल के लिए सभी का समर्थन चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा और सच में जो रेफ्यूजीज़ हैं, उनको जस्टिस मिलेगा।...(व्यवधान)

[*]**SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):** Hon. Chairperson, Vanakkam. Thank you for this opportunity. BJP, which is in power for so long has been involved in wrongdoings which are affecting this country. The activities of the ruling Party will have a negative impact on this country. The Citizenship Amendment Bill and NRC are a continuation of such undesired activities. This Bill intends to isolate the Muslims who took active part in the country's freedom struggle I, therefore, on behalf of Communist Party of India, strongly oppose this Bill. I condemn this Bill. This Bill intends to separate Indians from India., This Bill aims to divide Indians on the basis of religion. This is an anti-national activity as it aims to separate Indians on the basis of religion. I criticize particularly that this is anti-national Bill. I want to ask why this BJP government is targeting the Muslims time and again? What is the reason? Muslims along with Hindus were hanged to death while taking part in the freedom struggle of our country. There was bloodshed and both Hindus and Muslims sacrificed their lives for the sake of this country. How can you justify in targeting the Muslim community? I want to question you ill intention as you are targeting those who took active part in our freedom struggle. I want to mention one thing. Subhash Chandra Bose, a renowned leader, took pledge at the Samadhi of Bahadur Shah-II in Myanmar (Burma) while inaugurating the Indian National Army. Subhash Chandra Bose fought against the British. This government is hunting the Muslims who took part in the freedom struggle and

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

whose participation has been recognized by Subhash Chandra Bose, the renowned patriotic leader. It is gross injustice. It is dishonesty. This should be given up. Similarly, this Bill attacks the republic fabric of India. It aims to separate Indians in India and wants to make them fight with each other. This is dangerous. This is totally destroying the motto of our country which upholds unity in diversity. The values protected by the Indian national freedom struggle and of the Indian and Hindu tradition are all at stake. This should be given up. That is our standpoint. This BJP government is engaged in wrongdoings. I strongly oppose this Bill. Thank you.

माननीय सभापति: आप लोग शांति बनाकर रखिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : कल्याण बनर्जी जी, आप शांति बनाकर रखिए। यह लड़ने का मैदान नहीं है। यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (*Interruptions*) *

माननीय सभापति : श्री बदरुद्दीन अजमल।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: बदरुद्दीन अजमल जी की बात के अलावा और कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)… *

* Not recorded.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है। ...(व्यवधान) मैं नॉर्थ-ईस्ट से आता हूँ, असम से आता हूँ। ...(व्यवधान) इसलिए हम पहले नॉर्थ-ईस्ट की बात करेंगे। ...(व्यवधान) मैडम, यह बिल हमारे असम के जितने लोग हैं - आदिवासी हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, बंगाली हों, असमी भाई हों, सबके अंदर यह झगड़ा लगाने वाला बिल है। यह डिवाइड एण्ड रूल बिल है, इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम इसलिए इसकी मुखालफत करते हैं कि असम में आज कम से कम एनआरसी के मामले में देखिए साढ़े 16 सौ करोड़ रुपये भारत सरकार का खर्च हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह बनाया गया, 57 हजार लोगों ने चार से पांच साल इसके ऊपर मेहनत की और उसको रीइनवाइट कर दिया गया। आज 19 लाख लोग उससे वंचित हैं। उनके बारे में क्या होगा? कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। होम मिनिस्टर साहब कभी असम में जाते हैं, कभी बंगाल में जाते हैं, वे यह कहते हैं कि इसके अंदर सब हिंदू शामिल हो जाएंगे और मुसलमान इसके अंदर नहीं आएंगे। यह बड़े अफसोस की बात है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के जरिए से, उनकी जुबान से हिंदू भाइयों की बात होती है, मुसलमान की बात होती है, यह बड़े अफसोस की बात है।

> "आज सिया को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी
> फिर भी कहते हैं ये हमसे, एहले चमन, यह चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं है।"

क्या हमारे बाप-दादा ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ नहीं दीं? वर्ष 1735 में नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। उसके बाद 1757 में टीपू सुल्तान मरहूम ने उठाया। इस तरीके से यह पूरी लड़ाई लड़ती रही। हिन्दू-मुस्लिम भाइयों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। आज जब बाहर से लाने की बात हो रही है तो सिर्फ हिन्दू भाइयों की बात होती है। क्यों मुसलमान की बात नहीं होती है? इसलिए हमारा यह कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है। धर्म की बुनियाद के ऊपर संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। असम एकॉर्ड के खिलाफ

है। असम एकॉर्ड को बनाने के लिए पूरे असम में 6 साल आंदोलन चला और उसके ऊपर एजिटेशन चला, 12000 लोग मरे। उसके बाद हजारों-करोड़ रुपये की प्रॉपर्टीज बर्बाद हुईं, 850 लोग शहीद हुए। आज एक कदम के साथ उसको खत्म कर दिया जा रहा है। इसलिए भी हम इसकी मुखालफत करते हैं। मुझे होम मिनिस्टर साहब से खासकर तवज्जो चाहिए कि इस पॉइंट को वे जरूर नोट करें और हमें इसका जवाब दें कि क्या ऐसा नामुमकिन आज पाकिस्तान हमारे लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। आज़ादी के बाद इस मुल्क से उस मुल्क में लोग गए, उस मुल्क से इस मुल्क में लोग आए। उस वक्त हजारों वाकयात ऐसे हुए, जो यहां से भी कहने के लायक हैं और वहां से भी कहने के लायक हैं। जुल्म अगर वहां हो रहा है तो यहां भी बहुत जुल्म हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। आज हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यह कहना चाह रहा हूं कि होम मिनिस्टर साहब एक मिनट के लिए चिंता करें, आज कानून बनाना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। क्या यह पाकिस्तान जो हर वक्त हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, यह इस बहाने से जब ब्लैंकेट परमिशन मिल जाएगी तो हिन्दू भाइयों को और दूसरे धर्म के भाइयों को, उनके अंदर अपने ट्रेन्ड जेहादी भाइयों को, जो बच्चे पैसे के लिए उनके लिए काम कर सकते हो, क्या इस भीड़ में वे नहीं भेज सकते? क्या वे यहां आने के बाद जब हर चीज उनके लिए फ्री कर देंगे, यह मुल्क के लिए कल खतरा नहीं बन सकता है। इस बात के ऊपर भी होम मिनिस्टर साहब ध्यान दें।...(व्यवधान)

जनाب بدرالدین اجمل (دھبری): میڈم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بِل پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ (مداخلت)... میں نارتھ ایسٹ سے آتا ہوں، آسام سے آتا ہوں۔ (مداخلت) اس لئے ہم پہلے نارتھ ۔ ایسٹ کی بات کریں گے (مداخلت)۔

میڈم، یہ بِل ہمارے آسام کے جتنے بھی لوگ ہیں، آدیواسی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، بنگالی ہوں، آسامی بھائی ہوں، سب کے اندر یہ جھگڑا لگانے والا بِل ہے۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول بِل ہے۔ اس لئے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اس کی اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ آسام میں آج کم سے کم این۔آر۔سی۔ کے معاملے میں دیکھئیے ساڑھے سولہ سو کروڑ روپئےبھارت سرکار کا خرچ ہوا ہے، سپریم کورٹ کی نِگرانی میں یہ بنایا گیا، 57 ہزار لوگوں نے چار سے پانچ سال تک اس کے اوپر محنت کی اور اس کو رینوائٹ کر دیا گیا۔ آج 19 لاکھ لوگ اس سے محروم ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب کبھی آسام میں جاتے ہیں، کبھی بنگال میں جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب ہندو شامل ہو جائیں گے اور مسلمان اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہندوستان کے وزیرِ داخلہ کے ذریعہ سے، ان کی زُبان سے ہندو بھائیوں کی بات ہوتی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے ۔

آشیاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی

پھر بھی کہتے ہیں یہ ہم سے اہلِ چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں

کیا ہمارے باپ دادا نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے قربانیاں نہیں دیں؟ سال 1735 میں نواب سراج الدولہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف تلوار اُٹھائی۔ اس کے بعد 1757 میں ٹیپو سلطان مرحوم نے اُٹھائی۔ اس طریقے سے یہ پوری لڑائی لڑی جاتی رہی۔ ہندو مسلم بھائیوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کروایا۔

آج جب باہر سے لانے کی بات ہو رہی ہے تو صرف ہندو بھائیوں کی بات ہوتی ہے۔ کیوں مسلمان کی بات نہیں ہوتی ہے؟ اس لئے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے۔ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آسام ایکارڈ کے خلاف ہے۔ آسام ایکارڈ بنانے کے لئے پورے آسام میں 6 سال تحریک چلی اور اس کے اوپر ایجی ٹیشن چلا۔ 12000 لوگ مرے۔ اس کے بعد ہزاروں کروڑ روپئیے کی پروپرٹی برباد ہوئی، 850 لوگ شہید ہوئے۔ آج ایک قدم کے ساتھ اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس لئے بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مجھے ہوم منسٹر صاحب سے خاص طور سے توجہ چاہئیےکہ اس پوائنٹ کو وہ ضرور نوٹ کریں اور ہمیں اس کا جواب دیں کہ ایسا کیوں کہ آج پاکستان ہمارے لئے دردِ سر بنا ہوا ہے۔ آزادی کے بعد اس ملک سے اس ملک میں لوگ گئے، اُس ملک سے اِس ملک میں لوگ آئے۔ اس وقت ہزاروں واقعات ایسے ہوئے جو یہاں سے بھی کہنے کے لایق ہیں اور وہاں سے بھی کہنے کے لایق ہیں۔ ظلم اگر وہاں ہو رہا ہے تو یہاں بھی بہت ظلم ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے بہنوں کے ساتھ جو عصمت دری کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے، میں اپن بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب ایک منٹ کے لئے غور کریں، آج قانون بنانا بہت آسان ہے، ان کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ کیا یہ پاکستان جو ہر وقت ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، یہ اس بہانے سے جب بلینکیٹ پرمیشن مل جائے گی تو ہندو بھائیوں کو اور دوسرے مذہب کے بھائیوں کو ان کے اندر اپنے ٹرینڈ جہادی بھائیوں کو جو بچے پیسے کے لئے ان کے لئے کام کر سکتے ہوں کیا اس بھیڑ میں وہ نہیں

بھیج سکتے؟ کیا وہ یہاں آنے کے بعد جب ہر چیز ان کے لئے فری کر دیں گے، یہ ملک کے لئے کل خطرہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس بات کے اوپر بھی ہوم منسٹر صاحب دھیان دیں۔ (مداخلت)

(ختم شد)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): महोदया, मैं सदन में यह बोलना चाहती हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए, क्योंकि हजारों-हजार लोग जो शरणार्थी हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र से आए हैं, जो बंग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, जिनको मारा, जो पीड़ित हुए, वे यहां पर आए हैं, उनके लिए यह बिल पूरी की पूरी लाइफ-लाइन है। इसलिए यह बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। नेहरू जी ने देश का विभाजन किया था, लेकिन मैं इस डिबेट में उस पर बोलना नहीं चाहती हूँ। मेरे बंगाल में सबसे बड़ा हिस्सा, एक धर्म ने रातों-रात बंगाल से छीन लिया था, यह बहुत दु:ख की बात है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं होता। हिन्दू बंगालियों के लिए पश्चिम बंगाल नहीं होता। यह पश्चिम बंगाल की सरकार हिन्दू शरणार्थी का स्वागत नहीं करती है, वह रोहिंग्या का स्वागत करती है। पूरे के पूरे रोहिंग्या को जमीन दी। पूरे के पूरे रोहिंग्या को घर दिए।...(व्यवधान) वोटर आईडी कार्ड भी बना दिए। पूरे पश्चिम बंगाल में 70 लाख घुसपैठिये वोटर्स हैं।...(व्यवधान) 120 सीट्स पूरी की पूरी घुसपैठियों के कब्जे में हैं। अभी-अभी जो सांसद बोल रहे थे, हमारा इंडिया, तुम्हारा इंडिया, मेरा इंडिया, तुम्हारा इंडिया तो उनका इंडिया हमारे इंडिया को दो बार वोट देकर मोदी सरकार को बनाया, नेक्स्ट टाइम भी बनाएगा, उसके बाद भी बनाएगा।...(व्यवधान)

They are saying that there will be tussle between Bengalis and non-Bengalis. Instead of CAB he is talking about NRC .

वे एनआरसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सदन में सीएबी की चर्चा हो रही है। जब ये एनआरसी के बिल के बारे में घुसपैठिये की बात बोल रहे हैं तो मैं भी बोलना चाहती हूं कि इन घुसपैठियों के कारण हमारा पश्चिम बंगाल वूमेन ट्रैफिकिंग में एक नम्बर पर है, काउ स्मगलिंग में एक नम्बर पर है। मालदा में जो घटना घटी है, हैदराबाद की जैसी घटना मालदा में घटना घटी है, उसके

* .... *English translation of this part of the speech originally delivered in Bengali.

जो दोषी हैं, वह घुसपैठिये हैं, बार्डर से भाग गए हैं। अभी तीन साल की बच्ची का भी रेप होता है, 65 साल की जो नन है, उनका भी उधर रेप होता है। लेकिन घुसपैठिये बॉर्डर से भाग जाते हैं। अभी ये घुसपैठियों की बात करेंगे, संसद में एन.आर.सी. की बात करेंगे, पर कलियाचक थाने में घुसपैठियों ने अपने पूरे के पूरे क्रीमिनल रिकॉर्ड्स को खत्म करने के लिए पूरे थाने को ही जला दिया।

अभी मालदा में, जिधर अफ़ीम की खेती है, वह मालदा इंडिया का अफ़गानिस्तान है। इसलिए ये एन.आर.सी. की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस सदन में सी.ए.बी. की चर्चा कर रहे हैं। अभी इन सभी लोगों ने बोला है कि इस बिल से इन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि इस बिल में मुस्लिम नाम क्यों नहीं है। क्या किसी ने एक भी शरणार्थी से जाकर पूछा है कि आप लोग कहां से आए हैं? वे बोलेंगे कि हम लोग इस्लामिक राष्ट्र से आए हैं, जहां वे माइनॉरिटीज़ हैं। क्या उनसे किसी ने पूछा है कि आपके ऊपर आक्रमण किस धर्म ने किया? जहां वे माइनॉरिटीज़ थे, वहां जो मेजॉरिटी में हैं, उस धर्म के लोगों ने उन पर आक्रमण किया। अभी ये लोग इस बिल के ऊपर बोल रहे हैं।

Many members say that this country is not a Hindu country. But when a minority is persecuted in any Islamic country, he immediately thinks about India.

भारत ही एक राष्ट्र है, जो इन शरणार्थियों को बचाएगा। इसलिए उनके मन में है कि भारत ही एकमात्र हिन्दू राष्ट्र होगा।...(व्यवधान)

अभी गृह मंत्री जी जो बिल लाए हैं, वह शरणार्थियों को नया जीवन देगा, शरणार्थियों को सम्मान देगा।...(व्यवधान) अभी जो मेजॉरिटी वाले इस्लामिक राष्ट्र हैं, उनसे हिन्दू शरणार्थियों को बचाने के लिए यह बिल आया है। इसलिए उनका नाम इसमें नहीं है, मुस्लिम का नाम इसमें नहीं है क्योंकि जो शरणार्थी हैं, उन्हें बचाने के लिए यह है।

---

* .....* English translation of the speech originally delivered in Bengali

पश्चिम बंगाल में सभी हिन्दू, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, मटुआ लोगों को नागरिकता मिलेगी, यह तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन, वह सांसद जो बोल रहे थे, उनके मन में एन.आर.सी. का ट्रैप आ गया क्योंकि जो घुसपैठिए हैं, वे इधर से उठ कर बाहर चले जाएंगे। घुसपैठियों की सरकार पश्चिम बंगाल में है।...(व्यवधान) वह घुसपैठियों का देश बनाना चाहती है क्योंकि वह इसका वोट बैंक पॉलिटिक्स है ।...(व्यवधान) इसलिए ये रो रहे हैं और इसलिए ये सी.ए.बी. का ऑपोज कर रहे हैं।...(व्यवधान)

धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं प्रधान मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि 70 सालों से देश की जो समस्याएं थीं, चाहे वह घुसपैठ का मामला हो चाहे कश्मीर के अन्दर धारा-370 हटाने का मामला हो, धारा 35'ए' का मामला हो, गांव, ढाणी की अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, उन्होंने सारे काम एक साथ करने का प्रयास किया। धारा-370 को हटाने का जब बिल लेकर आए थे तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था। काँग्रेस पार्टी ने भी यह नहीं सोचा था। काँग्रेस के सांसद सेन्ट्रल हॉल में मुझसे यह कह रहे थे कि इतना जल्दी इतना कुछ हो जाएगा, यह तो हमने सोचा नहीं, हमने तो वही काम किया जो नेहरू जी छोड़ कर गए थे। ये काम वे 70 सालों तक करते रहे।

सभापति महोदया, मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे हजारों परिवारों का, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अन्दर थे, उनसे जबरन धर्मान्तरण कराया गया। उनके साथ अत्याचार हुए, अन्याय हुए और उन्होंने भारत के अन्दर आकर अलग-अलग राज्यों में शरण ली, चाहे वह असम हो या बंगाल। जो सीमावर्ती इलाके थे, वहां उन्होंने शरण ली। इस बिल के अन्दर सारे धर्मों को लिया। उन देशों से, जहां से शरणार्थी आए थे, वहां के अल्पसंख्यकों को हिन्दुस्तान की नागरिकता का अधिकार यह बिल देगा। इसके अन्दर मुसलमानों को इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुसलमानों से दुखी होकर तमाम हिन्दू, सिख, बौद्ध और दूसरी जातियों के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हिन्दुस्तान के अन्दर आए थे।

सभापति महोदया, हम इतिहास की दृष्टि से थोड़ा पीछे जाएं तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। उन्हें वर्ष 1914 के ब्रिटिश नागरिकता और विदेशी अधिकार अधिनियम द्वारा आमतौर पर शासित किया गया था। उस अधिनियम के बाद इसमें संशोधन किया गया था और वर्ष 1948 में निरसित कर दिया गया था। दरअसल भारतीयों के पास नागरिकता का कोई अधिकार ही नहीं था।

21.00 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने और अधिनियमित करने के बाद भी देश को उसी समय संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने और उसे समाप्त करने व इससे संबंधित मामलों को विहित करने वाला कोई कानून नहीं था।

सभापति जी, जब वर्ष 1947 में देश का विभाजन हुआ, यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। इसमें नागरिकों का कोई दोष नहीं था। विभाजन के पश्चात भारत एक धर्म निरपेक्ष देश बना, जबकि दूसरी तरफ अन्य राष्ट्रों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मज़हब को अपना राष्ट्र धर्म बनाया। इसके चलते इन राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रताड़ना सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक प्रताड़ना वहन करने के लिए मजबूर किया गया।

सभापति जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जब वर्ष 1947 और वर्ष 1972 में दो विभाजन हुए तो बांग्लादेश एक अलग देश बना। जब पाकिस्तान वर्ष 1947 में अलग हुआ तो वहां हिन्दुओं की जो संख्या थी, उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा था। आज 70 साल बाद पाकिस्तान के अंदर हिन्दुओं का प्रतिशत और वर्ष 1972 के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं का जो प्रतिशत रहा, वह बहुत निम्न स्तर पर चला गया है। उनसे जबरन सारे काम कराए गए, जो आजादी के 70 साल बाद इस व्यवस्था के अंदर नहीं करवाए जाते हैं।

सभापति जी, मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने नागरिकता से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए संसद में इस बिल को लाने में अदम्य साहस दिखाया।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: बेनीवाल जी, अभी बोलने के लिए 20 स्पीकर्स हैं, इसलिए आज नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ वाइंड अप कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। इस विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा अधीन अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 के उपबंधों या उसके अधीन किए गये किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में अब नहीं माना जाएगा। …(व्यवधान)

सभापति जी, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। यहां बैठकर मैंने आपका पूरा भाषण सुना था, जो आपने एक-एक चीज बोली थी।…(व्यवधान) मैंने कुछ उसमें से भी लिया था। इस बिल का विरोध करने वाले जो लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री जुल्फ़िक़ार अली भुट्टो द्वारा वर्ष 1969 में लिखी गई पुस्तक ' मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस' में कश्मीर, भारत, असम तथा पूर्वी पाकिस्तान से लगे भारत के कुछ जिलों से जुड़ी जो बात उन्होंने लिखी, उससे साफ जाहिर था कि स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय से ही असम राज्य पाकिस्तान की आँख की किरकिरी था और बहुत सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करके धीरे-धीरे उनका धर्म परिवर्तन कराया गया।

सभापति जी, मैं एक मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूंगा। …(व्यवधान) मैं राजस्थान से आता हूं। वहां की लगभग 1,045 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से लगा हुआ है।

माननीय सभापति : बेनीवाल जी, जुल्फ़िक़ार अली भुट्टो वाली बात आ गई है। अब आपकी सारी बात आ गई है। आप अगले स्पीकर को बता दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी, वहां के हिन्दू शरणार्थी बताते हैं कि कैसे उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है । वहां बालिकाओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है ।...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, hon. Chairperson. I rise to oppose the Bill; I vehemently and strongly oppose the Citizenship (Amendment) Bill. Today morning also, I had suggested that in the legislative history of Indian Parliament, such a Bill has never come before Parliament. This is a Bill wherein religion is the basis for acquiring the citizenship in our country.

Madam, the provisions in this Bill are contrary to the ideals of secularism and pluralism. Hence, it is totally unconstitutional.…(*Interruptions*) Madam, let the House be in order.

HON. CHAIRPERSON : Nothing is going on record, Hanuman ji. Please sit down. Premachandran ji, you may continue.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: How can I speak when another hon. Member is speaking? …(*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपकी बात आ चुकी है। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है। हनुमान जी**,** आप प्लीज बैठ जाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Madam, I vehemently oppose the Citizenship (Amendment) Bill on the grounds of legislative competence. It is totally unconstitutional because in order to get the citizenship of a country like India, which has the secular fabric of the Constitution, religion is the basic factor. So, it is totally unconstitutional and hence, I strongly oppose the Bill.

Madam, the Bill proposes to amend the Citizenship Act, 1955. If the illegal migrants are from those six communities, they are entitled to have the citizenship. They will be considered as migrants and they are eligible for acquiring the citizenship. So, the Bill makes illegal migrants eligible for citizenship on the basis of religion which is absolutely unconstitutional.

The hon. Minister today morning was trying to counter the arguments made by our side that there is a reasonable classification. We all are challenging the validity of the Bill on the grounds of Article 14. The hon. Minister was countering the argument, and, yes, he is absolutely right in saying that, that if there is a reasonable classification, it can be done. But whether it is a reasonable classification, it has to be looked into. Shri Adhir Ranjan ji has just now pointed out that if it is the reasonable classification, two factors have to be complied with. One is the classification wherein there should be a rational nexus to the objects sought to be achieved. Also, it should be just and fair, and it should comply with the principles of equity. Madam, in this case, you may kindly see that there is no rationale in differentiating illegal migrants on the basis of religion. There is no reasonable classification. Therefore, I strongly oppose it.

How can you set two standards for Muslims and non-Muslims? Indian citizenship cannot be conferred on the basis of religion as it is a secular country. It is against the spirit of the Constitution. Madam, I have just started.

HON. CHAIRPERSON: One minute is over.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Most of my time was taken by him. Madam, I fully agree with the Government. It would be appropriate if the Bill had used the term 'persecuted minorities' instead of listing out non-Muslim minorities in the country. Persecuted minorities are migrants and they are entitled to citizenship. Why were these words used? Madam, there lies our difference. It has a clear case of political agenda. That is a divisive political agenda. That is the basic point which I would like to make. Madam, Citizenship was discussed in the Constituent Assembly from 10th to 12th August, 1949 with respect to Article 5 and Article 6. Madam, the Anthropological Survey of India shows that there are 4,635 communities in India.

HON. CHAIRPERSON: Nothing is happening to them. You are a lawyer. You are confusing the matter. How is it relevant to this? It is a citizenship where eleven years have been reduced to six years.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Madam, you were speaking and I heard you for twenty-six minutes.

HON. CHAIRPERSON: Your allotted time is three minutes and I have given you five minutes. Instead of three minutes, I have given you five minutes.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: From the beginning, Madam, you have been ringing the bell.

HON. CHAIRPERSON: Sir, because I have instructions. Twenty more people have to speak after you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Madam, the basic issue is of political philosophy. Most of the learned Members from the other side have spoken the way they did because this is their political philosophy. What is their political philosophy, Madam? … * That political philosophy is there.

HON. CHAIRPERSON: This will not go on record.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This is wrong. No indulgence. Please be seated. You cannot just say anything.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Premachandran is wiser than that.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Madam, let me make my last point.

How do you define religious persecution? I would like to seek a clarification from the hon. Minister. The term 'religious persecution' itself is confusing. How do you distinguish between an economic migrant and a persecuted refugee? There is no clear-cut definition in this regard. Hindus who cross into India are migrants and are eligible for citizenship but Muslims who come to India are infiltrators and are not eligible for citizenship. Is this a reasonable classification? That is the point.

* Not recorded.

How will it impact the NRC? Those belonging to the Hindu, Sikh and other communities who are left out of the NRC can very well apply to the NRC stating that they are persecutors.

HON. CHAIRPERSON: They will get it in eleven years. Do not confuse things.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Madam, this weakens the secular fabric of the country. Hence, I strongly oppose the Bill.

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Madam, I represent the State of Sikkim. I am the lone Member from the State and a member of the Sikkim Krantikari Morcha Party.

While introducing the Bill and while moving it for discussion, hon. Minister somehow left the State of Sikkim from the North-Eastern Region. Sikkim is one of the States of the North-Eastern Council. There are eight States in that and Sikkim is one of them. However, Sikkim has been named nowhere for exemption in the Citizenship (Amendment) Bill, 2019.

Sikkim was not there when India got its Independence. Sikkim merged into the Indian Union in 1975 with a special provision under Article 371 of the Constitution. Article 371(k) protects all the old laws of Sikkim. The citizenship of the Sikkimese Indians is defined by the Sikkim Subjects Regulation 1961. When the Citizenship Act, 1955 was enforced in Sikkim with Sikkim (Citizenship) Order, 1975, it is clearly specified that every person who immediately before 26th April, 1975 was a Sikkim subject under Sikkim Subjects Regulation 1961 shall be deemed to have become a citizen of India on that day. This means that the citizenship of Sikkimese Indians has been defined according to the Sikkim Subjects Regulation 1961. This brings up the point that Sikkim should be exempted from the Citizenship (Amendment) Bill which is under discussion today.

So, on behalf of the Sikkimese people and the Sikkim Krantikari Morcha, I strongly oppose the implementation of Citizenship (Amendment) Bill in Sikkim and hence the Bill. Thank you.

SHRI TOKHEHO YEPTHOMI (NAGALAND): Madam Chairperson, I am the lone Member from the State of Nagaland. Taking this opportunity, I would like to bring some important information to the attention of the hon. Members of this august House.

Madam Chairperson, this Bill was discussed in the last House also. This House passed the Citizenship (Amendment) Bill on 8th of February this year but because the 16th Lok Sabha's term was over, this could not be passed in the Rajya Sabha. So, this has been discussed in the last House also and this is being discussed today again.

The Government has proposed to bring this amendment to consider the cases of those people who are discriminated on the ground of religion. The original Act was passed in 1955. The Citizenship (Amendment) Bill is being brought to the House today to consider giving citizenship of our country to those people.

We are all human beings and we need to think on human grounds. Everything which is happening in the country cannot be solved through one amendment. This needs to be done stage by stage as per the requirement and the urgency that is prevailing in the country. However, this Bill is being moved. Many MPs from the North-eastern States, including the State Governments, civil societies, and NGOs requested the hon. Home Minister and the hon. Prime Minister to exempt us from the purview of this amendment. And, for which, the

hon. Home Minister has been very kind enough to exempt Nagaland State from the purview of Citizenship (Amendment) Bill. The reason is that Nagaland State is still under Disturbed Areas Act today. Political negotiations were going on and now they have been completed but there are some formalities to be done. I feel that under the leadership of hon. Prime Minster and the hon. Home Minister, Naga solution is going to be there within a few months' time.

Most of the Members are aware about the position of the Nagaland State. Nagaland State shares boundary with Myanmar starting from Manipur up to Arunachal Pradesh, which is one of the longest boundaries in the country and not much has been done in this regard. Due to North-East insurgency problems, the Government has been so kind to put the Armed Forces along the boundary. Even if Nagaland political solution is there, till all the North-eastern insurgency problems are settled, Nagaland is going to face problems because of the insurgents who are given shelter in Myanmar.

Therefore, I would like to thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister having exempted the Nagaland State and some other North-eastern States from the purview of the Citizenship (Amendment) Bill. For this, on behalf of the people of Nagaland and the North-eastern States, I want to thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister and I support this Bill.

Thank you.

SHRI C. LALROSANGA (MIZORAM): Thank you, Madam Chairperson.

I am the lone representative of the small State of Mizoram in this House. I would like to thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for having listened to our fears and apprehensions regarding the Citizenship (Amendment) Bill.

The Citizenship (Amendment) Bill was one of the main issues that came up during the elections also on which we fought very hard and it is still a very burning issue. In spite of the peace that prevails in my State – one of the most peaceful States in the country after 20 years of insurgency – we have been facing mental torture because of the Citizenship (Amendment) Bill. It has been weighing very heavily on us cutting across party lines. But very fortunately, on several occasions, we have been expressing our fears and concerns to the hon. Prime Minister, the hon. Home Minister and others in the Central Government, and they have been very kind to listen to us and address our concerns.

So, today, I would just like to express our gratitude to the Central Government for having exempted Mizoram and other States of the North-East from the ambit of the Citizenship (Amendment) Bill.

There is one apprehension in our minds that the Bill will rehabilitate or grant citizenship to victims of religious persecution from the three countries that have been mentioned. I would like to request the Central Government as well as the State Governments across the country to see that the religious persecution does

not exist in our country. Religious persecution has been taking place in different parts of the world because of which we are now on the verge of passing this Bill. But I would like to ask the authorities, the powers that be, in different parts of the country to see that there is no religious persecution and we put down any sign or any manifestation of religious persecution at once in this country.

I would like to thank the hon. Home Minister who, in his introductory speech, mentioned the fact that my neighbouring State of Manipur is being given the Inner Line Permit. That was a cause for heartburn to the people of Manipur but they now have been promised that they will be getting Inner Line Permit. Having said that, I would like to request the hon. Home Minister to fulfil all the assurances that he has been making in this House in relation to the North East during the debate earlier on the J&K Bill and today on this Citizenship (Amendment) Bill. Whatever assurances he has given for the protection of the North East, I would like him to bring them to reality. In the end, because of our gratitude, we support this Bill.

SHRI LORHO S. PFOZE (OUTER MANIPUR): Hon. Chairperson, Madam, thank you for giving me the opportunity to say a few words on this Bill. I belong to Manipur; I am a lone Member from my party and we are two Members of Parliament from Manipur. The State of Manipur has been going through fear and apprehension since the Citizenship (Amendment) Bill was brought into discussion. Manipur has been experiencing a lot of protest, turmoil and confusion over this issue. But today, I would like to thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for considering the points of peril in the State of Manipur. The State of Manipur was afraid as to what would happen to its demography after the implementation of this Bill. But since Manipur has now been brought within the purview of Inner Line Permit, I am sure the people of the State can now rest assured. But as the hon. Minister has mentioned on the floor of this House, Inner Line Permit should be categorically mentioned in the amendment Bill or orders should be passed in this regard so that it puts to rest the fear of our people. We will be very grateful.

We are also confident that this Government will look at the apprehensions of various minority communities and indigenous people of the State. We are small States and we are small in numbers. But the North East represents a very strategic area of our country. Therefore, despite being small in numbers, we hope that our State will not be neglected and our fear and apprehension will be put to rest after so many years and months of considerations. There are yet a few other

agendas that concern our people, particularly as we are from the Naga community. The Naga peace process is also under way. One of the three most important but contentious Bills that have been the concern of the Indian States for a long time has already been considered and passed.

There is yet one more thing that needs to be done. I think that in the next few weeks or months to come, the Naga Peace Accord would also be brought to rest and that strategic part of India, the North-East India, would continue to experience peace, tranquillity, and development.

Thank you very much and I support this Bill.

***SHRI NABA KUMAR SARANIA (KOKRAJHAR):** Madam, you all are aware that the problem of Assam is illegal migration. Assam Movement for deportation of illegal migrants took place in the 80's. ULFA also came into existence during this time. As a result of Assam agitation, Assam Accord was signed. But today it seems that the Citizenship (Amendment) Bill has nullified the historic Assam Accord. Assamese people are always in constant fear that since they are less in numbers, the unabated illegal migration would adversely affect their language, culture and civilization. That's why, Madam, my request to the Government is that the entire North East should be brought under 6th Schedule or Inner Line Permit regime. To allay the fears of Assamese people such Inner Line Permit should be introduced. Our people are in constant fear that the influx of Hindus or Parsis or other communities would create more problems for the Assamese people. That's why I would like to request the Hon'ble Prime Minister and the Home Minister that they should take every possible step to allay the fears of our Assamese people. Government should take steps to take our people into confidence. Three districts of my constituency have been included in the 6th Schedule of the Constitution. Either Assam should be brought under Inner Line Permit regime or all the North

* English translation of the speech originally delivered in Assamese.

Eastern States should be kept outside the purview of the Inner Line Permit regime. To conclude, I appeal to all for maintaining peace and unity and I request the Government to take appropriate step so that fratricidal clash or civil war don't occur in my State.

Thank you.

KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Thank you, Madam Chairperson, for giving me an opportunity to speak.

Just like my predecessor colleagues from the North-Eastern States, I too am a lone Member of my political party, the National People's Party. I rise here today to extend my support to this Amendment Bill. I would like to give certain reasons for it.

First of all, I would like to thank our hon. Home Minister for the extensive consultation that was taking place before this Bill was tabled. Earlier when this Bill was put in the House, there was no consultation and my party opposed it vehemently because the North-Eastern States' concerns were not taken into consideration. This time, I would like to thank the hon. Home Minister for putting all those major issues to rest because many of the North-Eastern States like Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram, have all been exempted as they have their inner line permit system. My own State of Meghalaya, where 96 per cent comes in the Sixth Schedule area, is exempted; it covers Assam and Tripura as well.

Madam, my sole request today to our hon. Home Minister would be that because North-East is a sensitive area, as has already been articulated by my colleagues, we really need to protect the North-Eastern States. My sole request today would be to kindly exempt the entire North-East from this and not just the Sixth Schedule areas and not just the ILP areas.

There is one more thing which I would like to ask the hon. Home Minister. It is a small clarification. In case we have applicants who are already residing in my State of Meghalaya and they receive citizenship after fulfilling all the technicalities, is there a plan to relocate these citizens into another area or into another location? I would request the Home Minister to kindly give us certain clarifications to this question that all the applicants coming from the exempted areas of the North-East where they would be relocated in case, they are found eligible for citizenship.

So, these are just a few concerns that I have. With these few words, I would like to extend my support. I would like to thank the Home Minister for the extensive 119 hours of consultation which he did with the hon. Chief Ministers of States in the North-East, civil societies and the student unions. I feel a lot of those apprehensions have been clarified but if there are more issues that the North-Eastern States are facing, I would request the Home Minister to be open even in the future because this is only the initial stage. I believe many problems may occur. Many issues may need to be addressed. I would request the Home Minister, the Ministry of Home Affairs and the Prime Minister to kindly be as patient and as open-hearted as they have been previously with us.

Thank you very much.

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): सभापति महोदया, आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश के बंटवारे के बाद पुरखों की जमीन न छोड़कर वहीं रह रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार से लगातार अत्याचार हो रहा है, उनकी तरफ उनका ध्यान गया है। मैं इस बात की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। मोहन जोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु नदी के पास चारों वेदों की रचना हुई। इसी वेल कल्चर सिंधु घाटी की सभ्यता में जहां चारों वेदों की रचना हुई, जहां सूफी संस्कृति को बढ़ावा मिला, आज सबसे ज्यादा वहीं पीड़ित हैं और जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, वहां सिंध प्रांत के लोग चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति मिले। वहां एक प्रकार से आंदोलन चल रहा है कि वे पाकिस्तान से अलग हो जाएं। वर्ष 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था और इस समझौते के अंतर्गत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध रहेगा तथा अल्प संख्यकों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। समझौते में यह भी था कि अल्प संख्यकों की सुरक्षा भी की जाएगी, ये सभी प्रमुख मुद्दे दोनों देशों के बीच हुए थे। हमारे देश में अल्प संख्यक बहुत सुखी हैं और हर धार्मिक पद्धति से वे पूजा कर रहे हैं लेकिन वहां न पूजा कर सकते हैं, न मंदिर जा सकते हैं, न गुरुद्वारे जा सकते हैं। वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं। मैं वहां के अल्प संख्यकों के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। वे नर्क का जीवन जी रहे हैं। वहां लूट खसोट और हत्या आम बात है। चुन-चुनकर प्रतिष्ठित लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, इसके कई आंकड़े हैं।

मैं पाकिस्तान की मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आंकड़े देना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 से लेकर 2018 तक, यानी 14 सालों में 7430 अपहरण हुए हैं। ये तो वे आंकड़े हैं, जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। वास्तविक आंकड़े तो कहीं ज्यादा हैं। कई मामलों में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। वर्ष 1918 की पाकिस्तान की मानवाधिकार आयोग की 335 पन्नों की रिपोर्ट भी है,

इसमें साफ कहा गया है कि सिंध प्रांत में हिंदू, ईसाई और सिख लड़कियों के बलात्कार और धर्म परिवर्तन के एक हजार मामले सामने आए हैं । यही नहीं, वर्ष 2010 में पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। पाकिस्तान की दूसरी रिपोर्ट है। 'द डॉटर गॉन फोर एवर' की रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां कि वहां के राजनेता, वहां के धार्मिक नेता और सेना भी इसमें शामिल है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मिया-मिट्ठू नामक एक धार्मिक नेता हैं, जो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि मैंने धर्म परिवर्तन पहले भी करवाया था, अब भी करता हूं और आगे भी करवाऊंगा, उसका यह प्रकरण है। हमारे भारत देश के अखबारों के फ्रंट पेज पर उसकी न्यूज भी छपी थी। वही धार्मिक नेता, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जी के साथ और सेना के साथ हमें सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखता है।

सभापति महोदया, मानवाधिकार आयोग ने 26 अप्रैल से 17 नवम्बर के बीच में पाकिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में घूम कर सर्व किया था और उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपका ध्यान कुछ उदाहरणों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं गत वर्ष के थोड़े उदाहरण देना चाहूंगा, वे दो-तीन ही हैं। 16 दिसम्बर को … * की हत्या हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकल कर आया कि उसके साथ बलात्कार किया गया, और मर्डर किया गया, लेकिन वहां के न्यायालय में दो दिनों पहले बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की। वहां पर न्यायापालिका पर से भी भरोसा उठ गया है। 30 अगस्त को सिख लड़की … * का धर्म परिवर्तन किया गया। 29 जून, 2019 को 17 साल की बेटी … * का धर्म परिवर्तन किया गया। 20 अगस्त, 2019 को घर में होली मना रही मासूम बहनों रीना और रवीना का अपहरण कर बूढ़ों से शादी कराई गई। 21 नवम्बर, 2018 को नौ साल की ईसाई लड़की … * को अगवा करके बलात्कार किया गया। 27 अक्टूबर, 2018 को सिख लड़की… * को सरकारी एम्बुलेंस में बलात्कार किया गया। ऐसे बहुत

* Not recorded.

सारे उदाहरण हैं, जिनको मैं यहां बता सकता हूं। छोटी-छोटी बच्चों को किस प्रकार से अपहरण कर उनका बलात्कार किया जाता है। वहां पर महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाई जा सकती है। वहां महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहन सकती हैं। वहां महिलाएं बिन्दिया नहीं लगा सकती हैं, ऐसे कई उदाहरण वहां देखे जा सकते हैं।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 19 जुलाई अमेरिका के 10 सिनेट मेम्बरों ने डोनाल्ड ट्रम्प एक लेटर लिख कर ज्ञापन दिया था। यह लेटर मेरे पास भी है।...(व्यवधान) इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किस प्रकार से हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और सबसे ताज्जुब करने की बात है, जो डोनाल्ड ट्रम्प को रिपोर्ट में दी गई है कि वहां सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Madam Chairperson, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Citizenship (Amendment) Bill, 2019.

Today, the ruling BJP Party, the Government is in a hurry to pass this Citizenship (Amendment) Bill, 2019. Why is this hurry? It is because this Bill has been an after-thought of the NRC of Assam. The State of Assam was the first State to be chosen for conduct of the NRC? NRC is not a new phenomenon. Way back in 1951 when the State of Assam along with the rest of the country attained Independence at that time the first Government in Assam decided to have NRC parallelly with the census operation. It is because the State of Assam bore the brunt of unabated migration. So, the Government of Assam in concurrence with the Government of India wanted to conduct an NRC because we wanted to have a baseline data on migration. In all these years, that fear has not been allayed. That is why the Assam agitation took place. Today, this Bill, apart from being unconstitutional, it has negated and nullified the Assam Accord. It is because the Assam Accord had proven to be time-tested and it proved to be the most successful conflict resolution formula. The Assam Accord brought in peace and stability in trouble-torn Assam. Today by negating this Assam Accord, we do not know what would be the future of the State of Assam. The State of Assam is now on fire. The *Lakshman Rekha* we had in the Assam Accord was a broad and accommodative one and the timeline given in that accord was 25th of

March, 1971. But through the provisions of this Bill that *Lakshman Rekha* has been brought forward by 43 years 9 months, that too on the basis of religion. God only knows what will happen to the future of the State of Assam. The identity and culture of the people is the most important thing. If you allow this unabated influx and migration again, the Assamese people will lose their identity. And that is why, this is uppermost in the minds of the Assamese people.

"Herou sarbanosiya sarajantrakarir dol, sun sabodhan bani"

I just quoted a line from an Assamese poem. I reiterate it here as a people's representative and as a stakeholder in the highest temple of democracy. That is why, I would like to forewarn the hon. Home Minister, the Government and the ruling Party that if you push the Citizenship (Amendment) Bill, you are pushing Assam, along with the North-East, into an era of uncertainty, turmoil and violence and probably, insurgency. That is why, Madam, this diabolical agenda has to be stopped because it has been taken up as an instrument of polarisation.

श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): माननीय सभापति महोदया, इस सदन में आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं एक ऐसे समुदाय से आता हूँ, जिसे मतुआ समुदाय कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में मतुआ समाज के छ: करोड़ लोग हैं। इनमें डेढ़ करोड़ लोग रिफ्यूजी हैं। बांग्लादेश में जितने हिन्दू हैं, अगर उनमें डेढ़ करोड़ हिन्दू हैं, तो उनमें मतुआ समुदाय के 90 लाख लोग पीड़ित हो रहे हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बिल एक ऐतिहासिक बिल है। हम देख रहे हैं कि हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन्स, जो भारतवर्ष में शरणार्थी के रूप में हैं, को पूर्ण नागरिकता देने की पहल की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज इस बिल को इस सदन में क्यों लाना पड़ा? वर्ष 1950 में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी और लियाकत अली खान ने एक सौदा किया था कि भारतवर्ष से संख्यालोगू लोग बांग्लादेश में सेफ रहेंगे, वे वहाँ जाएंगे और उस पार से हिन्दू लोग इस पार आएंगे। इसके बाद ये पूरा प्रोसेस बंद हो गया। यह बहुत दिनों तक चला, लेकिन फिर बंद हो गया। इसी कारण से आज यह बिल लाना पड़ा है। विपक्षी दलों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वे इसका पॉलिटिकल रीजन और टेक्निकल रीजन बहुत कुछ निकाल रहे हैं। अगर इसको ध्यान से देखें, थोड़ी मानवता से देखें, तो यह समझ में आता है कि आजादी के बाद से आज तक शरणार्थियों का मामला बंगाल के साथ पूरे भारतवर्ष में एक जटिल समस्या के रूप में बना हुआ है।

यूपीए सरकार ने पिछले 65 वर्षों में इसमें तरह-तरह के अमेंडमेंट्स करके इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। अगर एक नज़र इतिहास की ओर देखें, तो ज्ञात होता है कि उस समय एक देश में दो लोगों के प्रधान मंत्री बनने का सपना था, जो बहुत ही कठिन था, जिसके कारण भारतवर्ष का विभाजन हो गया और आजादी के समय यह सबसे बड़ी कठिनाई आई।

देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए बहुत-से महान व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवा दीं। कुछ लोगों ने देश का प्रधान मंत्री बनने के लिए धार्मिक भाव से देश का बंटवारा कर दिया, जिनकी

वजह से इन तीन देशों में, धार्मिक मतभेद की वजह से छ: धर्म के लोगों की आबादी दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके साथ ही उनके अंदर एक डर भी बना हुआ है।

अगर इतिहास पर गौर करें, तो यदि वर्ष 1946 में कोलकाता का ग्रेट किलिंग और नोआखली का बहुत बड़ा दंगा नहीं होता, तो भारतवर्ष में भेदभाव का स्थान भी नहीं होता। इस वजह से हम लोग अखण्ड भारत को खण्ड के रूप में नहीं देखते। यह थी सबसे बड़ी कठिनाई।

महोदया, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। श्री जोगेन्द्र नाथ मंडल के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। इसके साथ ही, हमारी कम्युनिटी के एक और नेता थे, पिछले 73 सालों में जिनके बारे में किसी ने नहीं बोला, वे मेरे ग्रैंड फादर बैरिस्टर पी.ए. ठाकुर थे, जिन्होंने 19 दिसम्बर 1946 में कॉन्टीट्वेंट असेम्बली ऑफ इण्डिया में अपनी बात रखी थी।

He said:

> "This is also very important. We, the depressed classes are the original inhabitants of this country. We do not claim to have come to India from outside as conquerors, as do the Caste Hindus and the Muslims. As a matter of fact, India belongs to us and we cannot tolerate the idea that this ancient mother country of ours will be divided between the Muslims and the Caste Hindus only. I come from Bengal. Many of you might have heard of the civil disturbances over there. The Depressed Classes were the worst sufferers. We strongly repudiate any claim of the Muslim League to take away our beloved Bengal and constitute her into Pakistan. We also oppose the idea of grouping. We shall fight tooth and nail to maintain the integrity of India intact. I hope, better sense will prevail on Muslim League soon."

इसके बाद वर्ष 1948 में श्री पी.आर. ठाकुर ने जवाहर लाल नेहरू जी को एक पत्र भेज कर बताया था कि धार्मिक भेदभाव के कारण देश का भाग किया गया है। तब पूर्वी पाकिस्तान के चार

जिलों बाखरगंज, फरीदपुर, जसौर और खुलना को भारतवर्ष के अंदर लाना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू जी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में विजिट करने के बाद इन जिलों के बारे में बोला कि ये वाटरलैण्ड हैं, इनकी जरूरत नहीं है । इससे क्लियर हो जाता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी की नकारात्मकता थी।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Respected Madam Chairperson, I thank you very much for allowing me to speak on this Bill.

Madam, my colleagues have already argued about how this Bill violates the Right to Equality under Article 14 and the secular nature of our Constitution by linking religious identity to claim citizenship. Therefore, I shall not repeat these arguments. Instead, I would request the hon. Home Minister to answer the following questions which I would like to raise before the House.

Madam, if the Bill is to help those who were left out on the wrong side of the partition, as argued by Leaders of the Ruling Party, then why has Afghanistan been included? Afghanistan was not a part of pre-partition India. If it is because Afghanistan has a nexus with India in terms of history, then why has Sri Lanka been excluded, especially when majority of Tamils who are Hindus, face religious and ethnic discrimination?

If the Bill has only included people from three neighbouring countries due to the degree of religious persecution, as was argued by Members of the Ruling Party, then why has Myanmar, a neighbouring country with the worst incidents of religious persecution in decades, in relation to the Rohingya crisis, been excluded?

Madam, if a person, who is born into the majority community but is an atheist, though in official documents, he is identified as a Muslim, faces religious

persecution due to his beliefs, why should that person be distinguished as those listed in this Bill?

Madam, there are numerous claims of forced conversion of Hindus and Christians in Pakistan. It has been something that the BJP had raised in the past. Now, once they have been forcefully converted, their official documents will identify them as Muslims. Due to the exclusion of Muslim community in this Bill, how will they claim any benefits under this Bill because documentary evidence will show them as Muslims? Is it not much better to have a general assessment of religious persecution to claim benefits under this Bill, rather than listing specific communities which are eligible?

I would like to make one more point. A report in *The Economic Times* quoted a senior functionary of the RSS to indicate that the real purpose of this Bill is to help the Hindus excluded by the NRC, thus only the Muslims excluded by the NRC will suffer. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : You do not even know how to quote the newspaper reports.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Madam, I want to say only one sentence in the end.

HON. CHAIRPERSON: No, these are unverified reports. I will not allow this. Please take your seat now. Shri Dilip Saikia to speak now.

***SHRI DILIP SAIKIA (MANGALDOI) :** Thank you Hon. Madam Chairperson for giving me an opportunity to speak on Citizenship Amendment Bill, 2019. Madam Chairperson I would like to thank our Hon. Prime Minister and the Home Minister. The Citizenship Amendment Bill which has been brought today will prove to be a milestone for the people of Assam in the days to come. Madam Chairperson, you are all well aware that 6 years long Assam agitation took place for deportation of illegal migrants. This 6 year long Assam agitation started from my Lok Sabha constituency Mangoldai. 855 people attained martyrdom in this agitation for deportation of illegal migrants. As a result of this agitation Assam accord was signed between the then Prime Minister of India Shri Rajiv Gandhi, Assam Government and the all Assam Gana Sangram Parishad in 1985. The Assam accord contained a number of clauses. One of the main clauses of the Assam accord was Clause 6. It makes provision for providing constitutional safeguards to the Assamese people.

From the year 1985 to 2019, 34 years have passed since the signing of the Assam accord. But for the implementation of clause 6 of Assam accord no Government took any step. Today my colleagues from Congress party Shri Gaurav Gagoi and Shri Pradyut Bordoloi are also sitting here in the House. Our former Prime Minister from the Congress party signed the Assam accord to deport

* English translation of the speech originally delivered in Assamese.

the illegal migrants. But even after 34 years of the signing of the accord they didn't take a single step to implement it.

Congress party would have surely supported CAB. But they have not supported CAB, as the word 'Muslim' has not been mentioned in the Bill. If the word Muslim had been mentioned in the CAB, the Congress party would have surely supported it. Madam Chairperson, it shows the double standard of the Congress party. Please give me one minute, Madam Chairperson. Lot of protests are going on in Assam. I will have to explain to them.

I have requested the Hon. Prime Minister and the Hon. Home Minister to take care of the interests of the people of Assam. Steps should be taken to implement clause 6 of the Assam accord in a time bound manner. Steps should also be taken so that Assamese language remains the medium of instruction in Assam.

*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Madam Chairperson, First of all I thank you for giving me an opportunity to speak on this Citizenship Amendment Bill, 2019. Revolutionary leader Dr. Ambedkar said that the generosity of the majority community and democracy lies in protecting the rights of the minority communities. In the name of majority community, you cannot be against the rights of the minorities. It is not only undemocratic but also of Fascism. Through this Amendment Bill it is evident that our country is heading towards Fascism. It is the height of Fascism to separate only particular religion and telling them they have no place in this country. It is the pride of a highly civilized society to welcome those who come as refugees. It can only then be humanitarian. A person can live without a house but not without a country. Those who have no national identity and who came to our country seeking refuge should be given citizenship. That should be the duty of any civilized government. It is a highly uncivilized activity of our government to target a particular community, especially the Muslims. All those, except Muslims, who belong to neighbouring countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan and who are affected due to partition, those who have declared as belonging to a State religion, will get citizenship as per provisions of this Bill. This was stated by Hon Minister for Home Affairs. But this is not in agreement to all these three criterions. When you mention about neighbouring countries, you have not included Sri Lanka, Myanmar and Nepal.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

There is no explanation as to why these countries have not been included as neighbouring countries. Even in Sri Lanka, the State religion is declared other than those 3 countries mentioned in the Bill. In Myanmar too there is State religion. This factor is not also in agreement with the Bill. It is evident that the government is contradicting itself. I want to register here that as many as 1 lakh Sri Lankan Tamils, i.e. Tamils of Eelam are living in this country - Twenty thousand persons in camps and 30 thousand persons outside camps and all of them are not Muslims. If I say in your language, they are all Hindus. I want to ask why this government has not come forward to give citizenship to Sri Lankan Tamils who are Hindus as well and whether they are denied citizenship as they are Tamils. I want to ask whether Tamils and Muslims are the ones to be boycotted. I strongly oppose the Bill. Thank you.

श्री भगवंत मान (संगरूर) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Bhagwant Mann.

...(Interruptions) ... *

श्री भगवंत मान: महोदया, मैं सबसे पहले मेरे बीजेपी के मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, जिसको मेरा मुंह सूंघना है, वह अभी आ जाए, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होता है।...(व्यवधान) जिसको मेरा मुंह सूघना है, वह अभी आ जाए, आप फिर बीच में आते हैं, तो डिस्टर्ब होता है । मैं जब भी सच बोलता हूं, तो आपको शक होता है ।...(व्यवधान) आप आइए ना फिर।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Thirumaavalavan, it is not even going on record. Please take your seat.

श्री भगवंत मान: महोदया, जो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, इस बिल के जरिए उसका कत्ल हो रहा है। आज़ादी के बाद किसी को भी धर्म के नाम पर सिटिजनशिप नहीं मिली है।...(व्यवधान) पंजाब से लगभग 150-200 साल पहले हमारे बुजुर्गों को अंग्रेज मेघालय, सिक्किम, असम ले गए थे। वे तो वहीं पर हैं। अब उनके दादाओं और पिताओं के बारे में कहां से पता करेंगे? फिर उनका क्या होगा? वहां पर पंजाबी हैं। अभी वहां के गुरुद्वारे में एक घटना हुई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस बिल के जरिए आप मान लीजिए कि आपने ऐसे 50 लाख लोगों की शिनाख्त कर ली कि ये लोग इल्लीगल हैं, तो फिर आप उनका क्या करेंगे? आप उनको कहां लेकर जाएंगे? क्या आप उनके लिए कोई शरणार्थी कैंप बनाएंगे? आप क्या बनाएंगे? बांग्लादेश तो उनको नहीं लेगा, तो इंटरनेशनल कानून

* Not recorded.

के मुताबिक आप उनका क्या करेंगे? अगर शरणार्थी कैंप बनाएंगे, तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, आदि सब कुछ देना पड़ेगा। यह बिल हमको लेकर कहां जा रहा है?

22.00 hrs

मैडम मैं यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बंग्लादेश से जो शरणार्थी हैं, उनको हम लेना चाहते हैं, जो हमारे देश से शरणार्थी गए हैं, जर्मनी, इटली, इंगलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम में गए हैं, वे आपने काली सूची में डाल रखे हैं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : उनकी सरकारें डिपोर्ट करती हैं।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मैडम, आखिरी बात कहना चाहता हूँ। …(व्यवधान) मैडम, हम भी आर्यन लोग हैं, हम आर्यन लोग हैं, हम भी ऐसे ही आए थे तो हम कहां जाएंगे? …(व्यवधान)

माननीय सभापति: मान साहब, वो डिपोर्ट हो जाते हैं। आगे बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : मैडम, मैं आखिर में एक शेर बोलूंगा कि

" लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए।
एक बहता दरिया है, मेरा भारतवर्ष, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। "

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): मैडम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया है। …(व्यवधान) इस बिल के बारे में सभी ने बहुत उच्चस्तरीय बात रखी है और असम की तरफ से भी इस बात को रखा है। अभी असम में लोगों को बहुत एप्रिहेंशंस हैं कि इस बिल के बाद असम में क्या होगा। एजिटेशन भी चल रहा है। मैडम, सन् 1979 से यह असम आंदोलन हुआ था, असम एजिटेशन हुआ था और छह साल आंदोलन के बाद आसू, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ असम एकॉर्ड हुआ था। हमारे असम के लोगों का एप्रिहेंशन है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि नॉर्थ-ईस्टर्न जितने भी राज्य हैं, सबकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो एप्रिहेंशंस हैं, सबको रीड्रेस करने का काम उन्होंने किया है। सभी ऑर्गनाइजेशंस के साथ उन्होंने बात की है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात की, ऑल चीफ मिनस्टिर्स के साथ बात हई, उसके बाद बिल को ड्राफ्ट किया गया। फिर भी असम के लोगों में थोड़े से एप्रिहेंशंस हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से बोलना चाहूंगा कि असम एकॉर्ड का मूल बिंदु था कि असमी लोगों का प्रोटैक्शन होना चाहिए। असमीज़ लोगों का कंस्टिट्यूशनल राइट प्रोटैक्ट होना चाहिए। असमीज़ कल्चर और असमीज़ लैंग्वेज को प्रोटैक्ट करना चाहिए। इसके ऊपर असम एकॉर्ड हुआ था। लेकिन इस असम एकॉर्ड की जो मूल आत्मा थी, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। बाकी बिंदुओं पर काम हुआ, लेकिन इस बिंदु पर काम नहीं हुआ। पहली बार हमारी सरकार ने इस बार असम एकॉर्ड के क्लाज़- 6 के इम्पिलिमेंटेशन के लिए एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के थ्रू हम लोग आशा करते हैं और मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि असमी लैंग्वेज को राज भाषा की मर्यादा देनी चाहिए, और हमारी वहां पर जितनी कम्युनिटी हैं, छह कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देना चाहिए। असम एकॉर्ड को असमी लोगों के कंस्टीट्यूशनल प्रोटैक्शन के लिए क्लॉज़ सिक्स को इम्पिलिमेंट करना चाहिए। हमारी जो भी विधान सभा है, उस विधान सभा को प्रोटैक्शन देना चाहिए। क्योंकि बाकी एरिया को प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो हम चाहेंगे कि उसको भी प्रोटैक्शन देना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में जो एप्रिहेंशंस हैं,

उनको रिड्रेस किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार इन बिंदुओं को देख कर इनके ऊपर काम करेगी।

माननीय सभापति: श्री अरविंद सावंत – उपस्थित नहीं।

श्री बी.महताब जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: Now, it is gone. अब तो गया सर, अब महताब साहब आ गए हैं। अगली बार बोलिएगा। पहले महताब जी बोल लें। Mahtab *saheb* is already there.

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: Everybody is sticking to the rule of three minutes.

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I want another two minutes more.

HON. CHAIRPERSON: No, Sir.

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, during the debate that took place on Articles 5 and 6 on 10th August, 1949 in the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee of the Constitution of India had expressed hardship in drafting Article 5. He said: “It is not the object of this

particular Article to lay down a permanent law of citizenship for the country. The business of laying down a permanent law of citizenship has been left to the Parliament." He further said: "The entire matter regarding citizenship has been left to the Parliament to determine by any law that it may deem fit." So, those who are doubting that the Parliament does not have the capacity to do it, it is what the maker of the Constitution, Dr. Ambedkar has said. He further said: "They must not understand that the provisions that we are making for citizenship on the date of the commencement of this Constitution are going to be permanent or unalterable. All that we are doing is to decide *ad hoc* for the time being." Therefore, I believe, this is not the last amendment that is being made. Further, in future, amendments of the Constitution on citizenship also will happen.

Dr. Rajendra Prasad, of course, said: "I do not like that we should follow the precedent of any other country." Vallabhbhai Patel had said on 29th April: "It is important to remember that the provisions about citizenship will be scrutinised all over the world." Even today, when you are making this amendment, it will be scrutinised all over the world.

But more pertinent is what Jawaharlal Nehru had said on 14th August, 1947: "We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and

we shall be sharers in their good and ill fortune alike." These are the startling words which he had mentioned on 14th August.

I also repeat what Dr. Shyama Prasad Mukherjee had said: "Let us not forget that the Hindus of East Bengal are entitled to the protection of India, not on humanitarian considerations alone, but by virtue of their sufferings and sacrifices, made cheerfully for generations, not for advancing their own parochial interests, but for laying the foundations of India's political freedom and intellectual progress."

This also reminds me what the then Home Minister, Shri Indrajit Gupta said in the Parliament in 1997. He said: "The influx of large number of people has visibly impacted our demographic pattern in several parts of India, particularly in North-Eastern region." Shri Indrajit Gupta also pointed out in the Parliament in 1997 the change in demographic structure in Assam by stating that Assam had four million illegal immigrants. This was in 1997.

What I would like to know from the Government is this. What efforts have been made by successive Governments to put in place a structured and robust migration refugee policy? This was a question which was deliberated in the Joint Parliamentary Committee.

HON. CHAIRPERSON: Mahtab *ji*, I will have to stop you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Mr. Rajnath Singh is present here. When this Bill was moved in this House in the 16th Lok Sabha, I would say very humbly that I was the first person to stand up and request the Government that let this be referred to the JPC and it was referred to the JPC. Mr. Kalyan Banerjee was a Member of that Committee; Sougata *da* was a Member of that Committee. We deliberated on that subject and I had moved three amendments. I am happy to mention here that two amendments have been accepted by the Government. What were those two amendments?

HON. CHAIRPERSON: That is a part of the Committee Report.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Before coming to that subject, I would say that the three countries that have been mentioned are theocratic States, namely Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. The Government has not mentioned about Bhutan, Myanmar and Sri Lanka because they are not theocratic States.

HON. CHAIRPERSON: Shri Arvind Sawant *ji*.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I would just conclude.

HON. CHAIRPERSON: Sorry, Mahtab *ji*. At the time of amendment, you can speak. Two minutes extra have already been given.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I would just like to mention one quote.

I want to take cognizance of a former Prime Minister. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON : Saumitra Khan ji.

....(Interruptions)

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर): मैडम, सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2019 के सपोर्ट में मैं बोल रहा हूं। महाभारत के कृष्ण और बलराम को तो नहीं देखा, लेकिन इस बिल के ऊपर हमारे बंगाल में एक महाभारत हो रहा है।

*Therefore today, I will speak in Bengali. We have not seen Krishna and Balaram of Mahabharat, but we have seen Narendra Modiji and Amit Shah ji for whom, today the wait of 2.5 crore people of West Bengal is going to end; they had waited so long for the Bill to be passed. They had hoped that each and every Hindu person coming from Bangladesh would survive in India and the dream in going to be fulfilled. So I salute my two great leaders.

Today, the member from Diamond Harbour, West Bengal was speaking. He said 6 people have died due to NRC. On August 4, 2005, here in the august House, the Trinamool Congress supremo, present Chief Minister Ms. Mamata Banerjee had demanded NRC in Bengal. In 1993 she had vociferously supported NRC during the Writers' march, but today she is against it. She is opposed to the Bengalis, why I don't understand. Rohingyas have creeped into Bengal. The Anandamargis were killed there in the past. In the present time, the Hindus are

… English translation of the speech originally delivered in Bengali.

being tortured. Therefore today, this is a burning issue for the Hindu Bengalis. 2.5 crore Bengalis waited for this day with bated breath, to get the right to live with our heads held high. All Bengalis will survive in this country, this is the most important thing. Regarding the bill presented by Hon. Amit Shah ji, I just wish to mention one thing – when the Left Front was in power, Anandamargis were assassinated. During the Trinamool regime, the President of Party in Diamond Harbour, member of Rajya Sabha announced that the Hindus would not be allowed to take part in the election. 79 persons were killed during the village panchayat election.

Thus I wish to say that passing of this bill is very necessary in out of 293 assembly constituencies, 30,000 to 40,000 persons of Bangladeshi origin stay in 280 constituencies. Can you face them? Can you explain to them why you have been opposing this bill? Today the Chief Minister is asking people not to sign on any document, she is spreading misinformation. RSS office bearer Rai Bahadur Singh has been shot at in Bengal. This is the situation. *

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Madam Chairperson. I rise to oppose the Bill because of some specific reasons. *....(Interruptions)* When a new Member like me entered the august House, I heard a very good Address of the hon. President of India to the Joint Session of both the Houses. He quoted some beautiful lines of Sree Narayana Gurudevan, a social reformer ever since –

"Jathi bhedham, matha dvesham
Ethumillathe sarvvarum
Sodarathvena vazhunna
Mathrukaa sthanamaanithu"

The translation of these lines is: This is the place where there is no hatred on the basis of caste or religion and all of us are living in harmony as brothers and sisters in this model place. Madam, I do not know whether my translation is correct or not. But things have changed. All things are converting into hatred and fear. They say one thing and do another in accordance with their agenda. Hence, I oppose this Bill.

Madam, this Bill is against the cardinal principles laid down in the Preamble of our Constitution as well as in Articles like 5, 10, 14, 25, etc. Many speakers from the Opposition side have already gone through the constitutional validity of this Bill. So, I am not going into the details in this regard.

At the outset, I would like to say that the proposed amendment to the Citizenship Act is dangerous for the unity of our country. We should remember

one thing that during partition, Mahatma Gandhiji had said that 'dividing India is like tearing my heart into two.' Now, the BJP Government is dividing India's heart through the Citizenship (Amendment) Bill. According to this Bill, for getting citizenship, this is an easy way to do *ghar wapsii* to any of the six religions scheduled in this Bill. Even a Muslim can get the citizenship if he or she is ready to change his faith. Here, the Government is trying to divert people's agitation against the Government due to their anti-people policies and the impact of economic slowdown which are burning or sensitive issues.They should remember one thing that they cannot win by playing this game at all times. My humble request to the Government is to not change the democratic, secular country into a religious country. I may remind that to divide people on the basis of religion was the practice followed by the Hitler in Germany. I condemn the divisive politics of the BJP Government and strongly oppose the Citizenship (Amendment) Bill, 2019. Thank you.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak.

I strongly oppose this Bill due to two pertinent reasons. First, I have become a Member of this House after taking the oath that I will honour the Constitution of India. This Bill is ruthlessly killing certain important provisions of the Constitution and I do not want to be a party to that. Second, if we pass this Bill, the soul of our Constitution will get wounded. I myself and my party is not at all interested in joining with such an irregular move. Due to these two pertinent reasons, I oppose the Bill.

Madam, what is happening in this country now? We are trying to make communal kind of a division in the society. It is quite unfortunate that we are putting some tag on the nation, on a particular religion. It should not be the India. Of course, we are having a glorious tradition of communal harmony. The Government should not try to make any tag on secularism. It is the soul of the nation. If we make India for a particular religion, that is against the spirit of it. India is not of Hindus, Muslims or Christians; India is of Indians. We must not take that out of it.

I would like to say one more thing. If we pass this legislation, it will have far-reaching consequences. This time, it is against the Muslims. We feel that if this

provision is passed tomorrow, this will be used against any other religion, caste etc.

Hon. Members were saying many things about the difficulties faced by the people of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. I would like to make a humble appeal. We must have an introspection on the situation prevailing in our country also. We are having a very strong provision in the Constitution – Article 25. What is happening? Article 25 of the Constitution is being attacked like anything.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Rajdeep Roy.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Madam, let me just complete. Please give me one minute.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Basheer, it has come on record. Somebody from your party has already spoken. What do I do? There is time constraint.

Dr. Rajdeep Roy.

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Madam Chairperson, I thank you for the opportunity given to me on this momentous day to speak in favour of the Bill.

I emphatically stand here representing a community which has not been heard in the Parliament for the last 70 years. It is important to mention here that I come from an uprooted family. मेरे दादा जी रात के अंधेरे में सिलहट डिस्ट्रिक्ट के उस पार से इस पार आए थे। वह बैलगाड़ी पर चढ़कर अपने परिवार के 12 लोगों को बचाने के लिए, अपना घरबार तथा खेत-खलिहान खाली छोड़कर देश के उस पार से इस पार आए थे। आज इस दिन के लिए मेरा परिवार 70 सालों से इंतजार कर रहा है।

मैं आज के दिन भारत के प्रधान मंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के पूर्व गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीनों ने मिलकर सचमुच में 56 इंच की छाती किसको कहते हैं, वह दिखाया है। मैं इस मौके पर अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री और डॉ. हिमंत बिश्व सरमा को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बिल को पायलट करने में ग्राउंडवर्क किया।

महोदया, बंगाल पार्टिशन वर्ष 1905 में हुआ । बंगाल पार्टिशन के बाद भारतवर्ष में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसकी नींव आज के बांग्लादेश में ढाका अनुशीलन समिति ने रखी थी। इसके लीडर्स मास्टर सूर्य सेन और विपिन चंद्र पाल थे। I trace my roots to the village from where Bipin Chandra Pal came, that is the Sylhet District. The partition happened not just in India but also in Sylhet District. My family shifted to only 60 km. from this side of the border to the other side of the border to save the lives.

Bhaga-Jatin is also on the other side of the border. It is important to mention here that their contribution cannot be forgotten by the present day India. As Indians we are breathing the free air because they have not asked for their

share, they have not asked for their pound of flesh. इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये यह भी नहीं जानते कि इनका जो प्रोजनी है, इनकी जो नेक्स्ट जेनरेशन है, यह आज किस हालत में रहती है। It is being alleged that Master Surja Sen का जो घर है, वह आज के दिन गैर लोगों के कब्जे में है। It is important to mention here that a lot of promises were made before partition. I do not want to mention all that because नेहरू जी का नाम इसमें आ गया, सरदार वल्लभभाई पटेल जी का नाम इसमें आ गया, बापू जी का नाम आ गया। Already they have been quoted. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी फोटो रखकर वर्ष 1951 से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, उनका भी नाम आ गया। He said while giving his resignation on 19.4.1950, "the circumstances that have led to my resignation are primarily concerned with the treatment of minorities in Pakistan, especially in East Bengal". हमारे देश के लीडर्स ने माइनोरिटी को हमारे देश में सुरक्षित रखने के लिए जो-जो करना था, वह किया। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान और वैस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, they have not done anything and they have not carried out their responsibility. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Dr. R.K. Ranjan

DR. RAJDEEP ROY : Madam, I seek your indulgence for just 60 seconds. I will complete within that time. …(*Interruptions*) They say this Bill is unconstitutional. I would like to draw the attention of the House to article 14.

HON. CHAIRPERSON: Just speak one last line.

DR. RAJDEEP ROY : Madam, article 14 talks about equality. But equality can be only amongst equals. …(*Interruptions*)

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Madam thank you for giving me this chance. Actually my State is under overriding trouble triggered by the illegal migrants, threatening the extremely limited land resources. It is finding difficult to secure its socio-political and economic life and it is also losing its natural environmental conditions due to illegal migrants. Since the listing of this Bill in this Session, my home is confronted by different kinds of agitators. I am also feeling insecure because our people are insecure.

But today after listening to our hon. Home Minister all my anxieties and even the apprehensions of the people of Manipur have been removed. Therefore, I thank our Prime Minister and also our Home Minister. I strongly support this Bill. *Jai Hind*.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much Madam Chairperson. This Bill is not just an affront to the basic tenets of equality and religious non-discrimination that have been enshrined in our Constitution but also an all-out assault on the very idea of India that our forefathers gave their lives for during the freedom struggle. Our freedom movement was split on the issue of whether religion should be the determinant of nationhood. Those who believed in that were those who advocated the idea of Pakistan. Mahatma Gandhi onwards, Nehru ji, Ambedkar ji, and Maulana Azad ji believed in the opposite, that religion has nothing to do with our nationhood, and they created a free country for all people of all religions, regions, castes and languages. The Indian Constitution rejected the notion of the two-nation theory. If this Bill passes, Madam Chairperson, it will mark the victory of Mohammad Ali Jinnah's thinking over that of Mahatma Gandhi.

You cannot say that you reject Pakistan while advocating the same logic as Pakistan. Ironically it goes against the historic legacy of Hindus in this country. Swami Vivekananda has already been quoted. He said how proud he was to speak of a nation that has long given refuge to the persecuted of all nations and all faiths.

We lived up to Swami Vivekananda by giving refuge to Tibetan refugees, to the Bahai Community, to Sri Lankan's Tamil and ten million Bangladeshis, the

largest refugee exodus in human history, without once asking them what their religion was.

Today, you are violating Article 14 of the Constitution by singling out one community and refusing to grant them asylum from oppression. Madam, Chairperson, we already have had a partition of the Indian soil. This Bill is marking a partition of the Indian soul and I beg this Government not to proceed with this.

You yourself, while speaking from the floor, went on about UNHCR's work. Actually, it is not UNHRC, it is UNHCR. I worked for them for 11 years and I can tell you, how sad it is that India is one of the few democracies in the world not to have ratified either the refugee convention or protocol and India is one of the few democracies not to have a refugee law.

HON. CHAIRPERSON: We have the maximum number of refugees as compared to any other countries.

… (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR: That is the irony, Madam …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He asked a question and I answered it.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He named me and I answered him.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister will answer you.

श्री अमित शाह: सभापति महोदया ने कहा कि वह किसी की तरफ या विरुद्ध नहीं हैं, उन्होंने फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया है, स्पीकर की चेयर पर बैठने वाले को यह अधिकार है और वह ऐसा कर सकती हैं।

DR. SHASHI THAROOR: Hon. Minister, I am saying that we have a wonderful record of refugees. I said about the largest refugee extradition in the history but we have not created any legal instruments. I went to the former Home Minister and give him my Private Members' Bill, requesting a national asylum and refugee policy. I have met the MOS and also the Home Secretary. The Government has not been interested in pursuing this. Madam, you took away some of my time.

The point is that unfortunately the Government is not taking any basic step which is required under international law to improve the determination of refugee status, to go ahead with ensuring fair treatment of refugees. That is, anybody who is fearing persecution on the grounds of ethnicity, gender, political opinion, sexual orientation – all these people are excluded from this Bill.

Madam, the Prime Minister himself has said that सरकार का एक ही धर्मग्रंथ होता है, भारत का संविधान। The fact is that this Bill goes against the basic structure of the Constitution as Dr. Ambedkar has explained it.

HON. CHAIRPERSON: You have taken more than ten minutes.

DR. SHASHI THAROOR: It seems to me that differentiating on the basis of religion, you have omitted Muslim minorities like Ahmadis in Pakistan, Persian and Hazaras in Afghanistan, Rohingyas in Bangladesh. In fact, you have left out Myanmar altogether even though we have a border with it.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): सभापति महोदया आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सुबह से शाम तक संविधान की बहुत सारी बातें हुईं। मैं आपके बीच डेढ़ करोड़ गोरखाओं के लिए खड़ा हूं। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब संविधान बनी, कन्सटीट्यूएंट असेम्बली में दो गोरखा भी थे और वे दार्जिलिंग कालिंगपुरम क्षेत्र में थे। आज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने टीएमसी का सपना चकनाचूर होता हुआ देख रहा हूं। यही टीएमसी सरकार बंगाल में एनआरसी में सभी को भ्रमित करके 2021 का सपना देख रही थी। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, सीएबी के कारण इनका सपना चकनाचूर हो गया।

मेरा जन्म मणिपुर में हुआ है। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने मणिपुर की बहुत चिंता की है। अब इनर लाइन परमिट आईएलपी की व्यवस्था मणिपुर में भी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि गोरखाओं का अपने देश में बहुत बड़ा योगदान है। आज भी वे अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन, मुझे दु:ख है कि वर्ष 2017 में टीएमसी सरकार ने 11 गोरखाओं को बीच सड़क पर गोली से मार दी थी। आज भी हमारे 5000 गोरखा भाई घर से बाहर जंगल में रहने को मजबूर हैं। …(व्यवधान) इन्होंने गोरखाओं के लिए 16-16 तरीके के बोर्ड बनाने की बात करके 2019 में चुनाव जीतने की कोशिश की थी।

माननीय सभापति : राजू जी, बैठ जाइए। गृह मंत्री जी अपना जवाब शुरू कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी।

श्री अमित शाह: महोदया, जब मैं यह बिल लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ तब मैंने कहा था कि यह बिल उन लाखों-करोड़ों शरणार्थियों की यातना का अंत करने वाला बिल है, जो आज नरक का जीवन जीवन जी रहे हैं। …(व्यवधान)

22.31 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी शांत रहिए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरा आप से निवेदन है, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। सभी लोगों ने बोला, मैंने धैर्य से सुना। बात सच्ची हो, हमें ठीक लगे, न लगे, हमारे विचार से इत्तेफाक रखती हो, न रखती हो, सबको धैर्य से सुना । मेरा आपके माध्यम से सभी सदस्यों से निवेदन है कि अब मुझे भी धैर्य से सुनें और बीच में टोका-टोकी न करें।

माननीय अध्यक्ष: मैं एक बार आसन से व्यवस्था दे दूं।

प्रो. सौगत राय: आप व्यवस्था दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: व्यवस्था सभी लोग मानेंगे न ?

प्रो. सौगत राय: गृह मंत्री व्यवस्था न दें, आप दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इस सदन में एक अच्छी बहस हुई, चर्चा हुई और सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिए गए। जितना समय आबंटित था, उस आबंटित समय से ज्यादा समय सभी राजनीतिक दलों को दिया गया और व्यक्तिगत सदस्यों को भी दिया गया। इसलिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम सबको इस महत्वपूर्ण विधेयक पर गृह मंत्री जी

का वक्तव्य सुनना चाहिए। उसके बाद सदन तय करेगा, इस विधेयक के बारे में आप जो फैसला करेंगे, अंतिम फैसला आप सबकी सहमति से होगा।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा बिल प्रस्तुत करने के बाद श्री मनीष तिवारी से लेकर श्री राजू बिश्त तक 48 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने इस बिल की चर्चा में हिस्सा लिया है। मैंने पहले ही कहा कि यह बिल लाखों-करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नरक जैसे जीवन से उनको मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है। मुझे बहुत आनंद है कि आज ये लाखों-करोड़ों शरणार्थी जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए थे, उनको नागरिकता और संवैधानिक सम्मान देने का काम इस बिल के माध्यम से, जब यह पारित होगा तो, हो जाएगा।

अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है, बहुत सारी चीजों का रिपिटेशन भी हुआ है, मगर मैं एक-एक करके, सभी का जवाब जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल के बारे में जो अपप्रचार हो रहा है, जो भ्रान्ति फैलाई जा रही है, मैं नहीं चाहता कि इस बिल के माध्यम से, इस सदन की चर्चा माध्यम से, भारत के किसी भी कोने में वह भ्रान्ति फैले और वह भ्रान्ति टिक पाए। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : इस बिल के साथ एनआरसी का क्या संबंध है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनकी प्राब्लम है। उनकी समस्या है।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, श्री मनीष तिवारी जी ने सबसे पहले और बाकी सारे सदस्यों ने, श्री प्रेमचन्द्रन जी, श्री शशि थरूर जी ने भी आर्टिकल-14 का हवाला देते हुए इस बिल को गैर-संवैधानिक करार दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों को, इस सदन को और आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को और सदस्यों के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि किसी भी डायमेंशन से यह बिल गैर-संवैधानिक नहीं है, न आर्टिकल-14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल-14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है, मैंने पहले भी कहा है कि उसके तहत रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से आर्टिकल-14 में कोई रोक नहीं है। अब मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। थोड़ा इसके बैकग्राउण्ड में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी बात सबको अच्छी न लगे, मगर सुनने का धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि इसी में से, कैसे यह गैर-संवैधानिक नहीं है, इसका तर्क खड़ा होता है।

मान्यवर, अच्छा तो यह था कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता। अगर इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन न होता तो इस बिल को लेकर आने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, यह एक वास्तविकता है। इस वास्तविकता को इस सदन को स्वीकार करना चाहिए। जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है तो आप इसको स्वीकार किए बगैर आगे नहीं चल सकते। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। जिस हिस्से में ज्यादा मुस्लिम भाई रहते थे, उस हिस्से को पाकिस्तान के नाम से अलग देश बनाया गया और भारत का बचा हुआ हिस्सा भारतीय संघ के नाम से प्रस्थापित हुआ, जो आज हमारा भारत देश है। आगे चलकर पाकिस्तान में भी पश्चिम पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश में तब्दील हुआ। बीच में एक विभीषिका आई। दोनों ओर से शरणार्थियों का आना-जाना, मार-काट, बलात्कार, लूट हुई, ढेर सारे परिवारों ने इन यातनाओं को झेला है। जिन्होंने विभाजन की यातना को झेला है, वे ही बता सकते हैं कि यह यातना कितनी कड़ी और कठिन थी। मगर उसके बाद क्या हुआ? नेहरू-लियाकत समझौता हुआ।

1950 में दिल्ली में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ और उस समझौते के तहत यह निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने-अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, भारत भी रखेगा और पाकिस्तान भी रखेगा। बाद में बांग्लादेश बना।

मान्यवर, मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं कि सरकार यह जो बिल लेकर आई है, इसकी एक पृष्ठभूमि है। दोनों देशों की सरकारों ने एक-दूसरे को यह विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन हैं, उनका ध्यान पाकिस्तान रखेगा और यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं – मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन – उनका भारत ध्यान रखेगा। मगर पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, मैं उस पर बाद में आऊंगा, मगर 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता धरा का धरा रह गया। जिन तीन देशों से आने वाले लघुमति को हम नागरिक बनाने का वायदा इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, माइनॉरिटी को नागरिक बनाने का वायदा कर रहे हैं, उन तीन देशों के संवैधानिक स्टेटस पर जाना चाहता हूं, उनके राज्य की स्थिति बताना चाहता हूं। अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक के संविधान के अनुच्छेद-2 में प्रावधान किया है कि पवित्र धर्म इस्लाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है। मतलब वहां इस्लाम को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता दी है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद-2 में लिखा गया है कि पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश जब बना, तब उसका संविधान सेक्युलर था। वर्ष 1977 और 1988 में इसमें बदलाव किया गया कि राज्य धर्म इस्लाम है। इन तीनों देशों के अंदर राज्य धर्म इस्लाम है। इसे मान्यता हमने नहीं दी है।...(व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर: श्रीलंका में क्या है?

श्री अमित शाह : मैं एक-एक चीज का जवाब दूंगा। आपको चाहिए तो कल सुबह तक बैठूंगा, मुझे टोकिए मत।

अध्यक्ष जी, इन तीनों देशों का धर्म जो संविधान में लिखा गया है, वह बताना इसलिए जरूरी है कि वहां माइनोरिटीज को न्याय मिलने की संभावना इसी से क्षीण हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। माइनोरिटीज पर क्या-क्या जुल्म हुए, इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया है कि कैसी-कैसी घटनाएं हुईं, कैसे-कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया। ये दोनों तथ्य बताने के बाद मैं सदन को आगे ले जाना चाहता हूं कि आगे 40-50 साल बाद क्या हुआ। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23 प्रतिशत थी। दादा, ध्यान से सुनो। वर्ष 2011 में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 प्रतिशत से कम हो कर 3.7 प्रतिशत हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में वर्ष 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह अभी के बांग्लादेश में कम हो कर 7.8 प्रतिशत रह गई। ये लोग कहां गए या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया या भारत में आए या मार दिए गए या प्रताड़ित करके भगा दिए गए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो विरोध करते हैं, इन माइनोरिटी का, जो अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन पारसी, क्रिश्चियन हैं, इनका क्या दोष है? उन्हें इस प्रकार से क्षीण कर दिया गया। हम चाहते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे और वे सम्मान के साथ दुनिया में रहें।…(व्यवधान) मान्यवर, आप इन्हें बैठा दीजिए।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप यह पुस्तक पढ़ लीजिए।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : बैठ जाओ भाई। मैं इस पर भी आता हूं।…(व्यवधान) मान्यवर, यह ठीक नहीं है। इन्हें आपको रोकना चाहिए।…(व्यवधान) पूरी दुनिया देख रही है। भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारत में क्या हुआ। भारत के अंदर वर्ष 1951 में 84 प्रतिशत हिंदू थे और वर्ष 2011 में वह 84 प्रतिशत से घटकर 79 प्रतिशत हुए। यहां आबादी नहीं बढ़ी है, लेकिन वहां आबादी बढ़ी है और मुस्लिम…(व्यवधान)।

मान्यवर, यहां पर वर्ष 1951 में मुस्लिम 9.8 प्रतिशत था, आज वह 14.23 प्रतिशत है। हम ने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं, परन्तु धर्म के आधार पर पड़ोसी देशों में वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है तो भारत मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकता है, उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा।

मान्यवर, इसलिए मैं फिर से आर्टिकल 14 पर आता हूं। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार जिसमें न हो, ऐसे कानून संसद नहीं बना सकती, मैं यह मानता हूं। मगर, यह कोई धर्म के लिए नहीं हुआ है, यह क्लास के लिए हुआ है, माइनॉरिटी के लिए हुआ है, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चन, ये सारी माइनॉरिटीज के लिए हुआ है। अगर इसमें सिर्फ पारसियों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आड़े आता। अगर सिर्फ बौद्धों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर रास्ते में आता। सिर्फ हिन्दुओं के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 का जरूर वायलेशन होता। सिर्फ सिखों के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 का जरूर वायलेशन होता। मगर यह प्रताड़ित क्लास के लिए, प्रताड़ित माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून बनाते हैं, तो आर्टिकल 14 कहीं पर वायलेट नहीं होता।

मान्यवर, कई सारे ऐसे कानून हैं। ये सारे विद्वान लोग बैठे हैं। मुझे जवाब दें कि अगर आर्टिकल 14 के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते हैं, तो माइनॉरिटी एजुकेशन, इंस्टिट्यूशन के लिए अभी कैसे कानून बना है?...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: स्पेशल स्कीम है।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं बताता हूं, आप बैठ जाइए।...(व्यवधान) ओवैसी जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए।...(व्यवधान) वह आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करती है।...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : वह नहीं करता है।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: वह क्यों नहीं करता है?...(व्यवधान) वह भी करेगा।...(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे रक्षण देना चाहिए। मैंने सभी को सुना है। मुझे इन लोगों को सुनना चाहिए।...(व्यवधान) कल्याण बनर्जी जी बैठ जाइए।...(व्यवधान) दादा बैठ जाइए।...(व्यवधान)

मान्यवर इनको बैठाना पड़ेगा, ऐसे भाषण नहीं हो सकता है।...(व्यवधान) मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि बिल किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव से युक्त नहीं है, केवल और केवल उन लघुमतियों के प्रति एक पॉजिटिव भाव लेकर आया है, जो ये तीन देशों के अंदर प्रताड़ित हैं और जो प्रताड़ित हैं, वे शरणार्थी हैं। वे हमारी शरण में आते हैं। वे घुसपैठिए नहीं हो सकते हैं। वे भाग कर आए हैं। वे वहां से भाग कर आए हैं, हम उनको घुसपैठिए का स्टेटस नहीं दे सकते हैं।

मान्यवर, इसलिए मैं कहता हूं कि यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंदर है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: इनकी संख्या बताइए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनका जवाब सुनिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप पूरा जवाब सुनिए ओर बीच-बीच में टोका-टोकी नहीं करिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह : मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को कहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य को बैठे-बैठै वक्तव्य देने की इजाजत नहीं है।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: हम खड़े होकर बोलेंगे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को आसन के बिना परमिशन खड़े होने की भी इजाजत नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी जिनको अनुमति देंगे, उनके सारे सवालों के जवाब मैं भाषण के बाद भी दूँगा। कृपया मेरे भाषण में आप मुझे बोलने दीजिए। …(व्यवधान) आप बाद में सवाल पूछ लें दादा, लेकिन बीच में खड़े न हों।…(व्यवधान)

यह बिल न तो आर्टिकल 14, न ही 21, न ही 25 का वायलेशन करती है। यह बिल पूर्ण रूप से संविधान की दृष्टि से ठीक है।

श्री मनीष तिवारी जी ने कहा, UN Conventions on Refugees और UN protocol on refugees, 51 और 67 का हमने साइन किया है। लेकिन हमने कभी साइन नहीं किया है।

श्री मनीष तिवारी : मैंने International Covenant of Civil and Political Rights कहा है। मैंने UN Conventions on Refugees नहीं कहा है। …(व्यवधान)

श्री अमित शाह: ठीक है, मगर हमने कोई रिफ्यूजी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है।

डॉ. शशि थरूर जी ने कहा, श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है, उसे मैं फिर से सदन के सामने रिपीट करना चाहता हूँ। यह सरकार मानती है कि कोई रिफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है।

हमारा कानून पर्याप्त है। भारत सरकार तय करे कि सारे रिफ्यूजियों को शरण देना है। इसके लिए कोई रिफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है।

उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इतिहास का उदाहरण दिया है कि पारसी गुजरात के किनारे आए। राजा ने एक दूध का गिलास भेजा। उन्होंने शक्कर डाली और उन्होंने कहा कि हम घुल-मिलकर रह जाएंगे। यह हमारी परम्परा है और पारसी को स्वीकार लिया गया। लेकिन मनीष जी यह भूल गये कि पारसी भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए थे। वे ऐसे ही नहीं आए थे। जब उनको ईरान से भगाया गया, जब उनका पारसी धर्म का अस्तित्व खतरे में आया, तब उनको भारत ने शरण दी थी। आज भी जिनका धर्म खतरे में आया और जिनको अपने परिवारों का प्रोटेक्शन करना था, वे यहाँ आए, हम उन्हीं को शरण दे रहे हैं।

मनीष जी ने जो उदाहरण दिया, वह उनकी दलील के ही खिलाफ है।...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी: मंत्री जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सबको संरक्षण दीजिए।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं उदाहरण की बात कह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने बड़ी शान से एक शेर पढ़ा कि 'लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी।' मैं भी कह रहा हूँ कि 'लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है।' मगर श्री नरेन्द्र मोदी जी अब प्रधान मंत्री हैं। अब लम्हों की खता नहीं होगी, न ही सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। यह खता हम नहीं करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बहन-बेटियों को, बहुओं को बचाने के लिए यहाँ आना पड़े और उसे हम न लें, उसका धर्म बचाने के लिए उसको यहाँ आना पड़े और उसको हम न लें, हम उसको नागरिकता न दें, यह गलती हम नहीं कर सकते मान्यवर। हम उसको संवैधानिक सम्मान भी देंगे और उसे पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़ा करेंगे।

उन्होंने कहा, टू नेशन की थ्योरी श्री सावरकर की थी। यह श्री सावरकर की थी या नहीं थी, हम इस विवाद में जाना नहीं चाहते। मगर जब जिन्ना साहब ने टू नेशन थ्योरी इवोल्व की, प्रचारित की, प्रसारित की और विभाजन हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के लोग बताएँ कि विभाजन क्यों स्वीकार किया? उसे क्यों नहीं रोका? …(व्यवधान)

मान्यवर, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस देश के टुकड़े होंगे, तो गांधी जी की मृत देह पर होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार करके यह सारी चीजें इसके आधार पर हुईं…(व्यवधान) धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। …(व्यवधान) यह एक ऐतिहासिक सत्य है। इसको कोई नकार नहीं सकता।…(व्यवधान)

मान्यवर, दयानिधि मारन जी ने कहा कि आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मानते हो, उसके नागरिकों को नहीं मानते हो। दयानिधि मारन साहब, आपको वास्तविकता मालूम नहीं है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं और आज भी कश्मीर की असेम्बली के अंदर इसके लिए 24 सीट्स रिजर्व रखी हैं। आपको मालूम नहीं है, बोलना सरल है, लेकिन बोलने के हिसाब से करना बड़ा कठिन है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी। जब सुबह पुर:स्थापन के वक्त विरोध आया था, तब मैंने कहा था कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार से नागरिकता दी गई है। जैसे, विभाजन के बाद जो लोग आए थे, सभी को नागरिकता दी गई। वर्ष 1971 में बांग्लादेश जो आए थे, उनको नागरिकता दी गई, दण्डकारण्य प्रकल्प में 1959 में जो बांग्लादेश से आए थे, उनको नागरिकता दी गई, तमिलनाडु के जो भाई लंका से आए, उनको भी नागरिकता दी गई। लाल बहादुर शास्त्री और भंडार नायके के 1964 व श्रीमती गांधी और भंडार नायके के बीच 1974 में जो समझौते हुए, उनसे भारत में 5.25 लाख श्रीलंकाई तमिल को:-…(व्यवधान)

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR : They were all refugees. Under an agreement, they came. …(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: मैं यही कह रहा हूं कि इसमें एग्रीमेंट था। इसके बाद भारत सरकार ने कुल मिलाकर 4.61 लाख भारत मूल के श्रीलंकन तमिलों को नागरिकता दी। जब यह नागरिकता श्रीलंकन तमिलों को दी, तब क्या बांग्लादेश वालों को नहीं दी? पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी? युगाण्डा से जब आए, तब बांग्लादेश वालों को नहीं दी थी? अफगानिस्तान वालों को नहीं दी थी? पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी? हर बार जो किया वह एक स्पैसिफिक प्रॉब्लेम …(व्यवधान) को देखते हुए किया गया था।

SHRI DAYANIDHI MARAN : This is after 1985. …(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: पहले आप मुझे सुन लीजिए। मान्यवर, जब भी नागरिकता के बारे में कोई इंटरवेंशन हुआ है, एक स्पैसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ है। जब युगाण्डा के लिए नागरिकता दी थी, तब दुनिया भर से आए सभी लोगों को नागरिकता नहीं दी थी, सिर्फ युगाण्डा से जो भारतीय आए थे, उनको दी थी। इसलिए इस बार इन तीनों देशों से जो धार्मिक लघुमति आया है, उसको नागरिकता दी है। किसी को भी नागरिकता न देने की कोई दुर्भावना नहीं है, न तमिलों को है और न ही श्रीलंका से आए हुए शरणार्थियों को है, क्योंकि इन तीनों देशों से जो धार्मिक शरणार्थी आए हैं, उनको एड्रेस करने के लिए यह लेकर आए हैं, इसलिए यह हो रहा है, मैं उसको भी स्पष्ट करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि माइनोरिटी की व्याख्या बहुत संकुचित है। हमारी माइनोरिटी की व्याख्या संकुचित नहीं है। दयानिधि मारन साहब, मेरा हिन्दी में वक्तव्य होता है तो ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं यहां की माइनोरिटी की बात नहीं करता हूं। यह पूरा विधेयक उन तीनों देशों में जो धार्मिक माइनोरिटी है, उसके लिए है। हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है। यह सनातन सत्य है, उन तीनों देशों के संविधान के हिसाब से सत्य है कि वहां पर मुस्लिम माइनोरिटी नहीं है।

इसको कैसे झुठलाया जा सकता है? जब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की माइनोरिटी की बात करेंगे और तीनों राज्यों का धर्म इस्लाम होगा तो वहां इस्लाम के अनुयायी कैसे माइनोरिटी हो सकते हैं? हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है, वहां के संविधान का प्रोविजन ऐसा है, जो मुस्लिमों को माइनोरिटी का स्टेटस नहीं देता है, इसलिए ऐसा नहीं है। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं। यहां चित्र ऐसा बनाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहां की जो स्थिति है, उसमें मुस्लिम धर्म के अनुयायी वहां माइनोरिटी नहीं हैं, इसलिए उनको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। अगर वह माइनोरिटी होते तो उनको भी स्वीकार कर लेते। रोहिंग्या क्या कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं। ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं।

23.00 hrs

रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं आज फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

मान्यवर, उन्होंने कहा कि माइनोरिटी में डर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माइनोरिटी में कोई डर की भावना नहीं है। अगर है तो भी, जो आपके वक्तव्य से थोड़ी हुआ भी होगी, मैं सभी माइनोरिटी के मेरे भाइयो-बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, …(व्यवधान) इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। यह सरकार सबको सुरक्षा, सबको समानता और समान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है। मान्यवर, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है।

आज अभिषेक बनर्जी जी ने भी इस पर भाषण दिया। मैंने पहली बार सुना, शायद छ: साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा बोले हैं।…(व्यवधान) मैंने कहा कि पहली बार सुना है। इन्होंने

टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया। मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद के बंगाल की कल्पना क्या ऐसी थी, जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े।...(व्यवधान) सरस्वती पूजन न हो...(व्यवधान) क्या यह कल्पना की थी...(व्यवधान) मान्यवर, यह गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैंने तो इनको कुछ नहीं कहा? ...(व्यवधान) मैंने तो इनको कुछ नहीं कहा...(व्यवधान) मैंने कहां टीएमसी के बारे में कुछ कहा है?...(व्यवधान) मान्यवर, मैंने तो टीएमसी के बारे में कुछ नहीं कहा है...(व्यवधान) मान्यवर, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये इतना गुस्सा क्यों हो गए? ...(व्यवधान) मैंने तो टीएमसी का नाम भी नहीं लिया...(व्यवधान) मैंने तो टीएमसी बोला ही नहीं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइए।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि एनआरसी और सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप है। मान्यवर, इसमें कोई ट्रैप नहीं है। यह सीधा-सादा लेजिस्लेशन है, जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा। यह ट्रैप उनको जरूर लग सकता है, जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं। यह उनको ट्रैप जरूर लग सकता है, जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं, उनको हम सफल नहीं होने देंगे। यह ट्रैप उनको जरूर लग सकता है। मैं बंगाल के सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, दोनों ओर के, यहां के भी और वहां के भी, कि लाखों-लाख लोगों को जो नागरिकता मिलने वाली है, वे सभी बंगाली शरणार्थी हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि बंगाली बौद्ध, हिन्दू, सिख, क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता मिले...(व्यवधान) आप नहीं चाहते हैं।...(व्यवधान) मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता इसलिए भी करना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं इसलिए थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये लोग...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जिसके लिए लाया गया है, उन तीनों देशों से, पूरब और पश्चिम, देश के दोनों हिस्सों में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, असम, नार्थ-ईस्ट और हरियाणा में भी हैं। इन सभी जगहों पर जो शरणार्थी नागरिक बनने जा रहे हैं, मैं उन सबसे यह कहना चाहता हूं कि एक दुष्प्रचार हो रहा है कि आप राशन कार्ड निकाल दीजिए, वरना आप विदेशी हो जाएंगे। आप यह निकाल दीजिए, वरना विदेशी हो जाएंगे। लाइनों की लाइनों लगा दी हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड हो या न हो, यह विधेयक आपको शक्ति देगा, आप नागरिक बन सकते हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है।…(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ पार्टियां भ्रम फैला रही हैं कि हम ही आपको बचा सकते हैं। हम आपको बचा लेंगे। आइए, राशन कार्ड निकाल दीजिए। आइए, सर्टिफिकेट ले जाइए। आइए, वह ले जाइए। मान्वयर, मैंने कहा है कि डाक्यूमेंट है, नहीं है, डेट चली गई है, आधा है, अधूरा है, पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है। डाक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। यह जो अफवाएं फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों में किसी को आने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से यह कहता हूं कि घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में अंतर है। जो प्रताड़ित होकर अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, जो यहां पर धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर आता है, वह शरणार्थी है और जो यहां पर अवैध रूप से घुसकर आता है, वह घुसपैठिया है। इन दोनों के बीच में अंतर है।…(व्यवधान)

मान्यवर, सुप्रिया बहन ने कहा है कि मैं जब धारा 370 का बिल लेकर आया था, तो अब धारा 371 के लिए क्या करना है? मैं आपके माध्यम से सदस्या जी से यह कहना चाहता हूं कि धारा 370

और 371 में अंतर है। धारा 371 किसी को अलग संविधान नहीं देता है। धारा 371 किसी को अलग झंडा नहीं देता है। धारा 371 अलग राज्य या राष्ट्र की मांग करने के लिए किसी को नहीं उकसाता है। हम धारा 371 को कभी-भी नहीं छेड़ेंगे। मैं पूरे नार्थ-ईस्ट को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम धारा 371 को कभी-भी नहीं छेड़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने श्री सनाउल्लाह का नाम लिया है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। मैं आपके माध्यम से सुप्रिया बहन से यह कहना चाहता हूं कि विदेशी ट्रिब्यूनल सेकंड कामरूप का एक आर्डर है। उस आर्डर के तहत जब तक फाइनल आर्डर न हो, तब तक उनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। यह ज्यूडिशियल प्रोसिडिंग है और ज्यूडिशियल प्रोसिडिंग के तहत इसको रखा गया है। इसलिए हमने इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इन्होंने मेरे भाषण का उल्लेख करते हुआ कहा है। सुप्रिया जी ने सच कहा है, मुझसे बोलने में गलती ही हुई थी। इसलिए, मैंने लोक सभा सचिवालय को दूसरे ही दिन इसमें सुधार करने के लिए अपना पत्र भी दिया था। मैं यह मानता हूं कि वह सुधार हो गया होगा। मैंने यह कहा था कि इसकी सब लोगों से चर्चा हुई है। सब लोगों ने सहमति दी है, उस शब्द को बदलकर मेरी समझ में जो अंतर था, मेरी जानकारी में जो अंतर था, मैंने उसको करैक्ट कर लिया है। आपने ठीक ही कहा था कि उसमें गलती हुई थी।

मान्यवर, उन्होंने कहा है कि एनआरसी फेल हो गया है। मैं इस सदन को एक बार फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, तो इस देश के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं बच पाएगा। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े अधिकार के साथ कहता हूं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दिया और वह सांप्रदायिकता पर जोर-जोर से बोलते रहे। मैं भी सुन रहा था, क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश था कि बीच में नहीं बोलना है। मगर मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है कि इसके साथ केरल में मुस्लिम लीग

पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर है।...(व्यवधान) मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी अपने जीवन में नहीं देखी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी के अलावा किसी की बात अंकित नहीं हो रही है।

माननीय गृह मंत्री जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। वे भी बैठ गए हैं। आप भी बैठ जाइए।

माननीय गृह मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, उन्होंने कहा कि इन तीन देशों को ही क्यों ले रहे हैं? चीन को क्यों नहीं ले रहे हैं? नेपाल को क्यों नहीं ले रहे हैं? श्रीलंका को क्यों नहीं ले रहे हैं? म्यांमार को क्यों नहीं ले रहे हैं।

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि हर बार नागरिकता पर, जब-जब भी इस देश में निर्णय हुआ, कोई एक निश्चित परिस्थिति के आधार पर, निश्चित प्रकार की समस्या को हल करने के लिए निर्णय हुआ। अभी बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो रिलीजस माइनोरिटीज़ आई हैं, उनके लिए यह निर्णय है, इसलिए किसी के साथ उसका सवाल नहीं है। जहां तक नेपालियों की बात है, सन् 1950 में 31 जुलाई को भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि, अनुछेद – 7 के अनुसार दोनों देश अपने-अपने क्षेत्रों में दूसरे देश के नागरिकों को निवास, संपत्ति का स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्य और एक समान अधिकार देने के लिए सहमति हुई है और नेपाली नागरिकों को भी अर्जी के आधार पर आज भी आसानी से नागरिकता मिल रही है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, असम में गोरखा समाज को डी-वोटर आज भी दे रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री के नोटिफिकेशन के बाद भी गोरखा समाज को डी-वोटर आज भी दे रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर कोई भी बीच में खड़ा हुआ तो उसको किसी को भी क्लैरिफिकेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैंने अब व्यवस्था दे दी है।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, नेपाल के नागरिकों को आज के वर्तमान कानून से भी नागरिकता लेने में कोई तकलीफ नहीं है।

मान्यवर, ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ हैं कि इस देश में एनआरसी हो कर रहेगा। …(व्यवधान) कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा घोषणापत्र ही बैकग्राउंड है। …(व्यवधान) मान्यवर, उन्होंने कहा कि मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि जनाब आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, बार-बार करना चाहता हूँ क्योंकि एक-एक सदस्य बोला है कि यह मुसलमानों के साथ अन्याय है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के किसी भी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं है। यह बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। इसका भारत में रहते हुए भारत के नागरिक - मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। …(व्यवधान) मान्यवर, गोगोई जी ने कहा कि …(व्यवधान) मान्यवर, गोगोई जी ने कहा कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य चिन्ता में हैं। मगर शायद उन्होंने भाषण सुना नहीं, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और समर्थन में वोट करने के लिए कहा है। सिक्किम के एमपी ने खड़े होकर कहा, मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भी बुला कर कहा और मैं अभी भी

उनको कहता हूं कि आपके किसी कानून में इससे दखल नहीं होता है। धारा 371(एफ) आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है और सीएबी के सारे रूल्स जब तक आपकी असेम्बली ओके नहीं करती, धारा 371(एफ) आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए आपको भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग भ्रांतियाँ फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरा अरुणाचल, तापिर गाव जी सुन लीजिएगा, पूरा अरुणाचल इनर-लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है। अरुणाचल को चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा मिजोरम, एमपी साहब सुन लीजिएगा और मिजोरम वाले भी टीवी पर सुन लें, पूरा मिजोरम इनर-लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, किसी को चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है।

मान्यवर, पूरा नागालैंड इनर-लाइन परमिट से, दीमापुर के छोटे से हिस्से को बाहर करके, पूरा प्रोटेक्टेड है, पूरे नागालैंड को चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। मणिपुर आज प्रोटेक्टेड नहीं है। मगर हम यह बिल तभी नोटिफाइड करेंगे, जब मणिपुर को इनर-लाइन परमिशन दे दी जाएगी। त्रिपुरा के अंदर भी, त्रिपुरा ट्राइबल एडीसी क्षेत्रों में सीएबी लागू नहीं होगा और एक हाई लेवल कमेटी ट्राइबल समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो बनाई थी, उसको और विस्तृत करके उनके सारे हितों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है। मेघालय लगभग पूरा, थोड़ा हिस्सा छोड़ कर सिक्स्थ शेड्यूल के प्रावधानों के अंदर सीएबी (कैब) के बाहर है। मेघालय को भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। असम समझौता वर्ष 1985 में हुआ, कांग्रेस ने क्लॉज 6 को कभी नहीं अमल में लाने की चेष्टा की। हमने क्लॉज 6 के अंदर कमेटी बना दी है, असम के लोगों की ही कमेटी है, वह स्पीड से अपना काम कर रही है। असम के मूल निवासियों के सभी अधिकारों की, उनकी भाषा की, उनके साहित्य की, उनकी बोली की, उनके पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, इन सब चीजों की चिन्ता करेगी और वह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी तो असम को भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। बीटीसी,

कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ, एडीसी, सीएबी के बाहर हैं और असम के 6 समुदायों के लिए भी, सुबह मैंने कहा, इस प्रकार से हम अलग से विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, इन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी, इसको मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि एनआरसी के अंदर गोरखा, पंजाबी, बिहारी, मारवाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वे लोग बाहर हो जाएंगे। यह सत्य नहीं है। यह स्टेटमेंट ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

श्री अमित शाह : मैं बताता हूं, आप बैठ जाओ। मैं सब बताता हूं।...(व्यवधान) मान्यवर, कोई पंजाबी, मारवाड़ी, बिहार के, ओडिशा के किसी निवासी को घुसपैठिया करार नहीं दिया जाएगा। एनआरसी के अंदर जो भारत के मूल निवासी हैं, उन सब को यहां पर ही रहना होगा और यहीं पर रहने का उनका अधिकार है और बंगालियों का भी। पूरे नॉर्थ ईस्ट को इस दृष्टि से चिन्ता करने की जरूरत नहीं। श्री प्रेमचन्द्रन ने भी आर्टिकल 14 के हिसाब से कहा कि अनकॉन्स्टीट्यूशनल है। मैंने आगे उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सब माइनोरिटीज़ को देते हो, तो मुस्लिम को क्यों नहीं देते? उनका बहुत अच्छा सवाल है। हर एक के मन में यह सवाल होना चाहिए। मगर जिन तीन देशों के लोगों को दे रहे हैं, वहां मुस्लिम माइनोरिटीज़ नहीं हैं, इसलिए मुस्लिम को नहीं देते। वहां पर वह माइनोरिटी नहीं है। अगर माइनोरिटी होते तो उनको भी मिलता, मगर वह नहीं है, इसलिए नहीं देते। बड़ा सरल जवाब है। इसमें इतना सारा क्लमसी कुछ नहीं है कि जो समझ में न आए।

शशि थरूर जी ने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। शशि थरूर जी, आज़ादी के बाद काँग्रेस के शासन में जितनी बार भी सारे शरणार्थियों को नागरिकता दी गई, वह धर्म के आधार पर ही दी गई, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। जो सारे शरणार्थी आए थे, उनमें ज्यादातर हिन्दू और सिख थे, थोड़े बहुत जैन, पारसी भी थे और थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी थे।

सभी को पहली बार, सबसे पहले अगर किसी ने नागरिकता देने का काम किया तो वह श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में आपकी सरकार थी और देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ था।

मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अगर नेहरू-लियाक़त समझौता स्पिरिट के साथ लागू होता, अगर पाकिस्तान के सिख धर्म के परिवारों की सुरक्षा होती, हिन्दुओं की होती, बौद्धों की होती, क्रिश्चियनों की होती, पारसियों की होती और वह बांग्लादेश में भी होती, तो आज उन्हें यहां न आना पड़ता। परन्तु नेहरू-लियाक़त समझौता, जो वर्ष 1950 में हुआ, वह काल्पनिक समझौता रहा। वह फेल हो गया। समय की वास्तविकता पर वह खरा नहीं उतरा और इसके कारण आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को इस बिल को लेकर इस सदन के सामने आना पड़ा।

मान्यवर, उन्होंने थोड़ा टॉन्ट में कहा कि पी.एम. कहते हैं कि सरकार का धर्म संविधान है। मैं पूरी गम्भीरता के साथ सदन के अन्दर, बहुत गम्भीरता और विश्वास के साथ देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, इस सरकार का धर्म और कोई नहीं है, भारत का संविधान ही हमारा धर्म है।...(व्यवधान)

मान्यवर, एक विषय उठाया गया, मैं इस बात को थोड़ा एलोबैरोट इसलिए करना चाहता हूं कि पूरे दिन इस प्रकार से चित्रण किया गया कि हम मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं फिर से यह क्लियर करना चाहता हूं कि इस बिल का इस देश में रहने वाले, इस देश के मुसलमान नागरिकों से कोई स्नान-सूतक का सम्बन्ध नहीं है, उनके साथ कोई अन्याय का सवाल नहीं है। परन्तु, यह बिल लेकर क्यों आना पड़ा तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस प्रकार से नेहरू-लियाक़त समझौता विफल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के अन्दर क्या हुआ?

मान्यवर, वर्ष 2014 की एक रिपोर्ट बताती है कि एक हजार लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। बादल साहब ने बताया कि पवित्र ननकाना साहिब के ग्रंथी की पुत्री जगजीत कौर का

जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। इसके ऊपर हो-हल्ला हुआ। पूरी दुनिया के अन्दर सिखों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद उसे वापस लाया गया।

यू.एन.एच.आर.सी. की एक रिपोर्ट के हिसाब से अब अन्य धर्मों के सिर्फ 20 धार्मिक स्थान ही पाकिस्तान के अन्दर बचे हैं। यह क्या बताता है? जब इतनी प्रताड़ना हो, इतने अत्याचार हो और वहां से कोई शरण में आए तो क्या हम उन्हें शरण न दें, क्योंकि वह हिन्दू है, क्योंकि वह सिख है?

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपसे पहले से यह दिया जाता है।...(व्यवधान) आप इसे अकेले नहीं करते हैं।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं रिपीट करूंगा। वर्ष 1947 में 23 प्रतिशत आबादी सिर्फ 3.7 प्रतिशत रह गई। बर्बरता, उत्पीड़न और संस्थागत अत्याचार से भागे, मैं सोच-समझ कर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सिखों, हिन्दुओं तथा ईसाइयों ने भारत में ही शरण ली है। उन लोगों को नागरिकता देने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार से, बांग्लादेश बनने के बाद ढाका में वर्ष 1972 में शांति और मैत्री की एक सन्धि हुई। यह भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और बांग्लादेश के प्रधान मंत्री शेख मुजीबुर्रहमान द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। जब तक शेख साहब जिंदा रहे, उस सन्धि का बहुत अच्छी तरह से पालन हुआ। मैं आज, इस संसद के अन्दर शेख मुजीबुर्रहमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके रहते किसी भी धार्मिक लघुमति, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं हुआ। अभी-अभी जो शासन आया है, उसने भी अच्छा किया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, इनका नाम ही अधीर रंजन है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। मंत्री जी आपके सवाल का जवाब भी देंगे।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, वर्ष 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद वहां पर अत्याचार का जो दौर चालू हुआ, उसने वहां के धार्मिक लघुमतियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उनकी हिम्मत भी तोड़ दी। वहां अधिकतर घटनाएं ऐसी हुईं, जैसे भोला जिले में एक सुनियोजित हमले में अल्पसंख्यक समुदाय की 200 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। वहां क्या हुआ, मैं बताता हूं। अधीर रंजन जी, आप सुनिए।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप बोलिए न ।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: आप सुनिए न ।…(व्यवधान) मैं आपको बताता हूं, आप उसे सुनिए। शेख मुजीबुर्रहमान के न रहने के बाद क्या हुआ, उसके बारे में बताता हूं। जब खालिदा जिया जी की पार्टी बी.एन.पी. आई, तो गांधी जयंती के दिन वहां अत्याचार हुआ। नोआखली में गांधी जी बंटवारा रोकने के लिए गए थे। 2 अक्टूबर, 2001 को भोला जिले के चारफसन उप-जिला में 8 से 70 साल की 200 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी। यह घटना गांधी जयंती के दिन घटी थी। वहां क्या हुआ था, उसके बारे में मैं बताता हूं।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: बहुत सारे अत्याचार हुए हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नेता सदन हैं। इस तरीके से नहीं करिए। आप कांग्रेस के नेता हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: मान्यवर, इनको बैठाइए ।…(व्यवधान) यह हर बार खड़े हो जाते हैं।…(व्यवधान) लालमोहन उप-जिला में 1000 अल्पसंख्यक परिवारों पर हमला किया गया। केवल्यधाम में अक्टूबर 1990 में 300 घरों में आग लगा दी गई। वर्ष 1951 में बांग्लादेश क्षेत्र के अंदर हिन्दुओं का प्रतिशत 21 था, लेकिन अब 7 प्रतिशत से कम रह गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास अलग-अलग संस्थाओं की इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, जिसके तहत यह सिद्ध हो सकता है कि वहां पर हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को अपने धर्म का अनुसरण करना असंभव रह गया था, इसलिए वे यहां पर आए थे।

मान्यवर, वहां ढेर सारे मंदिर तोड़े गए और ढेर सारी जगहों पर अत्याचार हुए। अफगानिस्तान के अंदर भी वर्ष 1992 के पहले 2 लाख सिख और हिन्दू थे, ज्यादातर सिख थे, लेकिन वर्ष 2018 तक सिर्फ 500 बच गए हैं।…(व्यवधान) मान्यवर, इसे पूरे देश ने देखा था कि धार्मिक भवनों, गुरुद्वारों तथा मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। खुले में बनी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में बुद्ध की भव्य प्रतिमा को तोप के गोले दाग कर तोड़ दिया गया।…(व्यवधान) वहां तालिबानों ने जब कहर ढाया, तब बौद्ध, सिख, हिन्दू, ईसाई, जैन तथा पारसी कहां जाते? मान्वयर, वे भारत आए हैं, इसलिए उनको शरण देने की आवश्यकता हुई है। तालिबान ने सितंबर 1998 में एक आदेश जारी किया कि पूजा स्थल मंदिर तथा गुरुद्वारे में कोई नहीं जा सकता, मुसलमानों की आलोचना नहीं कर सकता। घर की पहचान करने के लिए घर पर पीले रंग के एक कपड़े का टुकड़ा लगाना पड़ेगा कि यह नॉन मुस्लिम घर है। उनको बहुत अपमानित किया गया। जब हिन्दू, सिख और नॉन मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर निकलती

हैं तो उनको एक पीला कपड़ा अपने कंधे पर डालना पड़ता था, क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। इस तरह से वहां आदेश पारित किए गए। एक विशेष चिह्न के साथ, वह चिह्न क्या था, उसके बारे में मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि उससे और गरिमा टूटेगी। मान्यवर, उनको एक विशेष चिह्न के साथ पीला कपड़ा लगाना पड़ता था। अगर शुक्रवार को वे मस्जिद नहीं जाते हैं, नमाज़ पढ़िए या नहीं पढ़िए, मस्जिद जाना पड़ता था, वरन् उनको दंडित होना पड़ता था। हिन्दू और सिख महिलाओं को बुरका पहनना पड़ता था। मान्यवर, ये सारी घटनाएं हुईं और इन सारी चीजों से प्रताड़ित होकर जो लोग यहां आए, उनको नागरिकता देने के लिए यह बिल है। मैं आज भी आपको कहता हूं कि इसमें मुस्लिमों के साथ जरा भी भेदभाव नहीं है। मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि यहां के मुसलमानों को इस बिल से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं। यहां का मुसलमान सम्मान के साथ जी पाएगा, जी रहा है, आगे भी जीता रहेगा, उसको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। यह बिल केवल और केवल वहां से आने वाले 6 धार्मिक लघुमतियों के लिए है। …(व्यवधान) इसमें मुस्लिम का समावेश इसलिए नहीं है कि मुसलमान वहां पर धार्मिक लघुमति नहीं हैं। …(व्यवधान)

मान्यवर, अंत में, मैं फिर से एक बार इस सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच में मौलिक अंतर है। जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर अपने घर की स्त्रियों की इज्जत बचाने के लिए, स्वधर्म में जीने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए यहां आता है, वह शरणार्थी है। जो विदआउट परमीशन घुस कर आता है, वह घुसपैठिया है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। यह बिल शरणार्थियों के लिए है। यह बिल धार्मिक लघुमतियों के लिए है।

आज जिन सारे लोगों ने भाषण किया है, मैं उन सब लोगों से मन से अपील करता हूं। मत बैंक के लालच के कारण आंख अंधे और कान बहरे हुए हैं, तो खोल लीजिए। लाखों, करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ है।…(व्यवधान) मैं बताता हूं।…(व्यवधान) लाखों-करोड़ों लोग, जो नर्क की यातना में जी रहे हैं, 70-70 साल से उनको नागरिकता नहीं मिली है, वे अपना मकान नहीं ले रहे हैं, उनको नौकरी

नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलती है, घर में भुखमरी है, रहने को मकान नहीं है, कोई रोड पर रह रहा है, कोई रेल की पटरियों के पास की जगह पर रह रहा है, कोई वैसे ही घूम रहा है। इन लाखों, करोड़ों लोगों के लिए नरेन्द्र मोदी जी, उनकी यातनाओं से मुक्ति का यह दस्तावेज लेकर आज इस सदन के सामने आए हैं। यह दस्तावेज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला है। जो विफल हुए, वर्ष 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते की गलती को आज नरेन्द्र मोदी जी ने सुधारने का काम किया है, देश के प्रधान मंत्री ने सुधारने का काम किया है।

इतने सालों से ये कहते थे कि हमारी कोई सुने। हमारा दोष क्या है? अब ये कह रहे हैं, मैं उनको पूछता हूं कि इनका दोष क्या था? उनको क्यों नहीं स्वीकारा?...(व्यवधान) अब तक क्यों नहीं स्वीकारा?...(व्यवधान) मान्यवर, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण इन सारी पार्टियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।...(व्यवधान) हम नहीं डरते हैं वोट बैंक की राजनीति से।...(व्यवधान)

मान्यवर, नरेन्द्र मोदी जी के कारण इन लोगों का कल का प्रभात स्वर्ण प्रभात होने वाला है। संवैधानिक सम्मान के साथ मेरे लाखों, करोड़ों भाई-बहन अपने देश के अंदर सम्मान के साथ जीने की शुरुआत करने वाले हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि एनआरसी और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है।...(व्यवधान) एनआरसी करेंगे, तब स्पष्टता के साथ, इसी प्रकार से इसी सदन में, एक भी शब्द छोड़े बगैर, मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मगर मानकर चलिए, एनआरसी आने वाला है। ...(व्यवधान) एनआरसी आएगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सभी सदस्यों के सवालों का जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है **:**

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 ***Amendment of Section 2***

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल – उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): I beg to move:

Page 2, lines 3 and 4,-

for "Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian

community”

substitute “any religion irrespective of caste, creed, race, sex or place of birth”. (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: Sir, I want Division.

माननीय अध्यक्ष: आप डिवीजन ले लीजिए। डिवीजन लेना आपका अधिकार है।

लॉबीज खाली कर दी जाएं।

अब लॉबीज खाली हो गई हैं।

सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर विराजें।

माननीय सदस्यगण, श्री प्रिंस राज, जिन्हें अभी तक विभाजन संख्या आबंटित नहीं हुई है, उनको सीट पर पक्ष-विपक्ष में मुद्रित पर्ची अपना मतदान रिकार्ड कराने के लिए दी जाएगी। वे अपनी पर्ची पर विनिर्दिष्ट स्थान पर अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य और दिनांक को स्पष्ट रूप से लिखकर और पर्ची पर हस्ताक्षर करके अपनी इच्छानुसार मतदान करें। यदि माननीय सदस्य मतदान में भाग नहीं लेना रिकार्ड करना चाहते हैं तो मतदान में भाग नहीं लेने वाली पर्ची की मांग कर सकते हैं।

मत विभाजन की प्रक्रिया पहले ही महासचिव द्वारा बता दी गई है।

अब मत विभाजन।

SECRETARY-GENERAL: I am not explaining the procedure. I am just saying that now I will start the process of division. Once I press the button, there will be a gong sound and then you vote. Now, I start the process.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या ईसाई समुदाय" के स्थान पर

"जाति, पंथ, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान पर ध्यान दिए बिना किसी भी धर्म" को प्रतिस्थापित करें। (4)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No. 1 **AYES** **23.40 hrs**

[$]Ahmed, Shrimati Sajda

Ali, Kunwar Danish

Anand, Shri D.M.Kathir

Antony, Shri Anto

[$]Ariff, Adv. A. M.

Azad, Shrimati Sangeeta

[$]Baalu, Shri T.R.

[$]Baij, Shri Deepak

Bandyopadhyay, Shri Sudip

[$]Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Bordoloi, Shri Pradyut

Chandra, Shri Girish

Chaudhary, Shri Santokh Singh

[$]Chazhikadan, Shri Thomas

[$] Voted through slip

Chellakumar, Dr. A.

[$]Chidambaram, Shri Karti P.

Chowdhury, Shri Abu Hasem Khan

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dhanorkar,Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan

Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Gandhi, Shri Rahul

Gill, Shri Jasbir Singh

Gogoi, Shri Gaurav

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Jagathrakshakan, Shri S.

Jahan, Shrimati Nusrat

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Jawed, Dr. Mohammad

Jayakumar, Dr. K.

Jothimani, Sushri S.

[$] Voted through slip

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaur, Shrimati Preneet

[$]Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Abu Taher

Kumar, Shri Dhanush.M.

Kunhalikutty, Shri P.K.

Kuriakose, Adv. Dean

Lalrosanga, Shri C.

Mal, Shri Asit Kumar

[$]Malothu, Shrimati Kavitha

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Shri Dayanidhi

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Muraleedharan , Shri K.

[$]Nagar, Shri Malook

Natarajan, Shri P.R.

Navaskani , Shri K.

[$] Voted through slip

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Parthiban, Shri S.R.

[$]Pasunoori, Shri Dayakar

Patil, Shri B.B.

Poddar, Shrimati Aparupa

Pon, Shri Gautham Sigamani

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

[$]Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Raja, Shri A.

[$]Ramesh, Shri T. R. V .S.

Rao , Shri Nama Nageswara

Ravikumar, Dr. D.

Ray, Prof. Sougata

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

[$] Voted through slip

Reddy, Shri Uttam Kumar

[$]Rehman, Shri Haji Fazlur

Roy, Shrimati Mala

Sardinha , Shri Francisco

Selvam, Shri,G.

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Ravneet

Sreekandan, Shri V. K.

Subbarayan, Shri K.

Sudhakaran , Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Tewari, Shri Manish

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar. Shri Su.

[$] Voted through slip

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vasanthakumar, Shri H.

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Velusamy, Shri P.

[$]Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Ram Shiromani

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Shyam Singh

[$] Voted through slip

NOES

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Anuradha, Shrimati Chinta

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shri Sukhbir Singh

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Beniwal, Shri Hanuman

[@]Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

@Bholanath 'B.P. Saroj', Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

@Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

@Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar , Shri Bellana

[@] Voted through slip

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

[@]Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

[@] Voted through slip

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gambhir, Shri Gautam

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

@Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

@Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Topon Kumar

*Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

@ Voted through slip

* Corrected through slip for Noes.

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

[@]Kirtikar, Shri Gajanan

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

@Koli, Shrimati Ranjeeta

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

@Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumari, Sushri Diya

[@] Voted through slip

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

*Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

@Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

Mallah, Shri Kripanath

*Mandal, Shri Ramprit

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

---

* Corrected through slip for Noes.

@ Voted through slip

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Santosh

@Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Paswan, Shri Chirag Kumar

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

@Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

@ Voted through slip

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

@Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

*Prasad , Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Pujari, Shri Suresh

Raghavendra, Shri B.Y.

@ Voted through slip

* Corrected through slip for Noes.

Rai, Shri Nityanand

[@]Raj, Shri Prince

@Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Raghu Rama Krishna

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr. R. K.

@Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd.) Rajyavardhan

@Rathva, Shrimati Gitaben V.

@Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

[@] Voted through slip

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P.V. Midhun

@Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

@Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samanta, Prof. Achyutananda

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

@ Voted through slip

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

[@]Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

@Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

[*]Suman, Dr. Alok Kumar

Supriyo, Shri Babul

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Tadas, Shri Ramdas

[@] Voted through slip

[*] Corrected through slip for Noes

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

[@]Uikey, Shri Durga Das

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

[@] Voted through slip

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vichare, Shri Rajan Baburao

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Giridhari

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yepthomi, Shri Tokheho

ABSTAIN

Barne, Shri Shrirang Appa

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर विराजें और परिणाम सुन लें।

शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ : 94

नहीं : 304

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: श्री विनायक भाउराव राऊत – उपस्थित नहीं।

एडवोकेट ए.एम. आरिफ, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 3 and 4,-

for	"belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan,"
substitute	"from neighbouring countries". (10)

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 094+ S/Shri Abhishek Banerjee, Dayakar Pasunoori, Malook Nagar, Shrimati Sajda Ahmed, Shrimati Kavitha Malothu, Adv. A.M. Ariff, S/Shri S. Venkatesan, Haji Fazlur Rehman, T.R.V.S. Ramesh, T.R. Baalu, Thomas Chazhikadan, Deepak Baij, Abdul Khaleque, T.N. Prathapan and Karti P. Chidambaram =109

– S/Shri Dulal Chandra Goswami, Sadashiv Kisan Lokhande, Dr Alok Kumar Suman, S/Shri Ramprit Mandal and Chandeshwar Prasad corrected their votes through slip for Noes =104

Noes: 304+ S/Shri Rakesh Singh, Bharatsinhji Shankarji Dabhi, Shrimati Ranjeeta Koli, S/Shri Bholanath 'B.P. Saroj', Ramesh Bind, Bandi Sanjay Kumar, Rajkumar Chahar, Shrimati Gitaben V. Rathva, S/Shri Gajendra Umrao Singh Patel, Durga Das Uikey, Rajiv Ranjan Singh 'Lalan', Vinayak Bhaurao Raut, Gajanan Kirtikar, Pashupati Kumar Paras, Hemant Tukaram Godse, Rajendra Dhedya Gavit, Om Pavan Rajenimbalkar, Horen Sing Bey, Dilip Saikia, Hemant Patil, Balli Durga Prasad Rao, Kumari Goddeti Madhavi, S/Shri Y.S. Avinash Reddy and Prince Raj = 333

Abstain: 01 +NIL=01

माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 13 और 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 3 and 4,-

for "Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community"
substitute "persecuted minorities". (13)

Page 2, line 4,-

after "Bangladesh"
insert ", Sri Lanka". (14)

Sir, I am pleading with the Government to listen to their ally, the Akali Dal, and remove the religious things and just talk about persecuted minorities.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 और 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 3 and 4,-

omit "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community". (17)

Page 2, *for* lines 5 to 8,-

substitute "India on or before the 31st day of December, 2014 shall not be treated as". (18)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 और 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move:

Page 2, *for* lines 3 to 5,-

substitute "Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who was compelled to seek shelter in India due to religious persecution or fear of religious persecution in these countries and entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the". (20)

Sir, the Bill typically bases on religious persecution which does not find a mention in the Bill itself. It is in the Statement of Objects and Reasons. मेरा अमेंडमेंट यह है कि इसको बिल के अन्दर ले आइए, तो आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहेगा।

श्री अमित शाह: मान्यवर, बिल के अन्दर जिन लोगों को यहां रहने के लिए मुक्ति दी गई है, उन लोगों के बारे में कहा गया है और मुक्ति देने का जो आदेश है, उसके अन्दर धार्मिक प्रताड़ना उल्लिखित है। जिन लोगों को लाँग टर्म वीज़ा दे दिया गया है, उन लोगों को यह लाभ मिलेगा, ऐसा कहा गया है। लाँग टर्म वीज़ा मतलब रहने की परमीशन दी है। उस आदेश के अन्दर धार्मिक प्रताड़ना है ही, इसलिए दोबारा उसे इंगित करने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page 2, *for* lines 3 and 4,-

substitute "Any individual irrespective of religious, linguistic, cultural or customary distinctions or exercise of choice of preferences of individual beliefs or tradition, rites and practices from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into". (21)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 2, *for* lines 3 to 9,-

substitute "Provided that any person who,-

1. entered into India owing to a well-founded fear of being persecuted in their country, on grounds of race, religion, nationality, ethnicity or any other reason; or
2. has been recognised as a refugee by the United Nations High Commission for Refugees; or
3. has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any order made thereunder shall be defined as "refugee" and not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;". (23)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, मैं इस पर डिवीजन चाहता हूं।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष जी, जिन्होंने सदन में बिल को फाड़ा है, वे डिविजन मांग रहे हैं। क्या यह उचित है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रवेश कक्ष आलरेडी क्लीयर हैं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 से 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"परंतु यह है कि कोई व्यक्ति जो

(क) "अपने देश में वंश, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीयता या किसी अन्य कारण के आधार पर सताए जाने के सुस्थापित भय के कारण भारत में प्रवेश करता है, अथवा

(ख) संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग द्वारा शरणार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त है; अथवा

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के उपबंधों अथवा उनके अंतर्गत "शरणार्थी" के रूप में परिभाषित किया जाएगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा;"। (23)

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :</u>

DIVISION NO. 2 **AYES** **23.48 hrs**

Devi, Shrimati Veena

Hasan, Dr. S.T.

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Maran, Shri Dayanidhi

Natarajan, Shri P.R.

Owaisi, Shri Asaduddin

Patil, Shri B.B.

Rao , Shri Nama Nageswara

Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

*Rehman, Shri Haji Fazlur

Verma, Shri Ram Shiromani

Yadav, Shri Shyam Singh

* Voted through slip

NOES

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

*Angadi, Shri Suresh C.

Anuradha, Shrimati Chinta

Azad, Shrimati Sangeeta

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shri Sukhbir Singh

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

* Voted through slip

Basavaraj, Shri G. S.

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Rama

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gambhir, Shri Gautam

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Topon Kumar

*Goswami, Shri Dulal Chandra

*Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

*Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

*Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

---

* Voted through slip

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

*Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

* Voted through slip

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

*Kirtikar, Shri Gajanan

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Santosh

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

* Voted through slip

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Majumdar, Dr. Sukanta

Mallah, Shri Kripanath

Malothu, Shrimati Kavitha

Mandal, Shri Ramprit

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

*Mohanty, Shri Anubhav

Munda, Shri Arjun

---

* Voted through slip

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

*Nete, Shri Ashok Mahadeorao

*Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

*Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

---

* Voted through slip

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Pasunoori, Shri Dayakar

Paswan, Shri Chirag Kumar

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

*Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad , Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Pujari, Shri Suresh

Raghavendra, Shri B.Y.

Rai, Shri Nityanand

*Raj, Shri Prince

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Raghu Rama Krishna

Ram, Shri Vishnu Dayal

* Voted through slip

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd.) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P.V. Midhun

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

*Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

*Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

---

* Voted through slip

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

*Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

* Voted through slip

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

*Singh, Shri Virendra

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

---

* Voted through slip

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Subba, Shri Indra Hang

Suman, Dr. Alok Kumar

Supriyo, Shri Babul

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vichare, Shri Rajan Baburao

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Giridhari

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yepthomi, Shri Tokheho

ABSTAIN

Anand, Shri D.M.Kathir

Chellakumar, Dr. A.

Dhanorkar,Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan

Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Pala, Shri Vincent H.

Suresh, Shri D.K.

Vasanthakumar, Shri H.

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 12

नहीं : 311

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी उलाका, क्या आप संशोधन संख्या 26 से 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I beg to move:

Page 2, lines 3 and 4,-

for "Parsi or Christian community"

substitute "Parsi, Christian or Muslim community". (26)

Page 2, line 4, -

for "Afghanistan, Bangladesh or Pakistan"

substitute "Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Nepal or Pakistan". (27)

Page 2, line 5, -

omit "on or before the 31st day of December, 2014". (28)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सप्तगिरी उलाका द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 से 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 012 + Shri Haji Fazlur Rehman = 13

Noes: 311+ S/Shri D.V.Sadananda Gowda, Gajendra Singh Shekhawat, Pratap Chandra Sarangi, C.R. Patil, Jugal Kishore Sharma, Ashok Mahadeorao Nete, Dr. Umesh G. Jadav, S/Shri Suresh C. Angadi, Virendra Singh, Dr. Chandra Sen Jadon, S/Shri Jual Oram, Dharmendra Kashyap, Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar, Gajanan Kirtikar, Dulal Chandra Goswami, Anubhav Mohanty and Prince Raj = 328

Abstain: 008 + 00= 008

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन, क्या आप संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): I beg to move:

Page 2, line 3, -

after "Hindu,"
insert "Muslim,". (32)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री के. सुधाकरन द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): महोदय**,** यह सरकार जो जिन्ना की विचारधारा से जुड़ी हुई है और **…(**व्यवधान**)**

I beg to move:
Page 2, for lines 3 and 4, -

substitute "Provided that without distinction of any kind, any person belonging to any religion, race, caste, colour, sex, language, political or other opinion from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into". (36)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री हिबी ईडन, क्या आप संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I beg to move:

Page 2, line 4,--

after "Christian community"

insert "or Ahmeddiya community". (39)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री हिबी ईडन द्वारा खण्ड-2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Insertion of new Section 6B

माननीय अध्यक्ष : श्री विनसेंट एच. पाला, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): The hon. Home Minister has exempted the entire North-East except Meghalaya. So, please exempt Meghalaya also.

I beg to move:

Page 2, for lines 34 to 37, --

substitute "(4) Nothing in this section shall apply to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura". (9)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा खण्ड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट ए.एम. आरिफ, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF : I beg to move:

Page 2, for lines 34 to 37, --

substitute "(4) Nothing in this section shall apply to the States of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya". (11)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा खण्ड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : श्री इंद्रा हांग सुब्बा**,** क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Sir, I beg to move:

Page 2, *after* line 37,-

insert "and the state of Sikkim". (22)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री इंद्रा हांग सुब्बा द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I beg to move:

Page 2, *for* lines 12 to 37,-

substitute "6B. (1) The Central Government, subject to such conditions, restriction and manner as may be prescribed, on an application made in this behalf, grant a certificate of asylum or certificate of residence to a person referred to in the proviso to clause (b) of sub-section (1) of section2.

(2) Subject to fulfilment of such conditions as may be prescribed in this behalf, on and from the date of commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2019, any proceeding pending against a person under this section in

respect of illegal migration or citizenship shall stand abated on receipt of a certificate of residence or asylum.

Provided that such person shall not be disqualified for making application for certificate of asylum or residence under this section on the ground that the proceeding is pending against him and the Central Government or authority specified by it in this behalf shall not reject his application on that ground if he is otherwise found qualified under this section.". (24)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या-24 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I want division.

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज ऑल रेडी क्लीयर हैं।

प्रश्न यह है :

" कि पृष्ठ 2, पंक्ति 14 और 38 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"6ख. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों और यथा विहित रीति के अध्याधीन इस संबंध में किए गए आवेदन पर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक में संदर्भित व्यक्ति को शरणार्थी प्रमाणपत्र अथवा निवास प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।

(2) इस संबंध में यथाविहित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रवृत होने की तारीख से अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरूद्ध लंबित किसी कार्रवाई को, निवास या शरणार्थी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर रोकी गई माना जाएगा।

परंतु यह कि ऐसा व्यक्ति अपने विरूद्ध लंबित कार्रवाई के आधार पर इस धारा के अंतर्गत शरणार्थी या निवास के लिए आवेदन करने हेतु निरर्ह न हो और इस निमित्त विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी द्वारा उसका आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं करेगी कि उसे इस धारा के अंतर्गत अन्यथा अर्ह नहीं पाया गया है।"। (24)

<u>लोक सभा में मत विभाजन हुआ:</u>

DIVISION No. 3 **AYES** **23.54 hrs**

Ariff, Adv. A. M.

Hasan, Dr. S.T.

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Kunhalikutty, Shri P.K.

Natarajan, Shri P.R.

Owaisi, Shri Asaduddin

Rehman, Shri Haji Fazlur

Yadav, Shri Shyam Singh

NOES

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Anuradha, Shrimati Chinta

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shri Sukhbir Singh

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar , Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

[@]Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

[@]Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Rama

[@] Voted through slip.

Devi, Shrimati Veena

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

[@]Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gambhir, Shri Gautam

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

[@] Voted through slip.

Ghosh, Shri Dilip

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Topon Kumar

[@]Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

[@] Voted through slip.

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

[@]Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

[@] Voted through slip.

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kirtikar, Shri Gajanan

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

*Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

* Corrected through slip for Noes.

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Majumdar, Dr. Sukanta

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ramprit

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

[@]Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

[@] Voted through slip.

Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Paswan, Shri Chirag Kumar

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri B.B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad , Shri Chandeshwar

[@]Prasad, Shri Ravi Shankar

Pujari, Shri Suresh

Raghavendra, Shri B.Y.

Rai, Shri Nityanand

[@]Raj, Shri Prince

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

[@]Ranjan, Dr. R. K.

[@] Voted through slip

Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd.) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P.V. Midhun

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saini, Shri Nayab Singh

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

[@]Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

[@] Voted through slip.

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Suman, Dr. Alok Kumar

[@]Supriyo, Shri Babul

[@]Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

[@] Voted through slip.

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vichare, Shri Rajan Baburao

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Giridhari

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yepthomi, Shri Tokheho

ABSTAIN

Pandey, Shri Ritesh

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Tharoor, Dr. Shashi

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम यह है**:**

हां **:** 09

नहीं**:** 312

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री हिबी ईडन, क्या आप संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 16,-
after "section 2"
insert "and also to the persons covered under the Article 1 of Vienna convention who otherwise qualify for all conditions under the naturalization". (40)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री हिबी ईडन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 009 - Shri Kaushlendra Kumar wrongly voted for Ayes, later on he corrected vote through slip for Noes = 008

Noes: 312 + S/Shri Babul Supriyo, Tejasvi Surya, Ravi Shankar Prasad, Shrimati Raksha Nikhil Khadse, Sushri Debasree Chaudhuri, S/Shri Rajveer Diler, Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar, Kaushlendra Kumar, Mohanbhai Sanjibhai Delkar, Dulal Chandra Goswami, Brijendra Singh, Dr. R. K. Ranjan and Shri Prince Raj = 325

Abstain: 003 + 00= 003

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 ***Amendment of Section 7D***

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन, क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Sir, I beg to move:

Page 2, line 41,-
after "any other"
insert "criminal" (33)
Page 2, line 37,-
after "being heard"
insert ", wherein the Overseas Citizen of India Cardholder shall respond by post or email within 90 days from the receipt of the letter issued by the Ministry of Home Affairs" (34)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. सुधाकरन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY : Sir, I beg to move:

Page 2, *omit* lines 39 to 43 (37)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 *Amendment of Third Schedule*

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

Page 3, line 4,-
after "Bangladesh"
insert ", Sri Lanka" (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY: Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : श्री विनायक भाउराव राऊत, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, I am not moving the amendment.

24.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: एडवोकेट ए.एम. आरिफ, क्या आप संशोधन संख्या 12 मूव करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF : I beg to move:

Page 3, lines 3 and 4, -

for "belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan,"

substitute "from neighbouring countries". (12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 16 मूव करना चाहते हैं?

DR. SHASHI THAROOR: I am not moving.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 19 मूव करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 4, *for* line 16,-

substitute "age of sixty-seven years or as a whole-time member after he has attained the age of sixty-five.". (19)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन संख्या 25 मूव करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I beg to move:

Page 3, *for* lines 3 to 6,-

substitute "Provided that for a person determined to be a refugee under the proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 2, the aggregate period of residence or service of Government in India as required under this clause shall be "not less than eight years " in place of "not less than eleven years.". (25)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी उलाका, क्या आप संशोधन संख्या 29 से 31 मूव करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I beg to move:

Page 3, lines 3 and 4,-

for "Parsi or Christian community"

substitute "Parsi, Christian or Muslim community". (29)

Page 3, line 4,-

for "Afghanistan, Bangladesh or Pakistan"

substitute "Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Nepal or Pakistan". (30)

Page 3, line 6,-

for "not less than five years"

substitute "not less than eight years". (31)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी उलाका द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 से 31 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री के. सुधाकरन, क्या आप संशोधन संख्या 35 मूव करना चाहते हैं?

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): I am not moving.

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 38 मूव करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): I beg to move:

Page 4, line 1, -

for "two other Members"

Substitute "one other Member". (38)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अनेक माननीय सदस्य: हम डिविज़न चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: लॉबीज पहले से क्लीयर हैं।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION NO. 4 **AYES** **00.01 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

*Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Anuradha, Shrimati Chinta

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shri Sukhbir Singh

*Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

* Voted through slip

*Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath 'B.P. Saroj', Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

* Voted through slip

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

*Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

* Voted through slip.

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gambhir, Shri Gautam

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

*Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

*Ghosh, Shri Dilip

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

*Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

* Voted through slip

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

*Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kirtikar, Shri Gajanan

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

*Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushlendra

*Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri Santosh

---

* Voted through slip

* Voted through slip

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lokhande, Shri Sadashiv Kisan

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

*Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ramprit

* Voted through slip

*Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

*Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Naik, Shri Shripad Yesso

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

*Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

*Pandey, Shri Santosh

Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Paswan, Shri Chirag Kumar

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

---

* Voted through slip

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

*Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Hemant

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

*Prasad , Shri Chandeshwar

---

* Voted through slip

* Voted through slip

Prasad, Shri Ravi Shankar

Pujari, Shri Suresh

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rai, Shri Nityanand

*Raj, Shri Prince

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Raghu Rama Krishna

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd.) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

*Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P.V. Midhun

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

*Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

*Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Samanta, Prof. Achyutananda

*Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

---

* Voted through slip

* Voted through slip

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

*Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

* Voted through slip

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Sinha, Shri Jayant

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Suman, Dr. Alok Kumar

Supriyo, Shri Babul

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha Arun

Vichare, Shri Rajan Baburao

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Giridhari

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

*Yepthomi, Shri Tokheho

* Voted through slip

NOES

Ahmed, Shrimati Sajda

Ali, Kunwar Danish

Anand, Shri D.M.Kathir

Antony, Shri Anto

Ariff, Adv. A. M.

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Baij, Shri Deepak

*Bandyopadhyay, Shri Sudip

*Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

*Banerjee, Shri Prasun

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Bordoloi, Shri Pradyut

*Borlakunta, Dr. Venkatesh Netha

*Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chandra, Shri Girish

* Voted through slip

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chazhikadan, Shri Thomas

Chellakumar, Dr. A.

Chidambaram, Shri Karti P.

*Chowdhury, Shri Abu Hasem Khan

*Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

*Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dhanorkar,Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan

Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Gandhi, Shri Rahul

Gill, Shri Jasbir Singh

Gogoi, Shri Gaurav

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Jagathrakshakan, Shri S.

*Jahan, Shrimati Nusrat

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Jawed, Dr. Mohammad

* Voted through slip

Jayakumar, Dr. K.

Jothimani, Sushri S.

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaur, Shrimati Preneet

*Khaleque, Shri Abdul

*Khan, Shri Abu Taher

Kumar, Shri Dhanush.M.

Kunhalikutty, Shri P.K.

Kuriakose, Adv. Dean

*Mal, Shri Asit Kumar

Malothu, Shrimati Kavitha

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Shri Dayanidhi

*Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Muraleedharan , Shri K.

Nagar, Shri Malook

Natarajan, Shri P.R.

* Voted through slip

Navaskani , Shri K.

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

*Pandey, Shri Ritesh

*Parthiban, Shri S.R.

*Pasunoori, Shri Dayakar

Patil, Shri B.B.

Poddar, Shrimati Aparupa

Pon, Shri Gautham Sigamani

*Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

*Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Raja, Shri A.

Ramesh, Shri T. R. V .S.

Rao , Shri Nama Nageswara

*Ravikumar, Dr. D.

---

* Voted through slip

* Voted through slip

*Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Uttam Kumar

*Rehman, Shri Haji Fazlur

Roy, Shrimati Mala

Sardinha , Shri Francisco

Selvam, Shri,G.

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Ravneet

Sreekandan, Shri V. K.

Subba, Shri Indra Hang

*Subbarayan, Shri K.

Sudhakaran , Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Tewari, Shri Manish

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

*Thirunavukkarasar. Shri Su.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vasanthakumar, Shri H.

*Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

*Velusamy, Shri P.

*Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Ram Shiromani

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Shyam Singh

ABSTAIN

Nil

* Voted through slip

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ : 311

नहीं : 80

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खोल दिए जाएं।

सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>00.08 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 10, 2019/Agrahayana 19, 1941 (Saka).

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 311 + S/Shri Danve Raosaheb Dadarao, G. Kishan Reddy, Dr. Virendra Kumar, S/Shri S.S. Ahluwalia, Dilip Ghosh, Arjun Munda, Shrimati Smriti Zubin Irani, S/Shri Rao Inderjit Singh, Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar, Santosh Pandey, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Shri Rajiv Pratap Rudy, Kumari Agatha K. Sangma, Shrimati Anupriya Patel, S/Shri Tokheho Yepthomi, Rajendra Dhedya Gavit, Horen Sing Bey, Kripanath Mallah, Dilip Saikia, Narendra Kumar, Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Chandeshwar Prasad, Ram Mohan Naidu Kinjarapu and Prince Raj- Shri Bellana Chandra Sekhar wrongly voted for Ayes, later on he corrected through slip for Noes = 334

Noes: 080+ S/Shri Sudip Bandyopadhyay, Abhishek Banerjee, Ritesh Pandey, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, S/Shri Ramulu Pothuganti, Dayakar Pasunoori, Prasun Banerjee, K. Subbarayan, S. Venkatesan, Dr. G. Ranjith Reddy, Shri Haji Fazlur Rehman, Shrimati Nusrat Jahan, Sushri Mahua Moitra, Dr. Venkatesh Netha Borlakunta, S/Shri Bellana Chandra Sekhar, Abu Taher Khan, Asit Kumar Mal, Adhir Ranjan Chowdhury, Abu Hasem Khan Chowdhury, SU Thirunavukkarasar, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, S/Shri Abdul Khaleque, T.N. Prathapan, Dr. D. Ravikumar, S/Shri S.R. Parthiban and P. Velusamy =106

Abstain: 00